(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खण्ड 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का दसवां दिवस [संख्या 7

वृहस्पतिवार,

दिनांक 9 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामकिशोर मीना, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री कुन्जीलाल।

तहसीलदार पंचायत समिति बनाने की योजना

115. **श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)** :
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :
श्री कुंजीलाल (बामनवास) :
क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य की कई तहसीलों में एक से अधिक तथा कई स्थानों पर दो-दो तहसीलों को मिलाकर एक एक पंचायत समिति बना रखी है जिसके फलस्वरूप क्षेत्र की जनता को भारी हानि व असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तहसीलवार एक पंचायत समिति बनाने का निर्णय करेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : जी हां। तहसीलों और पंचायत समितियों के क्षेत्र बराबर नहीं होने से जनता को भारी हानि व असुविधा होने सम्बन्धी शिकायतें वर्तमान राज्य सरकार के पास अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन सम्बन्धी मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय लेते समय इस बिन्दू पर भी पुनर्विचार किया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : राज्य सरकार को शिकायतें किस बात की की जायं? यह तो राज्य सरकार स्वयं ही जानती है कि कई पंचायत समितियों का क्षेत्र बड़ा है और कइयों का छोटा है। इससे जो कठिनाइयां होती हैं उनका तो आपको भी अनुभव हुआ होगा। क्या इन कठिनाइयों को राज्य सरकार दूर करने की कोशिश करेगी?

श्री ओंकार लाल चौहान (भटरू) : क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती है कि पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जाय जिससे कि इनका कार्य सुचारु रूप से चालू रहे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : इन पंचायत समितियों का गठन जो किया गया वह किस आधार पर किया गया?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
कौन सा आधार था इनका गठन करने का ? इसका आधार बताया जाय ।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : दो दो, तीन तीन तहसीलों की सीमायें लगती हैं एक पंचायत समिति से, आखिर इसका आधार क्या है ?

कई माननीय सदस्य : मुस्कराहट में ही टाल रहे हैं, मंत्री महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य बिराजें तो माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें । उनको उत्तर देने का मौका तो दीजिये ।

श्री रावतराम : एक पंचायत समिति में दो दो तहसीलें हैं । इसका निश्चित उत्तर दीजिये कि आपकी नीति क्या है और कब तक इसका पुनर्गठन कर दिया जावेगा ? आप मुस्करा कर इस बात को टाल रहे हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक एक पंचायत समिति क्षेत्र में तीन तीन तहसीलें हैं, दो दो सब डिविजन हैं, क्या आप उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि एक ही प्रश्न को दुबारा रिपीट करके न पूछिये ।

श्री वृद्धिचंद जैन (बड़ी सादड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में फर्माया है कि शिकायतें प्राप्त नहीं हुई । मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी सादड़ी की पंचायतें चित्तौड़ में मिली हुई हैं और चित्तौड़ की पंचायतें छोटी सादड़ी में मिली हुई हैं । इसकी एक बार नहीं अनेक बार माननीय मंत्री महोदय को शिकायत की है । शिकायतें प्रस्तुत करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि शिकायतें प्राप्त नहीं हो रही है । इससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है । आधी पंचायतें छोटी सादड़ी में मिली हुई हैं और आधी चित्तौड़ में ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं जब कोई शिकायत ही नहीं है तो विचाराधीन का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है ?

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : इसका पुनर्गठन कब तक किया जावेगा ?

श्री मूलचन्द सामरिया : इतने प्रश्न हो गये हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये । इसमें सदस्यगण का कसूर ज्यादा दिखता है । आप माननीय मंत्री महोदय को उत्तर ही नहीं देने दे रहे हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : जवाब तो दें । मुस्कराहट में ही उड़ा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने अपेक्षायें की हैं उनका उत्तर उनको दिया जाय ।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि टू टायर सिस्टम ठीक रहेगा या थ्री टायर सिस्टम ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस पर विचार हो रहा है।

श्री शिवचरण सिंह : अगर टू टायर सिस्टम होगा तो पंचायत समितियों का कुछ नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या यह जरूरी है कि शिकायत आने पर ही कार्यवाही की जाये ? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार उस पर स्वयं विचार नहीं कर सकती ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दस बारह सप्लीमेंट्रीज एक साथ पूछ लिये गये हैं, यह सारे के सारे मेरे दिमाग में रह जायें यह सम्भव नहीं है। इसलिये यह व्यवस्था कर दी जाये कि एक सप्लीमेंट्री का उत्तर हो जाये, उसके बाद ही दूसरा सप्लीमेंट्री पूछा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन जितने भी सप्लीमेंट्रीज पूछे गये हैं, उनका सम्बन्ध एक ही समस्या से है, जो आपकी जानकारी में है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत विस्तार से राज्य सरकार के विचाराधीन है। 197 तहसीलें हैं और 232 पंचायत समितियां हैं इनमें से करीब 110 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनकी सीमाएं तहसील की सीमाओं के साथ साथ चल रही हैं, इनकी सूची मैंने परिशिष्ट में दे दी है। 3 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक के अन्दर दो दो तहसीलों का पूरा क्षेत्र आ जाता है, उनकी भी सूची मैंने परिशिष्ट में दे दी है। 46 पंचायत समितियां ऐसी हैं जो 23 तहसीलों में आ जाती हैं, याने प्रत्येक तहसील में दो पंचायत समितियां आ जाती हैं। इनकी भी सूची मैंने पेश कर दी है। तीन पंचायत समितियां ऐसी हैं जो कि एक ही तहसील के क्षेत्र में आती हैं। बाकी की 70 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनका क्षेत्र अलग-अलग तहसीलों में विभाजित है। इन 70 पंचायत समितियों की जनता को असुविधा होना स्वाभाविक है। इसलिये विचार किया जा रहा है कि भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से पंचायत समितियों को वायबल बनाया जाय। तहसीलों के साथ भी कई काम जुड़े रहते हैं। सारे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र चिन्तन की प्रक्रिया चल रही है। हमें आशा है कि जल्दी ही सदन को सूचित करने की स्थिति में हम आ जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है, बहुत शीघ्र ही हो रहा है।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है। बिराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : आधार क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आधार काफी विस्तृत है। प्रश्न काल में नहीं बताया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : चिन्तन और मनन का आधार भौगोलिक और जनसंख्या ही होगा या जनता की सुविधा पर भी पुनः विचार किया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कहा ही है।

नैक्स्ट क्वेश्चन।

राज्य में मण्डी समितियों के चुनाव

116. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मण्डी समितियों के चुनाव राज्य सरकार द्वारा रोके गये हैं? यदि नहीं, तो अब तक चुनाव क्यों नहीं हुए ?

(2) क्या यह भी सही है कि नियमों में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार चुनाव कराने का अब कब इरादा रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। नियमों में आवश्यक संशोधन किये गये हैं।

(3) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री उगमराज मेहता : कौन सा संशोधन नियमों में किया है, बताने की कृपा करें। यह भी बताने की कृपा करें कि राज्य सरकार मण्डी समितियों के चुनाव कब तक कराने का विचार रखती है ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : पंचायतों के चुनाव होने के बाद कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव होने चाहिये थे। कई वर्षों से कृषि उपज मण्डी समितियां नौकरशाही पर आधारित चल रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव कब करायेंगे ? निश्चित घोषणा करें।

श्री दिग्विजय सिंह : जो संशोधन किया गया है, उसके अन्तर्गत 15 सदस्य रखे गये हैं। इस संशोधन के पहले यह स्थिति थी कि मण्डी क्षेत्र की समस्त सहकारी समितियों के सदस्य एवं पंचायतों के पंचों और सरपंचों की एक मतदाता सूची तैयार की जाती थी, वह काफी लम्बी होती थी व चुनाव प्रणाली में भी पेचीदगियां महसूस की जा रही थीं अतः उसमें संशोधन करके चुनाव प्रणाली सरल की गई है। संशोधन के अनुसार अब मण्डी क्षेत्र की समस्त पंचायतों के पंचों और सरपंचों के नामों को सम्मिलित करते हुए मतदाता सूची जिलाधीश द्वारा तैयार की जाती है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र को सात उप-निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करके प्रत्येक उप निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इस निर्वाचन क्षेत्र के समस्त पंच एवं सरपंच उनमें से एक व्यक्ति का मण्डी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन करते हैं। रहा सवाल चुनाव का तो जब तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हो जाते कृषि उपज मण्डी के चुनाव होना सम्भव नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी में जो प्रशासक नियुक्त हैं क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि प्रशासकों के स्थान पर, नौकरशाही के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाये जब तक कि नये चुनाव नहीं हो जायें ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : एम. एल. ए. को नामीनेट कर दो।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यही सब आप अब तक करते आये हैं।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय; मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह तो सम्भव नहीं है लेकिन इन संस्थाओं के चुनाव होने के बाद जल्दी ही इनके चुनाव करा दिये जायेंगे जिससे कि जनता के प्रतिनिधि अपने आप आ जायेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा निवेदन यह है कि नौकरशाही के आधार पर बड़ा अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार और गबन हो रहे हैं। सरकार आश्वासन दे कि निश्चित रूप से चुनाव कब तक करा देगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको समुचित उत्तर दे दिया गया है।

श्री रावत राम : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो यह संशोधन किया है कि कृषि उपज मण्डी के सदस्य के निर्वाचन के लिये पंचायत समितियों के प्रतिनिधि, पंच, सरपंच और सहकारी समितियों के सदस्य लिये हैं, यह तो सही है। आप इसमें यदि वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि विधान सभा सदस्य को शामिल कर लें तो क्या ऐतराज है ?

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि कई कृषि उपज मण्डियां ऐसी है जिनमें पांच-पांच नगरपालिका और दो दो पंचायत समितियां आ जाती हैं इससे सारी कृषि उपज मण्डी का कार्य क्षेत्र गड़बड़ा जाता है। क्या मंत्री महोदय व्यवस्था करेंगे कि जहां पांच नगर पालिका क्षेत्र और दो पंचायत समिति क्षेत्र हैं उसको हटाकर नये सिरे से इन कृषि उपज मण्डियों का निर्धारण करेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : इस संबंध में इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि कोई इस तरह से पंचायत समितियां और नगरपालिकायें आती हैं तो उन पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामनारायण चौधरी।

पंचायतों को आबादी भूमि विक्रय करने के अधिकार

117. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आबादी भूमि विक्रय के अधिकार पंचायतों से वापस ले लिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पुनर्गठन का स्वरूप क्या होगा ?

पंचायत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां, ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा के बाद भूतपूर्व सरपंचों द्वारा आबादी भूमि को अनियमित तरीके से खुदबुर्द करने

Page No 6

(श्री कैलाश मेघवाल)
की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लोक हित की दृष्टि से अल्पकालीन अवधि के लिए आबादी भूमि के विक्रय के अधिकार ग्राम पंचायतों से लेकर उन्हें जिलाधीशों को देने का निर्णय लिया गया था।

(3) जी हां, अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कौन कौन सी शिकायतें आई जिनके आधार पर आपको जिलाधीशों को अधिकार देने का निर्णय लेना पड़ा ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कौनसी ग्राम पंचायतें थीं और किन किन लोगों ने शिकायतें की कि सरपंच अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसके कारण से आपको यह निर्णय करना पड़ा ?

श्री कौशल किशोर जैन : चुने हुए सरपंचों से अधिकार छीनकर कलेक्टर के हाथों में सौंप देना जनतंत्र की हत्या है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्टेड प्रश्न है कि कौन कौन सी ग्राम पंचायतें थीं और किस प्रकार के लोगों ने आपको शिकायतें कीं कि वर्तमान सरपंच अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं जिससे विवश होकर इस प्रकार का अप्रजातांत्रिक निर्णय लेना पड़ा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसका उत्तर आवश्यक नहीं समझता। काफी विस्तृत है।

माननीय सदस्य, इतनी विस्तार से सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें नीति क्या है ? बताइये कौन सी शिकायतें आई ?

(व्यवधान)

किसी ने शिकायत की, यह बताइये ?

श्री नूरा : ऐसी शिकायतें मंत्री महोदय के पास होंगी। यह बतायें कि कितनी शिकायतें आई ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी प्रश्न के ऐसे उत्तर को मैं आवश्यक नहीं समझता जो काफी विस्तृत हो सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी यह व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है।

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप अपनी व्यवस्था के ऊपर पुनः विचार कीजिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार की तरफ से····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : आप धमकी भरे शब्द इस्तेमाल में नहीं ला सकते।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : श्रीमन्, मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य रामकृष्णदास जी बोलें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा, मैंने व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि व्यवस्था करना बहुत कठिन होगा इस तरह से।

(व्यवधान)

मैं चेतावनी दे रहा हूं, माननीय सदस्य बैठ जाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया मेरी बात को भी सुनिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बाऊदयाल जोशी : आपको बाहर निकाला जाये।

श्री बुलाराम (रायसिंहनगर) : आप क्यों चिल्ला रहे हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : यह परम्परा के अनुकूल नहीं है··

श्री उपाध्यक्ष : केवल श्री रामकृष्णदास जी बोलेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि जो सरपंच जनता द्वारा चुने गये थे और समय समय पर जिनका समय बढ़ाया गया, वे जमीनों को खुर्दबुर्द कर रहे थे इसलिये राज्य सरकार ने उनके अधिकार छीन लिये। कल यह कहेंगे कि विधायकों ने गलत काम किया, इनके अधिकार छीन लिये। यह सप्लीमेंट्री सवाल

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी शिकायतें आई, किन किन की आई? किन किन ने गैर कानूनी तरीके से जमीनों को खुर्दबुर्द किया? मंत्री महोदय आशंका पैदा करके जन प्रतिनिधियों को बदनाम कर रहे हैं। यह गलत दृष्टिकोण है। अगर मंत्री महोदय धूल में लठ मारेंगे···

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। संक्षेप में कह दिया।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह सवाल महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलालजी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : जैसे माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया···

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। मैंने बजरंगलालजी को अवसर दिया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि शिकायतें थीं। शिकायतों के कारण सरपंचों के अधिकार वापस लिये और जिलाधीशों को दिये। जब उनके पास आधार है तो जिस आधार पर उन्होंने उत्तर दिया है उसको जाहिर करने में उनको दिक्कत क्या है? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जन प्रतिनिधियों के अधिकार नौकरशाही के हाथों में सौंपे जाते हैं। मैं आपका ध्यान अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक बार मंत्री महोदय ने उत्तर दिया जो स्पष्ट नहीं था, वेग था। मैंने स्पष्ट किया कि इस तरह वेग उत्तर देकर मंत्री लोग बच जाते हैं। हाउस के प्रति वे उत्तरदायी हैं वे उस उत्तरदायित्व से बच कर न निकल जायें इसके लिए आसन संरक्षण दे। हमारा सवाल पूछने का अधिकार है और अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है। पिछले सत्र में दी गई व्यवस्था है मंत्री महोदय को स्पष्ट उत्तर देना ही होगा। वे समय ले सकते हैं··

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जायें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : वे समय ले लें लेकिन उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपकी भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूं, आप विराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कभी नहीं चाहता कि माननीय सदस्य जो इन्फार्मेशन सप्लीमेंट्री के रूप में पूछना चाहें उसको मंत्री महोदय किसी तरह से छुपायें। रामनारायण जी ने जो प्रश्न पूछा, उन्होंने जिस ढंग से पूछा, किन किन व्यक्तियों ने किन किन पंचायतों की शिकायत की या किन किन संस्थाओं ने की, इस क्वेश्चन का उत्तर काफी विस्तृत हो सकता था इसलिये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हां अगर सीमित होता, किन किन आर्गेनाइजेशन्स ने, गवर्नमेंट बॉडीज ने शिकायत की थी, यह प्रश्न करते तो शायद उत्तर देना संभव हो जाता।

श्री रामनारायण चौधरी : उसी को अमेंड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप चाहते हैं हजारों आदमी हों उनका नाम मंत्री महोदय पढ़ें तो सम्भव नहीं होगा। आप सीमित प्रश्न पूछिये ताकि समुचित ढ़ंग से उत्तर आ सके।

श्री रामनारायण चौधरी : वे कौन कौन सी पंचायतें हैं जिनके खिलाफ····

मेजर श्री फतह सिंह (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश की पालना करते हुए पूछता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास शिकायतें आई थीं कि जवाजा पंचायत समिति में देलवाड़ा पंचायत में भी सैंकड़ों नागरिकों को प्लाट वेचे और हजारों रुपये वसूल किये वह पंचायत और उसके सरपंच वगैरह खा गये? क्या आपके पास यह जानकारी है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह जी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं आप की मार्फत मन्त्री महोदय से नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक पर्टीक्यूलर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल साफ है।

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय मुख्य मन्त्री जो आये थे 27-1-78 को, उनको भी एक आवेदन दिया था कि देलवाड़ा पंचायत ने प्लाट बेचकर पैसा खा लिया और प्लाटों का कब्जा भी नहीं दिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मंत्री महोदय, क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। आपने आबादी भूमि के विक्रय के अधिकार पंचायतों से वापस ले लिये हैं क्योंकि उन पंचायतों के खिलाफ आपके पास शिकायतें आई। अब नई पंचायतें आई हैं, नये सरपंच आ गये। इसलिये यह नीति का प्रश्न है कि जो अधिकार आपने वापस लिये हैं वह उनको वापस दें। नये सरपंच आ गये हैं।

श्री शंकरलाल : यह अलग अलग निर्णय होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जो सप्लीमेंट्रीज पूछे गये हैं उनका जवाब आने दीजिये।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवचरण सिंह जी, बिराजिये। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। आप कृपया बिराजिये।

श्री शिवचरणसिंह : इस हाउस में चर्चा हो चुकी है। कोटपूतली के सरपंच के सम्बन्ध में मंत्री जी ने उत्तर दिया है। उस सरपंच के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं की गई। अगर कार्यवाही की गई है तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं चाहूंगा कि जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हों तो कोई और प्रश्न पूछें।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि सदन से जानकारी छिपाऊं। सदन में विराजमान विधायक काशीनाथ जी ने, कोटपूतली से आने वाले विधायक ने शिकायतें की हैं। अनगिनत 1।–2 हजार राजस्थान के कोने कोने से शिकायतें आई। जब पंचायतों के चुनाव की घोषणा की गई तो सरपंचों ने जिस गलत ढंग से अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को प्लाट देना प्रारम्भ कर दिया

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसको दृष्टिगत रखते हुए यह किया गया। अगर माननीय विधायक आधा घंटे की चर्चा करना चाहेंगे तो जितनी भी शिकायतें आई हैं उन सब को उस समय सामने रख सकता हूं। मकासर से आने वाले विधायक ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध मे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सोच रहे हैं, वे अधिकार पुनः नई चुनी हुई पंचायतों को दे दिये जायें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अभी सोच ही रहे हैं। अधिकार दीजिये। अधिकार जो आपने लिये हैं, आटोमैटिकली नई पंचायतों को वापस मिलने चाहिये।

(व्यवधान)

श्री नूरा : नई पंचायतें आ गई हैं तब भी आप सोच रहे हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : इसमें सोचने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप घोषणा करेंगे आज ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : चुनाव के बाद समस्त अधिकार उनको तुरन्त दिये जायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हजारी मल।

श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि चन्द भ्रष्ट सरपंचों की कार्यवाही को लेकर सारे सरपंचों के अधिकारों को न छीनें। पंचायतों के अधिकारों को बार बार छीने जाने से क्या पंचायती राज संस्था पर आंच नहीं आती है ? जो लोग गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार की कार्यवाही करते हैं उनको सजा देनी चाहिये। समस्त अधिकारों को छीन लेने से क्या पंचायती राज संस्था की साख नहीं गिरती है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत चर्चा हो चुकी है। आप बिराजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराज जाइये।

मंत्री महोदय से आप प्रश्न पूछ सकते है, भाषण नहीं दें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि बिक्रय में अपील का प्रावधान है। अगर जमीन गलत बेची जाती है तो पंचायत में सवा रुपये में अपील होती है। लेकिन उसके पीछे अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है। एस. डी. ओ. या कलेक्टर अपील सुन लेगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : यह लोकतन्त्र की संस्था है। इस प्रकार अधिकार छीन लेना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये।

श्री ओंकार लाल चौहान : माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। चुनाव करवाये हैं तो उनको अधिकार भी देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछें, भाषण नहीं दें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसके लिये आप तत्काल निर्देश दें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आधे घण्टे की चर्चा रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराज जाइये।

माननीय शंकर लाल जी आप विराजें।

माननीय मंत्री महोदय, सदन की भावना जान गये हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सदन में जो अभिभाषण दिया उसमें लोकतन्त्री संस्थाओं को अधिक मजबूत करने के लिये कहा है। इस नीति की घोषणा के बाद राज्यपाल द्वारा नियुक्त मंत्री को उनकी पालना करनी चाहिये। चुनाव के बाद इमीजियेटली जो उनकी पावर्स हैं, स्टेट्यूटरी पावर्स हैं वह देनी चाहिये। निश्चित रूप से राज्य सरकार का यह काम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरुद्ध होने के कारण इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये। मंत्री महोदय को निश्चित जवाब देना चाहिये ताकि धन्यवाद प्रस्ताव की गरिमा और मर्यादा किसी भी प्रकार से भंग न हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं और प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा। इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप ही मंत्री महोदय अपने विचार रखना चाहेंगे। प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा इस पर मंत्री महोदय अविलम्ब आवश्यक ध्यान दें। मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप घोषणा करने में देरी न करें।

(व्यवधान)

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : इसी सेशन के दौरान···

(व्यवधान)

श्री हरि सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े सात हजार सरपंचों का चुनाव हुआ है उनके खिलाफ यह कार्यवाही करना अन्धाधुंध कार्यवाही करना है।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय ने सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही कर जिन 20 को सस्पेण्ड किया उनके मामले में ये खुद प्रिजुडिस थे···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, चर्चा बहुत हो चुकी है आप बिराज जाइये ।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : इन्होंने साढ़े सात हजार आदमियों के खिलाफ···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। आप सुनिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, उनको तो सुनो ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमेशा मुझे ही बैठाने की कोशिश करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी।

माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये । अगर आप नहीं विराजेंगे तो इस सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा (राजगढ़) : मंत्रीजी जवाब दें, उसके पहले बताना चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । अब मैं पर्मीशन नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : आप सुनने की भी क्षमता रखिये ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : थोड़ी शर्म करें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अब पर्मीशन नहीं दूंगा । आप विराजें ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, अगर इस तरह आसन की उपेक्षा करेंगे तो मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ेगा कि आसन कभी सहयोग नहीं करेगा ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने रामरघुनाथ जी को कह दिया है । वे प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

यह तो कोई उचित परम्परा नहीं होगी कि इस तरह से कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहें ।

(व्यवधान)

मैंने रामरघुनाथजी का प्रश्न पूछने के लिए कह दिया है, वे प्रश्न पूछें ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा, इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह भाषण दिया था कि पंचायतों के इस बार के चुनाव में अधिकतर जनता पार्टी के लोग ही चुन कर आए हैं इसलिए विपक्ष वाले इससे नाराज हैं। आज विपक्ष वाले यह मांग करते हैं कि जो जमीन अलाटमेंट का अधिकार पूर्व में ग्राम पंचायतों को था, वह अधिकार उनको वापस क्यों नहीं देते हैं ? अगर जनता पार्टी के ही सरपंच हैं और आपका बहुमत आया है, जैसा कि मुख्य मंत्री जी कह रहे थे, तो आज ही इस सदन में घोषणा क्यों नहीं करते कि उनके अधिकार वापस लौटा दिए जायेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंहजी बहुत उतावले हो रहे हैं। उन्हें भी एक प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय ने सिर्फ एफीडेविट के आधार पर, किसी एक व्यक्ति ने आकर एफीडेविट दे दिया उसके आधार पर कितने सरपंचों को सस्पेंड किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। कृपया बिराजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसी प्रश्न से सम्बन्धित है। जब इन्क्वायरी चल रही है तो यह इसके स्कोप में आता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, आप बिराजिये।

(व्यवधान)

माननीय हरचरणसिंहजी, आप भी बिराजिये। बहुत हो गया।

श्री रामसिंह बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामसिंहजी आप भी बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय उत्तर देने को खड़े हुए हैं तो उनका उत्तर पहले सुनिए। यह कहां की परम्परा है कि वे उत्तर दे रहे हैं और आप बीच में बोलना चाहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों के अधिकारों और लोकतन्त्र की दुहाई देकर जो 13 सालों तक चुनावों को टालते रहे और 13 वर्षों तक जिन्होंने चुनाव नहीं कराए वे आज लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं।

(व्यवधान)

जब आप बोलने को तैयार होते हैं तो सुनने को भी तैयार रहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे अपनी बात सुनाते हैं, अपनी बात कहते हैं तो उनको सुनने की भी तैयारी होनी चाहिए ...

(व्यवधान)

मैं भी उनको अपनी बात सुनाना चाहता हूं। उनको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब मैं जवाब दूंगा तो उनको सुनना पड़ेगा..

(व्यवधान)

श्री शीशराम श्रोला (पिलानी) : हम नही बोलने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शीशरामजी, बिराज जाइये ।

श्री कैलाश मघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी कितनी ही बात कहे लेकिन उत्तर सुनने को तैयार नहीं हैं . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कौनसी परम्परा निभा रहे हैं ।

श्री शीशराम श्रोला : हम नहीं सुनेंगे ।

श्री बुलाराम : हम नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये । मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिए ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि क्योंकि पंचायतों के चुनाव हो गए हैं, अस्सी प्रतिशत चेहरे नए आए हैं, पुराने चेहरे नहीं आए हैं इसलिये इसी सत्र के अन्दर जो उनका अधिकार छीना गया है, वह उनको वापस दे दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह 'भ्रष्ट चेहरे आये हैं' शब्द कहे हैं वे कार्यवाही से निकाले जावें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है अब इसको समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द डागा : सरपंचों को भ्रष्ट चेहरा कहा है, इसको कार्यवाही से हटाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जितने भी सरपंच सस्पेंड थे क्या वे सभी कांग्रेसी थे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास जी, आप बिराजिये ।

नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं यह जानना चाहता हूं . .

श्री शीशराम श्रोला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, मैं पूछना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नए प्रश्न के लिए पुकार लिया है । अब पहले के प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री रामरघुनाथ !

भूमि विकास बैंक, पाली द्वारा फर्म को किया गया भुगतान

118. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण जिला पाली में एक फर्म साईनाथ मशीनरी स्टोर्स के नाम से चल रही है जो मुख्यतया भूमि विकास बैंक के मार्फत किसानों को ऋण मुहैया कराने का कार्य कर उनके

Page No 15

(15)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
कुओं पर मशीनें जैसे आयल एंजिन अथवा बिजली की मोटरें लगाने अथवा बेचने का कार्य करती है ?

अगर हां, तो यह फर्म कब से कार्य कर रही है ? इसके मालिक कौन कौन हैं ? इनकी आयु, पिता का नाम, वे कहां के रहने वाले हैं ?

(2) इस फर्म ने भूमि विकास बैंक, पाली से पिछले सात वर्षों में कितना भुगतान लिया ? वर्षवार आंकड़े व कितने एंजिन व मोटर भूमि विकास बैंक, पाली के द्वारा किन किन किसानों को कितनी कितनी कीमत पर बेचे गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार व सहकारिता विभाग को इस फर्म के खिलाफ पूर्व में भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो राज्य सरकार या सहकारिता विभाग ने आज तक क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि फर्म के मालिक शैलेन्द्र कुमार शर्मा के पिता सहकारिता विभाग के एक निलम्बित उच्च अधिकारी हैं ? अगर हां, तो ये किस मामले में कब निलंबित किये गये तथा अब तक क्यों निलम्बित हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। फर्म दिनांक 21-10-76 से कार्य कर रही है। दिनांक 21-10-76 से 25-9-77 तक यह फर्म सोल प्रोपराइटरशिप फर्म थी, जिसके मालिक श्री शैलेन्द्र कुमार थे। दिनांक 26-9-77 से फर्म की पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करायी गयी है। इस पार्टनरशिप डीड के अनुसार भागीदारों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) फर्म पिछले सात सालों से कार्य नहीं कर रही है बल्कि दिनांक 21-10-76 से ही कार्य कर रही है। पिछले दो सालों में जो ऋण भुगतान किया गया उनके आंकड़े चाहे गये अनुसार परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं।

(3) जी हां, सहकारिता विभाग को इस फर्म के खिलाफ पूर्व में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच उप रजिस्ट्रार, पाली द्वारा कराई जा रही है।

(4) जी नहीं, शैलेन्द्र कुमार शर्मा इस फर्म के एक हिस्सेदार हैं परन्तु उनके पिता का नाम श्री रामेश्वरलाल पारीक है जो सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारी नहीं हैं।
(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (4) में जो उत्तर दिया गया है कि श्री शैलेन्द्र कुमार के पिता का नाम रामेश्वर लाल है और शंकरलाल नहीं है, यह तथ्य झूठा है . . .

श्री ईश्वरचन्द : गोद चले गए होंगे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : दो डाकूमेंट की मेरे पास यह फोटोस्टेट कापी है। उसका मजमून मैं पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें स्वयं शंकरलाल जी ने यह माना है कि "मैं शंकरलाल पुत्र स्व. श्री गोपीराम जाति ब्राह्मण, पाली का पुत्र शैलेन्द्र कुमार उम्र साढ़े पन्द्रह वर्ष…" मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन तथ्यों के आधार पर आपने उत्तर दिया है ? शैलेन्द्र कुमार नाबालिग नहीं बल्कि 23 वर्ष का है।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
आपने कहा है कि उसके पिता का नाम रामेश्वरलाल है। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनमें आपस में लिखा पढ़ी हुई है उसमें खुद श्री शंकरलाल ने यह माना है कि मेरा लड़का शैलेन्द्र कुमार साढ़े पन्द्रह वर्ष का है, तो यह आप कैसे कह रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय के प्रश्न के पूर्व भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतकर्त्ताओं ने किसी डीड को प्रस्तुत किया है जिसमें शैलेन्द्र कुमार के पिता का नाम शंकरलाल होना दर्ज है। सहकारिता विभाग से जो सूचना मिली है उसमें शैलेन्द्र कुमार के पिता का नाम रामेश्वरलाल पारीक होना अंकित है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सही स्थिति क्या है, इसका पूरी जांच कराई जाएगी।

श्री शंकरलाल चौधरी (जैतारण) : यह शिकायत कब प्राप्त हुई और इसकी जांच कब से हो रही है ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है . . .

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : यह शिकायत कब प्राप्त हुई और इसकी जांच कब से हो रही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस फर्म के अपने आपको भागीदार कहने वाले भैरोंसिह और खेतसिंह से विभाग को दिनांक 27-6-77 को और दिनांक 24-10-77 को शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि श्री शंकरलाल आपके सहकारी विभाग के निलम्बित अफसर हैं, जिन्होंने यह लिख कर दिया कि मेरा पुत्र शैलेन्द्र कुमार इस फर्म का मालिक है और जिसके अन्य भागीदार हैं। मैं यह फोटोस्टेट कापी सदन की मेज पर प्रस्तुत कर रहा हूं जांच के लिए व साथ ही पूछना चाहता हूं कि क्या एक सरकारी निलम्बित अधिकारी, जो आपके विभाग का अफसर है, ने अपने या अपने परिवार के किसी नाबालिग लड़के के नाम से टैक्स की चोरी करने की नीयत से पार्टनरशिप डीड की और जिसने कि आपकी बैंकों से या अन्य प्रकार से 15 लाख का भुगतान प्राप्त किया है, उसके खिलाफ क्या आप इन्क्वायरी कराने का विश्वास दिलाते हैं ? क्या किसी अधिकारी के लिए, चाहे वह अधिकारी सर्विस में हो या निलम्बित हो, इस प्रकार से कार्य करने के लिए राज्य सरकार से पूर्व में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके पहले ये जालौर में ए. आर. थे और भूमि विकास बैंक में हजारों रुपयों का घोटाला इन्होंने किया है। भूमि विकास बैंक से जमीन का पैसा लेकर खुद खा गये। अपने नाम से पम्पिंग सैट की दुकान लगाई तो क्या यह भी आपकी जांच का विषय है या नहीं ? कृपा करके यह बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : भागीदार फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें जो उम्र बतायी गयी है उस दृष्टि से तो ये नाबालिग नहीं हैं। माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं, तो मैं उनको यह विश्वास

(श्री कैलाश मेघवाल)
दिलाता हूं कि इस बात की जांच का मुद्दा बना लिया जायगा।

दूसरा मुद्दा यह है कि निलम्बित अधिकारी के खिलाफ तीन तीन आरोप-पत्र जारी किए गए हैं जिनमें जालौर का विषय है या नहीं। यह विस्तार से मैं नहीं जान सका हूं। परन्तु उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आरोप लगाया गया था। जांच पहले हुई है। उस के आधार पर उनको वहां से हटाया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमलेन्द्रसिंह।

सड़कों के लिए ली गई भूमि का मुआवजा

119. श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राहत कार्य की जहां सड़कें निकल रही हैं वहां के काश्तकारों के खेत कट रहे हैं ? यदि हां, तो उनको मुआवजा दिलाने के लिए राज्य सरकार का क्या विचार है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : सामान्यतया राहत कार्यों के रूप में ऐसी सड़कों को लिए जाने का प्रयास किया जाता है जिनके बीच में निजी खेत इत्यादि न आयें। राहत कार्यों का मुख्य उद्देश्य प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का होता है और उनका संपादन स्थानीय काश्तकारों के सहयोग द्वारा कराया जाता है : प्रायः काश्तकार सड़कों या राहत कार्यों के अन्तर्गत आने वाले अपने खेत के टुकड़ों को रजामन्दी से छोड़ भी देते हैं। सहायता विभाग द्वारा विभागीय मद से किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता। सार्वजनिक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग द्वारा प्लान में लिए गए कार्यों पर राहत कार्य अगर चलाए जाते हैं और यदि ऐसे कार्यों पर भूमि अवाप्ति की आवश्यकता पड़ जाए तो इस स्थिति में मुआवजे की रकम संबंधित विभाग की मदद से दी जा सकेगी।

श्री कमलेन्द्रसिंह : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो काश्तकार अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं राहत कार्यों की सड़कों के लिए, उनके लिए आपने क्या सोचा है ?

श्री जयनारायण पूनिया : राहत विभाग उस कार्य को बन्द कर देगा। रिअलाइनमेन्ट करना पड़ता है।

श्री कमलेन्द्रसिंह : तो क्या, मंत्री महोदय, उदयपुर जिले में जो राहत कार्य के अन्तर्गत सड़क है उसका रिअलाइनमेन्ट करने के आदेश देंगे ?

श्री जयनारायण पूनिया : उस सड़क के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त कर ही इस सम्बन्ध में उत्तर दे सकता हूं।

श्री कमलेन्द्र सिंह : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री कमलेन्द्रसिंह : यह जानकारी मंत्री महोदय को दिलाई जाए तो क्या वे इस सड़क का रिअलाइनमेन्ट कराने को तैयार हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक आधार पर किसी का खेत प्राप्त कर लिया गया है तो क्या उस रोड का अलाइनमेन्ट बदल कर उस व्यक्ति के साथ इन्साफ किया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न मंत्री महोदय ने सुना नहीं है ।

श्री अब्दुल अजीज : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजनैतिक आधार पर कोई अलाइनमेन्ट आपके विभाग ने कर दिया है तो उसका आप किस प्रकार से निराकरण करेंगे ? राजनैतिक आधार पर है तो सरकार कैसे निराकरण करेगी ?

श्री जयनारायण पूनिया : इस प्रकार का अलाइनमेन्ट राजनैतिक आधार पर नहीं किया जाता है । यह बात मेरे ध्यान में लाई जाएगी तो कार्यवाही की जाएगी ।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : राजनैतिक आधार पर अलाइनमेन्ट किए गए हैं । सीकर जिले में तीन सड़कें ऐसी हैं . . .

(व्यवधान)

इसके लिए आप क्या आदेश दे रहे हैं . . .

श्री जयनारायण पूनिया : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री मदनसिंह दांता : मेरे से क्या बदला लेंगे ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाइपोथेटिकल प्रश्न न पूछिये ।

प्रश्न संख्या 120 ।

बिजोलिया क्षेत्र में बाहर से चरने के लिए आने वाली भेड़ों से उत्पन्न समस्या

120. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्षा काल में बिजोलिया क्षेत्र में हर साल लाखों की तादाद में बाहर की भेड़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से इस पठार पर बसे लगभग सौ गांवों का जन जीवन अस्त व्यस्त तथा अत्यन्त दुखी हो जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि यदि बाहर से आने वाली भेड़ समस्या का हल नहीं खोजा गया तो उक्त क्षेत्र में भारी उत्पात हो सकता है और पहले ही की तरह फिर कत्ल भी हो सकते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि भेड़ें सब घास नष्ट कर देती हैं जिसके फलस्वरूप बिजोलिया के मवेशी भूखे रहते हैं ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री नंदलाल) :

(1) जी हां । लगभग 2–3 लाख भेड़ बिजोलिया क्षेत्र में चरने के लिए आती हैं लेकिन यह सही नहीं है कि इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है । भेड़ों को चराने से स्थानीय किसान एवं भेड़ पालक 2–3 माह के लिए चराई की समस्या महसूस करते हैं ।

(2) इस क्षेत्र में निष्क्रमण पर आने वाली भेड़ों की समस्या के समाधान सुझाने

(श्री नन्द लाल)

के लिए विगत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। इस समिति के सुझाव एवं सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। भारी उत्पात एवं कत्ल की आशंका की इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं। भेड़ें आम तौर पर घास के ऊपरी भाग को ही चरा करती हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ऊपरी भाग को चरें या भीतरी भाग को चरें, अगर भेड़ें घास चर जाती हैं तो वहां की मवेशी क्या खाएगी ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि पांच-सात लाख भेड़ें प्रति वर्ष आती हैं इससे वहां का जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है ··

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : ये भेड़ें कहां से आती हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में तीस हजार व्यक्तियों का जन जीवन ग्रस्त व्यस्त हो गया है। उनको खतरा पैदा हो गया है। कई कत्ल वहां पर हो जाते हैं। इससे यह सारी की सारी समस्या खड़ी हो जाती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी ? चौमासा आ गया है इसलिए सौ गांवों के लोगों को इस कष्ट से उबारने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आशा है वर्षा ऋतु आने से पहले पहले इस पर निर्णय हो जाएगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह नहीं होगा। कृपा करके इसका उत्तर दिलाया जाए।

श्री नूरा : क्या यह नियम है कि निश्चित चरागाहों पर ही भेड़ें चरायी जाएं ? इनके लिए राजस्थान की सब जगह चरने का नियम नहीं है ?

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : पिड़ावा तहसील में हजारों भेड़ें आती हैं। वहां पर तीन कत्ल हो चुके हैं। वहां की घास नष्ट हो रही है। इस तरह से वहां पर असन्तोष है, लोगों को असुविधा हो रही है। मंत्री महोदय इस बात को नोट भी नहीं कर रहे हैं। वे इस बात को सीरियसली भी नहीं ले रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से सब से ज्यादा यह समस्या बूंदी जिले की है। इस पर भी विचार किया जाए···

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आपकी समस्या नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि भेड़ें कहां जाएंगी। चाहे इनको आप कटवाएं लेकिन इन्सान को बचाइये। तीस हजार आदमियों

Page No 20

(20)

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

का जन जीवन ग्रस्त व्यस्त हो गया है इन भेड़ों के कारण। लाखों भेड़े घास खा जाती हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ईश्वर चन्द्र : इसका गंभीरता के साथ जवाब दिया जाना चाहिए।

प्रश्न संख्या 121

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सहाय ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई।

बिसलपुर बांध से क्षति

122. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी) : क्या बाढ़ व अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण जोधपुर जिले में क्या बिसलपुर बांध टूट गया था ? अगर हां, तो उसकी पुन: मरम्मत के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और कितना मरम्मत का कार्य आज तक किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष बांध की मरम्मत नहीं होने की वजह से बांध बिल्कुल खाली पड़ा है ? और इस वर्ष हजारों बीघा जमीन में सिचाई नहीं हो सकती ? अगर हां, तो राज्य सरकार मरम्मत हेतु कितनी धनराशि कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है और मरम्मत का कार्य कब तक सम्पूर्ण करा दिया जाएगा ?

(3) क्या यह सही है कि बांध की मोरी आउट लेट नहीं होने के कारण इस बांध की पाल टूटी थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भविष्य में इसमें मोरी आउट लेट रखने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि बिसलपुर बांध के आगे जो ग्राम आते हैं वहां बांध भर जाने के बाद जब पानी बह कर आगे ग्रामों में जाता है जिसमे हजारों बीघे जमीन में रबी की सेवज फसलें होती थीं और पिछले दो वर्षों से बांध की मोरी नहीं होने व पानी की निकासी नदी में रख देने से हजारों बीघा जमीन में पानी जाना बन्द हो गया, उससे हजारों मन अनाज का नुकसान हो रहा है ? अगर हां, तो भविष्य में इस पानी को बहता रहने के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

अकाल राहत मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : यह प्रश्न सिंचाई विभाग से संबधित है इसलिए यह सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित कर दिया है। सिंचाई मंत्री महोदय के उत्तर हेतु इस प्रश्न को स्थगित करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भूरा लाल।

श्री दाऊदयाल जोशी : समय हो गया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न और।

गोगुन्दा पंचायत समिति द्वारा हैण्ड पम्प की खरीद में हुए घोटालों की जांच

123. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गोगुन्दा पंचायत समिति द्वारा आयरन एण्ड कम्पनी से हैण्ड-

(श्री भूरालाल)
पम्प सैट खरीदे गये जिसमें 26,000 रु. का घोटाला था, जब कि भूतपूर्व सरकार ने विधान सभा में स्वर्गीय रोशनलाल शर्मा द्वारा पूछे गये प्रश्न पर यह कहा था कि पूर्ण जांच हो गई है परन्तु उक्त जांच को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है ? यदि वह प्रकाशित कर दी गई है तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत राज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : जी हां। यह मामला 25,000/– रु. के घोटाले का था। विभागीय जांच पूर्ण की जाकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री मूलचन्द डागा : क्या सजा दी है ? कौन दोषी था ? रुपये कौन खा गया ? यह क्या गोलमाल जवाब है।

श्री दाऊदयाल जोशी : ये माननीय सदस्य भी थे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सर्वदानन्द दोषी पाया गया। उसको निकाला गया है और फिर ले लिया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : उपरोक्त तीनों अधिकारियों के विरुद्ध सम्मिलित विभागीय जांच की जाकर उन्हें राज्य सरकार के 13 सितम्बर, 1976 के आदेश से निम्न प्रकार दण्ड दिया जा चुका है:—

(1) श्री सर्वदानन्द भू.पू. कार्यवाहक विकास अधिकारी, गोगुन्दा को तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां संचय प्रभाव से रोकने व निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त शेष वेतन नहीं चुकाने का दण्ड दिया गया है।

(2) श्री भंवरलाल मूंदड़ा, ओवरसीयर, व भीमसिंह लेखा लिपिक की दो वेतन वृद्धियां संचय प्रभाव से रोकने का दण्ड किया गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिस पर दोष साबित हो गया है, उसके दो इन्क्रीमेन्ट रोकना ही क्या सजा है ? कैसे भ्रष्टाचार रोक सकेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : वह बहुत पुराना मामला है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद का नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, रेलेवेन्ट सवाल पूछ रहा हूं। पुरानी सरकार का क्यों बार बार रख रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप फिर से कार्यवाही करके इसको निकालेंगे ?

श्री शिवचरण सिंह : पुराने घोटालों को आप दबाना चाहते हैं। आपने पुराने घोटालों से कम्प्रोमाइज कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह आपके जमाने का है।

श्री शिवचरण सिंह : आप उसको कमीशन लेकर दबा रहे हैं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि पकड़ में ही मुश्किल से आते हैं। जब पकड़ में आते

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो पुराने दबे हुए मामले हैं, उन पर निर्णय लेना चाहिए।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : सारे के सारे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, वह ऐसे लगाये जाते हैं कि उनके जवाब आते ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)।

अनुपस्थित सदस्यों का तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़कलां के सरपंच को दी गई राशि

121. श्री गोबिन्द सहाय (गंगापुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर पंचायत समिति ने बाड़कलां के सरपच को किस किस कार्य के लिए कितना पैसा दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़कलां के सरपंच ने जो राशि निर्माण के काम के लिये ली है वे निर्माण कार्य उन्होंने अब तक नहीं करवाये हैं ?

(3) उनसे धनराशि आज तक वापस न लेने का क्या कारण है ?

(4) हरिजनों के मकान बनाने के लिये पंचायत समिति, गंगापुर सिटी ने बाड़कलां पंचायत के सरपंच को कितनी धन राशि दी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बाड़कलां के सरपंच को 31 निर्माण कार्यों के लिए 22,456/– रु. की धनराशि दी गई थी जिसमें से 23 कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं व 2 निर्माण कार्यों की राशि सरपंच ने वापस दिनांक 28–12–65 को जमा करादी थी। शेष 6 कार्य अधूरे हैं जिनमें से बाड़कलां की सड़क, कुएं व पाठशाला की चहार दीवारी के लिए दी गई अनुदान की राशि में से क्रमशः 914 रु., 840 रु. व 1200 रु. का कार्य नहीं कराया गया है। बाढ़खुर्द के कुए के पारे व जलोखरा के कुए के कार्य के लिए दी गई अनुदान की राशि का उपयोग तो हो चुका है किन्तु ये कार्य अभी अधूरे हैं। अध्यापक निवास गृह के लिए दी गई राशि का उपयोग कर लिया गया था किन्तु बरसात में इस कार्य की छत गिर जाने से अनुमानतः 1500 रु. की क्षति हुई है। यह कार्य अभी अधूरा है।

(3) सरपंच द्वारा उपयोग में नहीं ली गई राशि की वसूली के लिये नोटिस दिये गये हैं किन्तु नोटिस की अनुपालना में

(पंचायत मंत्री)

सरपंच ने रकम जमा नहीं कराई है। अतः नियमानुसार उक्त राशि को वसूल करने के लिए अब कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

(4) हरिजनों के मकान बनाने के लिये कोई भी राशि सरपंच को नहीं दी गई थी। दो हरिजनों को मकान बनाने के लिए 1000 रु. की राशि पंचायत समिति ने सीधे ही दी थी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित प्रश्न के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्नों की सीमा व अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये।

एक माननीय सदस्य : मैंने कई प्रश्न किये थे, उनमें से एक प्रश्न आया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रश्नों को सूची में क्यों नहीं ले रहे हैं ?

दूसरी बात, जो मेरा प्रश्न है वह स्थगित करवायें। सूची में हमारे प्रश्नों को रखवायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सूची में जो प्रश्न आ जायेगा, उसका लिखित उत्तर मिल जाएगा। मैं नहीं कह सकता हूं कि आपके प्रश्न क्यों नहीं आये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रश्नों को आप किस प्रकार से रखना चाहते हैं ? एक दिन में 4 प्रश्न के जवाब मुश्किल से आते हैं। चार के जवाब आते हैं और उन पर सप्लीमेंट्री चलते रहते हैं। मन्त्री महोदय आराम से बिराजे रहते हैं। कुछ का जवाब दे देते हैं बाकी के जवाब देते नहीं हैं। इसलिये मेरा खास तौर से आप से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकें। पार्लियामेन्ट में भी यह तरीका है कि तीन से अधिक सप्लीमेन्ट्री अलाऊ नहीं करते ताकि अधिक प्रश्न आ सकें। मैंने यह देखा है, चार सवाल से ज्यादा अभी तक नहीं आये हैं। कल माननीय सदस्य एब्सेन्ट थे इसलिये कुछ ज्यादा आ गये। पांच से ज्यादा सवाल आते ही नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था दीजिए कि तीन सप्लीमेंट्री से ज्यादा कोई नहीं पूछे। ज्यादा से ज्यादा सवाल आने चाहिये। यह पुरानी परम्परा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका प्रश्न पूछने का मिले, ज्यादा से ज्यादा इन्फार्मेशन मिले। एक घण्टा व्यर्थ हो जाता है, नतीजा कुछ नहीं निकलता है।

श्री मूलचन्द डागा : एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री कुन्जीलाल और श्री रामकिशोर मीणा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। उसमें पूछा है, "क्या यह सही है कि राज्य सरकार कुछ जिलों का पुनर्गठन कर

(श्री मूलचन्द सामरिया)
कुछ नये जिले बनाने के बारे में विचार कर रही है ?" इसलिए मैं निवेदन करूंगा···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उसी प्रश्न को दुहरा रहे हैं । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है ।

माननीय सदस्य, आप विराजिये । इस समय यह सम्भव नहीं है । आप मुझ से चेम्बर में मिल लें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसे महत्व के प्रश्न दुबारा आने चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन कर दिया है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 255 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं बराबर तीन दिन से यह देख रहा हूं, रात को दस बजे क्वेश्चन सर्कुलेट होते हैं । नये विधायक नगर में अंधेरा रहता है, 10 बजे हम को डाक दी जाती है जब कि एक दिन पहले मिलनी चाहिए । सारे क्वेश्चन एक दिन पहले मिलने चाहिए । रात को दस बजे डाक मिलती है तो हम कोई पाइन्ट पर विचार नहीं कर पाते हैं । हमें फुर्सत भी नहीं मिलती है । कहते हैं स्टाफ नहीं है । नये विधायक नगर में अन्धकार रहता है । कैसे आ सकते हैं ?

श्री ईश्वर चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, रात के दो दो बजे तक डाक मिलती है ।

एक माननीय सदस्य : अजी सुबह 5 बजे मिलती है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस शिकायत के सम्बन्ध में जानकारी करूंगा । वाजिब पाई गयी तो उसके बारे में आदेश दे दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, हमें समय पर डाक ही नहीं मिलती है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके बारे में और जांच करूंगा ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप, श्रीमन्, दो दिन से घर पर नहीं थे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेतसिंह ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझे सहयोग देंगे । माननीय खेतसिंह जी से भी अपेक्षा करूंगा कि उनके दल के माननीय सदस्य सहयोग देंगे और दूसरे सदस्यों के लिए भी उदाहरण पेश करेंगे ।

घोषणा

कांग्रेस (आई) दल के पदाधिकारी

एक आवश्यक घोषणा करना चाहूंगा ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, दिनांक 4 मार्च, 1978 को कांग्रेस (आई) के सदस्यों के नामों की घोषणा सदन में की जा चुकी है । अब इस दल के पदाधिकारियों की सूची प्राप्त हो गयी है जो इस प्रकार है:—

1.	श्री रामनारायण चौधरी	नेता
2.	श्री दुलाराम	उप नेता
3.	श्री जयकृष्ण शर्मा	सचेतक

अतः कांग्रेस (आई) को एक पृथक् ग्रुप के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इन तीनों मेम्बरों के दर्शन तो करा दीजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य विधान सभा की ओर से मकराना संगमरमर की सैकड़ों खानों में पानी भरा होने के कारण मजदूर और खान मालिक बेरोजगार बैठे हैं, इस विषय में,

(2) श्री खेतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में 6 न्यायाधीशों व एक मुख्य न्यायाधीश का स्थान काफी समय से खाली पड़े रखने के कारण न्याय प्राप्ति में देरी हो रही है, इस विषय में,

(3) श्री रामकरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटपूतली तहसील में भू–प्रबन्ध विभाग की ओर से गरीब किसानों को परेशान किया जा रहा है, इसविषय में,

(4) श्री रामकृष्ण दास, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर का पानी काश्तकारों को सिंचाई हेतु न दे कर मुख्य नहर के एक डिप्रेशन में डाला जा रहा है, जिससे फसलें खराब हो गई हैं, इस विषय में,

इन सब प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) सर्वश्री श्योपतसिंह मकासर, दुलाराम व मनफूलराम, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में ओलावृष्टि के कारण रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, इस विषय में।

इस प्रश्न पर माननीय सदस्य आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अवसर पर थोड़ी देर के लिये बोल सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से हेमावास बांध जिला पाली से छोटे किसानों को तीसरी व चौथी पिलाई का पानी नहीं मिल रहा है, इस विषय में,

(7) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम साकड़ पाड़लीपुर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना तहसील सांचोर में जल स्रोत खराब होने से जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस विषय में,

(8) सर्वश्री नरपतराम व रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 24 फरवरी, 78 को अजमेर पुलिस द्वारा कुछ मीणा जाति के सरकारी कर्मचारियों की कथित पिटाई के विषय में,

ये प्रस्ताव राज्य सरकार को उनकी सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, अस्पताल के पास स्थित सूचना केन्द्र की दीवार गिरा दी गई है और पूंजीपति लोग····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरे चैम्बर में जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो कुछ कहा गया इस सरकार की ओर से, हम यह उम्मीद करते थे कि मंत्री महोदय उसको कार्यान्वित करेंगे। खनिज विभाग ने और उनके मंत्रीजी ने इस सदन में मकराना की खानों में पानी भर जाने के सम्बन्ध में घोषणा की थी कि राज्य सरकार उस पानी को शीघ्र ही निकलवायेगी। मैंने भी शुक्रिया उसी अन्दाज में किया था। लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नई सरकार ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वह नाम मात्र के बराबर है, जो कुछ किया गया है वह केवल दस प्रतिशत के बराबर कह सकता हूं। मैंने वहां पर पांच पम्प मांगे थे लेकिन केवल दो पम्प ही भेजे गये जिनमें से एक बिल्कुल बेकार है और बराबर चलता नहीं है। नतीजा यह हुआ कि जिन खानों की रेन्ज में यह लगे हुए हैं वहां पर काम नहीं चल रहा है। सरकार की आमदनी में भी कमी हो रही है और कई खानों में मजदूर लोग बेकार बैठे हैं। क्या राज्य सरकार यह समझती है कि हम वहां पर मछलीपालन का धन्धा शुरू कर दें या और कोई धन्धा करने लग जायं ? मैंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि राज्य सरकार ने मेहरबानी करके सहमति प्रदान कर दी है सहायता करने की, इसलिए काम जरूर होगा लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, वहां काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा हार्दिक अनुरोध है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे।

दूसरी बात यह अर्ज कर दूं कि पानी इधर उधर से इकट्ठा होकर, बहकर खानों में आता है। वह कुदरती वर्षा का पानी है। उसको बन्द नहीं किया गया तो और अधिक कठिनाई हो जायेगी। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि अगली वर्षा का पानी खानों के अन्दर न आवे इसकी भी व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव इस मसले की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया था कि राजस्थान हाई कोर्ट के अन्दर 6 हाईकोर्ट जजेज की जगह खाली है और दो और जगह, जो भारत सरकार से की हुई है, इस प्रकार से 8 जजेज की जगह खाली पड़ी हुई है। चीफ जज का जो कार्य कर रहे थे वे मध्य प्रदेश चले गये हैं। यहां पर चीफ जज के लिए कोई कर्नाटक के चीफ जज आ रहे हैं जो स्वयं भी 6 महीने के बाद रिटायर होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जजों को इस प्रकार से कमी होने के फलस्वरूप न जयपुर में और न जोधपुर में डी. बी. कान्स्टीट्यूट हो रही है और न केसेज की सुनवाई हो रही है। केसेज का नम्बर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हमारी जनता सरकार यह कहती है कि हम न्याय को सस्ता करेंगे, लॉ मिनिस्टर ने यहां मिनिस्टर बनते ही इस बात की घोषणा की थी कि ज्यादा से

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ज्यादा लोगों को सस्ता न्याय मिल सके उसके लिए हम कटिबद्ध हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कटिबद्ध होने का यह सबूत दिया है कि आठ जगह जजों की खाली पड़ी हुई हैं। राजस्थान बनने के बाद कभी इतनी जगह खाली नहीं हुई। मैं निश्चित तौर से आपसे कह सकता हूं कि दिनों दिन केसेज का नम्बर बढ़ता जा रहा है, डी.बी. कान्स्टीट्यूट नहीं हो रही है, इसके लिए जनता में बहुत रोष है और नाराजगी है। इसलिए मैं खास तौर से लॉ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इसकी ओर ध्यान दे। वैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप निर्णय नहीं ले सकते। आपके निर्णय नहीं लेने की वजह से देरी होती है। यही कारण है कि आठ जगह खाली पड़ी हुई है। आप स्वयं वकील रहे हुए हैं। लायर्स में असन्तोष है। आपके प्रति लोगों की और उनकी गलत भावना होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय में आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें और इस बात का भी प्रयत्न करें कि राजस्थान का ही कोई न कोई जज, जो सीनियर हो, चीफ जज हो। 6 महीने के लिए आप दूसरी जगह से चीफ जज ला रहे हैं इससे साबित होता है कि यहां पर कोई काबिल नहीं है। बाहर से जिसे लाया जा रहा है, वह भी 6 महीने में रिटायर हो जायगा। मैं खास तौर से लॉ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आपके भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर से अच्छे ताल्लुक हैं, आप उनके जूनियर हैं इसलिये बातचीत करके जल्दी से जल्दी इस समस्या का कोई हल निकालें। मुझे उम्मीद है कि आप आज ही कुछ न कुछ स्पष्टीकरण सदन में देंगे और आश्वासन देंगे।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में जजेज न होने के कारण जोधपुर में . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहना चाहूंगा कि माननीय खेतसिंह जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि संक्षेप में कह दीजिये।

श्री बिरदमल सिंघवी : 1967 की अपीलों का अभी तक नम्बर नहीं आ रहा है। 1969 की रिटें भी नम्बर पर नहीं आ रही हैं। वकील लोग बहस तैयार करके जाते हैं लेकिन बैंच नहीं बनने की वजह से उनका नम्बर नहीं आता है। आये दिन केसेज का ढेर लगता रहता है। लोगों में इस कारण से बड़ा रोष है। कई वकील काफी समय से हैं और कॉम्पीटेन्ट भी हैं, अच्छे वकील हैं, वह जजेज का स्थान ले सकते हैं। हमारे पास प्रतिभायें हैं, उनका सदुपयोग शीघ्र से शीघ्र किया जाए। Justice delayed is justice denied। लाखों अपीलें पेंडिंग हैं, 8-10 साल तक मुकदमों के नंबर नहीं आये तो लोगों को क्या भरोसा होगा न्याय मिलने का ? इसलिए शीघ्र कार्यवाही की जाए, जैसा शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी निवेदन करता हूं।

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली में जो सैटलमेंट विभाग की ओर से धांधली हो रही है उसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है। दो वर्ष के अन्दर जो सैटलमेंट का काम हुआ, वह यदि अच्छी तरह से आंका जाए और देखा जाए तो

(श्री रामकरणसिंह)

ना के बराबर है। दो वर्ष पूरे होने पर भी किसानों को पर्चियां नहीं मिलीं, किसान हजारों दफा कोटपूतली तहसील हैडक्वार्टर जाते हैं लेकिन यहां से ए. एस. ओ. या एस. ग्रो नहीं जाते हैं, इन्सपेक्टर नहीं जाते हैं, किसान अपना रोजाना का कारोबार छोड़कर आते हैं और वापस चले जाते हैं।

राजस्व अभियान के समय सैटलमेंट ग्राफिसर जयपुर ने अपने यहां से एक आदेश जारी किया कि जितने अमीन और इन्सपेक्टर्स हैं वे अपने रिकार्ड सहित जयपुर चले आयें। राजस्व अभियान के समय जब मुख्य मंत्री पाओटा गए थे उस समय भी मैंने निवेदन किया था और कलेक्टर से कहा था। उसने रेवेन्यू कमिश्नर से कहा, उन्होंने भी कोशिश की। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसा अजीब विभाग है। न रेवेन्यू कमिश्नर का, न मुख्य मंत्री का, न कलेक्टर का, न सरकार का किसी प्रकार से कहना चलता है।

इसके साथ साथ गांव में 20 पर्चियां दे दीं तो जाहिर है कि सौदेबाजी होती है। किसानों से कहा जाता है कि जयपुर आओ, अमीन साहब कहते हैं कि जयपुर आओ, वहां पर्ची देंगे, इन्सपेक्टर कहता है जयपुर आओ, सैटलमेंट ग्राफिसर कहता है जयपुर आओ। इस तरह से किसानों की खुली लूट होती है।

इसके साथ मेरा निवेदन है कि राजस्व अभियान एक पवित्र अभियान था। कोटपूतली तहसील में इस विभाग ने एक बहुत बड़ी साजिस और भ्रष्टाचार करके उसे फेल करने की कोशिश की और फेल किया। हर जगह खाते खुले लेकिन कोटपूतली से कतई खाते नहीं खुले। वहां पर किसान बिजली का कनेक्शन लेने के लिए यदि तहसीलदार के पास जाता है तो उससे कहा जाता है हजारों आदेश आए हुए हैं सैटलमेन्ट से सैटलमेन्ट रिपोर्ट लाओ। म्युटेशन करवाना है तो एस. डी. ओ. लिखता है, सैटलमेण्ट में जावो। कोटपूतली में अकाल पड़ा हुआ है लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको लोन नहीं मिलता, बैंक में जमीन रहन करनी है तो कागज तहसीलदार के पास नहीं हैं। आप आश्चर्य करेंगे वहां के किसानों के पास खाने और पशुओं को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। वे बेचारे किराया लगाकर आते हैं आदेश दिये जाते हैं कि ए.एस.ओ. के पास जाओ। वहां जाते हैं तो ए. एस. ओ. नहीं मिलता। आप इसकी छानबीन करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत कोशिश की सैटलमेंट विभाग को लिखा, कलेक्टर को लिखा। इतना ही नहीं अभी जो विजीलेंस कमेटी हमारे जिले की है, मैंने उसको लिखा कि कोटपूतली में खाते नहीं खुले। झूठे आंकड़े दिये जाते हैं तो कलेक्टर ने ए.एस. ओ. को लिखा, मेरे पास भी कापी आई है। इसलिये विशेषकर इस बात का आप ध्यान रखें कि राज्य सरकार किसानों को बैंक से ऋण दिलाने की बात कहती है, लेकिन ऋण के लिये किसान क्या रहन करवाये। इस तरह की धांधली से किसान बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं उनको राहत दिलाने के लिये, सरकार से उनको मदद दिलाने के लिये मैंने आपके समक्ष स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री रामकृष्ण दास गप्ता (कोलायत) : श्रीमान्, मैंने 50 हजार लोगों की समस्याओं को इस सदन में उठाया है। गंगानगर जिले

(श्रीराम कृष्ण दास गुप्ता)
में सूरतगढ़ के पास में 15 गांव हैं जहां 60 हजार किसान लोग रहते हैं। उनकी जमीन जायदाद नष्ट हो रही है। वहां सेन्ड ड्यून्स हैं। बाढ़ का पानी भरा हुआ है, बाढ़ का पानी उसमें छोड़ा गया, राजस्थान नहर का पानी उसमें छोड़ा गया। इसका असर यह हुआ कि पानी आ गया 596 फीट आज भी मौके पर 15–20 मील के एरिया में काफी पानी खड़ा है, जिसके कारण 50 हजार किसानों की जमीन में सीम आ गई है, रहने के मकान टूट गये हैं, खेती नहीं हो सकती। राज्य सरकार का कई सालों से और विशेषकर 8 महीनों से कई बार इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया ताकि यह सरकार चिन्तन और मनन कर सके। एक तरफ चिन्तन और मनन हो रहा है दूसरी तरफ राजस्थान नहर का पानी सूखे इलाकों को मिले, विकास हो, यह न करके एक तरफ राज्य सरकार राजस्थान नहर के पानी से सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र को मिटाने में असमर्थ हो रही है और पूरा खर्च नहीं कर रही है, इस कारण पानी का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ नहर का पानी उस क्षेत्र के आसपास छोड़ कर 20 फीट पानी खड़ा कर दिया। हजारों बीघा जमीन नष्ट हो गई। यातायात मंत्री उस इलाके के रहने वाले हैं परन्तु वे इस फिक्र में हैं कि अभी तो गृह विभाग ले लिया कहीं और मंत्रालय भी ले लेंगे तो क्या होगा, इसलिए पुरजोर शब्दों में अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं। जन प्रतिनिधियों के प्रति जो लोगों की आशायें व आकांक्षायें थीं वे धूमिल होती जा रही हैं।

मैं चाहूंगा कि आज सदन की कार्यवाही को स्थगित करके मेरे प्रस्ताव को लें और सरकार को बाध्य करें कि 50 हजार लोगों की जिन्दगी के साथ नहीं खेला जाये, पानी का दुरुपयोग न हो। एक तरफ भूमिहीन लोगों को भूमि नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ 50 हजार लोगों की काश्त की जमीन नष्ट हो रही है। यह नेशनल लोस है। मैं आशा करता हूं कि सरकार राजनीती में न उलझ कर जन समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगी। इस बारे में सदन में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाए आया सरकार इस प्रश्न पर जागरूक है या नहीं। सरकार तो उलझी हुई है कि तीन मंत्री कौन बनें, किसकी टोपी उछाली जाए, किस प्रकार भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेके जायं। बार बार सदन में बखान किया जाता है कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया है तो कहीं ऐसा जवाब न दें कि यह भी कांग्रेस सरकार की देन है। हम समझते हैं कि कांग्रेस का दोष है लेकिन अब सत्ता आपके पास 8 महीने से है। अफसोस है कि मंत्रिमंडल में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होते हुए भी किसान संकट में हैं। इस सदन में 80 प्रतिशत किसान हैं। किसान की मांगों के लिए हमेशा प्रश्न उठाते हैं, आज उसी किसान की मांग है इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने किसानों की समस्याओं पर बोलने का ठेका ले रखा है, आज वे सरकार को बाध्य करें कि आज की कार्यवाही स्थगित की जाकर इस समस्या पर विचार किया जाए।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक दो स्पेसिफिक प्रश्नों पर ही बोलने की इजाजत चाहता हूं। अभी जो माननीय सदस्य ने सीम लगने के

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

बारे में सदन में कहा उसके लिये मेरा भी यह निवेदन है कि यह सीम की जो समस्या है यह हमारे राजस्थान नहर एरिया में हर साल, हर महीने और हर रोज बढ़ती जा रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले जो सिंचाई मंत्री थे दुर्भाग्य से वह मंत्रियों को लाइन में सबसे पीछे खड़े होते थे। अब जो हमारे मंत्री बने हैं वह दुर्भाग्य से सिंचाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके ऊपर तो सिंचाई विभाग जबरदस्ती थोपा गया है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर जब हाउस में डिस्कशन्स चल रहे हैं उस समय हाउस में हाजिर तक नहीं रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां से राजस्थान कैनाल शुरू होती है वहां से लेकर बड़ौद तक यह सीम की समस्या फैल गयी है। करीब 40–50 मील तक यह हर रोज और हर महीने फैलती हुई चली आ रही है। लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सीम की समस्या को न तो कांग्रेस सरकार ने ही सन्जीदगी से लिया और न ही हमारी जनता पार्टी की सरकार ने ही सन्जीदगी से समझा और लिया है। यह एक भयंकर समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस भयंकर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। जमीन बरबाद हो जायेगी और काश्तकार हमेशा के लिये खतम हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा जनता पार्टी की सरकार से यह अनुरोध है कि इस ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के जो भी मंत्री रहे हैं उनका इस सदन में और सदन के बाहर कई बार इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया। पर इस हुकमरान सरकार का नियम सा हो गया है, शायद वह यह समझती है कि इससे उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। वह तो यह समझते हैं कि यह हमारी देन थोड़े ही है। पर इनको जरा अक्ल से और समझ से काम लेने की आवश्यकता है। अगर वह यह समझते हैं कि यह कांग्रेस सरकार की देन है और हर मामले में चार गालियां कांग्रेस को देकर, कांग्रेस की ही देन बताकर, हाउस में कांग्रेस के गुनाहों की देन बताकर यदि बचना चाहते हैं तो यह इनकी गलती है। अगर यह लोग यह समझते हैं कि सरकार में काबलियत से आये हैं, तो इनकी गलतफहमी है। आप भी कांग्रेस सरकार की ही देन हैं, आप अपनी काबलियत से सरकार में नहीं आये हैं इसलिये ऐसे गम्भीर मसलों और खेती की समस्या की अवहेलना करना उचित नहीं है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि राज्य सरकार इस समस्या को बहुत ही सन्जीदगी से हल करने की व्यवस्था करे।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : आप भी तो इसकी ही देन हैं। आप किसकी देन हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं कांग्रेस की देन नहीं हूं। मैं तो जनता की देन हूं, भाई।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत कहते हैं कि वह जनता की देन हैं। वह जनता की देन नहीं हैं वह तो हरीरामजी के पुत्र हैं जो कि जनता पार्टी के लोक सभा के सदस्य हैं इसलिये आप भी तो जनता पार्टी की देन हो गये।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो कांग्रेस के गुनाहों की देन हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है। इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप बैठिये। गुप्ताजी। कृपया शान्त रहें।

श्री दुलाराम।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व का इस आशय का दिया है कि अभी पिछले पांच छ: दिनों में गंगानगर जिले की तहसील भादरा नहीं-तहसील नोहर के ग्राम खोड़ा, खेतावाली ढांणी, रावतसर के उत्तर का हिस्सा, भोमपुरा, बुद्धवालिया, टोपरिया लालखां की ढाणी, जसाना, मलवाजी, चारनबासी और फेफाना में भयंकर ओला वृष्टि होने से इन गांवों की फसलें बिलकुल ही नष्ट हो गयी हैं।

श्री केदारनाथ : इससे आगे की फसलें खराब हुई।

श्री दुलाराम : इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ तहसील के कई गांवों में ओला वृष्टि से फसलें नष्ट हो गई हैं। करणपुर तहसील के कई गांव भी ओला वृष्टि की चपेट में आ गये। उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में और भी कई जगह ओला वृष्टि से फसलें नष्ट हुई, जो फसल बच गई हैं उन में भयंकर रूप से बदबू आ रही है। मैंने उन फसलों को मुख्य मन्त्री जी को बताया। इसके अलावा हमारे गंगानगर जिले के जो केबीनेट स्तर के मन्त्री श्री केदारनाथ हैं उन्हें भी इस स्थिति को बताया। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने अब तक काश्तकारों के भले के लिए कोई भी कदम इस समस्या के बारे में नहीं उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो गंगानगर जिले के काश्तकारों की ओला वृष्टि से फसलें नष्ट हो गयीं दूसरी ओर वहां पर चारे की भी बहुत भारी समस्या खड़ी हो गयी। इससे पशुओं के खाने को चारा नहीं मिल रहा है और हजारों की तादाद में पशुओं के भूख से मरने की आशंका पैदा हो गयी है। हमने गंगानगर के जिलाधीश को मौके पर ले जा कर सारी स्थिति को दिखाया। उन्होंने भी गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ और नोहर तहसील के गांवों की हालत और पशुओं की चारे बिना हालत खराब देखकर अभी तक कोई तसल्ली बख्स जवाब नहीं दिया है। न ही, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से ही ऐसे कोई आदेश किसानों के लिए ही निकाले गये हैं कि राज्य सरकार उनको किसी भी प्रकार की राहत दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकार तुरन्त ही ऐसे आदेश निकाले कि गंगानगर जिले के जिन इलाकों में ओलावृष्टि से फसलें नष्ट हो गई हैं वहां पर काश्तकारों से लगान नहीं लिया जायें। जहां फसलों में और चारे में बदबू पैदा हो गयी है वहां के किसानों को मुफ्त में चारा पशुओं के लिए राज्य सरकार

Page No 32

(32)

(श्री दुलाराम)
भेजे ताकि काश्तकारों को राहत मिले ग्रौर जो चारे के ग्रभाव में पशुग्रों की मौत हो रही है उससे उनको बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जब कभी भी ग्रोला वृष्टि से फसलें नष्ट होती थीं और पशुग्रों के चारे की कमी होती थी तो हमारी भूतपूर्व सरकार तुरन्त ही उन इलाकों में जहां कि फसलें नष्ट होतीं, लगान काश्तकारों से लेना बन्द कर देती ग्रौर लगान माफी के ग्रादेश जारी कर देती। इतना ही नहीं उन इलाकों में पशुग्रों के चारे की मुफ्त व्यवस्था की जाती थी। इसके ग्रलावा भूतपूर्व सरकार किसानों की फसलें नष्ट हो जाने पर उनको मुग्रावजा भी देती थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि गंगानगर जिले में और खास तौर से तहसील नोहर तथा हनुमानगढ़ के गांवों में जहां जहां पर ग्रोलावृष्टि से फसलें नष्ट हुई हैं, खास तौर से उन इलाकों में, जिनके नाम मैंने ग्रापको ग्रभी निवेदन किये हैं, फसलों के नष्ट होने के कारण लगान माफी के ग्रादेश निकालें, किसानों को फसलों के नष्ट होने का मुग्रावजा भी दिलाया जावे ग्रौर पशुओं के चारे की तुरन्त मुफ्त व्यवस्था की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कहने को तो यह कहा जाता है कि यह जनता पार्टी की सरकार किसानों की है पर मैं समझता हूं यह सरकार किसानों के लिये कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे गंगानगर जिले से हम 11 सदस्य ग्राये हैं, सभी ग्रपने आपको किसान भी कहते हैं, चाहे वह जनता पार्टी के हों चाहे वह कांग्रेस के हों, उनको पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहिए कि गंगानगर जिले में ग्रोलावृष्टि से जो किसानों की फसलों को नुकसान हुग्रा है ग्रौर विशेष तौर से तहसील नोहर के गांवों में से जहां फसलें नष्ट होने से पूरा इलाका बरबाद हो गया है वहां सावलू फसल का पूरा का पूरा मुग्रावजा राज्य सरकार से दिलाया जावे ग्रौर लगान भी माफ कराया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है पांच लाख लोगों का प्रश्न है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह तुरन्त इस बारे में गंगानगर जिलाधीश को ग्रादेश दें कि गंगानगर जिले में नोहर तहसील व जहां ग्रोला वृष्टि से फसलें नष्ट हुई हैं वहां पर तुरन्त लगान माफी के ग्रादेश लागू करे ग्रौर जो वसूलियां हो रही हैं उनको बन्द करायें। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो किसान की फसल ग्रोला वृष्टि से बरबाद हो रही है दूसरी ग्रोर जिलाधीश गंगानगर ने किसानों से वसूलियां करना शुरू कर दिया है। किसानों से लगान वसूली की कार्यवाही चल रही है, सहकारिता की वसूली की जा रही है, दूसरी वसूलियां की जा रही हैं, पंचायत समितियों की जो बकाया है वह वसूल की जा रही है तथा खाद व बीज की वसूलियां भी की जा रही हैं। काश्तकार की 5–6 दिनों पहले ग्रोला वृष्टि से फसलें नष्ट हो गयीं जिससे गरीब काश्तकार बरबाद हो गया है लेकिन ग्राज तक सरकार ने वसूलियों को बन्द करने के ग्रादेश नहीं निकाले इससे काश्तकार बहुत भारी तरीके से परेशान हो रहा है। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री दुलाराम)

तहसील पदमपुर के गांव सावता में बरसात के कारण सैंकड़ों हरिजनों की कच्ची झोंपड़ियां गिर गई, उनके कच्चे मकान जो भी थे वह गिर जाने से वह लोग बेघरबार हो गये हैं। इसके लिये जिला गंगानगर से उनका डेपूटेशन आया और मुख्य मन्त्री जी से मिला तथा हमारे जिले के मंत्री श्री केदारनाथ जी से भी मिला। उन्हें किसी प्रकार की राहत दी जाय इसके बारे में निवेदन किया लेकिन अभी तक कोई आदेश नही निकाले गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन है कि यह एक गम्भीर महत्वपूर्ण मसला है इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय तथा किसानों के लगान के माफी के आदेश गंगानगर जिले के जिलाधीश महोदय के पास भेजे जायं तथा यह भी आदेश दिया जाये कि गंगानगर जिले में सभी प्रकार की राजस्व तथा दूसरी वसूलियां स्थगित की जायं। इसके साथ ही किसानों को उनकी फसलें नष्ट होने के लिये मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलाया जाये। इसके अलावा जैसा कि मैंने पशुओं के चारे की व्यवस्था के बारे में निवेदन किया वह भी तुरन्त किया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव गंगानगर जिले में ओला वृष्टि के कारण फसलों के नष्ट होने के बारे में दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 5–6 दिनों पहले जो ओला वृष्टि हुई थी उससे हमारे गंगानगर जिले में और खास तौर से नोहर तथा हनुमानगढ़ तहसील के कई गांवों में फसलें नष्ट हो गयीं पर मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से भूतपूर्व कांग्रेस सरकार किसानों के बारे में गूंगी होकर बैठ जाती थी उसी तरह यह जनता पार्टी की सरकार भी बहरी होकर बैठ गयी है। वह किसानों की समस्याओं पर गूंगी हो जाती और यह जनता पार्टी की सरकार बहरी बन कर बैठ जाती है। आज वहां पर फसलों के नष्ट होने से भयंकर रूप से गंगानगर जिले का किसान प्रभावित हो गया है। फसलों के बरबाद होने से काश्तकार बरबाद हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, फसलें जब पकती हैं तो किसान उस पर उम्मीदें लगाता है। उपाध्यक्ष महोदय, रबी की फसल मार्च के महीने में जब पकती है या पकने लगती है उस वक्त काश्तकार स्वप्न संजोता है, वह सोचता है कि उसकी फसल अच्छी बैठ जायेगी। वह अपने भविष्य के ढांचे को निर्धारित करता है पर उसी वक्त या उसके एक दिन या कुछ घन्टों बाद ही ओला वृष्टि होने से किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो ओलावृष्टि होते ही किसान पागल की तरह हो जाता है। किसान पागल हो या न हो, उसके बारे में सरकार नहीं सोचे तो यह साफ है कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण नहीं बदला है। कांग्रेस की हुकूमत कागजों में छोड़ी गयी है, सरकार वह की वह है। जो प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको आप सहायता देते हैं, करोड़ों रुपयों की तादाद में सहायता देते हैं। राहत कामों पर करोड़ों रुपया लगता है। दूसरी तरफ अतिवृष्टि हो जाय, बाढ़ आ जाय तो उसके लिये भी इमदाद दी जाती है। लेकिन जो व्यक्ति

Page No 34

(34)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

ओला वृष्टि से तबाह हो गया है, जिसकी फसल नष्ट हो गयी है, जिसके खलिहान नष्ट हो गये हैं उसको कोई सहायता नहीं दी जाती। मैंने पिछले साल सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय भी निवेदन किया था कि गंगानगर जिले में एक हफ्ता पहले गेहूं और सरसों की बम्पर क्रोप थी, लेकिन 20 जगह अग्नि से नष्ट हो गयीं। काश्तकारों को सरकार की ओर से इमदाद दी जानी चाहिये थी लेकिन उनको कोई इमदाद नहीं दी गयी और न ही कुछ हुआ। मुझे बहुत ही निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है सिंचाई रेंट और रेवेन्यू रेन्ट तक उनसे वसूल किये गये। मैंने तमाम मिनिस्टर महोदयों से कहा, मैंने माननीय केदारजी से भी निवेदन किया, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया, असेम्बली में भी मैंने सवाल रखे लेकिन समझ में नहीं आता क्यों यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही है, क्यों नहीं वहां पर रेमिशन के मामले को लागू कर रहे हैं? यह असलियत है। जब किसान का इतना नुकसान हो जाता है तो किसान के लिये बीमा पोलिसी लागू करें। पांच साल के आंकड़े इकट्ठे करें और उसके आधार पर जहां पर ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो जाती है वहां बीमा पालिसी लागू करें। बहुत से ऐसे इलाके हैं जो ओला वृष्टि से प्रभावित नहीं होते हैं किन्तु पंजाब, हरियाणा और गंगानगर के ऐसे इलाके हैं जहां पर हर साल हजारों एकड़ में खड़ी फसल ओला वृष्टि से नष्ट हो जाती है, 99 पर्सेंट फसलें तबाह हो जाती हैं। कलेक्टर साहब की रिपोर्ट आ चुकी है कि 99 पर्सेंट फसल बरबाद हो चुकी है उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको गंगानगर के किसान की हालत निवेदन करना चाहता हूं। ज्यों ही फसल पकाई पर होती है तो सारे काश्तकारों को आगे की फसल के लिए खाद, बीज, दवाई आदि के लिये उम्मीद होती है लेकिन जब फसल ही नष्ट हो जाय तो रवी के बाद खरीफ की क्राप की बुआई के लिए ये चीजें उसे कौन देगा? इस प्रकार से यदि रवी की फसल नष्ट हो जाती है तो उसकी दूसरी खरीफ की फसल भी एक प्रकार से नष्ट हो जाती है। सरकार किस दृष्टिकोण से सोच रही है? महानुभावों, कुछ होश में आओ। संजीदगी से नहीं देखोगे तो वह दादी आवेगी, छोड़ेगी नहीं आप किसी को।

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य जो मकासर से आये हैं वे कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनके स्टेटस के खिलाफ हैं। जिस जिस इलाके में ओला वृष्टि हुई है…

श्री श्योपतसिंह मकासर : पिछले साल लगान माफ कर दिया हो, सिंचाई कर माफ कर दिया हो तो माननीय मंत्री महोदय बतायें, मैं इस्तीफा पेश कर दूंगा।

श्री केदारनाथ : पिछले साल का तो…

श्री श्योपतसिंह मकासर : हुआ हो तो इस्तीफा दे दूंगा।

श्री केदारनाथ : जोश में मत आइये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : दस बीघा का भी लगान माफ किया हो तो बताइये।

श्री केदारनाथ : थोड़ा गम्भीर होइये।

श्री द्योपतसिह मकासर : बहुत गम्भीर हूं। आप किसान के प्रति उदासीन हैं।

श्री केदारनाथ : वह भी जानते हैं, सब ही जानते हैं....

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय केदार को भाषण देने दीजिये।

श्री केदारनाथ : सदन में सबको ही बोलने का हक है। जहां जहां नुकसान हुआ है उस सब के लिये तो मैं नहीं कहता लेकिन जहां तक गंगानगर का सवाल है कहीं ओला वृष्टि के कारण हुए नुकसान के बाद वसूली नहीं की गयी है। दो-तीन दिन में रिपोर्ट आ जावेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : इसका मतलब यह है कि वसूली होती है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं आप बीच में न बोलें।

श्री केदारनाथ : पहले आप सुन लीजिये।

जो भी पुराने कानून हैं रेमिशन के सम्बन्ध में आज के हालात में उसमें तब्दीली की जावेगी। हम पुरानी परिपाटी और कानून से बंधे हुए नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ओला वृष्टि के मामलों में जो भी कानून हैं उनसे लोगों को अधिक राहत नहीं मिलती है इसलिये मैं माननीय सदस्य, जो मकासर से आये हैं, को विश्वास दिलाता हूं कि दो-तीन दिन में रिपोर्ट आ जावेगी। हम उस पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जहां पानी को चैनल करने का सवाल है हमने बैठ कर मीटिंग की है। लैंड देने का भी फैसला कर लिया है। इसी सैशन के दौरान 'नीति सम्बन्धी प्रश्नों की घोषणा कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विश्नोई साहब, विराजिये।

श्री दुलाराम : पिछली बरसात में हरिजनों के मकान गिरे हैं उनके सम्बन्ध में आपने कुछ भी नहीं कहा।

(व्यवधान)

आपने उनके लिये क्या किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका मौका आवेगा। ओलावृष्टि के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है।

श्री दुलाराम : माननीय मंत्रीजी ने घोषणा कर दी लेकिन उसके अलावा पदमपुर में सैंकड़ों हरिजनों के मकान जल गये। आपने स्वयं ने देखा है। उनके लिये क्या कर रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : ओलावृष्टि के लिये आपने घोषणा की वह सारे राजस्थान के लिये की है या गंगानगर के लिये ?

श्री केदारनाथ : सारे राजस्थान के लिये।

श्री दुलाराम : गंगानगर में ओलावृष्टि के लिये तो कह दिया लेकिन हरिजनों के लिये कुछ भी नहीं कहा। सरकार के पास

(श्री दुलाराम)
उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके लिये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हरिजनों के बारे में, इसकी स्पष्ट घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब ही प्रभावित क्षेत्रों के लिये है।

श्री दुलाराम : घोषणा करने में क्या दिक्कत है?

श्री केदारनाथ : ओलावृष्टि से हरिजनों का नुकसान हो या किसी दूसरे का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री दुलाराम : उस बरसात की बात कर रहा हूं। जिलाधीश ने मौका देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : ओलावृष्टि पर सुझाव दें।

श्री दुलाराम : ओलावृष्टि बरसात में भी होती है।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदय भीलवाड़ा पधारे थे। जब भीलवाड़ा पधारे तो वहां के ओलावृष्टि से प्रभावित सैंकड़ों किसानों ने अपना दुःख सुनाया था। उनकी यह कृपा रही है कि भीलवाड़ा से पधारते समय रूपाहेली में उन्होंने अपनी आंखों से उस स्थिति का दिग्दर्शन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी भीलवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। सौभाग्य है कि आपने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस स्थिति का अपनी आंखों से दिग्दर्शन किया। मैं निवेदन करूंगा कि उसके तीन दिन पहिले भीलवाड़ा जिले की आसींद, शाहपुरा, हुरड़ा और बनेड़ा इन चार तहसीलों के अन्दर आधा किलो से लेकर सौ ग्राम तक की ओलावृष्टि हुई है। कई गांव उस ओलावृष्टि से प्रभावित हुए। फसलें बरबाद हो गयीं। मुख्य मंत्री महोदय ने उन फसलों को देखा है जो दो दिन पहिले लहलहा रही थीं और बरबाद हो गयीं। आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं भीलवाड़ा जिले के उस क्षेत्र की ओर तुरन्त ध्यान दें। माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करके आये थे कि जिन जिन घरों में खाने का अनाज नहीं है, फसल नष्ट हो जाने से, उनको एक एक बोरी गेहूं दिया जावेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा राहत मंत्री महोदय से मुख्य मंत्री महोदय जो कि रूपाहेली में घोषणा करके आये हैं उसको कार्य रूप में परिणित करें...

श्री ग्योपतसिंह मकासर : अब तक नहीं किया?

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा यह निवेदन है कि मेरे पास समाचार आ रहे हैं कि सरकार की ओर से अभी तक राहत नहीं पहुंचाई गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा राहत मंत्री महोदय से कि वहां लगान की वसूली तुरन्त स्थगित करें, राहत कार्य शुरू करने की घोषणा करें, सब प्रकार की वसूलियां, सब प्रकार के तकावी, ऋण की वसूली स्थगित की जायं, माफ की जायं और सौ गांवों में जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं ओलावृष्टि के कारण उन सब को राहत कामों पर लगाकर जो प्राकृतिक विपदा भीलवाड़ा जिले में आई है उससे राहत प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि

(श्री कौशल किशोर जैन)
राजस्थान के अकाल राहत मंत्री इस ओर ध्यान देंगे। मैंने स्वयं उनके पास हाजिर होकर सूची दी है। वह सूची रूपाहेली के आसपास के किसानों की सौ से भी ऊपर की है। मैं विश्वास करता हूं, माननीय मंत्री महोदय, अविलम्ब, इसी सत्र के अन्दर, सत्र चलते-चलते सहायता पहुंच जायेगी और भीलवाड़ा जिले के किसान राहत कार्य करेंगे, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसील सांचौर में क्षेत्रीय जल योजना के अन्तर्गत 15 गांवों को पानी मिलता था परन्तु अचानक जो नलकूप थे वह खराब हो गए। नलकूप खराब होने से सारी क्षेत्रीय नल योजना ठप्प हो गयी और पन्द्रह गांवों की जनता पानी के बिना तरस रही है। सरकार ने कहा है कि हम नये कुए बना रहे हैं। लेकिन वह ट्यूब वैल क्यों खराब हुए? आज उनको खराब हुए भी 5–6 महीने हो गये। अब गर्मियों का मौसम आ गया है। काश्तकारों ने अपने सारे साधन इस संबंध में खतम कर दिये। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तुरन्त इन गांवों में पानी पिलाने के लिए राज्य सरकार अपना रिग भेज कर पुराने ट्यूबवैल को ठीक करके शीघ्रातिशीघ्र पानी की व्यवस्था करे नहीं तो गांवों में हाहाकार और त्राहि त्राहि मच रही है। इसलिए मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है। वहां से सूचना मंगा कर जो पानी के बिना लोग मर रहे हैं उनके लिए शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है श्री डागा जी का।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। पाली जिले में हेमावास बांध है उससे सिंचाई होती है दस गांवों की। मैंने कई बार ध्यान दिलाया था। जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, यह बड़ी-बड़ी घोषणायें करती है, अच्छी अच्छी घोषणायें करती है, लेकिन उन घोषणाओं के बाद पानी के वितरण में यह हुआ कि कुछ बड़े-बड़े काश्तकारों ने सारा पानी अपने खेतों में ले लिया। उसमें सांठ-गांठ सिंचाई विभाग की थी। इस कारण जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के काश्तकार थे और पिछड़े हुए लोग थे वह अपने खेतों को पानी नहीं पिला सके। उन्होंने कई बार सिंचाई विभाग का ध्यान दिलाया, तार दिये। अब वह कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है हम क्या कर सकते हैं? पानी का जब वितरण हुआ तो एक ने 150 बीघा जमीन को पानी पिला दिया और एक आदमी के पास 7½ बीघा जमीन थी वह उसको भी नहीं पिला सका। इस कारण जो बीज और खाद डाली वह भी नष्ट हो गयी। मैंने कई बार कहा लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है न तो सिंचाई विभाग ने ध्यान दिया और न वहां कुछ काम हुआ। 7½ बीघा जमीन पर जिस काश्तकार ने कर्जा लेकर खेती शुरू की थी उसको दो बार पानी मिला था और तीसरी और चौथी बार पानी नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाये और मौके पर देखा जाये कि किस-किन लोगों ने ज्यादा पानी पिला दिया। आज जनतंत्र की रक्षा

(श्री मूलचन्द डागा)

और समाजवाद की बातें कर रहे हैं, उसके हिमायतियों से मेरा कहना है कि वह इसकी जांच करें कि किस प्रकार वहां गरीब लोगों के अधिकारों को छीनकर धनवानों ने अपने बड़े बड़े खेतों में लकड़ी के बल पर सिंचाई विभाग से मिलकर पानी पिला दिया। अगर हेमावास बांध में पानी है तो उनको दिया जाये ताकि उनकी फसल हो सके। सिंचाई मंत्री जी आ गये हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि गरीबों की आप दुहाई देते हैं। आपकी गरीबोन्मुख, ग्रामोन्मुख और वह उन्मुख है तो उधर जाइयेगा। सारे हेमावास बांध का जो सिंचाई का पानी था, एक बार और दोहराता हूं, क्योंकि आप पधार गये हैं, वह पानी छोटे-छोटे काश्तकारों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलकर बड़े-बड़े काश्तकारों ने ले लिया। आप हेमावास बांध की जांच करायें और दोषी अधिकारियों को दण्डित करें। यह भी देखें कि जिन लोगों ने ज्यादा पानी पिला दिया है उनके ऊपर भारी जुर्माना किया जाये और पैसा वसूल किया जाये और गरीबों को उनकी फसल का मुआवजा दिया जाये।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी अवसर मिलेगा। आपका प्रस्ताव बाद में आयेगा।

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और माननीय श्री नरपतराम जी ने एक स्थगन प्रस्ताव नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत आपके सामने प्रस्तुत किया है और आपने उसे अस्वीकार करने की कृपा की है।

मान्यवर, पिछले महीने की 24 तारीख को पुलिस स्टेशन अलवरगेट जिला अजमेर में 50 सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। तादाद इतनी बड़ी नहीं है, पुलिस सौ को भी गिरफ्तार कर सकती है लेकिन एक जाति विशेष के नाम को लेकर कहा, जिस जाति के तुम लोग हो वह जाति एक जरायम पेशा जाति है। इन चोरियों में तुम्हारा होना स्वाभाविक है। मान्यवर, देश की आजादी के तीस वर्ष बाद किसी जमाने में, किसी स्टेट में····

श्री केदार नाथ : स्थान कौन सा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : थाना है अलवर गेट, जिला अजमेर। वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट रेलवे के अन्दर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया, उनको रात भर थाने में रखा गया और उन्हें नाना प्रकार से तकलीफें दी गयीं। उन्हें नंगा किया गया और उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। दो व्यक्तियों को बिजली का करेन्ट लगाया गया। वह बेहोश हो गए। उनको इतनी बुरी तरह से पीटा गया। आज की पुलिस द्वारा एक जाति विशेष, जो किसी जमाने में जरायम पेशा थी, के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। आज मीणा जाति के लोग कम तादाद में हैं और विधान सभा में भी सुरक्षित स्थानों से चुने गये उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। उनके साथ इस नाम पर जुल्म किया जाये यह दुःख की बात है। चोरी किसी भी जाति का व्यक्ति करे पुलिस को अधिकार है कि तफतीश करे

(श्री रामनारायण चौधरी)

और चोरी की है तो उनको दण्डित करे लेकिन यह नहीं कह सकती कि तुम मीणा जाति के हो इसलिए चोरी तुमसे बरामद होगी। आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। जब कि विधान सभा में यह मामला विचाराधीन था, पुलिस को पता चल गया कि राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ ने विधान सभा के सदस्यों को कह कर यह प्रश्न उठाया है तो वहां की पुलिस ने नवज्योति में स्पष्टीकरण निकाला। जो बात यहां पर डिस्कस होनी चाहिए उसके पहले ही पुलिस ने मनगढ़न्त और नग्न स्पष्टीकरण दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पुलिस के अधिकारी आज कहते हैं कि मीणा जाति जरायमपेशा है। थाने में बन्द किया जाये, उनको नंगा किया जाये, पीटा जाये। आप उसकी तफतीश करें। जो पुलिस के अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा।

श्री मूलचन्द सामरिया : स्थगन प्रस्ताव तो पेश नहीं कर सका, इसी पर परमिशन हो, तो दो लाइन अर्ज करना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : इसकी हम जांच करवा लेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक बाबूलाल थानेदार है उसके बारे में मुझे जानकारी है। उस व्यक्ति के द्वारा पहले भी एक मौत हो चुकी है। वह पांच साल तक सस्पेंड रहा है। दूसरी जानकारी यह है कि गुजरात के एक व्यक्ति हैं जिनसे मिलकर इन्चार्ज साहब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तीसरे वहां दो आदमियों को हिरासत में लेने का स्टेटमेंट आया है लेकिन 13–14 लोगों को बिजली का करेन्ट लगाया है। 6 लोगों की मेडिकल रिपोर्ट में चोटें स्पष्ट लिखी हैं। मीणा जाति चोर होनी ही चाहिए, यह मानकर उनको पीटा जाता है। जब तक वह कर्मचारी वहां पर रहेंगे, जब तक थानेदार वहां रहेगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उनको तुरन्त हटाया जाये। अगर नहीं हटायेंगे तो आज कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके बाद सरकार उनको हटाने पर बाध्य होगी।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अभी माननीय सदस्य ने अजमेर के संबंध में कुछ बाते कहीं। मूलचंदजी ने भी कहा है। मैंने इस सारे मामले को सी. आई. डी. को दिया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है क्या निश्चित तौर पर उनको लिया जाना चाहिये था? दूसरा जो सब इन्सपेक्टर है उसका कन्डक्ट कैसा रहा है? इन दोनों पहलुओं पर मैंने सी. आई. डी. से इन्क्वायरी करवाने के लिए कहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गुजरात से निष्कासित गुंडा है, गुजरात का गुंडा आया है उसने प्रवोक करके यह सारा किया है।

श्री नूरा : मारपीट की भी जांच की जानी चाहिए। जिस तरह से कहते हैं बिजली का करेन्ट लगाकर मारा है, तो पीटने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए।

श्री सम्पतराम : मैंने पहले ही नम्र निवेदन किया है। एक स्वतंत्र एजेन्सी को जांच दे दी है। मैंने निश्चित रूप से एक बोर्ड में आफिसर भेजा है। हाउस मेरे आश्वासन को सही रूप में ले। किसी प्रकार का कोई

(श्री सम्पतराम)
भेदभाव नहीं रखा जायेगा। वे लोग भी मेरे से मिले थे। उनसे भी मैंने कहा था, वे सन्तुष्ट हो कर गये हैं।

श्री मूलचंद सामरिया : वे सन्तुष्ट होने वाले नही हैं। जब तक आप उस इन्चार्ज को नहीं हटायेंगे, वे भूख हड़ताल करेंगे।

श्री सम्पतराम : मैंने जो उनसे निवेदन किया, उससे वे सन्तुष्ट थे। आप से भी बात हुई है, आप भी सन्तुष्ट थे।

श्री मूलचंद सामरिया : मैं कतई सन्तुष्ट नहीं हुआ। जब तक इन्चार्ज वहां रहेगा··

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं। सदन को इस बात पर यकीन करना चाहिये। कितना ही बड़ा आफिसर क्यों न हो अगर दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मूलचंद सामरिया : मिनिस्टर बन गये, तो तुरन्त बुद्धि आ गई। 100 एम. एल. ए. कहें उसको वहां से हटाओ तो भी वहां से हटाने की बात को आप नहीं मानते।

श्री सम्पतराम : यह बड़ी विडम्बना है। सारी बातें मैंने उनसे सुनी हैं। सुनने के बाद जो उन्होंने सिफारिश की उसको मैंने स्वीकार किया। उसी के मुताबिक मैंने जांच दे दी है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आदि के कारण अकाल की स्थिति के बावजूद राजस्व एवं अन्य वसूली।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आदि के कारण अकाल की स्थिति के बावजूद राजस्व एवं अन्य वसूलियां जारी रखने के संबंध में अकाल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

निम्नांकित सदस्यों ने भी इस संबंध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी वे भी भाग लेंगे लेकिन आसन की सहमति आवश्यक होगी :–

1. श्री मेघराज पंवार
2. श्री हजारीमल सारण
3. श्री रामेश्वर दयाल यादव
4. श्री सैयद मंजूर अली
5. श्री भैरवलाल कालाबादल
6. श्री एच. एल. शर्मा
7. श्री करतार सिंह
8. श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर
9. मेजर श्री फतह सिंह
10. श्री हरजीराम बुरडक
11. श्री नवरंग सिंह
12. श्री गोपालसिंह (खण्डेला)
13. श्री बहादुरसिंह (वि. सं. 90)
14. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
15. श्री रावत राम।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष की नहीं, मैं राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान में किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, 30 वर्षों में कांग्रेस के राज्य में किसान को मेहनत का फल नहीं मिला। कांग्रेस के राज्य में जब

(श्री रतनलाल वर्मा)

पैदावार नहीं होती थी तो जो हासिल लगाया जाता था वह स्थगित कर दिया जाता था और फिर वसूल किया जाता था लेकिन आज विपरीत है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल हो गया, सरकार ने उन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया इसके बावजूद वहां वसूलियां हो रही हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने इसी सदन के अन्दर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के जवाब में कहा था कि कुर्कियां नहीं होंगी लेकिन पटवारियों द्वारा फसल के मौके पर किसानों से जबरदस्ती वसूली की जाय, यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संक्षेप में कहें, कृपया।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन करूं, कर्जा किसलिये लिया जाता है। किसान ने कुआ खोदने के लिये कर्जा लिया। खेत में पैदावार नहीं हुई। बीज बोया, हल चलाया, तीन महीने रखवाली करी फिर भी बरसात न होने की वजह से पैदावार नहीं हुई। कुआ खोदा उसमें पानी नहीं निकला तो इसमें उसका क्या दोष है? भूमि की मालिक सिर्फ सरकार है। वह केवल काश्तकार है फिर भी उससे वसूली की जा रही है और सख्ती से वसूली की जा रही है जब कि इसी सरकार ने उन गांवों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है। अत:, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि भूमि की मालिक सिर्फ सरकार है। उस किसान से सख्ती से कर्जा वसूल करना सरकार की अन्यायपूर्ण नीति है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसान को भूमि के मालिकाना हक दे दिये जायें तो यह मान सकता हूं कि कर्जा उससे वसूल किया जावे। जब भूमि की मालिक सिर्फ सरकार है, यह सिद्धांत है और वह केवल काश्तकार है तो उसने बीज बोया, हल चलाया . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कहता हूं सरकार उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं देती? तीन महीने का उसको पैसा क्यों नहीं देती? अगर ज्यादा नहीं तो तीन रुपये रोज के हिसाब से ही क्यों नहीं दे देती? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान भूखों मर रहा है लेकिन सरकार कुछ नहीं देती उल्टे वसूलियां हो रही हैं, लगान तक माफ नहीं किया जा रहा है। चाही भूमि की बात कही जाती है। जहां तक चाही भूमि का सवाल है, उसके पास पहले बारानी भूमि थी। उस किसान ने कुआ खोदा है, सरकार ने कुआ नहीं खुदवाया है। उस कुए को किसान ने खोदा है और किसान ने ही उसे चाही बनाई है। आज उस चाही भूमि का लगान वसूल किया जा रहा है। अभी तक जो भी राज्य आए, कांग्रेसी आए, इस्तमरारदार आए या मुसलमान आए या फारसी आए, आज तक कुछ भी होता रहा लेकिन . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज किसान के राज्य में चाही भूमि का लगान उस किसान से वसूल नहीं किया जाय। जब कि कुआ किसान ने खोदा है, सरकार ने उसको कुआ खोद कर नहीं दिया है तो इस जनता राज्य में उस चाही भूमि का लगान समाप्त होना चाहिए या कुए का मुआवजा मिलना चाहिए। इन दो बातों में से एक बात के लिए सरकार को निर्णय करना पड़ेगा।

(श्री रतनलाल वर्मा)

सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा क्योंकि यह सिद्धान्त की बात है, क्योंकि भूमि की मालिक भी सरकार है. उसको अभी तक भी जनता सरकार ने मिलकियत नहीं दी है।

जिन गांवों के अन्दर अतिवृष्टि हुई, जहां पर अकाल की स्थिति है. जहां पर पहले की फसल नष्ट हो गई और दूसरी फसल भी नष्ट हो रही है वहां आज दिन तक फेमिन का कार्य नहीं खोला है। फेमिन का कार्य नहीं खोलने के कारण मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह तत्काल इस बात पर गंभीरता से विचार करें। एक अधिकारी जिसको पन्द्रह सौ रुपया महीना तनख्वाह मिलती है, जिसको हजार, बारह सौ रुपये महीना मिलते हैं, मास्टरों को तनख्वाह मिलती है, अन्य बाबुओं को तनख्वाहें मिलती हैं वे लोग हड़तालें करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सरकार को धमकियां देते हैं, सरकार को नोटिस देते हैं, घेराव करते हैं लेकिन किसान किस का घेराव करे? जिसके पास जीविका का साधन नहीं है,

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जिसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं उसको गिरदावर और पटवारी तंग करके उससे वसूलियां कर रहे हैं और हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि कोई कुर्कियां नहीं की जायेंगी। यह क्यों नहीं कहते कि कोई वसूली नहीं की जाएगी अकाल के समय में? यह कहने में क्या लगता है? मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि जनता सरकार अकाल के समय का सम्पूर्ण लगान माफ करे और चाही भूमि का भी या तो लगान समाप्त करे या हमेशा के लिए काश्तकारों को, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कुए खोदे हैं, उन कुओं का मुआवजा दे। दो बातों में से एक बात तो सरकार को करनी ही पड़ेगी।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट में अपनी बात खतम करना चाहता हूं।

जो पन्द्रह बीघे का · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो आपने प्रस्ताव रखा था उसके लिए आपने पर्याप्त ध्यान आकर्षित कर दिया। अब आप बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं अभी खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का इस बारे में पर्याप्त ध्यान आकर्षित हो गया है। वे जो कुछ कहना होगा कह देंगे, आप बिराजिये।

श्री रतन लाल वर्मा : सिर्फ दो मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, 15 बीघा का सरकार ने लगान माफ किया है। 15 बीघा का लगान तो माफ कर दिया लेकिन उसमें चाही, बारानी या तालाबी, आबी कुछ नहीं लिखा है। आज वे कहते हैं कि चाही भूमि उसमें शामिल नहीं होगी, बारानी मानी जाएगी, यह कौन सा तरीका है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रतन लाल वर्मा : यहां पर फिर उसी तरह से घुमा फिरा कर कांग्रेस वाला चक्कर चला कर, कांग्रेस वाले तरीके को काम में लेकर लोगों को चक्कर में डालना चाहते हैं यह उचित नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री रतन लाल वर्मा : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जनता सरकार से कि इनका लगान या तो तत्काल समाप्त किया जाय, यदि तत्काल समाप्त नहीं कर स कें तो तत्काल स्थगित कर दिया जाय और आयन्दा आने वाले समय में उस पर निर्णय करें। य ी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न
ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमान्।

मेरा यह निवेदन है कि अभी तक सदन की परम्परा यह रही है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित मात्र कर देते हैं और माननीय मंत्री महोदय उस पर वक्तव्य देते हैं। उसके बाद अगर माननीय सदस्यों को उस पर कुछ जानकारी करनी हो, सवालात पूछने हों तो वे पूछ सकते हैं लेकिन भाषण नहीं होते। यहां पर जिस तरह से भाषण हो रहा है उसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर नियमों के विपरीत इस तरह से हाउस का संचालन हुआ तो बड़ी कठिनाई सामने आने वाली है। इस तरह से नई परम्परायें डाली जाती है तो बहुत मुश्किल हो जायगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आ जाय उसके बाद जिन माननीय सदस्यों ने काल अटेंशन नोटिस दिया है वे सवाल पूछ सकते हैं। इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अकाल पर बहस हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है...

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर मुझे देना है आपको नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि नियम संख्या 121 में जिस प्रकार से काल अटेंशन को एक्जीक्यूट किया जा सकता है उसके लिए व्यवस्था है। व्यवस्था इस प्रकार है कि माननीय सदस्य पहले ध्यान आकर्षित कर दें उसके बाद मंत्री महोदय का वक्तव्य हो जाय और फिर अगर कोई माननीय सदस्य सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसलिए पहले मंत्री महोदय का वक्तव्य हो जाने दें फिर आप बोलना चाहें तो बोल लें।

श्री ईश्वर चन्द्र : यह प्रस्ताव वर्माजी ने ही नहीं दिया है, हमने भी दिया है। सब को दो दो मिनट दिये जायं ताकि हम भी अपनी बात कहें हमारी बात सुनने के

(श्री ईश्वर चन्द्र)
बाद मंत्रीजी जवाब दें। इसलिए दो दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वर चन्द्र : यह कौनसी व्यवस्था है कि कोई स्थगन प्रस्ताव दे तो वे आधा आधा घण्टे तक बोलते रहें और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नहीं बोल सकते ? यह कोई नियम में नहीं है। आप हमें दो दो मिनट का समय दें।

श्री जगदीश चन्द्र (रतनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो मार्च को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, चूरू जिले में जो पशु आहार केन्द्र स्थापित किया जाना था उसको वहां से हटा कर दूसरे किसी स्थान पर भेजा जा रहा है, वह इस विषय में था। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिले के अन्दर बहुत रोष है, इस प्रश्न को लेकर काफी अव्यवस्था पैदा हो रही है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरीके से आप मुझे बाधित नहीं कर सकते, आप विराजिये।

श्री जगदीश चन्द्र : मेरा दो मार्च का काल अटेंशन मोशन का नोटिस है उसके बारे में मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया विराज जाइये। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जगदीश चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी बहुत आज्ञा मानने वाला सदस्य हूं, आप मुझे दो मिनट दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको दूसरा अवसर दे दूंगा। अभी आप विराज जाइये, या आप सचिवालय से जानकारी कर लें।

श्री जगदीश चन्द्र : मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन सरकार की तरफ से जवाब जरूर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया है और जिनके नाम आपकी कार्य सूची में आ गए हैं, उनको कृपया दो दो मिनट का मौका दीजिए तभी जाकर मंत्री महोदय जवाब दें। नियम में यह है कि वाद-विवाद नहीं होगा लेकिन जब वाद विवाद नहीं होगा मंत्री महोदय के वक्तव्य पर तो हम लोग अपनी बात किस तरह से रख सकेंगे ? विरोधी पक्ष के लोग तो यही चाहते हैं कि जनता-पार्टी के सदस्य अपने क्षेत्र की कोई समस्या नहीं रख सकें और सारी ठेकेदारी उनकी ही रहे बोलने की। हम अपने क्षेत्र के बारे में कोई बात नहीं कह सकें·····

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका सुझाव सुन लिया है। आप विराजिये।

(व्यवधान)

श्री हजारीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वह बहुत छोटा है। वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए जब तक उसको स्पष्ट नहीं कर दें मंत्री महोदय क्या बयान देंगे। इस-

(श्री हजारीमल)
लिए जो प्रस्तावक हैं उनको स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : चैम्बर में मिल लें जाकर ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह आवश्यक नहीं है कि काल अटेंशन मोशन जिन सदस्यों ने प्रस्तुत किया है उन सभी को अवसर दिया जाय । अवसर किस किस स्थिति में दिया जाय उसका सारा निर्धारण मेरी सहमति से हो सकेगा । जो नियम है, जो प्रक्रिया इसकी रही है उसके अनुसार माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है, जो कि वर्मा जी ने पर्याप्त रूप से कर दिया है । अब मंत्री महोदय का उत्तर होगा । और उसके बाद में अगर कोई माननीय सदस्य कुछ पूछना चाहेंगे तो वह भी मेरी सहमति लेकर पूछ सकेंगे । मैं उसके लिए अवसर दूंगा ।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री वर्माजी ने इस बारे में कहा ही क्या है, केवल कुओं की बातें बताते रहे । अतिवृष्टि, अनावृष्टि और बाढ़ के बारे में इन्होंने क्या कहा है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री, सहकारिता मंत्री और अकाल राहत मंत्री, इन तीनों की तिकड़ी ने आज आतंक मचा रखा है । यह बहुत बड़ा सवाल है । किसानों की फसलें नीलाम हो रही है, हल नीलाम हो रहे हैं····

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप यह कहते हैं कि आपका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका प्रस्ताव स्पष्ट है। आपने उसको ठीक तरह से देखा नहीं है । आपका प्रस्ताव स्पष्ट है इसीलिए चर्चा की मैंने इजाजत दी है । मैं ऐसा मानता हूं कि आपका प्रस्ताव स्पष्ट है और मंत्री महोदय का ध्यान पर्याप्त रूप से आकर्षित हो चुका है । उनको कृपया उत्तर देने दें ।

श्री हजारी मल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव स्पष्ट तो है लेकिन वह छोटा है । हम माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहेंगे कि हमारी भावना क्या है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अतिवृष्टि, अनावृष्टि व बाढ़ आदि के कारण अकाल की स्थिति के बावजूद राजस्व व अन्य वसूली

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये ।

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मन्त्री): राज्य में गत वर्ष अतिवृष्टि, बाढ़ व कातरे के प्रकोप तथा अनावृष्टि के कारण जो अभाव स्थिति पैदा हुई है और फसलों की भारी क्षति को देखते हुए अब तक कुल 19 जिलों की 150 तहसीलों में से 108 तहसीलों के 12240 गांवों में अभाव स्थिति की घोषणा कर सरकार ने यह आदेश भी प्रसारित कर दिये हैं कि जिन ग्रामों में संवत् 2034 की खरीफ की फसलों में आधी या अधिक हानि हुई है वहां संवत् 2034 के भू-राजस्व की वसूली ऐसे कृषकों से, जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं अथवा जिनके पास अलाभकारी जोत है व हार्ड केसेज है, 30 सितम्बर 1978 तक की जाये। लगान वसूली के स्थगन के अलावा राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1978 को ऐसे उपरोक्त उल्लेखित प्रभावित लोगों से, ट्रेक्टर

Page No 46

(46)

(श्री जयनारायण पूनिया)

व पम्पिंग सैट्स के कर्जों को छोड़कर अन्य प्रकार की तकावी भी वसूल न की जाये। सरकार ने जिलाधीशों को मुख्य मंत्री महोदय की सदन में गत शनिवार को की गई घोषणा के अनुरूप ये आदेश भी दिये हैं कि वसूली में सख्ती न की जाय। उपरोक्त कार्यवाही के फलस्वरूप कृषक समाज के कमजोर और कम साधन वाले प्रभावित व्यक्तियों को काफी हद तक राहत मिली है। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि साधन सम्पन्न कृषकों से भी वसूली न की जाये।

राज्य के किसी भी भाग में भुखमरी की स्थिति नहीं है। प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 12 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं उपलब्ध कराने के आदेश दिये जा चुके हैं। राज्य में गेहूं की कोई कमी नहीं है। अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में वृद्धि, अपंग व ऐसे लोग, जो कार्य करने में असमर्थ हैं, को 1 किलो गेहूं प्रति दिन के हिसाब से निःशुल्क सहायता देने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। इस प्रयोजन से राज्य सरकार से 21 जिलों को 10 हजार टन गेहूं का आवंटन कर दिया गया है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये राज्य के विभिन्न जिलों में माह जनवरी से 124 से अधिक परीक्षण राहत कार्य चालू हैं जिन पर लगभग 20 हजार श्रमिक कार्यरत हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों, जिनकी स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्वीकृति मिलते ही राहत कार्य शुरू कर दिये जायेंगे।

राहत कार्यों पर प्रत्येक श्रमिक को मजदूरी का 1 रुपया नकद व दो किलो गेहूं प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जावेगा। खोदने, ढोने वाले अवयस्क को समान मजदूरी दी जायेगी। अति वर्षा व बाढ़ से जिन काश्तकारों के कुओं व खेतों को हानि पहुंची है उन्हें पुनः उपयोगी बनाने के लिए सहायता हेतु 1 क्विंटल से 5 क्विंटल गेहूं देने के आदेश भी दिये गये हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जिनकी फसलें 12 आने या इससे अधिक खराब हो गई हैं, उन्हें तत्काल सहायता हेतु एक बोरी गेहूं प्रति परिवार के हिसाब से निःशुल्क देने के आदेश कर दिये हैं, तथा जिलाधीशों को यह भी आदेश दिये गये हैं कि जहां टेस्ट वर्क चालू करने की आवश्यकता हो वहां ये कार्य शुरू कर दिये जायें। प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार दिलाने व अनाज वितरण करने की सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था की जा रही है और विकट स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रबन्ध कर लिए गये हैं तथा सरकार इस स्थिति के प्रति पूर्णतया सजग है। साथ ही सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को सूखे के कारण अभाव में भूख से नहीं मरने दिया जायेगा।

अभावग्रस्त क्षेत्र की जनता, काश्तकारों इत्यादि की कठिनाइयों के प्रति सरकार सजग है और रोजगार, खाद्यान्न व राहत की समुचित व्यवस्था की जा रही है। मैं राज्य सरकार की ओर से सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य के किसी व्यक्ति को अभाव की स्थिति के कारण भूख से नहीं मरने दिया जायेगा।

श्री शीशराम ओला : क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह ।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट्स का लगान माफ कर दिया है । दूसरे काश्तकारों का लगान माफ करने का सरकार का विचार नहीं है क्या ? मेरे ख्याल से मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि सभी का लगान माफ कर दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछना चाहें तो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे...

(व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा, नियमों के अनुसार डिबेट नहीं हो सकती है लेकिन स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो वे पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) ।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बयान दिया, उसको सुन कर माननीय सदस्यों को निराशा हुई है । आपने अपने बयान में यह कहा है कि इस प्रान्त के पिछड़े वर्ग के लोग और मार्जिनल फार्मर हैं, उनके लिए लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है । माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में व्यापक पैमाने पर अकाल पड़ा है । हमारे प्रान्त में 80 प्रतिशत किसान हैं और सभी लोगों की स्थिति खराब है । आज उनके पशुओं के लिए चारा नहीं है, खुद के खाने के लिये अनाज नहीं है । मैं कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जो टैस्ट वर्क शुरू करने की बात कही गई है, मेरी जानकारी है किसी भी जिले में अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ है । सारे प्रान्त के लोग परेशान हैं । पशुओं का निष्क्रमण हो रहा है । गरीब लोग पशुओं को बेच रहे हैं । ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष जी, इस प्रान्त में सारे किसानों का जो लगान है, उसको माफ करना बहुत जरूरी है । इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष जी, जिन लोगों ने ट्रेक्टर आदि के लोन लिये हैं, आज वे अदा करने की स्थिति में नहीं रहे हैं । इस आधार पर उनकी किश्तें भी स्थगित करनी चाहिये । इसलिये मैं अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सारे राजस्थान के किसानों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो उनके खाने पीने की स्थिति बिगड़ गई है, उनकी क्रय शक्ति नहीं रही है तो ऐसी परिस्थिति में सारे किसानों का लगान तुरन्त माफ किया जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री. रणमल सिंह : उपाध्यक्ष जी, लक्ष्मणगढ़ तहसील की स्थिति..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री ईश्वर चन्द्र : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को दो मिनट में कहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप उनको बोलने दीजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अकाल संहिता बनी हुई है वह काफी पुरानी हो चुकी है। आपने इसमें परिवर्तन करने के बारे में कोई बुनियादी नीति नहीं अपनाई। यह पुरानी अकाल संहिता बाबा आदम के जमाने की बनी हुई है। जब तक आप उस संहिता पर जन-समितियों में जन-प्रतिनिधियों को साथ लेकर विचार नहीं करेंगे तब तक यह अभाव की समस्या और अकाल की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी की सरकार है...

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : आज पूरे राजस्थान में अभाव की स्थिति है। हमारे जिले में एक बीघा में केवल 20 किलो ज्वार हुई है और पटवारियों द्वारा गलत इन्द्राज दिखा दिया गया है। तो जब तक इस नीति में बुनियादी परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक यह सम्भव नहीं होगा। मैं यह कहना चाहूंगा, पंचायत चुनाव के दौरान जो जीपें दी गई थीं उनसे चुनाव का काम नहीं हुआ बल्कि उनसे लोगों की कुर्कियां की गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे ग्राम में लकोड़ा चमार व हरिजनों पर चुनाव के दौरान कुर्कियां की गई हैं। भवानी राम मेरे क्षेत्र का है उस पर पंचायत चुनावों में कुर्कियां की गई हैं। कोटड़ा ग्राम में, उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति को दो मील तक जीप के आगे-आगे दौड़ना पड़ा और जीप उसके पीछे पीछे दौड़ती रही। यहां तक लोगों की स्थिति हुई है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी से, सहकारिता मंत्री जी से और अकाल राहत मंत्री जी से–तीनों की जो तिकड़ी बनी हुई है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इसका स्वरूप जन-कल्याण का होना चाहिए वहां आज जन-विरोधी है। मैंने राजस्व मंत्री जी से, सहकारिता मंत्री जी और अकाल राहत मंत्री जी से पूछा तो तीनों का जवाब मिला, वसूलियां नहीं रुकेंगी और सख्ती से होंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनता सरकार ने एक सर्क्यूलर जारी किया है जिसमें लिखा है दमनकारी तरीके से वसूली की जाय।

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा, राज्य सरकार उस सर्क्यूलर को वापस ले। ये बुनियादी चीजें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन मंत्रियों को सिखाइये कि इस तरह का कोई सर्क्यूलर जारी न करे। आज इस तरह का सर्क्यूलर जारी करके काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है। केवल इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया कि गरीबों का लगान माफ किया जा रहा है। क्या आप इससे सन्तुष्ट हैं? आज राजस्थान में काफी जिले अकाल से प्रभावित हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :

(श्री गुल मोहम्मद)
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि जीप उसके पीछे भागती गई तो क्या उस व्यक्ति की स्पीड उस गाड़ी से तेज थी ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : आपको पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपने किसानों की शक्ल नहीं देखी है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए। शान्त रहिए।

श्री गुल मोहम्मद : मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं। गांव का ही आदमी हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह, विराजिए।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके नियमों के तहत उन्हीं को मौका दीजिए जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। दूसरे लोग बार-बार बीच में खड़े हो जाते हैं, उन्हें हमारे अधिकारों का हनन करने से रोकिए। आप उनको ताड़ना दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो जनता पार्टी ही कर रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : यहां सब माननीय सदस्य हैं, 'लोग' कोई नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यहां तो घटकवाद है।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मंत्री महोदय का उत्तर आया है, वह पर्याप्त नहीं है। बारह हजार गांवों में अकाल है व अतिवृष्टि के कारण से सारे राजस्थान में 70 प्रतिशत फसल खराब हो गई है। फिर भी गांवों में जबर्दस्त वसूलियां हो रही हैं। तकावी, लोन सहकारी वसूलियां सख्ती से वसूल की जा रही हैं। यहां तक कि नवलगढ़ क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किसानों के, कनेक्शन बिजली के काट दिए गए हैं। अकाल की बात मंत्री महोदय ने बताई, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वसूलियां हो रही हैं उनको तत्काल बंद किया जाए। दूसरे, जो राहत कार्य शुरू किये गये थे वह चल नहीं रहे हैं क्योंकि जो पैसा दिया गया था, वह खतम हो गया है। यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं आई है...

श्री मूलचंद डागा : ये मंत्रीगण पर्याप्त उत्तर नहीं दे सकते। केवल भैरोंसिंह शेखावत ही उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : मैं इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय से मिला हूं...

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): कृपया बीच में टोका-टोकी न करें।

श्री मूलचन्द डागा : आपके मंत्री गण उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। पर्याप्त उत्तर नहीं आ रहा है। आपको कोई चिन्ता नहीं है।

श्री नवनीत पालीवाल : नियमों के अन्तर्गत अब इस पर बहस नहीं हो सकती। इधर से ज्यादा टोका-टोकी हो सकती है। कृपया सहयोग दीजिए।

श्री नवरंग सिंह : मैं यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारे सदन के नेता महोदय ने जो गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं, वहां पर कुर्की न करने की घोषणा की थी, वह निष्प्राण है। मंत्री महोदय का जो आदेश है, वह फाइल तक ही सीमित है। झुंझुनूं जिले में कुर्कियां की जा रही हैं और लगान वसूल किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्वयं काश्तकार हैं और स्वयं ही सारे इलाके की स्थिति को जानते हैं इसलिये वे इस बात को बताने का कष्ट करें कि उनके और सरकार के सामने वसूली स्थगित करने में क्या दिक्कत हैं? जय भारत।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं पांच बार खड़ा हो चुका हूं।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसका जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है, उस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का उत्तर पर्याप्त नहीं है। मैं अजमेर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर जिले की कुल पांच तहसीलों के 819 गांवों में अकाल घोषित किया गया है। वहां पर अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं। इसी प्रकार मेरे विधान सभा किशनगढ़ क्षेत्र में 162 गांवों में से 161 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह तो स्थिति है फिर भी वहां पर वसूलियां सख्ती से हो रही हैं, राजस्व वसूलियां हो रही हैं, कोआपरेटिव की वसूली हो रही है। मेरा आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो सरकार ने अनुसूचित जाति, जन जाति और अलाभकर जोतों वाले काश्तकारों से लगान की वसूली स्थगित की है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। जब उन सारे गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है जिन गांवों में कोई फसल पैदा नहीं हुई है, तो राजस्व वसूली अनुसूचित जाति, जन जाति और अलाभकर जोतों वाले काश्तकारों की ही क्यों स्थगित की जाय? मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब किसान के खेत में पैदावार नहीं हुई है तो आप किस तरह से उससे वसूली कर सकते हैं? यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। इसलिये राज्य सरकार से निवेदन है कि यह वसूली अभावग्रस्त गांवों में तुरंत स्थगित की जाय। मेरे क्षेत्र में पचास हजार रुपये का परीक्षण राहत कार्य प्रारंभ किया गया था, वह 15 दिन में ही समाप्त हो गया। काम बंद हो गया है। हम गांव में जाते हैं तो ग्रामवासियों द्वारा

(श्री करतार सिंह)

हमें जाने से रोका जाता है और कहा जाता है कि राहत कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहे हैं। यह उस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। इसलिये राज्य सरकार तुरंत कदम उठा कर सभी वसूलियां स्थगित करे वरना जनता का रोष बढ़ रहा है। राजस्व स्थगित ही नहीं करना चाहिये बल्कि माफ कर देना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : ये उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, लक्ष्मणगढ़ तहसील तो आज भी बीस साल पीछे है। वहां पर जनता अकाल से परेशान है फिर भी अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं। वहां के लोगों से लगान की वसूली की जा रही है। इन गरीब लोगों के साथ ऐसी ज्यादती की जा रही है जिसको मैं यहां नहीं कह सकता हूं। अकाल राहत कार्य लक्ष्मणगढ़ से सालासर चालू किया गया था परन्तु वह कार्य तीन दिन चल कर ही समाप्त हो गया है। मजदूर परेशान हैं? जिलाधीश कुछ नहीं कर रहे हैं। मजदूर भूखे मर रहे हैं। मैं जिलाधीश से मिला तो उनका जवाब था, बजट नहीं है। बजट आने पर सड़क का कार्य शुरू होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट देकर सड़क का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए और जिलाधीश को यह निर्देश दें कि सड़क के काम पर मजदूरों को लगाया जाए।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जो उत्तर आया है, उसके कारण हाउस के माननीय सदस्यों में रोष है। रोष होना स्वाभाविक है। मैं यह कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने स्टेटमेन्ट में यह कहा है कि 12 हजार से ज्यादा गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। यह ठीक है। जहां तक मेरा ख्याल है यह कोई शिकायत का विषय नहीं है। ऐसा मैं समझता हूं कि अब की बार गवर्नमेन्ट ने अकालग्रस्त गांवों की घोषणा करने में बड़ी जल्दी की है। मुस्तैदी की है। तत्काल गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया है परन्तु उसके बाद में कुछ नहीं किया। उसके बाद दूसरी स्टेज कायम होती है ····

श्री रतनलाल वर्मा : हम जानते हैं पहले 6–6 महीने तक घोषणा नहीं होती थी ····

श्रीमती सुमित्रासिंह : मार्च का महीना जा रहा है। अब कब काम होगा ?

श्री रतनलाल वर्मा : हमने काफी अनशन किए हैं, सत्याग्रह किए हैं, अकाल घोषित कराने के लिए।

श्री मूलचन्द डागा : तभी मोटे हो गये हो।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकार ने अकाल घोषित करने में जो जल्दी की है, उसके लिए तो वह धन्यवाद की पात्र है परन्तु उसके बाद जो काम होना चाहिए था, राहत के काम शुरू होने चाहिए थे, वह राहत के कार्य आज के दिन, आज की तिथि में नहीं के बराबर हैं, यह मानकर चलना चाहिए। यह गम्भीरता से विचार का प्रश्न है। तो मैं यह बात राजस्थान सरकार से कहना चाहता

(श्री रावतराम)

हूं, माननीय मंत्री जी और रेवेन्यू मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जून के फर्स्ट वीक में बरसात आ जायेगी। उसके बीच में यह डेढ़ महीने का टाइम है। आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। मैं मेरे जिले की बात जानता हूं। आज पूरे जिले में लेबर को काम नहीं मिला है। आप राहत के काम शुरू कीजिए। फिर कब करेंगे?

सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय लगान वसूली का है। अकाल घोषित होने से पहले जो वसूली होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है वसूलियां हो रही हैं। एक तरफ माननीय मन्त्री महोदय यह फर्माते हैं कि यहां से आदेश गये हैं कि वसूली माफ की जाय दूसरी तरफ यह भी फर्माते हैं कि कमजोर किसान हैं, उनका लगान माफ कर दिया है। जो गरीब हैं, उनका क्या प्रमाण है? कौन इस बात की जांच करेगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपको लगान वसूली बन्द करनी है तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में भी जहां अकाल घोषित किया गया है, वहां वसूली बन्द की जाय और तत्काल काम शुरू कराया जाए। मजदूरी में आप दो किलो अनाज देंगे। यह क्यों देंगे? आप को मजदूरी देनी चाहिए। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार आपको पैसा देना चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आप एक आदमी लगाते हैं। वह तीन रुपया लेकर जाएगा। उससे वह क्या पेट भर लेगा? आप मजदूरी बढ़ाइये और राहत के काम कीजिए। आपको चाहिए कि हर परिवार में जो काम करने के लायक हैं, उसको मजदूरी दें। यह आपको स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

जिन्होंने मोशन रखा है, उनको पहले समय दिया जाएगा।

श्री हजारीमल जी।

श्री नवनीत कुमार पालीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि वाद-विवाद नहीं होगा। लेकिन यह तो डिबेट शुरू हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट नहीं हो रही है। वक्तव्य पर विचार व्यक्त कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप अभी से झुंझलाने लगे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : लोगों के विचारों को बाहर आने दें।

श्री मलचंद डागा : यह हमारा फर्ज है। आप इस प्रकार से गलत बताते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : हम तो बोल भी रहे हैं। आप तो बोल भी नहीं सकते थे।

एक माननीय सदस्य : आपके बोलने को सुनता ही कौन है।

श्री हजारीमल (सरदार शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है उसमें कुछ जानकारी शामिल नहीं थी। एक तो जो सारे मजदूर हैं, उनको कानून के तहत मजदूरी दी जाती है, तो फिर अकाल राहत कार्य में जो मजदूर लगे हैं, उनको मजदूरी क्यों नहीं दी जाती है ? इसके साथ ही जो ज्यादा काम करेगा उसको कुछ और जो कम काम करेगा उसको कुछ देंगे। जो छोटा होगा उसको दो रुपया दिया जाएगा। बड़े को तीन रुपया मजदूरी दी जायगी। उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह दो किलो अनाज ले। यदि वह तीन रुपया लेना चाहता है तो उसे दो किलो अनाज और एक रुपया दिया जाएगा। यह तरीका जो है, यह ठीक नहीं है। यह वही पुराने घिसे हुए तरीके हैं। इनको बदला जाना चाहिए। कांग्रेस की जो परिपाटी रही है, उसको दोहराना नहीं चाहिए। चूरू जिले में कागजों के आधार पर गलत इन्द्राज किया गया है। उसी के आधार पर घोषणा भी गई है। जो वर्क खोले गये हैं, उनमें 150 से अधिक मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं देखकर आया हूं। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जब इतने थोड़े मजदूर काम कर रहे हैं तो भी उनको दो दो महीने पैसा नहीं देते हैं। अधिक मजदूर होते तो क्या होता ? लेबर कानून के अनुसार मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाये। 2किलो अनाज और एक रुपया लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाये। हमें अपने काम की तुलना कांग्रेस के कामों से नहीं करनी चाहिए।

श्री मूलचंद डागा : आप कर ही नहीं सकते हैं।

श्री हजारीमल : क्योंकि कांग्रेस ने अकाल के नाम पर करोड़ों रुपये धूल में मिला दिये हैं। अगर यह सरकार भी ऐसा करेगी तो बरबाद हो जाएगी। इसलिए इस सरकार को इस रास्ते से हटने की जरूरत है।

श्री सूरजपाल सिंह : आप कह तो रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी चर्चा हो चुकी है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, वह पता लग गया है। अभी और भी काफी कार्य पड़ा हुआ है। उसको पूरा करना है।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : मेरी तहसील की कुछ विशेष समस्याएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समय नहीं दे सकता हूं।

श्री टीकम चन्द कान्त (जालोर) : जालोर जिले में अकाल होते हुए भी अकाल घोषित नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जालोर जिले में शीघ्रातिशीघ्र अकाल घोषित किया जाये और जो अकाल से प्रभावित हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र राहत पहुंचाई जाये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या यह सही है कि आदेशों के बावजूद हरिजनों की जमीन नीलाम की गई है ? क्या खेती की तरक्की और काश्तकारों की बहबूदी और अधिक अनाज पैदा करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आम किसानों को रियायतें दिया जाना न्यायोचित नहीं है ?

(व्यवधान)

Page No 54

(54)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्या बड़ी गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराज जायें। मैं मानता हूं कि समस्या बड़ी गम्भीर है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हमारी सरकार बराबर . . .

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। आप विराजिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें पंचायत समितियों और सहकारी समितियों की वसूली के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसका और स्पष्टीकरण किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कहना चाहूंगा कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अकाल की विभीषिका प्रति वर्ष उत्पन्न होती है और राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को परेशान करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके स्थाई हल के लिए सरकार क्या करने जा रही है ? अभी ओलावृष्टि हुई थी और राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय जहां से चुनाव लड़कर आये हैं वहां ओलावृष्टि से दो महिलाओं की मृत्यु हो गई। क्या राज्य सरकार ने उनके लिए कोई अनुदान की घोषणा की है ? यदि नहीं की है तो क्या यह तथ्य अकाल राहत मन्त्री महोदय के नोटिस में है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह चुका हूं, मेजर साहब, काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्रीमती उजला अरोडा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का 22 अगस्त, 1977 का पत्र मुझको मिला था जिसमें बताया था कि 46 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, चार करोड़ का नुकसान हुआ और दस करोड़ रुपये की फसल नष्ट हो गई। 22 अगस्त से अब मार्च चल रहा है लेकिन जयपुर जिले में कहीं भी राहत कार्य नहीं शुरू किये गये हैं। जब मैं गांवों में जाती हूं तो उनकी दुर्दशा देखकर बहुत दया आती है। यहां मैं बार-बार कहती रही हूं लेकिन अभी तक राहत कार्य शुरू नहीं किये गये हैं। इस तरह से निरन्तर टालते रहना सरासर अनुचित है। यदि अब भी इसका उपचार नहीं किया गया तो सारे गांवों का जीवन बरबादी की ओर चला जायगा। इसलिए मैं माननीय राहत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि तुरन्त ही इसको रोकिये और राहत कार्य शुरू कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस तरह की चर्चा चलती रही तो

(श्री उपाध्यक्ष)
कोई अन्त नहीं होगा । कृपया मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिये ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर । निवेदन यह है कि हम लोगों ने भी इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिये थे । हमारा नम्बर नहीं आया है । पांच दिन पहले स्थगन प्रस्ताव दिये थे । हमारा नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं । मन्त्री महोदय जब उत्तर दें तो यह भी बताने की कृपा करें कि पाली जिले में जहां अकाल घोषित किया गया है वहां पर काम चालू करने की क्या फॉर्मेलिटी की गई ? उसके बारे में भी उत्तर देने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय उत्तर देने जा रहे हैं ।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जनता पार्टी के एक मात्र सदस्य हैं, इनको बोलने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : काफी बोल चुके हैं । सहानुभूति के लिये धन्यवाद ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान जिला सवाई माधोपुर, भरतपुर और जयपुर की ओर दिलाना चाहता हूं । अतिवर्षा के कारण जयपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में सारी फसल नष्ट हो चुकी है फिर भी वहां के लोगों से वसूली की जा रही है, उन जिलों में राहत कार्य नहीं खोले गये हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की सहूलियतें नहीं दी गई हैं । उसके साथ ही निवेदन है कि अभी कुछ समय पहले जिला सवाई माधोपुर और जयपुर के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई थी । उससे गन्ने की फसल चौपट हो गई, चने और गेहूं की फसल भी चौपट हो चुकी है । गरीब किसान सरकार से आशा लगाये बैठे हैं । उनकी फसल नष्ट हो गई है और जीवन बरबाद हो गया है । इसलिए....

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वसूली है सहकारिता की, लोन की, तकाबी की, किसी भी प्रकार की उसको स्थगित किया जाय और अकाल पीड़ित एरिया घोषित किया जाय तथा किसानों को राहत पहुंचाई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दें ।

श्री जयनारायण पूनिया (राहत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने सवालों के अन्दर जो पूछा है मैंने उसका उत्तर भी दिया है लेकिन फिर भी स्पष्टीकरण के लिये मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा ।

अकाल राहत कार्य खोलने में जो कुछ देरी हुई है और हो रही है उसके लिये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो प्रपोजल्स जिलाधीशों के मार्फत हमारे पास आये, उनके ऊपर कार्य करने के लिये और स्वीकृति के लिये जल्दी से जल्दी कार्य हो रहा है । मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी ही राहत कार्य शुरू कर दिये जायेंगे । इसमें देरी का कारण यह भी था कि पंचायतों के चुनाव हो रहे

(श्री जय नारायण पूनिया)

थे। यह भी ध्यान रखा गया कि जो भी कार्य खोले जायं उनमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और पैसा बेकार में न जावे इसलिए जो भी काम किये जावें वे पुख्ता किये जावें और पी. डब्ल्यू. डी., सिंचाई और अकाल राहत तीनों विभाग मिल कर कार्य चालू करें ताकि जो भी काम हो पुख्ता हो। इस प्रकार से योजना बद्ध तरीके से जो भी अलाट की जाय, या जिस प्रकार से काम करवाये जायं उसके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आवें। इसलिए प्रपोजल्स तैयार करने में अब तक देरी हुई है लेकिन अब देरी नहीं होगी और जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करवा दिये जावेंगे। जो प्रपोजल्स वित्त विभाग को भेजे गये हैं उनमें से बहुत सारे कन्सीडर हो गये हैं और बाकी के कन्सीडर हो रहे हैं, वे भी एक या दो दिन में स्वीकृत हो जावेंगे।

श्री मदन सिंह दांता : क्या आप यह नहीं सोचते कि ऑलरेडी लेट हो गये हैं ?

(व्यवधान)

क्या गवर्नमेन्ट यह नहीं सोच रही है कि वर्षा होने वाली है और सड़कें····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मदनसिंह जी, मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री जयनारायण पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वसूली का सवाल है अकाल घोषित होने के बाद वसूलियां नहीं की जा रही हैं। यदि इस प्रकार की कोई घटना हो और कहीं वसूलियां की जा रही हैं तो वह मेरे ध्यान में लाई जायं, इसके लिए शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक मजदूरों को मजदूरी देने का सवाल है उसके बारे में यह कहा गया कि यह मजदूरी काफी नहीं है और पांच रुपये मजदूरी दी जानी चाहिए वह क्यों नहीं दी गई ? इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि अवयस्कों और मिट्टी खोदने वालों के लिए पुराने स्केल को बंद कर बराबर कर दिया गया है। उनको दो किलो गेहूं 1 रुपया 36 पैसे के हिसाब से, यानि 2.72 तो इस प्रकार हो जाते हैं और एक रुपया नकद दिया जाता है। जहां पर गेहूं लेने वाले हैं उनको गेहूं दिया जाता है, इस तरह से उनको भी 4.08 पड़ जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : कैसे जीवन निर्वाह करेंगे ?

श्री जयनारायण पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए जो भी मजदूरी दी जा रही है वह काफी है। उससे कम नहीं दी जा रही है। अगर कहीं पर कम दी जा रही तो ध्यान में लाया जाय। मजदूरों को मजदूरी मिनिमम वेजेज के आधार पर 5 रुपये दिये जा रहे हैं। इसमें हमने बीस पर्सेन्ट की छूट दी है इसलिए उनको भी चार-पौने चार रुपये गेहूं के अलावा हो जाते हैं। जिन एरिया में अकाल घोषित नहीं किया गया है, जहां से इस प्रकार की शिकायत····

श्री टीकमचन्द कान्त : खास तौर से जालौर में।

श्री जयनारायण पूनिया : खास तौर से जालौर में अगर इस प्रकार की शिकायत है तो मैं इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हूं। इसके निर्देश दे दिये गये हैं। उसका रिजल्ट आने के बाद यदि जरूरी

(श्री जय नारायण पूनिया)
होगा तो वहां पर भी अवश्य राहत कार्य खोले जायेंगे।

श्री मदन सिंह दांता : जिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है।

श्री जय नारायण पूनिया : उनको अवश्य दिलाई जाएगी, बहुत जल्दी।

एक माननीय सदस्य ने फर्माया कि ओला वृष्टि से लोगों की मृत्यु हो गई। मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है। जिन काश्तकारों को जहां नुकसान हुआ उनकी गिरदावरी कराई जा रही है, रिपोर्ट मंगाई जा रही है और उसके नतीजे स्वरूप उनको बहुत जल्दी अभावग्रस्त घोषित करेंगे, राहत कार्य खुलवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके पूर्व भी जहां अत्यावश्यक समझा गया है, वहां टेस्ट वर्क्स खोले जा रहे हैं। एक क्विंटल अनाज प्रति परिवार भी फौरन राहत दिलाने के लिए वितरित किया जा रहा है।

श्री शिवचरण सिंह : मेरा उत्तर नहीं आया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बजट पर बहस होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : धैर्य रखिए। बजट पर सामान्य वाद-विवाद होगा। कल के वक्ता श्री मूलचंद डागा अपने भाषण को समाप्त करेंगे संक्षेप में।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : काफी विस्तृत जानकारी दे दी है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मंत्री महोदय ने बताया कि मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत 5) रु. है और राहत कार्य के अन्दर 4.08 रु. दिया जाएगा 20 पर्सेन्ट कम काम लिया जाएगा। उसको मजदूरी कितनी मिलती है जिससे वह अपने बच्चों का पालन कर सके ? मेरा निवेदन है कि 4.08) रु. के बजाय राहत कार्य में काम करने वाले मजदूर को मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत 5) रु. दिए जाने का प्रावधान किया जाए। इसका स्पष्टीकरण मंत्री महोदय दें।

श्री जय नारायण पूनिया : आर्थिक कठिनाइयों की वजह से, धनाभाव के कारण ऐसा किया जाना संभव नहीं था।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : यह प्रश्न धनाभाव का नहीं है . . .

(व्यवधान)

सदन का कोई भी सदस्य इसके विरोध में नहीं है। मिनिमम वेजेज एक्ट लागू क्यों नहीं होता है ? लागू होना चाहिए।

(व्यवधान)

अगर कल्टीवेटर मजदूर को 5 रुपये से कम पैसा देता है तो राज्य सरकार उसका चालान करती है कानून के उल्लंघन में और राज्य सरकार जब 4.08 रुपये देती है तो क्या यह मामला विचाराधीन चलेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय का चालान किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 5 रुपये देने से बजट में यदि और घाटा होगा तो होगा।

श्री किशन सिंह भाटी : अकाल बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

श्री शंकर लाल : कम से कम 5 रुपए मजदूरी होनी चाहिये। इस बात को मंत्रीजी आसानी से ले रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह मानवीय प्रश्न है। इस प्रश्न से सारे सदस्यों को चिंता है।

श्री शंकर लाल : क्या मंत्री महोदय स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, आप उनको विवश नहीं कर सकते।

श्री शंकर लाल : उनका उत्तर पर्याप्त नहीं है।

श्री मदन सिंह दांता : अभी तक जवाब नहीं दिया। एक मजदूर जो परमानेन्ट है···

श्री किशन सिंह भाटी : यह अहम मसला है····

(व्यवधान)

हमारे जैसलमेर जिले में अकाल एक परमानेन्ट फीचर है। सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि फेमिन कोड में परिवर्तन करें। यह कोड बाबा आदम के जमाने का है और मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत 5 रु. मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए। हमें आश्वासन चाहिए।

श्री जय नारायण पूनिया : फेमिन कोड परिवर्तन करने के लिए विचार कर रहे हैं। इसमें जो राहत दिलाने में कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ज्योपत सिंह मकासर : पूरा काम लें और पूरा दाम दें। पूरा काम लें और आधा दाम दें यह नहीं चलेगा।

श्री रतन लाल वर्मा : यह बात उचित नहीं है। एक हजार रुपए पाने वाला व्यक्ति आंदोलन करता है तो इसके पैसे सरकार बढ़ा देती है और एक गरीब मजदूर जब मिट्टी डालने का काम 8 घंटे कड़ाके की गर्मी में करेगा तो उसको आप 4.08 रु. देंगे, यह बिल्कुल उचित नहीं है। मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार 5.20) रु. के हिसाब से उनको मजदूरी मिले।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। आप की भावनाओं को मंत्री महोदय ने सुन लिया है।

श्री मदन सिंह दांता : आपकी क्या व्यवस्था है? आप क्या मानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री किशन सिंह भाटी : मैं एक टेक्निकल चीज रखना चाहता हूं। हमारा वेलफेयर स्टेट है, समाजवादी समाज है। ठेकेदार को तो आप अवश्य पर्सेन्टेज देंगे। 100) रु. की जगह 115-120) रु. देंगे और मजदूर को 100) रु. की जगह 70-80 रु. देंगे। शिड्यूल में यह डिफेक्ट है। आप शिड्यूल को कब चेंज करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है कि फेमिन कोड को रिवाइज कर रहे हैं।

श्री फूलाराम : क्या उनके आश्वासन से मजदूरों को पूरी मजदूरी मिल जाएगी ? आश्वासन देते देते कांग्रेस वाले इधर आ गए। आप भी आश्वासन देते देते इधर आ जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए। आपके विचारों से मंत्रीजी अवगत हो गये हैं जो उचित निर्णय होगा वह लेंगे।

श्री किशन सिंह भाटी : कब ?

श्री शंकरलाल : निश्चित तारीख बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन से अपेक्षा नहीं करेंगे कि वह बता दे। जहां तक भावनायें व्यक्त करने का सवाल है, आपको उचित अवसर मिल गया है।

श्री किशन सिंह भाटी : 1978 में करेंगे या 1979 में करेंगे ? निश्चित तारीख बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : शंकर लालजी, आप अनुभवी सदस्य रहे हैं, क्या आप अपेक्षा करते हैं...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप बहुत कह चुके हैं। माननीय सदस्य, विराजिये। आप कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, अगर आप इस तरह से करेंगे तो सदन की कार्यवाही किस तरह से चलायी जा सकती है ? कृपया शान्त रहें। आप किसी भी मन्त्री पर इस तरह से दबाव डालकर यहां निर्णय लेने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं। आपने अपने विचारों से माननीय मन्त्री जी को अवगत करा दिया है। मन्त्री महोदय आपकी भावनाओं को केबिनेट मीटिंग में रख देंगे।

श्री शंकरलाल : हमने कोई दबाव नहीं डाला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आप विराजिये, शंकरलालजी। आप विराजिये, गुप्ता जी। वर्माजी, आप विराजिये। आप कृपया शान्त रहें। काफी चर्चा हो चुकी है।

सदन की कार्यवाही, जो कल अधूरी रह गयी थी, अब प्रारम्भ होगी। माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा अपने कल के अधूरे भाषण का संक्षेप में समापन करने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो निश्चित तारीख चाहते हैं। मन्त्री महोदय से यही चाहते हैं कि वह कोई निश्चित तारीख बता दें। राज्य सरकार कब तक निर्णय इस बारे में ले लेगी ?

Page No 60

(60)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है कि आप कहें उसका जवाब अभी इसी वक्त दे दिया जाय।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी अकाल राहत कार्य चलते हैं वहां पर काम करने वाले श्रमिकों को जो वेतन दिया जाता है वह कानून के विपरीत दिया जाता है। मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार जो श्रमिकों को वेतन मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है, जो कि कानून के विपरीत है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य। आप बिलकुल नया विषय लेकर बोलना शुरू हो जाते हैं। आप विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो नियम बने हुए हैं उनका उल्लंघन किया गया है।

(व्यवधान)

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप श्रमिकों की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, रामेश्वर दयाल जी। इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय मन्त्री जी ने इस बारे में जो पाइन्ट नोट करने थे वह नोट कर लिये हैं।

(व्यवधान)

आप विराजिये, माननीय सदस्य। आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको हमारे यहां जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उसके अनुसार पूरा पैसा नहीं मिलता है। यह कानून के विपरीत है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, यह सरकार किसानों के पक्ष की नहीं है किसान विरोधी सरकार है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : आप तो विराजिये। हमने आपकी बातें बहुत सुनी हैं। तीस सालों तक बातें सुनी हैं। आपने खूब किसानों का गला घोंटा है। अब हम कांग्रेस की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। आप विराजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वर्माजी, आप विराजिये।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही। मेहरबानी करके मुझे बोलने तो दो, बन्धु। आप सुन तो लीजिये।

(व्यवधान)

मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं। पहले आप सुन लें। माननीय सदस्य मदनसिंह जी, शंकरलालजी मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। आप मुझे बोलने तो दें।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, गुल मोहम्मद जी। मन्त्री जी बोल रहे हैं, बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए, बन्धु।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, माननीय सदस्य वर्मा जी।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस के सभी सदस्य ढपोर शंख हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह ढपोर शंख शब्द जो कहा गया है इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री पुरुषोतम मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर श्रमिकों का वेतन देने के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की और यह कहा कि अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उनको मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्दर प्रावधान किया हुआ है उसके अनुसार वेजेज नहीं दिए जाते हैं।

(व्यवधान)

सुनिये, बन्धु ! पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप सुनने के पहले तो बोलने लग जाते हैं।

मैंने भी बरसों तक अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में काम किया है। जब कांग्रेस का राज्य था और हमारे इलाके में अकालग्रस्त क्षेत्रों में कार्य चल रहा था उस वक्त हमने तत्कालीन कांग्रेस सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और यह कहा था कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में श्रमिकों को मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार पैसा दिया जाना चाहिए। तत्कालीन कांग्रेस

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

सरकार ने फेमिन कोड मे संशोधन करने के लिए एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया कि फेमिन एरिया में फेमिन कोड लागू नहीं होगा। उन लोगों पर, मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार पेमेन्ट किया जायेगा। आपकी कांग्रेस सरकार ने ही ऐसा आर्डिनेन्स इश्यू किया था और वही अभी तक लागू है।

श्री ज्योप्त सिंह मकासर : तो बदल दीजिये उसे आर्डिनेन्स लाकर। कौन रोकता है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : यह दूसरा प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप तो वहां पर सड़ा गला गेहूं देते हैं। हम वहां पर सड़ा गला गेहूं नहीं देते थे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री शंकरलाल : जिस वक्त हमने यह कानून बनाया था उस वक्त आवश्यक वस्तुओं के भाव क्या थे, यह तो आप पहले देख लें। महंगाई कितनी बढ़ी है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय शंकर लाल जी, आप मेरी सुनिये तो सही। महंगाई की और भावों की बात करते हैं तो वह दूसरा प्रश्न है। आज तक भी मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार नहीं दिया गया। दिया जाना चाहिए, यह प्रश्न दूसरा है। मानवता के नाते मानवीय दृष्टिकोण से देना चाहिये यह दूसरा प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके विराजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें कृपया। मन्त्री महोदय जी उत्तर दे रहे हैं। समुचित उत्तर आने दीजिए।

श्री शंकर लाल : इसका मतलब यह है कि जनता पार्टी की सरकार श्रमिकों को पांच रुपये रोज मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार देना नहीं चाहती है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। मन्त्री महोदय इस बात का ही उत्तर दे रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : आप जो प्रश्न कर रहे हैं वह दूसरा प्रश्न है। जहां तक मजदूरी बढ़ाने की बात है माननीय मन्त्री जी ने नोट कर लिया है। वह यह बात मन्त्रिमण्डल के समक्ष रख देंगे।

एक माननीय सदस्य : आप इससे सन्तुष्ट हैं पर हम सन्तुष्ट नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मेरे सन्तुष्ट और सन्तुष्ट नहीं होने का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही, माननीय सदस्य। मैं कह रहा हूं कि मन्त्री जी

(श्री पुरुषोतम मन्त्री)

दूसरी बात जो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप कोई मुख्य मंत्री नहीं हैं जो आप यहां पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह कुछ राजस्व के बारे में कहना चाहेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं मुख्य मंत्री तो नहीं हूं लेकिन मंत्रिमण्डल का सदस्य तो हूं। मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते मेरी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि हम सन्तुष्ट हैं तो यह किस बात का उत्तर दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोतम मंत्री : माननीय सदस्य, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। एक दो पोइन्ट जो यहां पर राजस्व के बारे में उठाये हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : हम तो सन्तुष्ट हैं लेकिन...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : धन्य हैं। यहां पर कांग्रेस के सदस्यों ने पहली बार कहा है कि हम जनता पार्टी के राज्य से सन्तुष्ट हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : हम सन्तुष्ट तो नहीं हैं हम तो यह कहते हैं कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी जाय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हम सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। कांग्रेस के लोग हो सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। कृपया शान्त रहें। काफी चर्चा हो चुकी है। इस तरह आप बोलेंगे तो किस प्रकार सदन की कार्यवाही चल सकेगी ?

(व्यवधान)

आप राम रघुनाथ जी, आप रामकृष्ण-दास गुप्ता जी, कृपया आपस में वातचीत नहीं करें। कृपया बिराजिये। वर्माजी, आप बैठिये।

(व्यवधान)

आप कृपया शान्त रहें। कृपया आपस में चर्चा नहीं करें। आप विराजिये, शंकरलालजी।

श्री गुलमोहम्मद : ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर। एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस वाले सन्तुष्ट हो सकते हैं। हम सन्तुष्ट नहीं। मजदूरों को पूरी मजदूरी दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, स्थान ग्रहण करिये।

(व्यवधान)

माननीय शंकरलालजी, बिराजिये।

Page No 64

(64)

श्री शंकरलाल : मजदूरी मजदूरों की बढ़ायी जाय यह हमारा कहना है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार-बार ग्रासन की ग्राज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं । इस प्रकार डिस्टर्ब करेंगे तो कोई कार्यवाही नहीं चल सकेगी । मैं निवेदन करूंगा कि बिना ग्रासन की ग्रनुमति के बोलेंगे तो चेतावनी देनी पड़ेगी ।

आय-व्ययक 1978–79 पर ग्रग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । वार्षिक वित्त विवरण एवं विनियोगों ग्रौर ग्रनुदानों के लिये मांगों की ग्रनुसूची के पेज नं. 6 पर परिवार नियोजन फेमिली प्लानिंग लिखा हुग्रा है । फिर इसी के ग्रागे पेज नं. 48 पर मांग संख्या 26, 281 है उसमें लिखा हुग्रा है परिवार कल्याण, फेमिली वेलफेयर । इसको परिवार कल्याण मानेंगे या परिवार नियोजन मानेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापको सूचना मिल जावेगी । इस तरह से व्यवस्था का प्रश्न उठावेंगे तो समय पर कार्य पूरा नहीं हो सकेगा ।

श्री गुलमोहम्मद : परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहता था···

श्री मूलचन्द डागा : मैं वित्त मंत्रीजी की विचारधारा से बड़ा प्रभावित हुग्रा जब उन्होंने यह घोषणा की कि 40 प्रतिशत जन संख्या ग्रौर 63 प्रतिशत क्षेत्र मद्य निषेध से प्रभावित होंगे । लेकिन बजट के मद्य निषेध के ग्रांकड़े पढ़े तो मालूम हुग्रा कि ग्रामदनी बढ़ गयी है। यह किस तरह से हुग्रा, यह मुझे नहीं मालूम । जो देशी शराब में 1976–77 में 18 करोड़ 86 लाख की ग्रामदनी होती थी वह 1977–78 में 23 करोड़ 84 लाख हो गई ।

(व्यवधान)

कृपया बात मत करिये । सुनिये ।

शराब के द्वारा जो ग्रामदनी थी वह 3.98 करोड़ बढ़ गयी । संक्षेप मे यह बताना चाहता हूं कि शराब से जहां 23.84 करोड़ की ग्रामदनी थी वह हो जावेगी ग्रौर 23.55 करोड़ की बन जावेगी । यह ग्रापने सच्चाई की बात बतायी । इसलिये मैं कहता हूं कि यह बजट एक नौकरशाही का तैयार हुग्रा बजट है, पूंजीपतियों का बजट है । लिखे मूसा ग्रौर पढ़े खुदा ।

2 करोड़ सरकार चाहती है ऋण देने के लिये । 1 करोड़ 50 लाख गाड़ियां खरीदने के लिये मांगा है । ग्राज को यह समाजवादी कहलाने वाली सरकार भी सरकारी ग्रधिकारियों को दस करोड़ रुपये के लोन देने जा रही है । यह गौर फर्माइये । आपने एक बहुत बड़ी बात कही । 5 करोड़ भू-राजस्व में माफ कर दिया । बजट को देखा है भू-राजस्व माफ हुग्रा या नहीं, यह मुझे मालूम है लेकिन 5 करोड़ की जगह 30 हजार की भी ग्राय कमी नहीं हुई । मुझे ग्राश्चर्य हुग्रा । सवाल रखूंगा समय ग्राने पर कि ये सारे ग्रांकड़े कितने झूठे हैं । मुझे यह बात कहने में दुःख होगा ।

इसी प्रकार दूध के मामले में भी 3 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 4 लाख

(श्री मूलचन्द डागा)
लीटर हो जायेगा। पहले 3।। लाख लीटर था। पहले साल बढ़ गया था उसका भी उल्टा कर दिया है। बजट पेश करते हैं, लेकिन पहले के बजट को पढ़ते नहीं हैं। पहले बजट में एक बात कह दी और दूसरे में दूसरी बात कह दी। यह आंकड़े पेश किये हैं, कैसे किये हैं ?

भू-राजस्व में देखा तो दु:ख हुआ। मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था और प्रार्थना की थी कि यह बताया जाय कि कितना खर्चा होता है। एक लाख की आय बढ़ाना चाहें तो क्योंकि व्यवस्था बढ़ती है इसलिए खर्चा भी बढ़ता है। इस समाजवादी सरकार, गांधीवाद की दुहाई देने वाली सरकार, समाजवाद की घोषणा करने वाली सरकार के खर्चे के अन्दर कमी नहीं है। इसके बावजूद 50 हजार के भवनों पर कांग्रेसी सरकार ने टैक्स लगाया था उसको भी हटा दिया। कहने का मतलब यह कि इस सरकार ने पूंजीपतियों को छूआ तक नहीं। सरकार क्या करेगी ? सरकार 2 अरब का कर्जा छोड़ देगी और कर्ज लेकर काम चलायेगी।

10 करोड़ सरकारी नौकरों को देगी। जब तक प्रशासन विशिष्ट रहेगा, प्रशासन को विशिष्ट रूप में ट्रीट किया जावेगा, तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। यह वर्ग वही वर्ग है जिसने कांग्रेस को भी आगे नहीं आने दिया। सरकारी नौकर बढ़ते जाते हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है जब कहा जाता है कि 8 करोड़ 5 लाख की प्रशासन में कमी की जावेगी। मास्टर आदित्येन्द्रजी करेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह घंटी बज गयी।

श्री उपाध्यक्ष: आपने यह बात कल कह दी थी। आप उसको दोहरा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा: उन्होंने तो यहां तक किया कि पूरे के पूरे बजट को ही लीकेज कर दिया। 1 तारीख को चिट्ठी लिखी गयी है, रेस्पेक्टेड मंगल बिहारीजी को, श्रीमन्, मैं आपके सामने इसको रखूंगा। इससे मालूम होगा, पूंजीपति, नौकरशाही इन पर हावी है और उनके लिए सरकारी पैसा खर्च किया जाता है। इसमें लिखा है।

"The Hon'ble Finance Minister has clearly declared before a gathering at his residence that he is going to increase the Duty/Licence fee on Indian Made foreign Liquor."

यह 1 मार्च 1978 को सारी बातें क्यों लिखी है ? बताइये आप ईमानदार आदमी हैं, दूध के धुले हुए आदमी हैं। आपने सारी बात इसमें कह दी। यह लैटर मंगल बिहारीजी के पास भेजा गया। श्रीमन्, इसको सदन की टेबल पर रखूंगा आपकी राय लेकर। इससे पता चलेगा कि किस प्रकार ठेकेदारों को सारी बातें बता दी गयीं। यह लीकेज ऑफ दी बजट है, कन्टेम्प्ट ऑफ दी हाउस है। सारे बजट के आंकड़ों में से आप ही बता दीजिये, जो सही हो।

सड़कें कितनी बनायीं ? 3 किलोमीटर सड़क। 1977-78 में यह सरकार बहुत बड़ा काम करती है। 1977-78 में 3

(श्री मूलचन्द डागा)
किलोमीटर सड़क बनी। उत्पादन कम हो गया। उत्पादन घटा कर बताया।

(2.30 म. प.)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

खुशी है, आप कुर्सी पर आये।

मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने वह बातें रखूं कि किस प्रकार से पब्लिक सैक्टर चलते हैं। सारे पब्लिक सैक्टर राजकीय पूंजी को डुबोने के लिए बनाये गये हैं। इस सरकार ने क्या काम किया? मैं आपके सामने पेश करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार यह बजट घाटे में जाता है और यह सरकार क्या कर रही है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, इन्होंने ही पेश की है और बताया है कि टेनरी के अन्दर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। इसमें बताया गया है कि 1975-76 में 15 लाख का घाटा, 1976-77 में 17 लाख का घाटा और जब इनकी सरकार आ गई तो फिर और घाटा बढ़ गया। इसके बाद राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में 13 लाख का घाटा। करोड़ों की पूंजी लगती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बात कल प्रोफेसर केदार ने कही थी तो वहां भी घाटा है। कौन सी ऐसी जगह है कि जहां घाटा नहीं है। हमारे यहां राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2 अरब रुपया लगा हुआ है...

(व्यवधान)

Why do you create disturbance Hon'ble. Minister?

श्री सम्पतराम : भाषण को सुन रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, हमारे कोई सदस्य बोलते हैं तो दस मिनट, हद से हद बारह मिनट बोलते हैं लेकिन इन माननीय सदस्य को आधा घण्टा हो गया, 15 मिनट तो कल बोल लिए और 15 मिनट आज बोल लिए। मेरा निवेदन है कि सबको समान दृष्टि से देखा जाये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, 2 अरब हमारा राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा हुआ है। उसके बाद उसका रिटर्न क्या आता है? टोटल रिटर्न 4.3 पर्सेन्ट है जब कि मिनिमम रिटर्न मैं समझता हूं कि 7 पर्सेन्ट आना चाहिए। 2 अरब की पूंजी वहां डूब गयी। स्टेट रोडवेज है उसमें आपकी पूंजी डूब गयी। सोडियम का जो कारखाना डीडवाना में है वह खतम हो गया, टेनरी खतम हो गयी। सारी की सारी सरकार केवल आपस की घटकवाद में लगी हुई सरकार है जो कुछ नहीं कर सकी।

श्रीमान् मैं आपसे अर्ज करूं कि मिनिस्टरों का खर्चा बढ़ा लिया। जब असेम्बली का सवाल आता है, माननीय सदस्यों का सवाल आता है तो स्थिति यह है लाइब्रेरी में किताबें नहीं। लाइब्रेरी में लॉ बुक्स नहीं, लाइब्रेरी में पूरे अखबार नहीं और अण्डर स्टाफ। यह सफेद कपड़े पहने हुए हैं इनको पूरा पैसा नहीं देते। केदार जी ने इनके लिए कहा था फिर भी गरीबों को पूरा भत्ता नहीं देते। यह सरकार विषमता की सरकार है। पूंजीपतियों को, बड़े-बड़े आदमियों को ऊपर ला रहे हैं और छोटे-छोटे आदमी दबा रहे हैं। यह किस प्रकार से सरकार चलेगी? मैं नहीं कहना चाहता कि उन्होंने कहा था...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपकी आज्ञा मानूंगा क्योंकि मुझे तो आपकी आज्ञा मानने में गर्व होगा। इसको स्वाभिमान समझूंगा।

इन्हीं के राइटर ने कहा है There is Still Time चार दिन पहले अखबार में निकाला है। कुलदीप नैय्यर, जिसके ऊपर इनको गर्व है, ने लिखा है :

"The living style of the Janta Ministers is no different from their predecessors. There are the same bungalows, the same slick cars and the same hordes of PAs and peons. The harassment of the common man is no less than before. And just as Mrs. Gandhi and her men used to flaunt authority, most Janta Ministers have begun doing so. The word 'I' is becoming too much part of their pronouncements and they are taking the masses for granted. The people brought about a revolution last March and put in the chairs those who had never dreamt to be there. The Janta Ministers must search their hearts to find out what they have done to redeem that confidence."

जे. पी. ने कहा है कि देश की सत्ता थोड़े से आदमियों में निहित है।

श्री माणकचन्द सुराणा : डागा जी ने अंग्रेजी में कोटेशन दिया यह आप समझ तो गए ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप समझा दीजिए। तर्जुमा कर दीजिए।

श्री माणकचन्द सुराणा : इसका जरा हिन्दी तर्जुमा करके सुना दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे आपने यह क्यों कहा, मैं समझ तो गया ?

श्रीमान्, आप जैसे समाजवादी नेता है जो लोहिया जी के घटक के हैं। जनता पार्टी की कोई दिशा है नहीं। यह नकारात्मक उद्देश्यों से आ गये और कोई निर्णय नहीं ले सके। इसके कारण सारे हाउस के अन्दर असन्तोष हो गया। क्या आपने व्हिप लगाया ? मुझे यह पढ़ कर अफसोस है जो आज राजस्थान पत्रिका में निकला कि कोई जनता पार्टी का विधायक प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलेगा। क्या कहने हैं। कान्स्टीट्यूशन की धारा 105 में मेम्बरों के अधिकार दिये हुए हैं लेकिन इन्होंने नियम निकाल दिया। राजस्थान पत्रिका में मैंने पढ़ा है कि कोई भी विधायक नहीं बोलेगा। चरण चुम्बन करो, गीत गाओ भैरोंसिंह जी के। जय हो, जय हो।...

श्री रतनलाल वर्मा : यह बात माननीय सदस्य कह रहे हैं। यह बिल्कुल झूंठी और गलत बात है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : कांग्रेस की तरह लगाम लगाई हुई नहीं है। माननीय सदस्य बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह आज के अखबार में है। मुख पृष्ठ पर निकला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री डागा जी, कृपया जल्दी समाप्त करें। Only one minute।

श्री माधोसिंह कछवाह : डागा जी ने संजय के चरण चुम्बन किये हैं। इनको कहें कि जरा मेमोरी ठीक रखें।

श्री मूलचन्द डागा : अब मैं टैक्सेशन की बात पर आता हूं। हमने पहले भी बताया था कि सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के वित्त विभाग ने यहां पत्र लिखा और कहा कि आप अपने रिसोर्सेस जुटायें। सरकार अपने रिसोर्सेस जुटाने में हिचकिचाती है जब कि वित्त विभाग ने कहा कि जब तक आप अपने रिसोर्सेस नहीं जुटायेंगे तब तक पैसा नहीं देंगे। यहां इन्होंने झूठे आश्वासन दे दिये कि 10 करोड़ रुपया मिल जायेगा। आज फेमिन में रुपया मिला नहीं और जबरदस्ती वसूली करते हैं। यह कारण है कि सरकार पूंजीपतियों को छूना नहीं चाहती, कालाबाजारी करने वालों को पकड़ना नहीं चाहती। यह बजट नहीं है। जो नौकरशाही ने लिख दिया वह मास्टर आदित्येन्द्र जी ने पढ़ दिया। इसमें गलत आंकड़े हैं, लीकेज आफ दी बजट है इसके लिये मैं अलग से मोशन मूव करूंगा और इसको साबित करूंगा।

श्री रतनलाल शर्मा : यह घाटा तो तीस वर्षों में आपने डाला है। पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह नये राजनैतिक नीम हकीम हैं, जानकारी तो कुछ है नहीं।

श्री सभापति : कृपया बैठें। श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, आपने बड़ी कृपा की कि मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमान्, जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़कर और उसको सुनने के बाद निराशा हुई थी उसी प्रकार से इस बजट को देखने से और वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट भाषण यहां पर पढ़ा और जो आंकड़े प्रस्तुत किये उनको सुन कर बहुत निराशा हुई। श्रीमान्, ऐसा लगता है कि इस बजट के अन्दर कोई नया कार्यक्रम नहीं रखा गया है। जो कार्यक्रम थे उनको नाम बदलकर, नया रूप देकर यहां पर पेश करने की कोशिश की गई है और जनता को और राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की गई है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, एक बात जो इस बजट भाषण में कही गई है और यह सरकार बार-बार कहती है कि पुरानी सरकार चलते चलते बहुत सारे ऐसे खर्चे कर गई जिसके कारण राजस्थान की जनता के ऊपर, राजस्थान के कोष के ऊपर काफी भार पड़ा है। ऐसे कौन से खर्चे थे जिनकी वजह से राज्य सरकार की अर्थ व्यवस्था बिगड़ी? मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि कांग्रेस सरकार एक दिवालिया कोष छोड़कर गई, भूखा नंगा राजस्थान छोड़ कर गई है। ऐसा लगता है, सभी सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश की गई है क्योंकि आज तक तथ्य, आंकड़े इस सदन में पेश नहीं किये गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप इन पुरानी बातों को छोड़कर स्पेसिफिक रूप से सामने आयें और यह बात बतायें कि कौन-कौन सा खर्चा किया गया जिससे राज के कोष के ऊपर अधिक भार पड़ा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसके अलावा, श्रीमन्, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि मैंने मुख्य मन्त्री जी से मितव्ययता के बारे में पूछा था और उन्होंने कहा था कि हमने शासन के अन्दर मितव्ययता बरती है और 4-5 करोड़ रुपये का खर्चा राज कोष के ऊपर कम करने की कोशिश की है। लेकिन जब मैंने पूछा यहां पर तो यही कहा कि मैं आपको सूचित करूंगा। वित्त मंत्रीजी, आप सदन को बतायें कि आपने कौन कौन से मद के अन्दर कितना कितना रुपया बचाया है? जब तक यह आंकड़े नहीं दिये जायेंगे, कोरी बातों से काम नहीं चलने वाला है। यह इस सदन को गुमराह करने की बात है। इसी सदन में मुख्य मंत्री ने कहा था कि सचिवालय को एयर कन्डीशन्ड करने की बात चल रही है। मैंने पूछा था, 30 अप्रेल तक कितना खर्चा हुआ था? यही कहा कि कांग्रेस सरकार की चीज थी, हम तो पूरा करवा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस सरकार के बजट के अन्दर कोई दिशा नहीं है। प्रगति के लिये आगे क्या कदम उठाये जायेंगे और राजस्थान के औद्योगीकरण के लिये, राजस्थान की खनिज सम्पदा के विकास के लिये, राजस्थान के वनों के विकास के लिये किस प्रकार से आमदनी बढ़ायेंगे? इस बजट के अन्दर कोई रिसोर्सेस के लिये कुछ नहीं कहा गया है। आप एक तरफ शराबबन्दी करते हैं और दूसरी तरफ शराब से आमदनी को भी बढ़ाना चाहते हैं। 10 और 15 पर्सेन्ट का इजाफा कर दिया है। यह कहां तक उचित है?

इसी प्रकार राजस्थान से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं। जो आकड़े पेश किये गये हैं. पेज 20 के ऊपर, पैरा 50 के अन्दर इन्होंने कहा है कि हम राजस्थान के लिये, राजस्थान के अन्दर विभिन्न तकनीकी स्नातकों के लिये 716, डिप्लोमा होल्डर्स के लिये 514, कृषि स्नातकों के लिये 480, पशु चिकित्सकों के लिये 85, डाक्टरों के लिये 120, कला विषयों में स्नातकों के लिये 1565, मैट्रिकुलेट्स के लिये 6540 और आई. टी. आई. शिक्षा प्राप्त, लोगों के लिये 3,000 पोस्टें क्रियेट करने जा रहे हैं। इन लोगों का मन बहलाव कर रहे हैं। यह भ्रम में डालने की बात है। भ्रम में डालने की नीति को छोड़िये, यह मेरा निवेदन है। जैसा माननीय डागा जी ने कहा, मैं कहूंगा कि यह बजट किसी एकाउन्टेंट का बनाया हुआ है। राजस्थान के बजट को देख कर दुःख होता है। यह बजट नहीं है, यह स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट राजस्थान विधान सभा के सामने पेश किया गया है।

श्रीमन्, मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा। बेरोजगारों के बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मोरारजी भाई ने, इनके प्रधान मंत्री ने कहा कि देश से 10 साल में बेरोजगारी दूर कर देंगे....

एक माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री तो सबके हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पहले आपके प्रधान मन्त्री, बाद में मेरे प्रधान मन्त्री।

श्रीमन्, 10 साल के अन्दर बेरोजगारी को समाप्त करने की बात कहते हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप एम्प्लायमेंट एक्सचेन्जों की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्थिति देखिये। आंकड़े देखिये। बेरोजगारों के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप दस सालों में बेरोजगारी समाप्त करने की बात करते हैं क्या आपने एक वर्ष में 10 परसेंन्ट बेरोजगारी समाप्त कर दी? श्रीमन्, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट की सराहना करूंगा कि उसने इस दिशा में साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। आप क्या करने जा रहे हैं? आज के विदेश मंत्री और उस वक्त के इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्यप्रदेश की कई सभाओं में कहा था कि हमारी सरकार बनने दीजिये, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। कहां गये वे वायदे?

न राजस्थान के अन्दर कोई उद्योग आया। औद्योगीकरण हो नहीं रहा है। आप ने लोगों को बहकाने के लिये कहा है ग्रामों का विकास करेंगे। श्रीमन्, उद्योग मंत्रीजी यहीं बैठे हैं, उन्होंने पिछले साल कहा था कि जब तक हम केन्द्रीय सरकार से राजस्थान के पूरे जिले पिछड़े हुए घोषित नहीं करवा लेते हैं, हम इन जिलों के अन्दर अपनी तरफ से सब्सिडी देंगे। बजट में 15 लाख का प्रावधान किया। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा उस पैसे में से एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने कभी सोचा है, आखिर इसके कारण क्या हैं? आप इसके अन्दर जायें। उद्योगों के लगाने के लिये न आप उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देते हैं, न भारत सरकार के उद्योग मंत्री पर आपका प्रभाव है, न भारत सरकार पर प्रभाव है। आप लोग इस बात का प्रयत्न करो कि पूरे राजस्थान को औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ घोषित किया जाये तभी राजस्थान का कल्याण होने वाला है।

श्रीमन्, एक चुनावी वायदा और था इस पार्टी का। मैंने पिछले सत्र में एक सवाल उठाया था। राजस्थान के व्यापारियों को इस बात का मुगालता दिया था कि राजस्थान में सेल्स टैक्स को समाप्त कर देंगे। आपको दुःख होगा इस बात को सुनकर, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस बात को कहा है कि राज्य सरकारें सेल्स टैक्स को समाप्त करना नहीं चाहती। राजस्थान सरकार की इस बारे में क्या नीति है? सेल्स टैक्स को समाप्त करने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्रीमन्, इन्होंने जो सबसे गलत काम किया है वह यह है कि इन्होंने परिवार नियोजन के कार्यक्रम को तिलांजलि दे दी है। इस बात को दबी जुबान से स्वीकार कर रहे हैं। उस वक्त तो इन्होंने राजनैतिक स्टंट बनाकर, चुनाव जीतने के लिये तरह तरह की निराधार अफवाहें फैलाईं, लोगों को धोखा दिया, लोगों को मुगालते में रखा लेकिन इस चीज को आज महसूस कर रहे हैं कि जैसे भी हो इस काम को अपने हाथ में लें। क्या काम हाथ में लेने जा रहे हैं? इस देश में 1½ करोड़ आदमी हर साल नये बढ़ते हैं, उनके खाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उनके रहने की, उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? इस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। भगवान के लिये इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लीजिये, तभी आपका काम चलने वाला है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मैं मेरे दल का अकेला हूं, श्रीमन्।

बजट भाषण के अन्दर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान के अन्दर कानून और व्यवस्था की हालत बहुत अच्छी रही, बड़ी शांति रही राजस्थान के अन्दर। आज, श्रीमन्, मुझे पुलिस विभाग का प्रगति विवरण पढ़ने को मिला। उस प्रगति विवरण में है कि लगभग 12 हजार अपराध अधिक पंजीबद्ध हुये हैं–यह इजाफा है आपका। मैं जानता हूं गृह मंत्री जी घिसा पिटा जवाब देंगे कि आप केसेज को रजिस्टर नहीं करते थे और हमनें केसेज को रजिस्टर करना शुरू कर दिया है इसलिये केसेज की संख्या ज्यादा आई है। मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्रीजी तजुर्बेकार हैं, पुराने एक्सपीरियन्स्ड मिनिस्टर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि क्राइम राजस्थान में बढ़े हैं। आपने अपने पुलिस आफिसर्स को डिमोरेलाइज कर दिया। श्रीमन्, मैं कहना नहीं चाहता हूं गृह मंत्री जी का यही कन्ट्रोल है कि फलां थाने से फलां थाने मे लगा दिया। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक एक थाने में चार चार थानेदार पहुंच गये। मैं गया तो मेरी अर्जी पर लिख दिया। उसके बाद किसी पर कान्ट्रे-डिक्ट्री लिख दिया। इस तरह, गृह मंत्री जी, आपका प्रशासन चलने वाला नहीं है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा आप अपने अधिकारियों को कान्फीडेन्स में लीजिये। आप एस. पी. को रेस्पान्सिबल बनाइये, आई. जी को रेस्पान्सिबल बनाइये डी.आई.जी को रेस्पान्सिबल बनाइये नहीं तो वेव आई है उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा।

जब हमने हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को कहा कि क्राइम की लहर आई है तो उन्होंने कहा लोगों को निर्भय होना चाहिये। अब आपने इन्दिरा गान्धी की सरकार को उखाड़ दिया फिर किसको किसका डर रह गया। एक औरत को हटा दिया फिर किसका डर था आपको ? आपने निर्भय बना दिया। जो बदमाश थे इस राज्य में...

श्री किशनसिंह भाटी : इसका मतलब आतंकित रहना चाहिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : आपका मतलब निर्भय नहीं रहना चाहिये।

श्री किशनसिंह भाटी : प्रधान मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि चोरों को निर्भय रहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : सभापति महोदय, यह समय का सवाल नहीं है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री किशनसिंह भाटी : प्रधान मंत्री के लिये डिफेमेटरी शब्द आयेगा, अशोभनीय, डिफेमेटरी शब्द आयेगा तो We will interrupt at the same moment.

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं न आपसे दबता हूं और न आपके प्रधान मंत्री से दबता हूं।

अब, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान बढ़ती हुई कीमतों की ओर दिलाना चाहता हूं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आपने कहा, कीमतें बहुत कम हो गई हैं। श्रीमन्, नई फसल आ रही है। आप जानते हैं व्यापारी क्या करते हैं? कोई खास कमी कीमतों में नहीं आई है। आपने 15 पैसे चीनी पर बढा दिये हैं, कोयले की कीमत बढ़ा दी है पैट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। इसे ही आप गरीबों का बजट कहते हैं? यह दिवालिया सरकार का बजट है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट में 11 अरब का घाटा दिखाया गया है। इससे कन्ट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उन्होंने कहा कि हम इस घाटे की पूर्ति सोना बेचकर करेंगे, उससे हम घाटा पूरा करेंगे। श्रीमन्, कोई आदमी अपनी घर की चीजें को बेचकर काम चलाये तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। वैसा ही आप कर रहे हैं। जो सोना रिजर्व में रखा हुआ था आज आप उसे बेचना चाहते हैं। यह कोई ठोस कदम नहीं है। इसकी देश के बड़े बड़े सेठों और साहूकारों ने आलोचना की है और बढ़ती हुई कीमतों के बारे में चिन्ता प्रकट की है। आपने जो आंकड़े दिये हैं, आज ही राजस्थान पत्रिका में लिखा था कि कीमतों में 14 पाइन्ट समथिग का इजाफा हुआ है। आज 186 पर प्राइस इन्डेक्स पहुंच गया है और आप महंगाई भत्ता स्वीकार कर रहे हैं। सरकार इस इन्क्रीज को स्वीकार कर रही है। आप इस मंहगाई को रोकने के लिये क्या करने जा रहे हैं।

आज देश की जनता, राजस्थान की जनता तीन बातों से पीड़ित है। इस सरकार की जो सबसे बड़ी असफलता रही है वह रही है बढ़ती हुई कीमतें। दूसरे लॉ एन्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हुई है। तीसरे हरिजनों पर जो अत्याचार हुये हैं, वे किसी से छिपे हुये नहीं हैं। मैं, श्रीमन्, आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। पूर्व सरकार के समय एक आदेश निकाला गया था कि सहकारिता विभाग से हरिजनों को कर बांटा जायगा और वह कर 33 प्रतिशत वीकर सैक्शन को देना अनिवार्य होगा। यह कानून बनाया था, इस कानून को भी आपने तोड़ दिया। क्या यही आपका हरिजनों के साथ प्रेम है? क्या यही आपका शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ प्रेम है? जो उनको 33 प्रतिशत पैसा बांटने के लिये दिया गया था, आपने उसको भी समाप्त कर दिया, उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा इस बारे में भी आपको ठोस कदम उठाना चाहिये। जो रजिस्टर्ड इन्स्टीट्यूशन्स हैं कोआपरेटिव की वहां पर गरीबों की सुनवाई बड़ी मुश्किल से होती है। जब तक उस प्रोविजन को आप मेन्डेटरी नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसे मेन्डेटरी बनायें।

श्रीमन्, अब मैं कुछ टैक्सों के बारे में कहना चाहता हूं। राजस्थान में ट्रेक्टर-ट्राली पर यात्री व माल कर आपने 850 से घटाकर 450 किया है। यह तो कांग्रेस सरकार जाते जाते समाप्त कर गई थी। फिर क्या कारण है कि इसका रिव्यू किया गया? आप तो किसानों के हितैषी हैं, किसानों की समस्याओं का आपको बहुत ध्यान है लेकिन आपने इसको आधा कर दिया। प्रेशर पड़ा तो आधा कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा ट्रेक्टर-ट्राली पर आप टैक्स समाप्त कीजिये।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आज आपके राजकीय उपक्रमों की हालत खराब है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत खराब है। उसको आप देख लीजिये।

मेरा निवेदन है शराब से जो आमदनी बढ़ाने की बात है, वह उचित नहीं है। आपको सैठ-साहूकारों की विलासिता की वस्तुओं पर बिक्री कर बढ़ाना होगा। जब तक आप यह नहीं बढ़ायेंगे तब तक आपका काम चलने वाला नहीं है।

फिर राजस्थान के कच्चे माल का क्या होगा। राजस्थान में जो कच्चा माल पैदा होता है वह दूसरे नगरों में काम में आता है क्योंकि यहां कोई औद्योगीकरण नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया है, इसमें कोई दिशा नहीं है, बहुत निराशाजनक बजट है।

एक अरावली स्कूटर, स्कूटर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये आपने सेल्स टैक्स में कन्सेशन दिया है। आज राजस्थान में किस कार्पोरेशन की हालत ठीक है? आप मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन को ही देख लीजिये। सबकी हालत खराब है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, जिस तरीके से आप धोखा दे रहे हैं, वह उचित नहीं है। यह अरावली स्कूटर, जो सड़क पर बिकता नहीं है, केवल राजस्थान में ही चलता है। यह अरावली स्कूटर फेल होगा। सरकार का रुपया इसमें डूबने वाला है इसलिये आपने कन्सेशन दे दिया सेल्स टैक्स में। इसे बिल्कुल समाप्त कर दें तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा इस सरकार को, बेरोजगारी समाप्त करने के लिये, सेल्स टैक्स समाप्त करने के लिये जो आपके वायदे हैं, उनको पूरा कीजिये।

आपने परिवार नियोजन को तिलांजली दी है, उसको रिव्यू कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, श्रीमन्।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय, द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार और कठिनाइयों के परिप्रेक्ष में प्रस्तुत बजट का इतना तो समर्थन और स्वागत करता हूं कि यह सर्वोत्तम बजट है किन्तु मैं इसे क्रांतिकारी बजट नहीं कह सकता। परम्परावादी यह बजट है। बहुत सी बातें इसमें अच्छी हैं और कुल मिलाकर यह स्वागत योग्य बजट है।

जहां तक बजट की कई मदों के वित्त प्रावधान का प्रश्न है, बहुत सी मदों में वित्त प्रावधान बढ़ाया गया है और जो प्रावधान किए गये हैं वे हमारी नीतियों के अनुकूल हैं, हमारी घोषणाओं के अनुकूल हैं, हमारे चुनावी वायदों के अनुकूल हैं, हमसे जो अपेक्षायें की जाती हैं उनके अनुकूल हैं। विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार यह बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, जैसे विद्युत, कृषि, डेयरी, उद्योग, खनिज इत्यादि मदों की

(श्री किशनसिंह भाटी)

अगर कांग्रेस के पुराने बजट से हम तुलना करें, पिछले बजट से तुलना करें तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बजट का समर्थन करते हुए भी एक इकोनोमिक्स के विद्यार्थी के नाते अगर इस बजट पर दृष्टिपात करूं, इस बजट का अध्ययन करूं तो जो क्षेत्रीय असंतुलन मुझे इसमें दिखाई दे रहा है उस क्षेत्रीय असंतुलन की बात को कहना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा और नैतिक धर्म भी समझता हूं।

जहां तक सीमावर्ती क्षेत्रों का सवाल है, रेगिस्तानी और मरुस्थलीय क्षेत्रों का सवाल है, जहां तक पिछड़े हुए क्षेत्रों का सवाल है, उन पर इन मदों का जितना बंटवारा किया जाना चाहिये, जितना इन मदों का वितरण किया जाना चाहिये, उस दृष्टि से प्रावधिक तौर पर संतुलित बजट नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से संतुलित बजट नहीं हैं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर और अर्थ शास्त्र के समानता के सिद्धांत के आधार पर इसका जिस तरीके से बंटवारा किया जाना चाहिये, मुझे खेद है कि बंटवारा करते समय उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। क्षेत्रीय असंतुलन को हमने माना है, उसको हम स्वीकार करते हैं। उसको दूर करने की सारे देश की और सारे राजस्थान की मांग है और हमारे दल का खास तौर से यह कर्तव्य है कि हम इस मांग को सामने रख कर क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करें। हमने यह व्रत लिया है कि देश में पिछले तीस वर्षों में किन्हीं कारणों से जो भी क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है उसको मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। उसको मिटाने की हमारी दृढ़ नीति है। उसके आधार पर बजट का बंटवारा करते समय जो हिस्सा मरुस्थल और पिछड़े क्षेत्र को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। मैं खास तौर से कहूंगा रेगिस्तानी इलाके के बारे में, जो सीमावर्ती इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर इत्यादि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया जावे। इन मदों का जिस प्रकार से बंटवारा किया जाना चाहिए था इन जिलों को ध्यान में रख कर वह नहीं किया गया है। मसलन पेयजल की समस्या को ही ले लीजिए। जैसलमेर जैसा प्यासा इलाका राजस्थान क्या देश भर में दूसरा इलाका नहीं है। इस बारे में हमारा दल ही नहीं कोई दूसरा दल भी इन्कार नहीं कर सकता कि राजस्थान में जितने प्यासे गांव हैं, जितना प्यासा इलाका है उसमें संसार के भू-भाग का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा सीमावर्ती इलाका जैसलमेर का इलाका आता है। इस बात से किसी का विरोध नहीं हो सकता, हमारा दल भी इसके लिए दृढ़ संकल्प है। जनता सरकार बनते ही 21 जून को सर्व प्रथम यह प्रतिज्ञा की गई थी कि पेयजल की समस्या प्राथमिकता के आधार पर, क्षेत्रों को ढूंढ़ कर, प्राथमिकता देकर, हल की जायेगी। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो पिछला बजट था उससे निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, नौ करोड़ रु. की बढ़ोतरी हुई है लेकिन जहां तक बंटवारे का सवाल है, वह असंतुलन ठीक नहीं किया गया है, क्या कारण है ? वह असंतुलन क्यों ठीक नहीं कर सके ? मेरा यह मानना है कि चाहे श्रद्धेय मास्टर जी राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय हों चाहे स्वयं मुख्य मंत्रीजी

(श्री किशनसिंह भाटी)

और कैबीनेट के वरिष्ठ सदस्य हों, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। सदन के सभी सदस्यों से पूछा जाय चाहे किसी भी विचारधारा के हों, इसके बारे में प्राथमिकतायें तय करते समय कोई विरोध नहीं करेगा कि जैसलमेर प्रथम बाड़मेर द्वितीय, बीकानेर तृतीय, जालौर चतुर्थ, इस तरीके से पेयजल के लिए अभावग्रस्त इलाके आयेंगे। मुझे बजट देखकर जो खेद होता है, उसे मैं छुपा नहीं सकता, मुझे जो दुःख हो रहा है उसको प्रगट करने से मैं अपने आपको रोक नहीं सकता। आप देखिए जैसलमेर का कहां स्थान है? पेयजल के लिए जहां 9 करोड़ का बजट है उसके अन्दर अनुपात में सबसे कम प्रावधान जैसलमेर के लिए है। राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जैसलमेर है जहां पर सबसे ज्यादा पानी की मांग है, उसके लिए सबसे अधिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, वह राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, सबसे अधिक पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पर खारे पानी की समस्या है लेकिन ये सब होते हुए भी सबसे कम बजट प्रावधान उस क्षेत्र के लिए किया गया है। श्रीमान्, मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करूंगा, अपनी बात की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि हाउस के सभी सम्माननीय सदस्य इससे एग्री करेंगे कि भारत सरकार ने भी जो पहली दफा अपने सामरिक-प्रशिक्षण के उपयोग के लिए क्षेत्र ढूंढा, जो एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास क्षेत्र है, जिस प्रकार का एटेमिक विस्फोट, आणविक विस्फोट विश्व भर में अपनी धाक जमाने के लिए किया, वह भी किस की छाती पर फोड़ा गया? हमारे इलाके को इसके लिये चुना गया। हमारे यहां पर पानी की कमी है। पानी के बिना हम मारे मारे भटक रहे हैं। हम किसी कुक्कुटशाला की बात नहीं करते, हम कोई मत्स्य पालन की बात नहीं करते। हम किसी बाहर से उद्योग ले जाने की बात नहीं करते। हम और किसी प्रकार के उद्योग की बात नहीं करते। हम चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ोतरी की बात नहीं करते। हम नौका चालन (Navigation) और इरिगेशन की बात नहीं करते लेकिन हमारे यहां खारा पानी है, क्लोराइड युक्त और फ्लोराइड युक्त पानी है। हमारे यहां पर पीने का पानी नहीं है। जयपुर और राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में गटर और फ्लश की टट्टी में जिस प्रकार का पानी डाला जाता है उस तरह का पानी भी रेगिस्तानी क्षेत्रों में जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़ और फलौदी के इंसानों को, प्यासे इंसानों को पीने के लिए नहीं मिलता है। तो क्या ऐसी हालत में भी इन क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती? क्या ऐसी परिस्थिति में भी लोगों को पीने का पानी देने में भी उनको प्राथमिकता नहीं दी जायगी? मैं यह अर्ज नहीं करूंगा और इस प्रकार से नहीं कहूंगा जैसा कि इन बेंचों की तरफ से कहा जाता है कि यह जनता सरकार ने जान-बूझ कर किया है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि नौकरशाही वह शेर है, ब्यूरोक्रेसी वह शेर है, सर्कस का शेर है जिसके ऊपर चाबुक नहीं रखी गई तो वह काबू में नहीं रहेगा और राजस्थान का विकास, रेगिस्तान विकास, क्षेत्रीय असमानता मिटाने, राजस्थान के आर्थिक ढाचे को ठीक करने, राजस्थान का आर्थिक विकास करने के वायदे पूरे नहीं कर सकेंगे। अगर सर्कस के शेर की तरह से चाबुक रख कर इसको काबू में नहीं रखा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। यह मैं मानता हूं

(श्री किशनसिंह भाटी)

कि इसको कांग्रेस नहीं मिटा सकी। ब्युरोक्रेसी का अपना रोल रहा। इसको कांग्रेस नहीं मिटा सकी, ब्रिटिशर्स भी नहीं मिटा सके, और संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंग्लैंड भी नहीं मिटा सका। पोलिटिकल साइन्स का विद्यार्थी होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्यूरोक्रेसी का रोल लीडिंग रोल रहता है। उसको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी नहीं मिटा सकी है। अगर आपको काम करना है तो सर्कस के शेर पर जिस तरह से चाबुक से काबू रखते हैं, उसी प्रकार आपको इस पर काबू रखना पड़ेगा। यहां के एयर कण्डीशन्ड वातावरण में, सैक्रेटेरियट में जो सैक्रेटरी, कमिश्नर और जो कुछ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं उनको चाय की प्याली और सिगरेट के कश के नीचे जैसलमेर नजर नहीं आयेगा। भरतपुर और अलवर में जहां ज्यादा पानी है वहां वे पानी का बजट रख देंगे, जैसलमेर में कुक्कुट और मत्स्य पालन का प्रोविजन कर देंगे और इस तरह का बजट दे देंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बजट में जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको मिटाने के लिए मैं मास्टर साहब से और उनके साथ ही मेरे दल के लोगों के साथ साथ इस आगस्ट हाउस से आग्रह करूंगा कि इसको रिवाइज करिये और रिवाइज करते समय प्राथमिकता का दृष्टिकोण सामने रखिये। आप चाहे कुछ भी कोशिश करें, पेयजल की समस्या को हल करते समय जैसलमेर जिले को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसमें किसी को भी आपत्ति नही हो सकती। दूसरे जिलों में इसकी व्यवस्था हो, दूसरे जिलों को भी प्राथमिकता मिले, मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं क्षेत्रीय वाद की बात नहीं करता, मैंने अपनी मान्यता की बात आपके सामने रखी है। आज फिर इस बजट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ही नहीं सम्पूर्ण भारत वर्ष में जितनी भी आर्थिक विषमता है उस आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए हम शिड्यूल्ड कास्ट्स का भला करें, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, पिछड़े वर्ग का भला होना चाहिए लेकिन दूसरों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। सारे इकोनोमिकल स्ट्रक्चर को सर्वे करा कर जितने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इकानोमिकली पर केपिटा इन्कम जहां की कम है, वहां का सर्वे करा कर बैकवर्ड इलाकों का समुचित संतुलन कायम करने की कोशिश करेंगे, व्यावहारिक और प्रावधिक योजना बना कर राजस्थान का विकास करने की कोशिश करेंगे तभी जाकर क्षेत्रीय असंतुलन मिट सकता है। पिछले तीस वर्षों में क्षेत्रीय असंतुलन के को मिटाने के आधार पर बजट में कभी प्रावधान नहीं किया गया है। मैं एक नीति की बात कह रहा हूं कि इसी तरह से बजट का बंटवारा करके हम कभी भी क्षेत्रीय असंतुलन को मिटा नहीं सकते और कभी भी इस रेगिस्तानी क्षेत्र को उदयपुर और दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों के बराबर नहीं ला सकते।

मैं इस मामले में जुल्म और अन्याय की बात नहीं करते हुए एक दूसरी शिकायत क्षेत्रीय असंतुलन की ओर रखना चाहता हूं। जहां जहां पर बड़ी बड़ी सड़कें डामर की हैं जिन पर अच्छी अच्छी कारें चलती हैं, माननीय माथुर साहब, चीफ मिनिस्टर महोदय और दांता ठाकुर साहब कह सकते हैं कि सड़कें बड़ी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिये ताकि उनकी कारें अच्छी तरह से दौड़ सकें लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं

(श्री किशनसिंह भाटी)

कि 34–34 हजार वर्ग किलोमीटर के रेगिस्तानी इलाके में आजादी आने के बाद में केवल एक मात्र सड़क स्वर्गीय जयनारायण व्यास के टाइम में बनी थी, उसके बाद युद्धाभ्यास के लिये एवं सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने कुछ सडकें बनाईं। उसके अलावा जैसलमेर में कोई सड़क आज तक नहीं बनी। अय्यूब के वक्त प्लेनिंग इन डिसगाइस में जो बोर्डर पर अटेक हुआ और उसके बाद जो बोर्डर रोड्स बनीं उसके अलावा जैसलमेर जिले में 34 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं सड़क के बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो सड़कों को चौड़ा करने और स्मूथ करने में खर्च होगा, उसमें कटौती करके उसके दूसरे मदों में कटौती करके कम से कम उन सड़कों पर अधिक पैसा लगाइये जहां पर सड़कों की परम आवश्यकता है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़, जालौर, फलौदी इत्यादि क्षेत्र हैं। क्षेत्रों का विकास कर, कम से कम दो चार सड़कें इन इलाकों को देकर पिछड़ी हुई सभ्यता वाले क्षेत्रों को दूसरी सभ्यता वाले क्षेत्रों के बराबर लाइये। इसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं पेयजल की समस्या के बारे में, डेजर्ट के बारे में कह चुका हूं। अब मैं डेयरी के विकास के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। डेयरी विकास के लिए बहुत अच्छा प्रावधान बजट में किया गया है। परन्तु जहां तक इस प्रावधान के बंटवारे का सवाल है, समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है। जैसलमेर के दो हिस्से हैं। यह 34 हजार वर्ग किलोमीटर में है। पोकरण में डेयरी है, उसको जरूर बढ़ाया जा रहा है। दूसरा जैसलमेर सब डिविजन है। यह आठ–दस हजार वर्ग मील में है। लाखों लीटर दूध यहां से कलेक्ट किया जाता है। आने वाले बीस वर्ष के लिए इस इलाके की इकॉनामी लगातार पड़ने वाले फेमिन से सात, आठ वर्ष पहले शेटर हो गई। यह वस्तुस्थिति मैं आपको बता रहा हूं। उस फेमिन में बीस लाख मवेशी समाप्त हो गई थी ये मवेशी, जैसलमेर, पोकरण, शेरगढ़, फलौदी इलाके में बहुतायत में खतम हुई है। उनके मरने से इस इलाके की इकॉनामी आने वाले बीस साल के लिए शेटर हो गई। पशुपालन ही इस इलाके को इन्डस्ट्री है। पशुपालन ही हमारा मुख्य उद्योग है। पशुपालन ही हमारे इलाके के नदी नाले हैं। इरिगेशन है। यही हमारे लोगों के जीवन आधार है। डेनमार्क, इजरायल, स्वीडन की तरह पशुपालन ही हमारे जीवन का आधार है। संसार के अर्थ शास्त्री कहते हैं, इकॉनोमिस्ट यह मानते हैं कि कम मेहनत, कम पैसा लगाकर सबसे ज्यादा जीवन का सुख पशुपालन उद्योग से प्राप्त किया जा सकता है। वहां पर इतनी सारी मवेशी हैं। इनके चारे और पानी की समस्या सुलझायी जा सकती है। इस ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। परन्तु शहरनुमा आंकड़ों पर ही हम सन्तोष कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं बजट भाषण में कहा गया है कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जायगा, डेयरी का विकास किया जाएगा, छोटे से छोटे गांवों का विकास किया जाएगा। यह भी कहा गया, पांच हजार की

Page No 78

(78)

(श्री किशनसिंह भाटी)

आबादी वाले गांव में अस्पताल होगा, हाई-स्कूल होगा, सड़क होगी यह होगा वह होगा। परन्तु जैसलमेर जिले के लिए मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां पर दो ही बड़े कस्बे हैं जैसलमेर और पोकरण इन दोनों शहरों की आबादी अन्दाजन क्रमशः 18 हजार और 8 हजार की है। पांच हजार की आबादी का और कोई दूसरा शहर नहीं है।

525 गांवों में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसकी आबादी दो हजार, पांच हजार हो। जिस तरह से विकास की यह बात की जा रही है, जो काइटेरिया निर्धारित किया जा रहा है, पर केपिटा इनकम की बात हो रही है, उस सम्बन्ध में मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले बीस वर्षों में भी जैसलमेर में दो-पांच हजार की आबादी किसी गांव में नहीं होने वाली है। राजस्थान नहर आ जाए तो बात दूसरी है वरना आगामी बीस वर्षों में जैसलमेर जिले में किसी गांव में पांच हजार की आबादी नहीं होने वाली है। यह आबादी न कम ही होती है, न ही बढ़ती है तो वहां पर सड़कों का विकास नहीं होगा, स्कूल नहीं मिलेंगे। पांच हजार की आबादी पर ही स्कूल मिलेंगे, पांच हजार की आबादी होने पर ही गांव में उद्योग धन्धे स्थापित होंगे। तो मेरा निवेदन है यह व्यावहारिकता नहीं होगी। बोर्डर के जो जिले हैं उनके लिए आप यह मेजरिंग याडं स्टिक लेकर नहीं चलें। ऐसे इलाकों को, कम आबादी वाले इलाकों को, सीमावर्ती इलाकों को जो कि तीन-चार जिले जोधपुर डिविजन के हैं, उनके विकास के लिए आबादी के आधार पर मत आंकिए। उनका विकास पिछड़ेपन के आधार पर कीजिए। सड़कें, डेयरी उनके पिछड़ेपन के आधार पर विकसित की जाएं। जैसलमेर के आधे इलाके में डेयरियां लगनी चाहिए। सुनियोजित विकास करने पर वह कम से कम पांच लाख लीटर दूध राजस्थान को डेली सप्लाई कर सकता है। फर्टीलाइजर भी वहां सबसे ज्यादा अवेलेबल हैं। वेस्ट क्वालिटी का जिप्सम बीकानेर और जैसलमेर के बीच में पड़ा हुआ है। यहां से रॉ मेटेरियल करोड़ों, अरबों रुपयों का सिन्दरी के कारखाने को जा रहा है और वहां से वापस गंगानगर, कोटा में आता है। अच्छा होता उसको अगर बीकानेर, जैसलमेर जिले के बीच में कहीं भी पब्लिक सैक्टर में या अन्य सैक्टर में कोई उपक्रम स्थापित कर के फर्टीलाइजर उत्पादित किया जाता और राजस्थान करोड़ों अरबों रुपयों की पैदावार कर सकता। जो आज किराया लगकर डबल कीमत में वापस गंगानगर वगैरह जिलों में आता है, वह सस्ती दर पर हमें उपलब्ध होता। क्या ही अच्छा हो कि यदि यह कारखाना यहीं पर मनोहरगढ़ में या आसपास स्थापित किया जाए। इसी प्रकार जैसलमेर में यलो मार्बल है, जिसके विस्तार की संभावना है। डेयरी के विकास की संभावना है। दूसरे उपक्रम भी वहां पर स्थापित किए जा सकते हैं।

इसी प्रकार भूजल के बारे में, सभापति महोदय, आपको मालूम होगा वहां पर भूजल उपलब्ध है। इतना भूजल उस क्षेत्र मे है जो 300 वर्षों तक समाप्त न हो। अभी लाठी चांदन सिरीज का सर्वे किया गया है। यह स्कीम लगभग 50 गांवों को कवर करेगी। परन्तु वहां के बीस हजार वर्ग

(श्री किशनसिंह भाटी)

मील क्षेत्र में भू-जल उपलब्ध है उसका सर्वे नहीं हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि और जगह सर्वे न हो, परन्तु प्राथमिकता देकर 12 महीनों के अन्दर अन्दर इसका सर्वे पूरा करें। शेरगढ़, फलोदी, जैसलमेर इत्यादि क्षेत्रों में इतना भूजल उपलब्ध है जो आने वाले तीन-सौ वर्ष तक खतम नहीं हो सकता। वहां पर पानी का सोर्स है। ट्यूब वैल खोद कर उसका विकास किया जाए तो लाखों करोड़ों रुपयों की आय हो सकती है। मवेशियों की संख्या भी बढ़ सकती है। आपको भी पैसा मिल सकता है। वहां की जनता की भी आमदनी हो सकती है। इस प्रकार करोड़ों रुपयों की कमाई की जा रही है। जो फेमिन होता है, उसका भी स्थायी समाधान हो सकता है। यह जो फेमिन की विभीषिका परमानेन्ट है, यह सुलझायी जा सकती है। यह जो फेमिन है, यह प्रकृति निर्मित नहीं है, यह फेमिन मानव निर्मित भी है। सिन्ध को लीजिए। वहां के रेनफाल का एवरेज पांच इंच है। फिर भी वहां पर फेमिन का भय नहीं है। पंजाब-हरियाणा के मुकाबले इस क्षेत्र को आप ला सकते हैं। इन क्षेत्रों में ट्यूब वैल खोद कर, यहां के पशुपालन उद्योग को बढ़ावा देकर, बिजली की लाइन 430 के. वी. का सब ग्रिड स्टेशन लगा कर, ट्यूब वैल खोद कर डेन्मार्क, इजरायल, पंजाब, हरियाणा के मुकाबले आप प्रदेश के इस हिस्से को खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। केवल सर्वे करके साठ-साठ हजार रुपये के ट्यूब वैल खोदने की आवश्यकता है। मैं प्रायोरिटीज की बात करता हूं। मैं बिजली मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नर-स्पीच पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई बहस में भी मैंने इसका फख के साथ जिक्र किया था और मुझे यह आशा थी कि मेरी बात पर विचार किया जाएगा, लेकिन बजट को देखने के बाद मुझे लगता है, यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह एक अकेडेमिक डिस्कशन ही रह गया और उस पर जोर नहीं दिया गया, विचार नहीं किया गया। मैं समझा था कि इस पर जोर देकर हमें आश्वस्त किया जाएगा। आशा है मेरी सरकार इस पर विचार कर मुझे आश्वस्त करेगी।

मान्यवर, पशु चिकित्सालय का जहां तक सवाल है, तीन पशु चिकित्सालय रेगिस्तानी क्षेत्र को दिए गए हैं। मेरे खयाल से एक सांड यानी ऊंटनी की कीमत तीन हजार रुपये है। जैसलमेर, बीकानेर, जालौर क्षेत्र में पिछले 6 महीने में बीमारी के कारण कम से कम दस हजार सांड मर गये। करोड़ों, अरबों रुपयों की राष्ट्रीय क्षति हो गई। मैंने मांग की थी, मुख्य मंत्री महोदय ने, व पशु-चिकित्सा मंत्री ने भी इस पर ध्यान देने को कहा था, थार के क्षेत्र में, डेजर्ट एरिया में पशु चिकित्सालय दिए जाएं लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि यह भी मांग स्वीकार नहीं की गई और पशु चिकित्सालय बड़े बड़े शहरों में खोले जा रहे हैं जहां पर अलसेसियन डॉग्स, मुर्गियां, तीतर, बटेर का इलाज किया जाता है। जहां से करोड़ों रुपयों की कमाई हो सकती है, वहां पर आप पशु चिकित्सालय नहीं खोलेंगे। इस क्षेत्र में भी बंटवारा आप पूरा नहीं कर पाए। जहां पर बीमारी से करोड़ों रुपयों की राष्ट्रीय क्षति हो गई है, वहां पर पशु चिकित्सालय होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए इस बात को गंभीरता

(श्री किशनसिंह भाटी)

के साथ लिया जाना चाहिए और प्रायोरिटीज तय की जानी चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान कैनाल से जहां तक लिफ्ट इरिगेशन का सवाल है, लिफ्ट इरिगेशन का सिद्धान्त रूप से मैं विरोधी नहीं हूं परन्तु आज भी बीस हजार क्यूसेक पानी बेकार जा रहा है, जिसको पाकिस्तान प्रयोग करता है। पंजाब के आफिसर या अन्य जो इन्ट्रेस्टेड हैं, उनकी बातों में आकर कैनाल की प्रोग्रेस बहुत धीमी की गयी है। मेरा निवेदन है कि पहले मेन कैनाल को पूरा किया जाए और उसके बाद लिफ्ट इरिगेशन की ओर ध्यान दिया जाए । यह कहा जाता है कि धन की कमी है, जिसकी वजह से इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। परन्तु ईरान के शाह इसके लिए धन देने को तैयार हैं, वर्ल्ड बैंक देने को तैयार है। अब धन की कमी नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि मजदूर पूरे नहीं हैं। जो मजदूर लिफ्ट इरिगेशन पर काम कर रहे हैं उनको मेन कैनाल के काम पर लगाया जाए। इसके बाद भी मजदूरों की कमी हो तो माडर्न टेक्निक का सहारा लिया जाए। इजरायल का उदाहरण हमारे समाने है। मोडर्न टेक्निक के सहारे एक दिन में सौ मील नहर का निर्माण भी आप कर सकते हैं। फिर क्या वजह है, कि मोडर्न टेक्निक का सहारा क्यों नहीं लिया जा रहा है ? इसका सहारा लेकर इस कैनाल को शीघ्र ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने, उसके मुख्य मंत्री ने जो निर्णय लिया है, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं । यह एक अच्छा कदम है। मुख्य मंत्री महोदय ने एक व्यावहारिक निर्णय लिया है, जो तीस वर्ष के इतिहास में कभी नहीं लिया गया है। सरकार के इस निर्णय की मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं–मथुरादास जी भी हृदय से समर्थन कर रहे हैं। आशा है राजस्थान कैनाल की मेन कैनाल का कार्य पहले पूरा होगा।

शराब के बारे में भी कहना चाहता हूं। शराब एक सामाजिक, नैतिक और धार्मिक बुराई है। इसको खतम करने के लिए वित्त मंत्री ने जो कदम उठाए हैं, उनके लिए वे बधाई के पात्र हैं। परन्तु मैं साथ ही एक बात दृढ़ता से कहना चाहता हूं, राजधानी जहां पर हो, आफिसर जहां पर बैठते हों, जहां पर कई तरह के श्वेत वस्त्रधारी रात को बैठ कर शराब पीते हैं, उस क्षेत्र में भी पहले शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं, वे तो स्वागत योग्य हैं ही परन्तु राजधानी में भी इस पर पाबन्दी हो ताकि इसके कारण हम विजिलेन्ट रहें। यहां सारी केबिनेट और आफिसर हैं लॉ का पालन करने वाले हैं इसलिए राजधानी में खर्चा बचे तो और भी स्वागत योग्य है। आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए टैक्स लगाया है। उदाहरण के लिए मैं रूस और चीन का उदाहरण दूंगा। रूस की नारियां आज सर्वाधिक शराबी हैं। चीन की क्या ताकत थी। चीन मेढ़क खाता था। लेकिन आज माओ का चीन, हुआ का चीन अफीमची नहीं है। क्या हम भी यह उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते थे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आधा मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री किशन सिंह भाटी : हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे कि आने वाले समय में···

(व्यवधान)

श्री सभापति : उन्हीं को बोलने दें।

श्री किशनसिंह भाटी : इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मैं एक और सुझाव दूंगा, हमारे मन्त्रालय ने जो किया है, वह तो अच्छा है लेकिन एस्टेब्लिशमेण्ट पर जितना खर्चा है, वह कम किया जाये। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं। मजदूरों के स्वास्थ्य वाले हैड में जो पैसा दिया जाता है, उसमें से 60% तो एस्टेब्लिशमेण्ट पर खर्चा होता है और 40% मजदूरों को मिलता है। जब तक इसको रिवाइज नहीं किया जाएगा यह ठीक नहीं होगा।

पेंशन को रिवर्स कर दिया जाये। जिन छोटों को 5/– रुपया दिया है उनका 15/– कर दें और जिनको 15 रुपया दिया है, उनका 5 रुपया कर दें।

आपने जो समय दिया उसके लिये मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं। भू. पू. सैनिकों के लिए भी बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए था। झुन्झुनूं, शेरगढ़ जिले के जहां सैनिक परिवार हैं उनके लिए भी बजट में प्रावधान आवश्यक है। मैं बजट की सराहना करता हूं।

श्री सभापति : श्री मथुरादास माथुर !

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सभापति महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य का समर्थन करता हुआ मैं अपनी बात कहूं कि यह बजट जो राज्य सरकार ने पेश किया है, इस बजट को बजट कहा जाये या सिर्फ 1978–79 का स्टेटमेन्ट आफ अकाउन्ट कहा जाये। बजट में, यह उम्मीद लेकर चलते हैं, राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला जायगा। मैं वित्त मन्त्री जी से पूछूं, क्या यह ग्रोथ ओरिएण्टेड है ? क्या यह एम्पलायमेंट ओरिएण्टेड है ? क्या आपने जो बजट यहां पेश किया है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट और सेविंग को अट्रेक्ट करेगा ? क्या राजस्थान के विकास व्यय तथा विकास भिन्न व्यय के लिये 725 करोड़ रुपये बजट की अर्थ व्यवस्था में सरकार की तरफ से डाले जायेंगे ? क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ? क्या एम्प्लायमेन्ट पोटेंसियल बढ़ेगा ? क्या यह सुधारवादी बजट है ? बजट की खास मंशा होनी चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिये जो आगे आने वाले जमाने में विकास को कुछ कदम आगे पहुंचाये। सैल्फ सफिसिएन्सी में क्या हम राजस्थान की इकानामी को ऐसा ही रखना चाहते हैं ? क्या राजस्थान को रॉ-मैटेरियल का सप्लायर ही रखना चाहते हैं ? क्या हमारे यहां से हड्डियां बाहर जाएंगी ? क्या इसका उपयोग यहां नहीं हो सकता है ? जो रॉ-मैटेरियल है उस पर बेस्ड इण्डस्ट्री नहीं बनायेंगे एग्रेरियन इकानामी में ग्रोथ नहीं करेंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि यह बजट दिशाहीन है, कन्फ्यूज्ड है और डायरेक्शनलैस है और कोई कोहेरेंस इस बजट में नहीं है। कोई आशा नहीं है कि यह बजट अल्टीमेटली एक दिशा में राजस्थान को ले जाये। क्या यह गान्धीवादी बजट है ? खादी के कुछ तकुये बढ़ा दिये हैं तो उससे क्या गांधीवादी हो जाएगा ?

(श्री मथुरादास माथुर)

राजस्थान की आर्थिक दशा खराब है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो 57% इन्कम होती है, उससे क्या आर्थिक स्थिति सुधार सकते है ? भारत सरकार के लोन से और पब्लिक लोन से क्या आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं ? आपकी एण्टरप्राइजेस में, इण्डस्ट्री में क्या स्थिति है ? आपकी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ क्या है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो हमारे विभिन्न इलाकों की मांगें हैं, वह क्या बजट बनाते समय ध्यान में रखी गई हैं ? मैं बजट के बारे में कहना चाहूंगा यह एक ब्यूरोक्रेटिक बजट है। यह एक सेक्रेटरी के हाथों ड्राफ्ट किया हुआ बजट है। केवल चार पांच बातों को डालकर बनाया गया बजट है। मैं इसको बजट नहीं मानता हूं। हमने परम्परा चालू की थी, जब बजट पेश करते थे तो हमारी जो फिजिकल परफार्मेंस होती थी वह भी रखते थे। जो टार्गेट आपने निश्चित किये थे, वह कितने हासिल कर लिये हैं ? हमने यह सारा पढ़ डाला पर कहीं पर भी वह फिजिकल परफार्मेंस नहीं हैं। जैसे कि आपने कितनी सड़क बनाई है और कितनी बनानी थी ? इसमें फिजिकल परफार्मेंस नहीं है। श्रीमान, पैसा रखने से ही कुछ नहीं होता है। जिन लोगों के लाभ के लिए पैसा रखा, उन लोगों को लाभ मिला है या नहीं ? चाहे वह फर्टिलाइजर के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो। अगर आप फिजिकल परफार्मेंस रखते हैं तो यह मालूम होता है कि जो टार्गेट रखे वह कितने अचीव किये। यह परम्परा चालू की थी। पर बन्द कर दी गई है। बजट का खर्चा आफिसर्स बढ़ाने पर होता है तो जो रुपया होता है, जो बजट बनाया जाता है अल्टीमेटली वह एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार जो बजट पेश करे उनमें इसका ध्यान रखे। मैं बजट में दो तीन बातें देखता हूं। गत बजट में भी एम्प्लायमेंट देने की बात कही है अब भी कही है। आपने लाखों में संख्या दी है। जो सम्बन्धित विभाग है, उनमें पढ़े-लिखे अपना नाम इसलिए दर्ज कराते हैं कि आप उनको एम्प्लायमेंट या सेमी एम्प्लायमेंट देंगे। मगर जनता सरकार कोई कार्य ही नही करती है। आप आंकड़े देख लें। जनता सरकार ने घोषणा की थी कि 10 वर्ष में हम अन-एम्प्लायमेंट खतम कर देंगे। एक साल गुजर गया है। दूसरा साल चालू है। लास्ट ईयर 1977-78 से दिसम्बर-जनवरी के आंकड़े अवेलेबल हैं। 9,429 आदमियों को एम्प्लायमेंट दिया गया। 821 आदमियों को प्राइवेट सैक्टर में और इण्डस्ट्रीज में एम्प्लायमेंट दिया है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट में 1551 आदमियों को एम्प्लायमेंट दिया है। गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन्स में 5471 आदमियों को एम्प्लायमेंट दिया है। नतीजा यह हुआ कि कुल मिला कर आठ-नौ हजार हुए।

श्री श्रवणलाल: 75-76 में आपने दिया है।

श्री मथुरादास माथुर: 77-78 के आंकडे हैं, उस बजट के एम्प्लायमेन्ट के ये फिगर्स हैं। अब गौर कीजियेगा कि बैकलाग कितना है। 76-77 में इनकी संख्या 2 लाख 72 हजार 17 थी और अब यह फिगर्स 2 लाख 83 हजार 630 है, इसलिए मैं कहता हूं कि बैकलाग घट नहीं रहा है, बैकलाग बढ़ता जा रहा है। आपने 10 साल में अन-एम्प्लायमेन्ट खतम करने की बात कही है तो एक साल में वन-टेन्थ अन-एम्प्लायमेंट तो खतम करते ? इससे साफ है कि अन-एम्प्लायमेंट बढ़ता जा रहा है।

(श्री मथुरा दासमाथुर)

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अन-एम्प्लायमेन्ट की प्राब्लम को दूर करने के लिये जो बजट पहले पेश किया गया था वह फेल हुआ है। अब जो आंकड़े आपने इस बजट में दिये हैं वह सिर्फ इमेजनरी फिगर्स हैं। बजट में कोई भी एम्प्लायमेंट पोटेन्शियलिटी नहीं है. इसका एम्प्लायमेंट करेक्टर नहीं है। पांच, सात, दस हजार आदमी तो नार्मल कोर्स में ही एम्प्लाय हो जाते हैं, स्कूल खुलते हैं तो टीचर भी लगाये जाते हैं। मैं तो टोटल एम्प्लायमेन्ट की बात कर रहा हूं। जो आंकड़े आपने दिये हैं उसके हिसाब से अन-एम्प्लायमेंट प्राब्लम सोल्व करने में आप नाकामयाब रहे हैं और इस वर्ष भी आप नाकामयाब रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि एम्प्लायमेन्ट पोटेन्शियल और एम्प्लायमेंट ओरियन्टेड बजट नहीं है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस बजट के अन्दर, हम यह उम्मीद लेकर चलते थे कोई पालिसी होगी। अब जनता पार्टी की इकानामिक पालिसी का प्रस्ताव बन चुका है। मैं उम्मीद लेकर के चलता था कि उस हिसाब से ओरियन्टेशन होगा। आपका पूरा प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव जो है उसमें ग्रोथ एन्ड सोशल जस्टिस, दोनों बातें कही गई हैं। मेरा इसमें मतभेद है आपसे। मैं ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस चाहता हूं। सोशल जस्टिस के साथ में इकानामिक ग्रोथ हो वरना ग्रोथ तो पहले भी होती रही है। वैसे जापान में, अमेरिका में और जर्मनी में भी ग्रोथ हो रही है, वहां पर अमीर अमीर होते जा रहे हैं। मगर जो बीच के तबके का आदमी है वह भी ग्रोथ चाहता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए। मगर इस बजट में सोशल जस्टिस की कोई बात नहीं कही गई, लेबर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इतना बड़ा बजट रखा गया फिर भी उनके राइट्स और वेलफेयर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। सरकार लेबर वेलफेयर के लिए क्या करना चाहती है? लेबर लॉ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, तो फिर यह बजट क्या हुआ? मजदूरों के बारे में जिक्र नहीं है। कोरी वेलफेयर की बात करते है और फिर कहते हैं है कि यह समाजवादी बजट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट न तो समाजवादी है और न पूंजीवादी। पूंजीवादी बजट होता है उसमें भी कुछ परम्परायें होती हैं। यह तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट्स है। केवल यह कह दिया कि इतना खर्च हो गया और इतना खर्चा करेंगे। मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी अभी मौजूद नहीं हैं, मगर एक इम्पार्टेन्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। उनके सोशलिस्टिक थोट्स हैं। लेबर मिनिस्टर मौजूद हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी में यह कौनसा समाजवाद है? क्या किया है मजदूरों को पनपाने के लिए? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दुबारा आप इसका चिन्तन करें।

श्रीमन्, अब बहुत बड़ी डिबेट इस सदन में बजट पर चलती है, आखिर बजट बनाते समय आप करैन्ट प्राइस पर चलते हैं, लेकिन आज रुपये की वेल्यू क्या है? वित्त मंत्रीजी जोर से बोलते हैं कि पांच साल पहले प्लान इतना था और हमारे प्लान में अब चालिस करोड़ बढ़ गया, 60 करोड़ बढ़

(श्री मथुरा दास माथुर)

गया। मोटा आदमी ताकतवर नहीं होता है। बजट के अन्दर पोटेंशियल क्रिएट करने की जरूरत है जिससे कि सेल्फ जनरेटिंग इकानामी बन जाय। कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूं। 1961-62 के आंकड़े आप देखिये, यह कह कर भुलावा नहीं दिलाया जा सकता है कि आंकड़े रख दिये। केवल आंकड़ों से ही पेट नहीं भर जाता है। रुपये की वेल्यू आज घट गई है और महंगाई बढ़ रही है।

श्रीमन्, प्राइसेज के लिये निवेदन करूंगा कि आप ईमानदारी से सोच रहे हैं कि प्राइसेज को कम किया जाय। आपके जो फिगर्स हैं चाहे आप होलसेल इण्डेक्स नम्बर ले लीजिये और चाहे कन्ज्यूमर्स प्राइस इण्डेक्स नम्बर ले लीजिये, दोनों आंकड़े, जो किताब आपने दी है, उसी में से आपके सामने पेश कर रहा हूं। 1976–77 में इण्डेक्स का फिगर फूड आर्टिकल्स का 369.9 था और आज 415.1 है। इण्डस्ट्रियल रॉ मेटेरियल का 286 था और आज 395 है। फ्यूल एण्ड पावर का 600 47 था वह 691.4 है, मेन्यूफेक्चरिंग गुड्स का 422 था जो आज 493 है। जनरल इण्डेक्स 380.2 था और अब 436.9 है। यह मैं होलसेल की बात कर रहा हूं। कन्ज्यूमर प्राइसेस पर आप आ जायें और अजमेर, ब्यावर और जयपुर को ले लें, इन तीनों जगहों के आंकड़े इकट्ठे होते हैं। जनरल इण्डेक्स 250 से 331 हो गया, ब्यावर में 328 से 378 हो गया, जयपुर 312 से 360 हो गया और जनरल में 308 से 342 हो गया। इसलिए मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ये दो फिगर्स आज के हैं प्राइस के इनके अनुसार प्राइसेज गिरी नहीं है। प्राइसेज गिरेंगी इसको मैं मानता हूं, लेकिन कभी किसी चीज में दस रुपये नीचे हो जाते हैं तो रिटेल प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आज की डेफिसिट इकानामी में जो बजट पालिसी निर्धारित की गई है, उससे आप प्राइसेज को कन्ट्रोल करने में नाकामयाब रहे हैं।

मैं, श्रीमन्, एक बात और निवेदन कर दूं कि प्राइसेज घट नहीं सकती जब तक आपका इन्फ्लेटरी ट्रेन्ड होगा। रोज इन्फलेशन बढ़ता जा रहा है। श्रीमन् आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस वक्त जितने भी बजट पेश हुए हैं। सब डेफिसिट बजट पेश हुए हैं। हरियाणा में 28 करोड़ 64 लाख का डेफिसिट है, तामिलनाडु में 34 करोड़ 5 लाख का, उड़ीसा में 46 करोड़ 78 लाख का, वेस्ट बंगाल में 55 करोड़ 86 लाख का और राजस्थान में 34 करोड़ 22 लाख का डेफिसिट दिखाया गया है। पंजाब में जो बजट पेश हुआ है उसमें 55 करोड़ 69 लाख का डेफिसिट है। भारत सरकार ने 1000 करोड़ 50 लाख का डेफिसिट बताया है और 925 करोड़ रिजर्व बैंक के ओवर ड्राफ्ट के हैं। इस प्रकार से टोटल करीब दो हजार करोड़ हो जाता है। इसमें स्टेट्स के डेफिसिट को जोड़ दीजिये तो 2249 65 करोड़ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डेफिसिट इकानामी है। एक तरफ मोरारजी भाई कहते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग मत करो और दूसरी तरफ आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं।

चाहे पटेल साहब कुछ भी प्रेस स्टेटमेंट देकर जस्टीफाई करें, ओवरआल बजट के अन्दर नान प्लान में ज्यादा डेफिसिट हैं आप

(श्री मथुरा दास माथुर)

रेवेन्यू अकाउन्ट देख लें, कैपिटल अकाउण्ट देख लें चाहे भारत सरकार का, चाहे राज्य सरकार का। यह डेफिसिट प्राडक्टिव पर्पजेज के लिए नहीं हो रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और प्राइसेज ऊपर जायेंगी। राजस्थान सरकार ने हालांकि कोई और टैक्स नहीं लगाया है, दारू पर ही लगाया है उसमे मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन भारत सरकार ने पेट्रोल पर लगा दिया, कोयले पर लगाया। जो भी ईंधन है जिससे मिलें चलती हैं, उन सब पर कर लगाया, 12 पैसा पेट्रोल पर बढ़ गया, कोयला महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई। नतीजा यह होगा कि फिनिश्ड गुड्स की कीमत बढ़ेगी, तो महंगाई अपने आप आएगी। इसी तरह इन्डस्ट्रियल गुड्स में महंगाई आएगी।

अन्त्योदय योजना के अन्दर आप क्या दे रहे हैं? किसी को आपने 200) रुपये या 500) रु. की गाय दे दी। तो क्या आप समझते हैं कि गाय देने से 200) रु. माहवार कमा सकता है? 5–6 महीने के बाद वह दूध देना बन्द कर देगी तो कौन उसकी सहायता करेगा? वह मर जायेगा। भेड़ बकरी काट कर खा जायेंगे। तो रिफार्मेटिव ट्रेन्ड्स आप क्या सोच रहे हैं? हम अन्त्योदय योजना के हक में हैं, आप इकानामिक एक्सपर्ट्स को लीजिये और पंचायत समिति क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराइये। वहां देखिये कि क्या प्राडक्टिव एक्टिविटीज हैं जिनसे गरीब आदमी को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। बांगड़ और बिड़ला हरिद्वार और जगह जगह दान देते हैं उससे गरीबी नहीं मिटेगी। एक गाय देने से क्या गरीब की इकानामी बन सकती है? दूसरे ऋण के लिए बैंक गारण्टी आएगी नहीं। नतीजा क्या होगा? हम दिल से चाहते हैं कि यह योजना सफल हो। इसमें पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, मगर कोई योजना तो बनायें it should be a small enterprise for the common man ऐसी योजनायें बनायें कि गरीब 200) रुपया प्रति माह हमेशा के लिए कमाये वरना इधर-उधर करके सदन को आंकड़े बता दिये it will not solve the problems। इसलिए मेहरबानी करके इस पर चिन्तन करें। आपके यहां तो सोशलिस्ट्स बैठे हुए हैं, आप इस पर विचार करें कि यह कोई तरीका है समस्या हल करने का?

एक बात और। यहां शुगर प्राइसेज की बात हुई। हमारे धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका जिक्र किया। आपने किसान को कितना गन्ने का पैसा दिया? मैं उसका एक्सप्लाइटेशन नहीं चाहता। आपके पास विदेशी मुद्रा का बहुत रिजर्व है, उसको आप खर्च नहीं कर सके। हमारा रुपया विदेशी मुद्रा में पड़ा हुआ है वह आइडल है। ऐसी हालत में हर महीने में 200) करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो शुगर बाहर जाती है और सस्ती बेचनी पड़ती है इन्टरनेशनल मार्केट में कम्पटीशन में, फैक्ट्री वाले सस्ती बेचते हैं। अब जब विदेशी मुद्रा ठीक है तो शुगर बाहर भेजना बंद करें और जितनी शुगर हिन्दुस्तान में पैदा होती है, वह मार्केट में आने दें ताकि भाव कम हो जायें...

Page No 86

श्री मदन सिंह दांता : चाय के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया तो क्या उससे भाव कम हुए ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि इन वर्षों में देश में उत्पादन गिर रहा है, राजस्थान की तो बात ही क्या ? राजस्थान में लास्ट वन ईग्रर में कोई भी उद्योग लाइसेंस्ड फुल केपेसिटी पर चल रहा है ? आपके स्टेट एन्टरप्राइजेज, सोडियम सल्फेट . . .

श्री दाऊ दयाल जोशी : बीकानेर वूलन मिल फुल कपेसिटी पर चल रही है। बीकानेर वूलन मिल तेजी से चल रही है। 28 साल घाटे में चल रही थी लेकिन जनता पार्टी के कार्यकाल में 18 लाख रुपये प्रति वर्ष हमको दे रही है . . .

(व्यवधान)

यह पहला अवसर है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री मथुरादास माथुर : बीकानेर मिल सरकार नहीं चलाती । सरकार ने किराये पर दे दी, किरायेदार फायदा उठाता है, यह उसकी बैलेंस शीट देखें तब पता चले ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह आपकी देन है ।

श्री मथुरा दास माथुर : हमारी देन तो बहुत सी है । जनता पार्टी सत्ता में है यह भी हमारी देन है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपके पापों की देन है ।

श्री मथुरा दास माथुर : जब आप बोलते हैं तो मैं एक मिनट भी डिस्टर्ब नहीं करता ।

बीकानेर वूलन मिल तो आपने प्राइवेट इन्टरप्रिन्योर को दे दी। दूसरे, आपकी टेनरीज घाटे में चल रही है, ग्लास फैक्ट्री घाटे में चल रही है, गंगानगर शुगर मिल बेसिकली घाटे में चल रही हैं। शराब का धधा करते हैं इसलिए कमाती है वरना वह भी घाटे में है। एक भी तो बता दें कि पब्लिक सैक्टर की एक भी इकाई मुनाफे में चलती है ? टोटल इन्डस्ट्रियल ग्रोस प्रॉडक्शन है वह देख लीजिए, कोई भी यूनिट लाइसेंस्ड केपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर रही है। राजस्थान का स्टेटिस्टिक्स विभाग है, वह यह आंकड़े इकट्ठा नहीं करता है कि जो आपका ग्रास नेशनल प्राडक्ट है उसमें कितना रुपया वापस इकानामी में आता है। वे आंकड़े होते तो मैं बता देता कि क्या सेविंग्स हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है।

श्री रावत राम : पब्लिक सैक्टर में इंडस्ट्रीज घाटे में चल रही है इसी साल से या पहले से ?

श्री सभापति : जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना ही अधिक समय माननीय सदस्य को देना पड़ेगा। इसलिए कृपया शांत रहें।

श्री श्रवणलाल : गत 30 सालों में क्या हुआ ?

श्री सभापति : No intervention please. Order please.

श्री मथुरा दास माथुर : हम बजट पर बहस कर रहे हैं. यह पालिटिकल बहस नहीं है। 30 साल में हमने कुछ नहीं किया, रहने दो।

लॉक आउट्स व स्ट्राइक्स बढ़ रही है, उत्पादन गिरा है, यह भावों पर इफेक्ट करेगा।

इसके अलावा इस समय देश में ब्लेक मनी का सर्क्यूलेशन चल रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक हजार के नोट बन्द करने के अलावा कोई एक्शन नहीं हुआ। जनता पार्टी के नेता श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, जो भारत में वित्त राज्य मंत्री हैं, ने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये का ब्लेक मनी सर्क्यूलेशन में है इकानामी में। उनका स्टेटमेंट अखबार में है उन्होंने आर्टीकल लिखा है।

एक माननीय सदस्य : वह पहले का है।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, लेटेस्ट है। जब 20 हजार करोड़ रुपया इकानामी में जाता है तो रुपया सस्ता हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कुल बीस हजार करोड़ रुपये में से 8 हजार करोड़ तो आपने पावर में आने के बाद इकानामी में डाल दिए। उसके बाद प्रोडक्शन का गिरना तो निश्चित ही है। आपने अपनी बजट स्पीच में यह कहा कि प्राइस लेवल नीचे आ रहा है। यह क्या है? क्या एक्शन आपने ठीक लिया है? एक दिन दो रुपये गेहूं के भाव में नीचे आ गये तो दूसरे ही दिन पांच रुपये किसी और चीज में बढ़ गये। यह क्या प्राइस लेवल के राइज को आपने चेक किया? मैं आपको इसके लिये निश्चित तौर से कह देता हूं कि जब तक सस्टेण्ड प्राइस को बढ़ने से नहीं रोकेंगे तब तक प्राइस लेवल ऊपर जाने से आप नहीं रोक सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि सस्टेन्ड प्राइस लेवल को ऊपर जाने से रोका जाना चाहिए। आज आपके राजस्थान में सरकार है और भारत सरकार जो दिल्ली में है वह कोई अलग-अलग पार्टी की हो वह बात नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर और दूसरी जगह, केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है। आपकी पार्टी ने इन्फलेशनरी टेन्डेन्सीज को रोकने के लिये क्या किया? आपने इसको रोकने के लिये कोई भी एक्शन नहीं लिया।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज जो प्राइसेज बढ़ रही हैं जैसे फर्टीलाइजर को ही आप ले लें। उसके भाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सरकार उसके लिये सब्सिडी देती है। भाव ऊंचे उठते जा रहे हैं उन्हें आप कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप आखिर कब तक इन लोगों को सब्सिडी देते रहेंगे? फिर इस तरह जब भाव बढ़ते रहेंगे तो मजदूर आपसे पैसा मांगेंगे। आखिर यों सब्सिडी देते देते आपके ऊपर यह लेबर का भूत ही सवार हो जायेगा।

इसके अलावा आपने अपनी बजट स्पीच में यह कहा कि हमने इतनी छूट दी है तो इसमें तो आप कोई छूट दी नहीं है। यह दूसरी बात है कि आप एक दो छूट उधर दे दो और दूसरी तरफ आप वापस ले लो। तो छोटी मोटी एक दो छूट करने की घोषणायें करके आंसू लोगों के भले ही पोंछ दो पर इससे नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। इकोनोमी के लिये चाहे आपको कोई खोटा

(श्री मथुरादास माथुर)

कदम भी उठाना पड़े, यदि हमारी इकानामी स्ट्रांग उससे होती है तो आपको वह कदम उठाना चाहिये। नहीं तो आपकी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुनिये !

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले भी मैंने इस बारे में बजट के सत्र में कहा था लेकिन आपने उसे सुनी-अनसुनी कर दिया। मैंने कहा था कि आपकी हालत, इकोनोमिक कण्डीशन बहुत ही खराब है। आपके बजट एक्सप्लेनेट्री में दिया हुआ है कि आपको 67 करोड़ रुपये तो सिर्फ इन्ट्रेस्ट के पे करने पड़ते हैं हर साल। जब आपको 67 करोड़ रुपये इन्ट्रेस्ट के पे करने पड़ते हैं तो आपका काम कैसे चलेगा। इससे तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो महंगाई बढ़ेगी। इसलिये आपको और केन्द्रीय सरकार को इन इन्फ्लेशनरी टेन्डेन्सीज को कर्ब करना होगा। अब आपके स्टेट की इकोनोमी तो यह है कि आपको 67 करोड़ इन्ट्रेस्ट के पे करने पड़ते हैं। फाइनेन्स कमीशन आपका कभी आयेगा तो वह भी पांच साल बाद आयेगा, पता नहीं वह आपको कुछ देगा या नहीं देगा यह अलग बात है।

(व्यवधान)

मुझे सुनिये आप। जब आप लोग बोलते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं। आप मुझे मेरी बात को कहने दीजिये।

तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इन्ट्रेस्ट के 67 करोड़ रुपये 1978-79 में पे करने हैं।

श्री **दाऊ दयाल जोशी** : यह तो आपका ही पाप है जो हमें उठाना पड़ रहा है। इसी कारण तो राजस्थान पिछड़ा का पिछड़ा ही रहा है। यह आपकी ही बदौलत हुआ है। कौन है इसका जिम्मेदार ? आप ही हैं। आपके कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच बीच में न बोलें। कृपया सुनें।

श्री **मथुरादास माथुर** : इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेट एसाइड 67 करोड़ आपने अपनी राजस्थान सरकार की 472.10 लाख की गारन्टी दे रखी है। मेरे पास में अभी वह लिस्ट नहीं है हालांकि मैंने उसमें टिक कर रखा है कि कौन कौन सी गारन्टी के पैसे आपके डूबत खाते में जायेंगे। यह गारन्टी, सभापति महोदय, 472 करोड़ 10 लाख की है। यह हमारे कन्सोलिडेटेड फन्ड पर लायबिलिटी है। इसके अलावा आपने जब बजट में घोषणा की तब आपने पब्लिक डेट 873 करोड़ का बताया। रिवाइज बजट में जो पोजीशन 31-3-77 तक थी इसमें अगर हम यह 472 करोड़ 10 लाख एड करते हैं, जो कि गारन्टी के हैं, तो वह डूबेंगे हो। ऐसी मेरी मान्यता है कि कुल रुपया राजस्थान सरकार के ऊपर ऋण का 1345 करोड़ रुपये है।

श्री **माणक चन्द सुराणा** : आपके हिसाब से कौन कौन सी गारन्टी के पैसे डूबेंगे ? यह आप बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : अभी तो मेरे पास लिस्ट नहीं है लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी तो यह टिक लगा दिये कि यह तो डूबेंगे ही। मैं यह नहीं कहता कि सभी डूब जायं पर कम से कम दस पर्सेन्ट बच जाय तो मैं कहता नहीं बाकी तो डूबने ही हैं। वैसे मैंने अभी वर्क आउट नहीं किया है।

श्री श्रवणलाल : यह पैसे किस समय के बता रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : इस साल 78–79 के बता रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया सुनने की क्षमता रखें।

श्री मथुरादास माथुर : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1345 करोड़ की तो आपके ऊपर बजट एक्सप्लेनेटरी के हिसाब से लाइबिलिटी है और आपके जो असेट्स हैं वह है 713 करोड़ रुपये के। यह कैपिटल आउट ले आपका टोटल जो है वह है सिर्फ 713 करोड़ रुपये का। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस उधार को आप कैसे चुकायेंगे ? अब आपको इस उधार को चुकाने के लिए कहीं न कहीं से और उधार लाना ही पड़ेगा, इसके लिए अगेन आपको लोन फ्लोट करना पड़ेगा। चाहे पब्लिक से करो चाहे आप किसी उपाय से करो। इसके अलावा अभी आपने राजस्थान नहर के लिए भी लोन की बात की है शाह आफ ईरान से। चाहे उसके लिए दो सौ करोड़ रुपये का लोन लो, चाहे आप उसके लिए तीन सौ करोड़ के लोन का एग्रीमेन्ट करो पर वह भी तो हमें ही चुकाना पड़ेगा। उसके चुकाने की लायबिलिटी भी तो राजस्थान सरकार की होगी अल्टीमेटली। इसके लिए मैं हाउस को एक . . .

(व्यवधान)

बात निवेदन करना चाहता हूं कि कोन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 293 के तहत हमारी राज्य सरकार को यह पावर्स दिये हुए हैं। हमारे माननीय सदस्यों को एक लेटिट्यूड दिया हुआ है कि 2015 करोड़ तक तो आप राज्य सरकार को पूछ नहीं सकते लेकिन उसके बाद में तो आपको एक बिल अन्डर आर्टिकल 293 इस हाउस में लाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको नये धन के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी। आपको क्यों जरूरत है, 2015 करोड़ रुपये के बाद में हाउस में बिल लाना ही पड़ेगा, उसकी चर्चा इस हाउस में होगी। आज शाह आफ ईरान से एग्रीमेंट भारत सरकार कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट को उस पैसे को चुकाना पड़ेगा पर वह सब काम बाला बाला भारत सरकार कर रही है। हमारी स्टेट उसमें पार्टी है पर फिर भी हमारी केबीनेट और हमारे मिनिस्टर्स में से किसी को भी नहीं पूछा जा रहा है। उसके बारे में अगर आप बिल नहीं लायेंगे तो फिर हम उसके लिए एक बिल अन्डर आर्टिकल 293 लायेंगे और सारी चीजें सदन में डिस्कस करेंगे चाहे आप मेजोरिटी के आधार पर हमारे लाये हुए बिल को रिजेक्ट कर दें। वह बात अलग है। लेकिन आर्टिकल 293 के नीचे जो हमारे सदन के सदस्यों को पावर दिये हैं वह हम काम में लेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

Page No 90

(90)

श्री मथुरादास माथुर : अब थोड़ा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, प्रोहिबिशन पर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सिर्फ एक ही बात कहना उचित समझूंगा कि प्रोहिबिशन करना एक बहुत अच्छा कदम है। आपने जो रेट्स बढ़ायी हैं उसका असर हमारे बोर्डर स्टेट्स के ऊपर जरूर पड़ेगा। हरियाणा का तो बजट आया नहीं है पर पंजाब का बजट आज आ गया है। हमारे यहां शराब पर कम टैक्स हैं तो वहां शराब सस्ती है। जब आपके यहां पर शराब पर अधिक टैक्स है तो वहां से स्मगलिंग होना आवश्यक है क्योंकि सस्ती आएगी तो इससे करप्शन बढ़ेगा। हमने 25 प्रतिशत टैक्स लगाया तो आपने उसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया। उस पर सैल्स टैक्स जो है वह आपने 30 प्रतिशत किया है। अब जब एडजोइनिंग स्टेट्स में सस्ती शराब मिलती है तो हमारे शराब की कम खपत होगी। ज्यादा महंगी होने से इल्लिसिट शराब बनायी जायेगी। आपके पास प्रिवेन्टिव फोर्स वही है जो कि 25 साल पहले थी, बाबा आदम के जमाने की है। पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश से शराब स्मगल होगी और हमारे यहां पर भट्टियों से शराब निकाली जायेगी। तो इससे करप्शन बढ़ेगा ही। इसके साथ-साथ मैं आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप सही मायने में इस शराबबन्दी को लागू करना ही चाहते हैं तो तीनों स्टेट्स राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यह पूरा नदर्न जोन जो है इन सभी स्टेट्स के मुख्य मंत्री से बात कर लें फिर इसको लागू करें तो यह सक्सेसफुल हो सकती है। जब तक सभी स्टेट्स, जो नदर्न जोन के हैं, बैठकर इसको तय करके स्ट्रांग एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपकी शराबबन्दी की नीति फेल होगी। यह प्रोहिबिशन सिर्फ बातों में ही रहेगा।

आपने कह दिया कि शराब की कमाई हराम की है और हराम की कमाई से विकास करना उचित नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे।

सभापति महोदय, इस बजट में भी तीन करोड़ रुपये की स्प्रिट खरीदने का प्रावधान है। इसको खरीदकर, मास्टर साहब आप शराब बना कर बेचेंगे तो आप क्यों शराबबन्दी की बात करके हमें भुलावे में डाल रहे हैं। तीन करोड़ की स्प्रिट से शराब बनाकर आप शराबबन्दी की बातें करते हैं। यह बात दूसरी है कि आपने एक दो जिलों में शराबबन्दी कर दी। जोधपुर में शराबबन्दी कर दी, वह जयपुर में आकर शराब पी लेंगे। बीकानेर में नहीं पीकर दूसरी जगह जाकर पी लेंगे। तो मेहता जी आप सुनें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह सही कह रहे हैं, मैं मानता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : अब एक दो बात कह कर ही समाप्त करना चाहूंगा।

डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना हमारी कांग्रेस सरकार ने लगाया था। उसमें पहले हमने 30 लाख टन बनाने की केपिसिटी रखी थी उसको बाद में 60 लाख और बढ़ाया और 90 लाख टन की केपिसिटी कर दी। पर वहां पर सोडियम सल्फेट पैदा होता है इस जनता राज्य में सिर्फ 5—6 या 7 लाख टन ही। इसका एक्सपोर्ट तो बन्द है। ओरिजिनल जो केपिसिटी थी उसमें से 6—7

(श्री मथुरादास माथुर)

लाख टन सोडियम सल्फेट पैदा होता है। अब सुना है जनता पार्टी की सरकार उसको भी बन्द कर रही है। इधर आपने बीकानेर वूलन मिल किराये पर दे दी है और टेनेरी आपकी कर्ज में चल रही है, तो आप नोन टैक्स रेवेन्यू कहां से लायेंगे ? यह तो बता दो अगर यह महकमा बन्द हो गया तो कब तक ब्याज चुकायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि पब्लिक एन्टरप्राइजेज को ज्यादा बढ़ाया जाय। जोइन्ट सैक्टर में हो तो पब्लिक सैक्टर में करें और प्राइवेट सैक्टर में करें।

कहीं भी इस बजट में समाजवाद का नाम नहीं। कहीं पर भी नाम नहीं समाजवाद का। एक जगह भी बजट में समाजवाद का नाम नहीं, साइन्टिफिक हो कुछ भी हो। इस बजट कि यह हालत है। इसको कैसे सपोर्ट करें ? माननीय आदित्येन्द्र जी को सपोर्ट कर सकते हैं, पुराने आदमी हैं, भले आदमी हैं लेकिन बजट को कैसे सपोर्ट करें।

अब एक बात और कहना चाहता हूं। जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मेनीफेस्टो में घोषणा की थी कि यह सरकार आ जावेगी जनता पार्टी की वह सैल्स टैक्स को समाप्त कर देगी। मैं इसका विरोध करता हूं। आखिर आपके पास है क्या ? जहां भी आमदनी बढ़ाने की बात है बजट में, जो इकोनोमी की एनोटोमी है उसमें 20 पैसे सैल्स टैक्स का है। यह तो आपको मालूम है कि टोबेको, क्लाथ और शुगर इन पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है। इनकी रेट जितनी बढ़ती है उसकी सारी आमदनी भारत सरकार को जाती है। भारत सरकार जितना बढ़ाती है एक्साइज टैक्स को उसकी सारी आमदनी भारत सरकार के पास जाती है। इन चीजों को इसलिये नेग्लेक्ट करते हैं। अगर ये तीनों ही चीजें हमारे पास होती तो हमारी आमदनी बढ़ती। कब तक हम सब-सर्वेन्ट होकर बैठे रहेंगे ? कब तक हम भारत सरकार का मुंह ताकते रहेंगे कि भारत सरकार हमको ग्रान्ट इन एड दे, सब्सिडी दे। मुरारजी के मुंह की ओर हम कब तक देखते रहेंगे ? सेन्टर में दूसरी पार्टी का शासन हो सकता है और स्टेट में दूसरी पार्टी का शासन हो सकता है। उस समय नतीजा क्या होगा ? इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सैल्स टैक्स की जब चर्चा करते हैं तो इसको कभी मत दीजियेगा। भारत सरकार के वित्त मंत्री ने लिखा। एक दो के सिवाय और किसी ने नहीं कहा कि सैल्स टैक्स न रहे। सिवाय जूते वालों के और किसी ने नहीं कहा। सरकार दोनों जगह दूसरी दूसरी पार्टीज की बन सकती है इसलिए मेहरबानी करके इस प्रकार का कदम न उठायें जिससे आने वाली सरकारों की मुसीबत हो जाय, उनकी मुश्किल हो जाय। इसलिये मैं सैल्स टैक्स के एबोलिशन के बिलकुल खिलाफ हूं।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि खादी को लेकर काफी रुपया दिया गया है। कांग्रेस के साथी भी और सर्वोदय साथी भी हैं इसके हिमायती। आज भी किसी अखबार में निकला है। विशनसिंह शेखावत का आर्टिकल है। मैं उनसे शत-प्रतिशत एग्री करता हूं। खादी के मजदूर

(श्री मथुरादास माथुर)

कोई एक ओर्गेनाइज्ड लेवर तो है नहीं, सूत कातने वाले फुल टाइम लेबर नहीं हैं। 8 घंटे काम करते हैं। ऊन और सूत को कात कर लाते हैं। जो आदमी उसको लेता है जो सूत कात कर लाते हैं उसको वह कितना रिजेक्ट करता है और कितना नहीं लेकिन इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। 8 घंटे मेहनत करने के बाद भी जो मिनिमम वेज मजदूर को मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। वह 8 घंटे कताई करता है और फिर उसको 1.50 पैसे मजदूरी के मिल पाते हैं। बीकानेर का ऊन उद्योग हो या को-ओपरेटिव हो। खादी में काम करने वाले वे ही हैं जिनका 75 ईयर रूल इन इन्डिया खादी के मामले में है। खादी में काम करने वालों ने बड़े बड़े भवन आलीशान महल बना लिये हैं। खादी एक विचार है, रोजी देने का जरिया है। उस जरिये से इस प्रकार से मजदूरों का शोषण हो यह बड़े दुख की बात है। वे कोई ट्रेड यूनियन तो नहीं बना सकते। आप खादी में तकुए भी बढ़ा रहे हैं। कोटेज इन्डस्ट्री में खूब पैसा दे रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं। गांधी जयन्ती और ऐसे ही अवसरों पर खादी में रियायत देते हैं, कमीशन देते हैं, छूट देते हैं लेकिन वह सारा पैसा मजदूरों के पास न जाकर पूंजीपतियों के पास जा रहा है और मजदूर भूखों मरता है। इसलिये यह बात साफ होनी चाहिये कि खादी के नाम पर जो यह एक्स्प्लोयटेशन होता है, जो खादी के नाम पर शोषण होता है उसको बन्द किया जाय। जो सही रूप में काम करते हैं उनको हम मदद देना चाहते हैं लेकिन सब्सिडी आदि का जो रुपया आता है वे सब ऊपरी लोग खा जाते हैं और मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलता है। इस प्रकार जो मजदूरों को मजदूरी पूरी नहीं मिलती है और बिचौलिये खा जाते हैं उसको बन्द किया जाय।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री महबूब अली : बिचौलिये कितने अर्से से खा रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह बात पहले भी कही है। लेकिन आज इसलिये कह रहा हूं कि पहले से जो कैपिटल इन्वोल्व थी उससे और शोषण की क्षमता बढ़ गयी है। मजदूरों की मजदूरी वह ही है न तो उनका डी. ए. बढ़ा और न ही उनकी मजदूरी बढ़ी। श्रीमन्, मैंने आपकी इस ओर तवज्जह दिलायी है क्योंकि बहुत पैसा इसमें आपने रखा है। हिन्दुस्तान की तवारीख ही बदल जाय यदि खादी में जो शोषण होता है मजदूरों का वह बन्द हो जाय और बिचौलिये समाप्त कर दिये जायं। इसलिये, श्रीमन्, आप इसको देखिये।

अन्त में, वित्त मंत्रीजी यहां नहीं हैं, एक बात कहना चाहता हूं। पिछले बजट में 58 करोड़ 94 लाख का घाटा दिखाया गया था। यह कहा गया था कि भारत सरकार की मदद से और किसी तरह से इसको पूरा कर लेंगे। खैर 18 करोड़ का घाटा पूरा नहीं हो सका। करीब 22 करोड़ 84 लाख का घाटा और डाल दिया है। बजट में इकोनोमी के फिगर नहीं हैं। मैंने बजट को बहुत देखा है, मुझे कहीं पर भी इकोनोमी नहीं दिखायी दी। आंकड़े देखे हैं, रिवाइज्ड बजट देखा और अभी जो बजट आया उसको भी देखा, नान प्लान्ड एक्सपैन्डीचर में कहीं इकोनामी की हो तो बताओ। वही

(श्री मथुरादास माथुर)

का वहीं एक्सपेन्डीचर मौजूद है सरकार के पास। समाजवादी स्टेप क्या है आपका? आपने लाटरी बन्द की। इम्मोरल है यह इसको बन्द कीजिये। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप रेस कोर्स को तो बन्द कीजिये। उसको क्यों नहीं करते हैं? लाटरी से 16 करोड़ का नेट प्रोफिट राजस्थान को था। 16 करोड़ रुपया आपने खोया। उसमें से दो मेडिकल कालेज का खर्चा निकल जाता। हरियाणा, पंजाब, यू.पी. सब जगह के लाटरी के टिकिट आकर यहां पर बिकते हैं। उनको भी बन्द करो मैं नहीं कहता कि रिवाइज करो लाटरी को। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इसको देखे। 22 करोड़ का आपको घाटा है। 18 करोड़ के घाटे से 22 करोड़ कर लिया तो यह रुपया कहां से आयेगा? 16 करोड़ रुपया तो आपको प्लान असिस्टेन्स के नाम पर ज्यादा मिला। यह लोन है। खैरात नहीं है। इस पर खुश मत होइये। रोलिंगप्लान है। इसलिये इस साल का प्लान इस साल का रह जावेगा। फाइव ईयर प्लान के टार्गेट मुकर्रर नहीं हैं इसलिये भारत सरकार ने आपको कर्जा दे दिया। अगले साल कम कर देंगे। हिन्दुस्तान सरकार के पास से पैसा आ जाय हिन्दुस्तान के फाइनेन्सेज से लें या प्लानिंग से लें कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए वह कोई बड़ी बात नहीं की है। ताजा ताजा सरकार थी ले आये थोड़ा रुपया क्या फर्क पड़ गया। आपके रिसोर्सेस कहीं पैदा नहीं हुए। आपको चाहिए था नॉन-प्लान में रिसोर्सेस को बढ़ाते, इकानामी से बचत करके डेफिसिट को कम करते तो ठीक था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने कुछ नहीं किया। बाकी मामलों में क्या हुआ, गौर कीजिए।

सैल्स टैक्स में 8 करोड़ 85 लाख रुपया रिवाइज्ड बजट में ज्यादा मिला। यह मैंने पहले भी कहा था। इस साल के नहीं पिछले पांच साल के आंकड़े देख लें कि जो भी सैल्स टैक्स की फिगर रखी जाती है उसमें 7 से 10 करोड़ के बीच में ज्यादा आमदनी होती है। उसका कारण यह है कि मार्च के महीने में हम अगले तीन महीनों का पैसा ले लेते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा आ जाता है। वह परम्परा चल रही है। 8 करोड़ 35 लाख ज्यादा सैल्स टैक्स से आमदनी हुई। एक्साइज से 3 करोड़ 60 लाख की एक्सट्रा रेवेन्यू हुई है और स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से 50 लाख और रोक फास्फेट को बेचा है, यह आपकी प्रापर्टी है–एक साल बेच दीजिए दो साल बेच दीजिए, इससे 2 करोड़ 70 लाख हो गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने डी.ए. इन्स्टालमेंट सरकारी नौकरों को एक दिया है और दूसरा ड्यू हो गया है। उस समय भी मैंने कहा था, मैं फिर वहीं बात कहना चाहता हूं कि यह डी. ए. की किश्त आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप कमिटेड हैं। यह रुपया और जायेगा इस 34 करोड़ के डेफिसिट में से तो यह बजट जाकर 60 करोड़ का डेफिसिट होगा। इसलिए डेफिसिट इकानामी है और साथ ही आपका इकानामी ग्रोथ निल है। भारत सरकार की ग्रोथ ढाई पर्सेन्ट, 3 पर्सेन्ट या 4 पर्सेन्ट है। जो हम कर रहे थे वही आप भी धन्धा कर रहे हो कोई रोने वाला नहीं है। गरीबों के आंसू पोंछने से कोई दर्द नहीं मिटता है मेरा यह निवेदन करना है।

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं एक आंकड़ा और दे दूं कि Industrial out-put went down in this country. 10.4 पर्सेन्ट से 5.8 पर्सेन्ट रह गया। इसमें राजस्थान भी शामिल है और दूसरी स्टेट्स भी शामिल हैं। इस स्थिति में हम इस बजट को क्या कहें। इसको तो मास्टर आदित्येन्द्र जी का पढ़ा हुआ और किसी सेक्रेटरी का लिखा हुआ ही कह सकता हूं। इसलिए मैं मजबूर हूं, इसका समर्थन मैं नहीं कर सकता।

श्री सभापति : श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं बजट 1978–79 का स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर बेरोजगारी की समस्या के लिए लिखा गया है कि 3 लाख 40 हजार व्यक्तियों को नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उसके अन्दर यह नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से इनको रोजगार के अवसर दिये जायेंगे। जो पिछली दफा का बजट था उसके अन्दर भी यही बताया गया था कि 2 लाख 68 हजार 681 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह से रोजगार की समस्या को हल किया जायेगा? इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं और कालेजेज उनके अन्दर आर्ट्स की क्लासेज लगाई जाती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आर्टस की क्लासेस को बन्द करके टेक्नोलाजी की शिक्षा दी जाये, उद्योग धंधों के बारे में बताया जाये। किस प्रकार से विद्यार्थियों को हम उद्योग धंधों की ओर अग्रसर कर सकते हैं उनको उस प्रकार की शिक्षा ज्ञान देना जरूरी है। अगर इस तरह से यूनिवर्सिटीज और कालेजेज के अन्दर शिक्षा दी जायेगी तो जो विद्यार्थी निकलेंगे वह सर्विस करने के लिहाज से नहीं निकलेंगे। वह विद्यार्थी इस तरह के निकलेंगे कि वह बाहर जाकर अपने छोटे उद्योग धंधे लगायें। सरकार उनको उद्योग धंधे लगाने के लिए पूरी पूरी हैल्प करे। तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी एजूकेशन है वह एजूकेशन टैक्नोलाजी की होनी चाहिए। उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी की समस्या खतम हो सके।

अब, सभापति महोदय, मैं जयपुर की समस्या के बारे में कहना चाहूंगा। जयपुर के अन्दर एक एस. एम. एस. हास्पिटल है एस. एम. एस. हास्पिटल पूरे राजस्थान में एक ही ऐसा बड़ा हास्पिटल है जिसके अन्दर सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है लेकिन जयपुर के अन्दर किसी किस्म का कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि जयपुर के अन्दर जो एक पागल खाना है, जो जनता कालोनी में स्थित है इसको यहां से हटा कर इसकी जगह डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनाया जाये। यहां पागलखाना होने की वजह से रोजाना न्यूसेन्स क्रियेट होता है। उसमें पागल लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है तो वह आसपास की कालोनी में घुस जाते हैं और आये दिन वारदात होती रहती है। इसलिए शहर के अन्दर से पागलखाने को हटाना बहुत ही आवश्यक है। शहर के बाहर किसी जगह को लेकर वहां इसे बना देना चाहिए और यहां पर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की स्थापना की जानी चाहिए।

(श्री गुल मोहम्मद)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी एक बात कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद और यूनानी शफाखानों के बजट के अन्दर जो बात बताई गई है उसमें सिर्फ आयुर्वेद का ही जिक्र किया गया है और कहीं भी यूनानी हॉस्पिटल का जिक्र नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर एक यूनानी तिब्बिया कालेज सन् 1926 से चल रहा है जिसको गवर्नमेंट की ऐड नहीं मिलती है। तीन हजार या पांच हजार रुपया ऐड मिलती है तो उससे शिक्षा नहीं चल सकती। माननीय सभापति महोदय, अगर देखा जाये तो आयुर्वेद कालेजेज को लाखों रुपयों की ऐड दी जाती है, पांच, पांच दस, दस लाख रुपये भी दिये जा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो यूनानी कालेज हैं इसको क्यों नेगलेक्ट किया जाता है ? यूनानी हकीमों की 28 पोस्टें 3 साल से रिक्त पड़ी हैं। यूनानी हकीमों की 28 पोस्टें आज बराबर तीन साल से खाली पड़ी हैं लेकिन उन पर किसी को भी नहीं लगाया गया है।

मैं शिक्षा के लिए एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से इस बजट के अन्दर उर्दू की उपेक्षा की गयी है। मैंने कहीं भी उर्दू के लिए या और किसी अल्प भाषी भाषा का जिक्र नहीं देखा है। माननीय सभापति महोदय, उर्दू के लिए अभी पिछले बजट के अन्दर 30 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। अभी जो आल इन्डिया मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज की एक कान्फ्रेंस 8 व 9 अक्टूबर को राजस्थान में हुई थी उसमें मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि उर्दू के लिए 30 हजार ही नहीं बल्कि दो लाख या दो लाख से अधिक की जरूरत पड़ी तो भी देंगे। मैं उर्दू के लिए यह घोषणा करता हूं। लेकिन मुझे सख्त अफसोस है इस बात का कि उर्दू के लिए दो लाख छोड़, 30 हजार भी नहीं हैं। आज तक उर्दू अकादमी का कोई अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं किया गया। मैं यह कहता हूं कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने उर्दू अकादमी को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। इस तरह से उर्दू का विकास आप किस तरह से कर सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जो नये शिक्षा मंत्री हैं, उनसे उम्मीद करता हूं कि उर्दू अकादमी को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालेंगे और नया स्वरूप देकर कार्य करेंगे····

(4.20 म.प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

जयपुर में गर्ल्स कालेज की अत्यन्त आवश्यकता है। जयपुर में जितने भी गर्ल्स कालेजेज हैं उनमें एडमिशन्स में काफी दिक्कत होती है, काफी परेशानी होती है। इस सदन के अन्दर बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर कोई विकास नहीं हुआ है। मैं यह कहता हूं कि 30 सालों के अन्दर जयपुर को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है। विकास की दृष्टि से इसको अलग किया गया है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, चिकित्सा और दूसरी समस्याओं के हल की दृष्टि से जयपुर को तीस साल से नेगलेक्ट किया गया है। अब अधिक से अधिक इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसी तरह से जयपुर की जो समस्यायें हैं, उनको निपटाना है। कच्ची बस्तियों की समस्यायें हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री गुल मोहम्मद)

माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों की समस्या के लिए बजट के अन्दर जो रुपया रखा गया है उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए था, इसके लिए अधिक बजट रखना चाहिए था। जयपुर में कच्ची बस्तियों के हल के लिए सबसे बड़ी प्राब्लम है कि भूमि नहीं है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, यहां की कच्ची बस्तियों के लिए जमीन देने के लिए मेरा राज्य सरकार से सुझाव है कि जितनी भी जयपुर के आसपास फोरेस्ट और कृषि भूमि है उसको एक्वायर किया जाये और उसको एक्वायर करके जिस तरह से पहले प्लाट काटे जाते थे, यू. आई. टी. प्लान बनाया करती थी, जिसके पास जमीन रहने के लिए नहीं थी। उनको जमीन दी जाती थी उसी प्रकार से इस जमीन को एक्वायर करके प्लाट काटें और उनको दें ताकि जो अतिक्रमण की समस्यायें होती हैं, उनसे भी छुटकारा मिल सके।

सबसे बड़ी समस्या जयपुर की, माननीय सभापति जी महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सफाई की है। सफाई के काम को यहां की जो म्यूनिसिपैलिटी है वह एक तरह से नेगलेक्ट करके चल रही है। आज जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। लेकिन आप रामगंज की चौपड़ को देखें, दो महीने से वहां की गटर लाइनें खुली पड़ी हैं। इस तरह से जो भी समस्यायें हैं, उनको निपटाया जाये।

मद्यनिषेध के बारे में, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 40 पर्सेन्ट जनसंख्या, 63 पर्सेन्ट क्षेत्रफल मद्यनिषेध के अन्तर्गत आता है। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से कि जयपुर जैसे इलाके में, जहां इतनी आबादी है, पहले मद्य निषेध लागू होना चाहिए था ताकि दिक्कत और परेशानी खतम हो। बजट के अन्दर देखा गया है कि मद्यनिषेध पूर्ण कर दिया है जब कि आमदनी पूरी की पूरी है। आमदनी कहां से पूरी हो गयी ? तो मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि यहां पूर्ण मद्यनिषेध होना चाहिए, आंशिक मद्यनिषेध नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी बात जो बजट में देखने को नहीं मिली है वह यह है सरकार अल्पसंख्यकों के लिए इस बजट के अन्दर किस तरह से क्या काम करना चाहती है। इस सम्बन्ध में कोई बात बताई नहीं गई है, कोई भी प्लानिंग नहीं दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के बारे में सरकार किस तरह से काम करेगी, उनके लिए क्या प्लानिंग है। माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी बंगाल, केरल, तामिलनाडू के अन्दर अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन किया गया है। सरकारी नौकरियों में सभी किस्म की यूनिवर्सिटी और कालेजेज में प्रिफरेन्स दिया जाता है और अभी-अभी ताजा ही यू. पी. और हरियाणा के अन्दर भी मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज, जो कि इकानामिकली बैकवर्ड हैं, को भी कुछ न कुछ सहूलियतें देनी चाहिए। जिस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उसी तरह से मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस के जितने लोग हैं उनमें से जो बी. ए. या एम. ए.

(श्री गुल मोहम्मद)

के छात्र हैं या मैट्रिक के छात्र हैं उनके लिये भी छात्रवृत्तियां देनी चाहिये। जिस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स को दी जाती हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा प्रशासन के लिये। टोडा भीम के लोग आये थे, वित्त मंत्री जी से मिले थे, प्रोफेसर साहब से मिले थे, सी. एम. साहब से मिले थे उनकी समस्या थी कि टोडा भीम में ताजिया निकालने की इजाजत दी जाये। एक मामूली बात थी लेकिन वहां के पुलिस अधिकारियों ने, वहां के कलेक्टर ने अपनी मनमानी करके इस बात को नहीं माना। यहां के होम मिनिस्टर साहब से बात हुई। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गोविन्द सहाय जी थे, उमराव सिंह जी, बत्ती लाल जी हम चारों लोग वहां गये और सारी स्थिति का जायजा लिया लेकिन उन कलेक्टर महोदय ने, उन एस.पी. महोदय ने, चारों विधायकों के कहने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने ऊपर से कहा कि हम इजाजत नहीं दे सकते भले आप विधायक हो। लेकिन दो महीने के बाद में वहां पर जबरदस्ती करके ताजिया निकाला गया और किसी प्रकार से शांति भंग का अन्देशा नहीं था। अल्पसंख्यकों के लिये सरकार क्या करना चाहती है? क्या सरकार का उनके विशेषाधिकारों की तरफ कोई ध्यान नहीं है? उनकी आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं है तो बड़े खेद की बात है। मैं कहना चाहता हूं, इस बजट के अन्दर कहीं भी अल्पसंख्यकों के लिये, उनके उद्योग धन्धों के लिये, उनके रोजगार के लिये, जो अपने हाथ से काम करते हैं, उनके लिये कोई सहूलियतें नहीं दी गई हैं। माननीय सभापति जी, मेरी यही गुजारिश है और इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने वक्फ की सम्पत्ति को भूमि एवं भवन कर से मुक्त किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि माइनोरिटीज का, मुस्लिम बेकवर्ड क्लासेस का भी ध्यान रखना चाहिये। इतना ही मेरा निवेदन है और मैं इतना ही कहकर इस बजट का स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल प्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर सिंह।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) : सभापति जी, गान्धी जी जवाहर लाल जी के बारे में अक्सर कहा करते थे कि जवाहर में और हम में एक ही फर्क है। हम कहते थे अंग्रेज शौक से यहां रहे लेकिन अंग्रेजियत यहां से चली जाय और जवाहर लाल जी कहते थे अंग्रेजियत भले रहे लेकिन अंग्रेज यहां से चले जायें–यह फण्डामेन्टल डिफरेन्स था दोनों में। 30 वर्ष तक कांग्रेस की सल्तनत रही लेकिन गान्धी जी के रास्ते को छोड़ दिया और सारे काम वे किये जो गांधी जी के उलटे जाते थे।

Page No 98

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हमें खुशी, इस बात की है कि जनता सरकार ने गान्धी जी की समाधि पर शपथ ली और कहा कि हम इस रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने इस रास्ते को पकड़ा और गौरव की बात है कि राजस्थान सरकार ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया, समग्र क्रान्ति को हाथ में लिया, अन्त्योदय योजना ली, ग्रामीण शिक्षा को हाथ में लिया आदि आदि जितने भी काम थे उन पर ध्यान देना शुरू किया और जो बहुत दूर जा चुके थे गान्धी जी के रास्ते से वापस मोड़ लेने की चेष्टा की है। इस ओर एक सक्रिय कदम उठाया है इसलिये मैं इस बजट का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बहुत अच्छा बजट है लेकिन रास्ते कठिन हैं–

कबीरा खड़ा बाजार में,
ले लकुटिया हाथ
जो घर फूंके आपना
चले हमारे साथ।

हम सब लोगों को त्याग-तपस्या और बलिदान पर आना पड़ेगा तभी हम सच्चे मायने में गांधीजी का रास्ता पकड़ सकेंगे। मुझे खुशी है कि आज हमारे मंत्रिगण अपने आचरण में सादगी से रहते हैं, एक-दो मंत्रियों को तो मैंने पैदल जाते देखा है। इनका व्यवहार भी अच्छा है। इनको देखना पड़ेगा कि कार पर कितना खर्च होता है, विलासिता पर कितना खर्च होता है···

श्री कौशल किशोर जैन : दारू कितनी पीते हैं?

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं कहता हूं हमारे मंत्री कोई शराब नहीं पीते हैं।

एक माननीय सदस्य : रात को पीते हैं, दिन में नहीं पीते हैं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अगर कोई शराब पीता है वह चाहे इधर के माननीय सदस्य हों और चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों–पीते है तो मैं उन्हें पापी नहीं मानता, मैं उन्हें रोगी मानता हूं। जिस तरह रोगी का इलाज होता है उसी तरह उनका भी इलाज होना चाहिये।

अब मैं शराबबन्दी के बारे में कहता हूं। आपने गत वर्ष दो जिले लिये वे छोटे जिले थे। लोग कहा करते थे छोटे छोटे जिलों को लिया है लेकिन इस बार आपने बड़े बड़े जिले लिये हैं-जोधपुर, पाली और बीकानेर। मैं इसके लिये बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आप हिम्मत क्यों नहीं भर रहे हैं। अगर सचमुच पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और दुराचार को मिटाना है तो पूर्ण नशाबन्दी कर दीजिये। आप अभी सड़कें न बनायें, स्कूलें मत खोलिये, बान्ध मत बनाइये और जिन जिन मदों पर आप खर्च करना चाहते हैं तो वह मत करिये लेकिन इस शराबबन्दी के लिये आप हिम्मत भरिये और सब जगह इसको लागू कर दीजिये।

आपने शराब पर जो टैक्सेज बढ़ाये हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। टैक्सेज बढ़ाने से कभी शराब बन्द नहीं होगी। जो लोग रात में क्लबों में खेलते हैं वे अब शराब का टैक्स ज्यादा देने के लिए ज्यादा देर तक खेलेंगे, जो लोग निर्माण के काम में लगे हुये हैं सड़कों पर पुलियाओं पर वे अब ज्यादा रेत मिला

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

येंगे क्योंकि उनको अब शराब पर ज्यादा टैक्स देना होगा। जो गरीब पीते हैं, वे घर वालों के लिए अब कुछ नहीं बचा पायेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि टैक्स बढाने से कभी शराब बन्द नहीं होगी। इससे कोई लाभ नहीं है। एक तरफ तो आपका गारन्टी सिस्टम है और दूसरी तरफ शराबबन्दी। गारन्टी सिस्टम में आप ठेकेदार को कहते हैं कि इतनी शराब तो तुम्हें बेचनी ही पड़ेगी। इससे अधिक शर्म और कलंक की बात नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, मैं जानता हूं आये दिन हड़तालें होती रहती हैं इसलिये बहुत मुश्किल का रास्ता है और उसकी अभी आप हिम्मत नहीं भर रहे हैं। जब अर्जुन हिम्मत नहीं भर रहा था तो कृष्ण ने उसकी हिम्मत बंधाई तो क्या आप गांधीजी के रास्ते पर चलने के लिये हिम्मत नहीं भरेंगे ?

एक बार बादशाह सलामत के यहां घुड दौड़ की बाजी थी एक दिन कोई ताजी पे, कोई तुर्की पे अपने सवार था। जो हिचकिचाके रह गया सो रह गया इधर जिसने लगाई एड वो खन्दक के पार था। तो मेरा कहना है जिसने हिम्मत भरी वह पार हो गया और जिसने हिम्मत हारी वह रह गया। इसलिए आप हिम्मत क्यों नहीं भरते हैं ? आप कम से कम इस पतित आय को रेवेन्यू तो मत मानिये, इसको विकास का रास्ता मत मानिये—

शुद्ध कमाई रीत की,
काम करावे शुद्ध।
जो न कमाई शुद्ध तो,
सूझे अंवली बुद्ध।

इस कमाई से बुद्धि बिगड़ जायगी। आप कहते हैं लड़के हड़ताल करते हैं, लड़के गुरूजी को सिगरेट आफर करते हैं। एक समय था जब शिष्य गुरू के पैरों में ढोक देता था। आज वह गुरू को पीट देता है।

गुरू गणता नै देवता,
पंगा देवता ढोक।
आज शाल में छोकरा
गुरू न देवे ठोक।

क्यों नहीं ठोकेंगे जब कि शराब की आमदनी से पढ़ रहे हैं, खूब रिश्वत चल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पापाचार और दुराचार बढ़ रहा है। आज जहां 13 जिलों में शराब-बन्दी है, अभी 10 है एक अप्रेल से तीन और हो जायेंगे। खुद जब अधिकारी शराब पीते हैं तो वे रोक नहीं पायेंगे बल्कि खुद कह देंगे कि दो बोतल हमारे लिए और निकाल लेना। अगर करना है तो कड़ाई से करिये। आपने जब गान्धी जी का रास्ता अपनाया है तो आप भी कड़ाई के साथ चलिए।

मैंने परसों सुना राष्ट्रीयकृत रोड़वेज में घाटा है। मैं तिलमिला गया। मैं भी बैठता हूं रोडवेज की गाड़ियों में—खूब खचाखच भरी हुई जाती हैं हालांकि हमारा प्रिविलेज है लेकिन मैं दूसरों को खड़ा करके कभी नहीं बैठता हूं। रोडवेज में लोग भेंड-बकरियों की तरह बैठकर जाते हैं, ऊपर भी सवारियां बैठ जाती हैं फिर भी घाटा। इसका मतलब यह है कि हमारा नियंत्रण पूरा नहीं है।

जो जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, उन सबके लिये हमको चिन्तन करना चाहिये। मैं यह कहता हूं नहरों की सिंचाई पर आप

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

टैक्स बढ़ाइये। जो कुएं से सिंचाई करते हैं उनको एक बीघा में पांच सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं लेकिन जो नहरों से सिंचाई करते हैं उनका शायद 10–12 रु. खर्च आता है तो आप उन पर थोड़ा टैक्स बढ़ा दीजिये। एक-दो रुपया उनको ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन आप उसकी चिन्ता मत कीजिये। वे नाराज अवश्य होंगे लेकिन आप सच्चे तरीके से उनको समझाइये।

छोटी जोतों का लगान आपने माफ किया है उसे वापस लगा दें। कांग्रेस वालों ने गलती की थी उसे आप न दोहराइये और उसे सुधारिये। छोटी जोतों पर लगान माफ करना अच्छी बात नहीं है। वह एक पवित्र टैक्स है जो किसान से प्राप्त होता है। पवित्र टैक्स से पवित्रता बढ़ेगी और राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पास वेतन के रूप में जायेगा तो वे भी पवित्र होंगे और सारी स्थिति सुधरेगी। जितने पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, उनसे आपको करोड़ों की इनकम हो जायेगी। अगर आपको यह करना है तो निश्चित रूप से करिये। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से करेंगे।

हमारे मुख्य मन्त्री महोदय की सारे हिन्दुस्तान में साख है। जो अन्त्योदय का काम हुआ है, जो गांव गांव में गये हैं वे जानते हैं कि किस तरह की तरक्की का काम हुआ है लेकिन 8 महीने में कोई स्वर्ग उतरकर नहीं आ सकता है। हमें गांधीजी के शब्दों को याद करना पड़ेगा तभी निश्चित रूप से हमारा काम होगा। जो बुराई करता है, उसको भी हमें सुनना होगा। वे भी तो आखिर अपने ही हैं। "निंदक नियरे राखिये आंगन कुटि छवांय"। हमें सच्चा रास्ता तो वही लोग बता सकते हैं जो हमारे निंदक हैं। इस बात पर जो माननीय सदस्य टीका टिप्पणी करते हैं, वे बोलते हैं तब उनको रोकते हैं तो मुझे दुःख होता है, मेरे मन में पीड़ा होती है। उनके मन में भी पीड़ा होती है जब यह कहा जाता है कि तीस साल तक कुछ नहीं किया। जब जागे तब ही सवेरा। अब तो कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। इसलिये हम सबको एक होकर महात्मा गांधी की 'कल्पना का स्वराज्य स्थापित करना चाहिए पर वह तभी कर सकेंगे जब त्याग, तपस्या और बलिदान का रास्ता अख्तियार करेंगे। यही बात कहकर मैं बैठना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कान्त।

(विराम)

श्री बालचन्द आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद बजट पर बहस चल रही है। इस बहस के अनुसार मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश बजट पर डाला है। जो बजट पेश किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। जनता सरकार द्वारा किसान वर्ग के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए और अन्य रोजगार सम्बन्धी उपलब्धियों के लिए बहुत कार्य किया गया है। प्लानिंग के लिए जो रुपया रखा गया है, उसके सम्बन्ध में मैं

(श्री श्रवणलाल)

आपके द्वारा, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जो पैसा बजट में रखा जाता है, पिछली कांग्रेस सरकार के बजट में रखे गये पैसे के बारे में यह मान्यता रही है कि बजट के आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद में अधिकतर बजट जिस डिपार्टमेंट के अन्दर जाता था उस डिपार्टमेंट के अन्दर वह बजट नौ महीनों तक काम में नहीं लिया जाता था। नई योजनाओं के अन्दर बजट को काम में नहीं लिया जाता था और जब कि समय बहुत कम रह जाता था उस समय बजट को कार्य में लिया जाता था, जिसके कारण अधिक से अधिक पैसा, बजट का मंजूर किया हुआ पैसा लैप्स हो जाया करता था। तो मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट रखा गया है, जिस साल के निमित्त रखा गया है, उस साल के निमित्त ही यह खर्च होना चाहिए, इस वर्ष की 31 मार्च से लेकर अगली 31 मार्च तक इसका पैसा लैप्स नहीं होना चाहिये।

ऐसा भी होता है कि अमुक पैसा जिस मद में होता है वह पूरे साल खर्च न करके 31 मार्च को, या उसके आस पास, या 28 तारीख को, या 29 तारीख को, जब यह देखते हैं कि बजट लेप्स हो जाएगा, अन्धा धुन्ध तरीके से और अनुपयोगी कामों में, काम में नहीं आने वाली चीजों के अन्दर उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं। तो मैं आपके द्वारा, माननीय सभापति महोदय, हमारी राज्य सरकार के मंत्रियों से यह निवेदन करूंगा कि सबसे मुख्य ध्यान इस बात का रखा जाय कि वह बजट जिस साल के लिए है, उसी साल में क्रियान्वित हो जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बजट के अन्दर जो आंकड़े रखे गये हैं, मेरे से पूर्व वक्ता, जो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और काफी समय तक राज्य सरकार के अन्दर उन्होंने काम किया है, यह बात रख रहे थे कि इस बजट के अन्दर करीब 67 करोड़ रुपये हमको ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ वे यह भी बता रहे थे कि करीब करीब 67 करोड़ रुपये के आस पास ब्याज चुकारे के रूप में, ऋण ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। माननीय सदस्य स्वयं इस समय यहां पर नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह जो ब्याज का पैसा हमको चुकाना पड़ रहा है, आखिर वह किस को चुकाना था ? यह जिम्मेदारी किस की थी ? यह जिम्मेदारी आज हम महसूस कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे उस समय जिम्मेदार नहीं थे, यह जिम्मेदारी उनकी नहीं थी ? वे भी ब्याज चुकाते चले आ रहे हैं। इस तरह से जो पैसा आज हमें ऋण के ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है, उस पैसे के लिए भी, माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह पैसा जनता सरकार ने लिया है या आपके शासन में लिया गया है ? जो ऋण भार वे हमको देकर गए हैं उसको चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है ? इस तरह से खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। कहने के लिए कुछ और हैं और करने के लिए कुछ और है। इसलिये उनके मुख से इस प्रकार की बातें निकल रही हैं। मैं तो यह कहूंगा, माननीय सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार आते ही उनको अकल आने लगी है। जो तीस साल से पानी को पानी नहीं कहते थे

Page No 102

(102)

(श्री श्रवणलाल)

और रोटी को रोटी नहीं कहते थे, अब कुछ समय के ही बाद सारी अक्ल आने लग गई और वे महसूस करने लग गए कि हमने जो कुछ किया है वह गलत किया है।

वे आज यहां पर बता रहे थे बेरोजगारों के आंकड़े। वे कह रहे थे कि जनता सरकार ने आते ही यह कहा था कि हम दस साल के अन्दर अन्दर बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे. उनके लिए अनेक प्रकार के कारगर काम खोलेंगे, उन सबको कार्य पर लगा देंगे। वे आंकड़े बता रहे थे कि करीब दस हजार लोगों को ही काम पर लगा सकेंगे जब कि अन एम्पलायमेंट बहुत ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य से और कहना चाहता हूं कि उस समय के आंकड़े उठाए जायं, किसी भी सन् के आंकड़े उठाये जायं, चाहे सन 71–72 के से लें, चाहे 72 से 77 तक के उठायें, उन आंकड़ों को उठाकर देखें तो, श्रीमान, मालूम होगा कि उन्होंने इसके लिए क्या किया था ?

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसानों के ऊपर, किसानों का नाम लेकर, किसानों के लिये खर्चा करने के नाम पर खर्चा बढ़ाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की जनता पार्टी की सरकार ने जो 64 पर्सेंट गांवों के लिए खर्चा करने के लिए प्रावधान रखा है वह सराहनीय कदम है। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी डींगें मारा करते थे वह अन्त्योदय योजना के लिए बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। छोटे से छोटे आदमी को, छोटे से छोटे किसान को, छोटे से छोटे गांव के रहने वाले गरीब तबके के लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, नामान्तरण के लिए उनको कांग्रेसी सरपंचों को सौ सौ और दो दो सौ रुपये नामान्तरण तस्दीक करने के लिए देने पड़ते थे, उसके बाद में पटवारी के पास जब जाते तो उनको देते, उसके बाद में तहसीलदार या एस. डी. ओ. को देते थे, आज अन्त्योदय योजना में उनका काम फ्री में हुआ है उनके घर जाकर, उनके घर बैठे हुए काम हुआ है। लाखों की तादाद में नामान्तरण एक साथ हुए हैं। तो आज उनको यह टीस है. आज उनको इस बात की टीस हुई है कि क्यों नहीं उनकी जेब में पैसा आया। वे लोग जो वहां बैठे हुए हैं उनकी जेब में रिश्वत का पैसा क्यों नहीं पहुंचा ? उनको टीस होने लगी है कि जनता पार्टी की सरकार ने अन्त्योदय योजना लाकर के हमारे सारे करे-धरे पर पानी फेर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

द्वारा यह कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ कमियां जरूर हैं। मैं मानता हूं कि इसके अन्दर जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। जो कमियां हैं वे यह हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन का फार्म है उसके बारे में इस प्रकार की शिकायतें हैं कि बेचारे गरीब जो अन्धे हैं, जो लूले हैं, जो लंगड़े हैं, जिनके आगे और पीछे कोई नहीं है वे यह नहीं जानते कि उनका फोटो कहां खिंचेगी, डाक्टर किस जगह मिलेगा। उनके पास डाक्टर तक जाने के पैसे नहीं हैं, ऐसे आदमी रह गए हैं। हालांकि हमने कोशिश की और बहुतों को ढूंढ ढूंढ कर लाये हैं

(श्री श्रवणलाल)

लेकिन एक अफवाह ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। वह अफवाह इस प्रकार की थी कि अगर कोई बेचारा किसान जिसका मकान थोड़ा कच्चा है, पेंशन लेना भी चाहता था उसको बहकाया जाता था कि अगर पेंशन मिल गई तो तेरा मकान सरकारी हो जाएगा। तेरे पास एक बीघा जमीन है तो वह तेरी जमीन नहीं रहेगी यह सरकारी हो जाएगी क्योंकि सरकार तेरे को खाने को दे रही है। इस तरह से बहुत से आदमी रह गए। तो मैं आपके द्वारा, माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू विभाग के मिनिस्टर साहब से और उनके मार्फत अधिकारियों से यह कहना चाहूंगा कि जहां इस प्रकार के लोग रह गए हैं, जहां इस प्रकार के नामान्तरण रह गए हैं, जहां इस प्रकार की और कोई चीजें रह गई हैं उनको अन्त्योदय योजना के तहत जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करें।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आपका दस मिनट का समय समाप्त हो गया है। कृपया विराजिए।

आपकी सूची बहुत लम्बी है। इसलिए आप कृपा करके समाप्त कर दें।

श्री श्रवणलाल : एक दो मिनट बोलना चाहता हूं। कुछ खास बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : एक दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, वैसे मैं हमेशा आपके हुक्म को मानता हूं। मैं वैसे भी सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें है जिनको कहना मैं उचित समझूंगा।

सभापति महोदय, यहां पर एक प्रश्न आया था महिला सदन की 14 लड़कियों के भागने का, उस पर यहां काफी चर्चा हुई थी। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो महिला सदन है, उसकी हालत क्या है? किस कारण से लड़कियां वहां से भागती हैं? सभापति महोदय, वहां पर व्यवस्था की कमी है। वहां पर रहने वाली विधवाओं, मासूम छोटे छोटे बच्चों को 15 पैसे का नाश्ता दिया जाता है और दस पैसे की सब्जी दी जाती है। सभापति महोदय, आप विचार कर सकते हैं क्या कोई 15 पैसे के नाश्ते और 10 पैसे की सब्जी पर गुजर कर सकता है। सब्जी लेने जाएं तो दस पैसे की सब्जी दुकानदार नहीं देगा, वह कह देगा चल चल आगे चल। इसके साथ साथ जो साबुन दिया जाता है, वह एक महीने के अन्दर सवा रुपये का साबुन दिया जाता है। इस साबुन में उनको ड्रेस, जो सफेद मोटी खादी की होती है, बिस्तर पर बिछाने के चद्दर को धोना पड़ता है। इस तरह से खाने पीने की कमी वहां पर चल रही हैं। इसके कारण वे घुटन महसूस करती है और रास्ता पाकर भाग जाती है। जिस प्रकार की यह घटना हमारे सामने आई है ऐसी घटना आए दिन होती रहती हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की मंशा है कि बैठक का समय एक घंटा और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

आय-व्ययक, 1978–79 पर अग्रेतर सामान्य वाद विवाद

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि विधान सभा के अन्दर यह जो प्रहरी दूर दूर से आते हैं, इनके लिए इस प्रकार का प्रावधान है कि 30 दिन की ड्यूटी देंगे तो उनको अलाउन्स मिलेगा और 30 दिन से ज्यादा ड्यूटी देंगे तो उनको अलाउन्स नहीं मिलेगा। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व गृह मंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी, उस घोषणा का आज तक उनको लाभ नहीं मिला है। इसी प्रकार, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको धुलाई के लिए जो पैसा दिया जाता है, वह असेम्बली द्वारा दिलाया जाए। ये लोग दूर-दूर से आते हैं किन्तु इनके रहने की व्यवस्था अजीबो गरीब है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इनके रहने की व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : पिछले गृह मंत्री महोदय ने इस सदन को आश्वासन दिया था, उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री रतन लाल वर्मा : मंत्री महोदय ने घोषणा की थी सदन में उसका क्या हुआ ? हमको बताया जाए।

श्री सभापति : जवाब देंगे, तब कह देंगे।

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): समय का बंटवारा कम से कम माननीय सभापति महोदय ऐसा करें कि तीन सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से बोलें। हमारे काफी सदस्यों को बोलना है।

श्री सभापति : यही क्रम चल रहा है।

श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बिलकुल निराशाजनक है, दिशाहीन है और जनता पार्टी की नीतियों, चुनाव के पहले जनता से जो वायदा किया था, जो आशा और आकांक्षा बंधायी थी, उनके अनुरूप नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व के महोदय ने यह बात कही कि इस बजट में 60 प्रतिशत प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया है। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर वे इस बजट के आंकड़े देखें, जो बजट प्रावधान ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए, ग्रामीण शिक्षा के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिये किया गया है, वह 217 करोड़ रुपये के कुल प्रावधानों में से करीब 37 करोड़ रुपये का है। 37 करोड़ रुपये का मतलब 18 प्रतिशत आता है। इसलिए यह कहना कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक सुविधाएं दी गई हैं, बिलकुल गलत है।

श्री रतनलाल वर्मा : आपने ठीक हिसाब नहीं लगाया हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : आप हिसाब लगा लेना। यही प्रतिशत आएगा।

सभापति महोदय, बजट में मद्य निषेध की नीति के तहत दो-तीन जिलों में और प्रोहिबिशन (मद्य निषेध) करने की घोषणा की गई है। मगर सरकार की मद्य निषेध की नीति में कथनी और करनी का बड़ा अन्तर है। एक तरफ आप प्रोहिबिशन का एरिया बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ गारन्टी सिस्टम से इसको नीलामी कर रहे हैं। यह नीति में करनी और कथनी का अन्तर है।

उद्योगों की दृष्टि से कई माननीय सदस्यों ने यह राय रखी है कि सम्पूर्ण राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाए, ऐसी राय माननीय सदस्यों ने व्यक्त की। मेरी मान्यता है कि सम्पूर्ण राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर दिया गया तो जिन जिलों का औद्योगिक दृष्टि से कोई विकास नहीं हुआ है, और जिन कई जिलों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, उनके अन्दर डिफरेन्स आप किस तरह से करेंगे ? इसलिए यह नीति अपनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो जिले वास्तव में पिछड़े हुए हैं, औद्योगिक दृष्टि से विकसित किए जाने के लिए उनको विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए, अन्यथा पिछड़े जिलों में उद्योग लगाना कोई पसन्द नहीं करेगा। जालोर में जो ग्रेनाइट पोलिसिंग का कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है, उस पर उन्हें कायम रहना चाहिए।

यह कहा गया है कि सूखा संभावित क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा है। सूखा संभावित कार्य उन्हीं जिलों में लिए गए थे जहां पर सदैव अकाल की, सूखे की स्थिति बनी रहती है। उन जिलों को ही सूखा संभावित क्षेत्रों में लिया गया था। मगर अब इस क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। तो सरकार के पास जो साधन हैं, वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार उन सारे जिलों में सूखा संभावित कार्यों को लिया जाय वास्तव में जहां पर सूखे की स्थिति सदैव बनी रहती है, अकाल की स्थिति बनी रहती है अन्यथा उन जिलों का विकास नहीं होगा। अतः इस मद में अधिक प्रावधान किया जाय। जिन जिलों में सदैव अकाल की स्थिति रही है उन जिलों में जो सड़क प्रावधान है, वह भी बहुत कम रखा गया है। जालोर जिले के लिए हिन्दुस्तान सरकार की रिपोर्ट थी। देश के 26 जिले पिछड़े हुए घोषित किये गये थे। जालोर जिला भी उनमें से एक था। सड़कों के निर्माण में इस जिले की उपेक्षा हुई है।

कृषि के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। यहां के किसानों की समस्याएं विचाराधीन रखी हैं। बीज निगम की घोषणा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में की गई है। यह कदम वास्तव में स्वागत योग्य है। इससे राज्य के किसानों को अच्छा और उन्नत बीज मिल सकेगा। इसके साथ साथ समुचित कीट नाशक दवाइयों की व्यवस्था भी बजट में होनी चाहिए थी। जो प्रावधान रखा गया है, वह बहुत कम है। हमारे जालोर जिले में जो फसल होती है उनमें मुख्य जीरा व रायड़ा है। इसमें इस वर्ष चेपे की बीमारी भयंकर रूप से थी मगर इसकी रोक थाम हेतु कीट नाशक औषधियां न मिल पाने से किसानों को भारी क्षति हुई। बीज और दवाई की व्यवस्था

(श्री सूरजपाल सिंह)

करना नितान्त आवश्यक है। इसके अलावा मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कीटनाशक पर चुंगी कर है। यह बड़ी विडम्बना है। तीन प्रकार की ऑक्ट्राय लगती है। जिन पर कीट नाशक लिखा होता है, उन पर डेढ़ पर्सेन्ट चार्ज कर लेते हैं। अगर केमिकल हो तो 6% पर क्विण्टल ऑक्ट्राय चार्ज होती है। इसी प्रकार से मेडिकल लिखने पर 3% पर क्विण्टल ऑक्ट्राय चार्ज होती है। एक बोरी बी.एच.सी. पर 3 रुपये चुंगी किसानों के साथ खिलवाड़ है। मेरा निवेदन है कि कृषि के काम में आने वाली औषधियां हैं, ये चुंगी कर से मुक्त होनी चाहिए। बल्कि जो 4% राजस्थान बिक्री कर लगाते हैं, उससे भी मुक्त करना चाहिए।

राजस्व अभियान जो जनता पार्टी सरकार ने चलाया है, उसमें निश्चित तौर से जो केसेज म्यूटेशन में थे, वह निपटे थे। लेकिन किसानों के विवाद ग्रस्त केसेज थे, वह नहीं निपटे हैं। 90% केसेज पड़े हुए हैं। इसलिए जो मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गई है, उसी तरह से एक अभियान और चलाया जाये। इस बजट में भूमि सुधार की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जालोर क्षेत्र में कई नदियां बहती हैं। जिन से भूमि का कटाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, भीनमाल—सांचोर क्षेत्र में कई नदियां बहती हैं। सूकड़ी, जवाई, बांडी आदि नदियां बहती हैं। जो क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छा था, वह नदियों के प्रवाह से और जो फ्लड पिछले कुछ सालों में आये हैं, उनसे जमीन खराब हो गई है। लाखों बीघा जमीन में कटाव आ गया है। उसका लोग आज भी भू-राजस्व दे रहे हैं। जो सरकार की ओर से खास बांध निर्माण योजना रखी गई थी वह योजना पिछले साल भर से बिल्कुल निर्जीव पड़ी हुई है। तो मैं राज्य सरकार का आपके माध्यम से, सभापति महोदय, ध्यान् आकर्षित करूंगा कि जो बांध टूट गये थे उनका पुनर्निर्माण करायें। वापस सर्वे कराके टूटे हुए बांधों का कार्य पुनः हाथ में लेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। जिससे इस क्षेत्र के लोगों की जो लाखों बीघा जमीन कटाव में आ गई है पुनः कृषि योग्य बन सके।

(अल्प-विराम)

पंचायतों को जो अभी तक 25 पैसे प्रति व्यक्ति सहायता राशि मिलती थी, वह 2.50 रुपये कर दी गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इससे पंचायतों का विकास करने में काफी सहयोग मिलेगा। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं, वह अधूरे हुए हैं। जिला परिषदों के पंचायत समितियों के चुनाव अविलम्ब कराये जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कमजोर वर्ग के साथ में ज्यादतियां हो रही हैं। आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है उसकी तरफ राज्य सरकार समुचित ध्यान देगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

ऐसी मैं आशा करता हूं।

(श्री सूरजपाल सिंह)

वाणिज्यिक कर विभाग व अन्य विभागों में जो क्लर्क्स वगैरह हैं उनको आगे अध्ययन की इजाजत विभाग देता है मगर उनको पदोन्नति के अवसर समुचित नहीं है। एक क्लर्क को 40 वर्ष के बाद निरीक्षक के पद के लिए परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती जब कि गजेटेड आफिसर के प्रमोशन में कोई आयु सीमा नहीं है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन क्लर्क्स के लिए जो $12\frac{1}{2}\%$ कोटा है उसे बढ़ाया जाय तथा उनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी से पदोन्नति होनी चाहिये। फ्रेश केन्डिडेट आते हैं उनसे वे कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि कार्यालयों में दिन भर कार्य करते रहने के बाद वे इतनी तैयारी नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : मैं, सभापति महोदय, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि बजट समाजवादी नहीं है। कुछ इसको पूंजीवादी मानते हैं। कुछ माननीय सदस्य इसको गांधीवादी बजट मानते हैं। मेरा यह मानना है कि कुल मिलाकर इस बजट को देखने से यह जाहिर होता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट के द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए इसको समाजवादी नहीं भी मानें, और इतना क्रान्तिकारी नहीं भी मानें तो भी इस बजट से इस प्रकार की झलक मालूम पड़ती है कि गांवों में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया वह बिल्कुल उनके आचरण के मुताबिक है। वे एक पुराने गांधीवादी व्यक्ति हैं, उन्होंने इसी तरीके का बजट बनाया है। ठीक है, लोगों ने कहा कि केवल आंकड़े दिये हैं, ऐसी पुस्तक दी है, इस तरह की चीज है। हमको तो इस तरह की कापी पहले भी मिलती रही है। इसमें कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है जिससे हमें यह मालूम पड़ता हो कि राजस्थान स्टेट बहुत ही पीछे जा रही हो और इस बजट से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो। तो मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में इस तरीके की कोशिश की है कि गांवों का विकास हो। यह जो बजट का खर्चा है इसमें से जैसा माननीय सदस्य ने बताया, 64.40 पर्सेन्ट खर्चा गांवों के विकास में होगा। हम गांवों के रहने वाले लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट का विचार इस तरह का बने कि वे गांवों की तरफ बढ़ें। इसलिए बजट बहुत अच्छा है यद्यपि माननीय वित्त मन्त्री महोदय और जनता पार्टी की सरकार को बहुत कम समय मिला है।

आज माननीय सदस्यों ने यह आलोचना की कि पब्लिक सेक्टर में जो इण्डस्ट्रीज चलती हैं वे घाटे में जा रही हैं। यह बात सही है लेकिन यह घाटा आज का नहीं है, पुराना घाटा है, उस घाटे का सामना करना पड़ेगा। हमको यह मानकर चलना चाहिए कि इस तरह से क्रिटिसाइज करके कोई काम चलने वाला नहीं है।

हां यह जरूर है कि सरकार को नान-टैक्स रेवेन्यू को भी बढ़ाने की तरफ ध्यान

(श्री रावत राम)

देना चाहिए, उसकी कोशिश लगातार करनी चाहिए। परन्तु कुछ माननीय सदस्य उतावले हो रहे हैं और एक साल के अन्दर ही उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। जो कि चुनावों में वायदे किये, उनको इतना जल्दी पूरा करना संभव नहीं है, अलबत्ता कोशिश की जा रही है। आप देखिये अन्त्योदय योजना के अन्दर 1 लाख 35 हजार परिवार छांटे गये हैं, एक महीने मे ही उनका रिजल्ट नहीं आ सकता। इस अन्त्योदय योजना का क्या रिजल्ट आयेगा यह मैं नहीं कह सकता। गवर्नमेंट की क्या मंशा है और किस प्रकार के साधन वह देना चाहती है, कितनी निष्ठा से वह इस योजना को पूरा करना चाहती है, मैं नहीं कह सकता, यह आने वाला समय ही बतायेगा। कई माननीय सदस्यों ने इस योजना को भी अधर में भुला दिया जिस तरह से बीस सूत्री कार्यक्रम को कांग्रेस सरकार ने भुला दिया था और पापुलेरिटी कायम करने के लिए केवल स्टन्ट कायम किया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस स्कीम के प्रति निष्ठावान होकर इसे उन लोगों तक पहुँचाना है। हम चाहते हैं कि 1 लाख 35 हजार परिवारों को, एक साल बाद, हम कम्पलीट साधन दे सकें।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो परिवार छांटे गये हैं वह जिस काम को कर सकते हैं वह काम उनको नहीं दिया जा रहा है। जो काम वह करना चाहते हैं उसके लिये सहायता उनको नहीं दी जा रही है। एक अपंग आदमी को ऊंट गाड़ी का लोन दिया जा रहा है और शहर का रहने वाला आदमी है उसको कुछ बीघा जमीन दी जा रही है गुजारा करने के लिये। वह क्या करेगा? इसलिए इस तरफ भी ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, शराबबन्दी के बारे में माननीय मनोहरसिंहजी मेहता ने बहुत अच्छी बातें कही। माननीय प्रावित्येन्द्र जी के विचार भी इसी पक्ष में हैं। जयपुर और गंगानगर जिलों में भी इसको लागू कर देते तो अच्छा होता लेकिन इन्कम के मोह से सभी जिलों में लागू नहीं की। जयपुर और गंगानगर में इसलिए नहीं कर सके कि यहां पर सारे राजनीतिज्ञ, व्यापारी और अफसर रहते हैं उनको शाम को इससे आराम मिलता है। परन्तु थोड़ा सा झटका जरूर दिया गया है। शराब की कीमत बढ़ा दी गई है, केसर-कस्तूरी और लाइसेंस की कीमत बढ़ाई है जिससे पीने वालों को परेशानी हुई है। लेकिन इससे शराबबन्दी होने वाली नहीं है जब तक कि आप कच्ची शराब जो बनती है उसको बन्द न करें, और सरकारी मशीनरी को भी ठीक करें जो इसमें ठीक से काम नहीं कर रही है।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, मैं अकाल सहायता के बारे में कहना चाहता हूं। इसके बारे में हाउस में बहुत सी चर्चाएं चलीं, लोगों ने बहुत कुछ कहा। जो तीन रुपये मजदूरी दी जाती है वह बढ़नी चाहिए।

पानी के बारे में खास तौर से कहना चाहता हूं कि आपने पेयजल योजना के लिये 13.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है जिसमें से 9 करोड़ रुपया ग्रामीण जलप्रदाय योजना के लिए रखा

Page No 109

(109)

(श्री रावतराम)
गया है। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें प्रायोरिटी फिक्स की जानी चाहिए। अगर आप प्रायोरिटी फिक्स नहीं करना चाहते हैं और हर जिले में बराबर देना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुजानगढ़ का इलाका है, जैसलमेर, बाड़मेर जिले जो हैं उनका क्या होगा? इसके बारे में मैंने एक मेमोरेण्डम भी पेश किया था जिसमें एक सौ से अधिक गांवों के नाम दिये थे जहां पर मीठा पानी नहीं है और हजारों पशु हर साल मरते हैं। आप कल्पना कीजिये, किसी के पास एक गाय या भैंस है, जो दो हजार रुपये में आती है वह मर जाती है तो उसके पास कोई गुजारे के लिए साधन नहीं रह जाता है। सही बात तो यह है कि तीस साल में इनके लिए कोई स्कीम नहीं बनाई गई और कोई विचार नहीं किया गया। इसलिए जब तक इनके लिए वाटर स्कीम नहीं बनेगी तब तक कोई तरक्की इन गांवों की नहीं हो सकती। अगर आप प्रायोरिटी फिक्स नहीं करेंगे और बराबर अलाटमेंट करेंगे और जनसंख्या के हिसाब से करते रहेंगे तो इन गांवों का कुछ विकास नहीं होने वाला है। इसी तरह से जिन जिलों में पानी की समस्या नहीं है उनको भी आप अलाॅट कर देंगे तो जहां पर समस्या है वहां समस्या दूर नहीं होने वाली है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जिन जिलों में जहां खारा पानी है उनको प्रायोरिटी दीजिये।

श्री महबूब अली (राज्य मन्त्री, जन-स्वास्थ्य) : बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पर है।

श्री रावत राम : तब तो ठीक है।

माननीय सभापति जी, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आपने 14.80 करोड़ रुपया रखा है और यह भी कहा है कि 1800 कुओं में बिजली दी जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मन्त्रीजी अभी नहीं हैं, चूरू जिले में पांच साल का रिकार्ड है आप उठाकर देख लीजिये, दो तीन गांवों को ही विद्युत् से आपने कनेक्ट किया उनके लिये तो मैं नहीं कहता लेकिन बाकी किसी गांव को किया हो तो बता दीजिये। हर साल आप रेडियो पर सुना देते हैं कि 1800 गांवों को बिजली दी जायगी। हमारे जिले के लोग सुनते हैं तो इससे हमारी इमेज कमजोर होती है, कहते हैं कि यह आदमी कमजोर मालूम पड़ता है। डेजर्ट एरिया के अन्दर, चूरू और बीकानेर के लिए आपने क्या सोचा है? वे आपके क्राइटेरिया में कब आयेंगे? वहां पर पानी के लिए बिजली चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए। उन गांवों को आप विद्युतीकरण में नहीं लेते, उन गांवों के लिए एक भी स्कीम नहीं बनी है, बनी हो तो आप बता दें।

शिक्षा के बारे में इतना निवेदन है कि आपने बजट में कहा है कि 400 की आबादी वाले गांवों में 844 नई प्राथमिक शालाएं एवं 100 नई उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रस्ताव है। यह तो स्वागत योग्य बात है लेकिन जो खुली हैं वे क्या ठीक तरह से चल रही हैं? हमने बार बार निवेदन किया है कि इतने स्कूल हैं लेकिन उनमें अध्यापक नहीं। फिर कहते हैं 845 शालायें खोलने का प्रस्ताव है। यदि अध्यापक नहीं भेजेंगे तो स्कूलों का क्या फायदा? इसलिए अध्यापक भेजने चाहिए।

आपने इस बजट में आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं रखा है। आप मेडि-

(श्री रावतराम)

कल डिस्पेन्सरी यदि नहीं खोल सकते तो जो दूर दूर गांवों में रहने वाले हैं, उनके लिए इलाज का क्या रास्ता है ? क्या 40 मील तक वह चलता आए ? जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जयपुर का विकास नहीं हुआ। यहां तो सब तरह की सुविधाएं हैं आप उन गांवों की भी सोचें जहां औरतों की प्रसूतिकाल में ही मृत्यु हो जाती है क्योंकि ट्रेन्ड नर्स नहीं भेज सके। 500-500 आबादी वाले गांव हैं, वहां एक ट्रेंड नर्स दें तो भी ठीक है। आपने बजट में एक भी आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं रखा। हम आशा करते थे कि कम से कम पंचायत हैडक्वार्टर्स पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलेंगे। तो फिर गांव के लोगों को कैसे विश्वास में लेना चाहते हैं ? कोई पंचायत हैडक्वार्टर नहीं जहां ट्रेन्ड नर्स हो। आज गांव के लोग टैक्स देते हैं। जब उसके भले की बात आती है तो कहते हैं कि किसान का नाम लेकर बदमाशी करना चाहते हैं। गांव में नहीं तो कम से कम पंचायत मुख्यालय पर एक ट्रेन्ड नर्स दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां पर समाज कल्याण मंत्री मौजूद नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपने इस साल करीब 2500 लड़कों की स्ट्रेंथ बढ़ाई है होस्टल्स में लेकिन जो होस्टल्स की हालत है उसको जाकर देखें तो शर्म आती है। बच्चों के ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं, सर्दी में फटा हुआ कम्बल देते हैं। मेरे साथ कई सदस्य थे उन्होंने जाकर होस्टल देखा। ओढ़ने के लिए केवल मात्र एक फटा कम्बल था जिसको ओढ़ नहीं सकते। मैंने पूछा, रात कैसे निकलती है ? तो बताया कि 3-4 जने साथ-साथ सोते हैं। यदि आप काम करना चाहते हैं तो विधायकों का सहयोग लें। बाकी आप समझें कि सारी अक्ल आपके पास आ गई हमको तो किसी की परवाह नहीं, सब बेवकूफ हैं, तो आपकी मर्जी की बात है।

रोडवेज के बारे में निवेदन है कि बसों की हालत सुधारें। नहीं तो मंत्रीगण तो जान बचाकर कारों में चले जाते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि वह एम. एल. ए. जा रहा है, पकड़ो उसको। हम उनसे कहते हैं कि हम क्या करें, अब की बार ठीक करेंगे। जब मंत्री के पास जाते हैं तो वह कहता है कि अब हो जायगा। हमें राष्ट्रीयकरण में पीछे नहीं बैठना चाहिए। आपका रोडवेज घाटे में जा रहा है। मनोहरसिंह जी कह रहे थे कि घाटे में जा रहा है, मैं सोच रहा था कि फायदे में जा रहा है लेकिन वहां तो सारा ही घोटाला हो गया। फिर रोडवेज को रखने से क्या फायदा ? हमने राष्ट्रीयकरण कर लिया अब हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि आप घाटे में चलाना चाहते हैं तो हम घाटे को बरदाश्त नहीं करना चाहते। आप अच्छे रूट्स लीजिए, अच्छी गाड़ियां लीजिए और उतनी ही लीजिए जितने संभाल सकते हैं। गाड़ियां आपकी समय पर चलती नहीं। तो अच्छे रूट्स लेकर बाकी प्राइवेट लोगों को दें ताकि वे भी अपनी जीविका कमा सकें। आप 60 प्रतिशत लीजिए बाकी 40 प्रतिशत उनको दे दें। जो बस आपरेटर्स हैं उनकी जीविका खतम हो गई इससे उनको भी काम मिल जाएगा। और काम कन्ट्रोल में आ

(श्री रावतराम)

जाएगा। आज यात्रियों को इतनी परेशानी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक बार रोडवेज से यात्रा कर रहा था। उसको हाथ देकर रोकने की कोशिश की उसने भोंपू बजाया, बहुत अच्छा भोंपू बजता है लेकिन वह आगे 50 कदम जाकर रुकी, स्टेन्ड पर नहीं रुकी। मैं भागा भागा वहां गया। ड्राईवर से कहा, वहां क्यों नहीं रोकी? वह हंसा, उसने कहा, हार्न इसलिए बजाया कि आप एक तरफ हो जाइए नहीं तो आप नीचे आ जाते। हमारी गाड़ियों में ब्रेक नहीं होते, बाकी हार्न बढ़िया है। तो निवेदन है कि आप उनकी हालत को ठीक करें।

श्री सभापति : श्री नाथू लाल।

श्री नाथूलाल (घाटोल) : सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्रीजी ने जो बजट जनता सरकार का छठी विधान सभा में पेश किया है उसको पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने ऐसा बजट व बजट भाषण पढ़ने को नहीं दिया न कभी अखबारों में पढ़ा था। सरकार ने ग्रामीण गरीब जनता की ओर विशेष ध्यान दिया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह अनुसूचित जाति व जनजाति को ऊंचा उठाने का कड़ा कदम उठा रही है। पहली बार जनता सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। जनता में सरकार के प्रति विश्वास हो रहा है। विरोधी दल के सदस्य हमेशा 30 साल से गरीबी मिटाने का नारा लगाते रहे। परन्तु यदि राजस्थान में गरीबी मिटी होती तो आज यह तस्वीर जनता सरकार के सामने नहीं आती। हमारी सरकार के सामने गरीबी खड़ी है, हमारी सरकार गरीबी को मिटाने के लिए कटिबद्ध है।

हमारी सरकार ने अन्त्योदय योजना इसलिए दी कि हम देश में योजनाबद्ध तरीके से गरीबी मिटा सकें। इसलिए हमारी सरकार ने हर गांव से 5 गरीब परिवार छांटे। क्यों? क्योंकि गरीबों को ऊंचा उठाकर गरीबी को खतम करना है। जो गत 30 वर्षों में पिछला शासन नहीं कर पाया। हमारी सरकार गरीबों पर नजर डाल रही है और सीधा सम्पर्क करके गरीबों की समस्यायें सुनकर उनकी हालत सुधारने के लिए कटिबद्ध है। पिछली सरकार ने कौनसी योजनायें चलाईं? जबरदस्ती नसबंदी करो, हमारी पूजा करो और तुम्हारी हम नस काटेंगे। दूसरी व्यक्ति पूजा की। श्रीमती इंदिरा गांधी का सुपुत्र संजय गांधी कोई पदाधिकारी नहीं था फिर भी उसको सरकार का पैसा खर्च करके सारा हिन्दुस्तान घुमाया।

सभापति महोदय, संजय गांधी था वह गरीबी को मिटाने के पक्ष में नहीं था वह तो सिर्फ इस बात को जानता था कि नारा देकर हम गरीबों की गरीबी मिटा सकते हैं। वह सिर्फ गुमराह करते थे। इन कांग्रेस वालों ने 30 साल तक जनता को गुमराह किया। न केवल गुमराह ही किया बल्कि इन्होंने हमारे देश की जनता को अन्धकार में रखा। ज्योंही हमारी जनता पार्टी की सरकार आयी उसने हमारे देश के गरीबों पर ज्योति डाली और गरीबी मिटाने के प्रयास करने शुरू कर दिये। हमारे देश के गरीबों

(श्री नाथूलाल)

की मदद करना शुरू कर दिया। इससे हमारे गरीबों की तरफ ज्योति बढ़ी तो हमारे गांवों के गरीब लोगों को भी जनता पार्टी की सरकार से आशायें बढ़ीं। राजस्थान के अंदर राजस्थान की ग्रामीण जनता को विश्वास हो गया कि हमारी केन्द्रीय सरकार और हमारी राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार हमारे देश की गरीबी मिटा कर रहेगी।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की जनता पार्टी की सरकार ने दस साल में भारत की जनता की जो गरीबी है वह मिटाने का संकल्प किया है। राजस्थान सरकार, हिन्दुस्तान की सरकार प्रशासन के सहयोग से तथा जन प्रतिनिधियों के सहयोग से हमारे यहां की गरीबी को मिटा पायेगी, हम सभी तैयार हैं और हमारे दल के जनता पार्टी के 150 सदस्य हैं वे सभी तैयार हैं। हम सभी ने गरीबी मिटाने का संकल्प कर लिया है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं यहां पर वित्त मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत अच्छा बजट रखा है। मैं बधाई देता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, एक दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा और उसकी ओर मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह है कि हमारे बांसवाड़ा जिले में आदिवासी बहुत अधिक हैं। वह सभी बेचारे गरीब हैं, वह लोग काश्तकारी करते हैं। उन लोगों ने पिछले दस-दस वर्षों से जमीन पर कब्जा कर रखा है और उस पर खेती करते हैं। भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने उन जमीनों को नॉन रेवेन्यू जमीन मान रखा है उसे फोरेस्ट विभाग के अन्दर रिकार्ड किया है। हालांकि, सभापति महोदय, उन जमीनों में कोई इमारती लकड़ी नहीं है और न ही उनमें कोई झाड़ी है पर फिर भी उस जमीन को जंगलात में दर्ज कर रखा है। सभापति महोदय, पिछले दस-दस साल से अधिक सालों से वह बेचारे लोग उस जमीन पर कब्जा किये हुए खेती कर रहे हैं पर अब राजस्व विभाग में रिकार्ड नहीं होने से उन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। इससे वे लोग बेघरबार हो रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के आदिवासी लोग। जमीनों पर खेती कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ज्यादा घोटाले तहसील में अधिक हैं जहां कि आदिवासी लोग बेचारे दस-दस साल से काश्त कर रहे हैं लेकिन उनका कब्जा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उसको जंगलात की जमीन से निकाल कर रेवेन्यू भूमि में कन्वर्ट करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ताकि वहां पर काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आप बोलिये। मुझे तो आज ही बोलने का मौका मिला है। अगर आप चाहते हैं कि आप बोलें तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : आप दो तीन मिनट और बोलिये।

श्री नाथूलाल : दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बांसवाड़ा जिले में माही डेम बन रहा है उस माही के एरिया में गरीब आदिवासी लोग खेती कर रहे हैं, करीब दस-दस साल से खेती कर रहे हैं उनका अस्थायी कब्जा है जमीन पर खेती करने का। राजस्व मन्त्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा बहुत ही नम्रता से कि उनको स्थायी किया जाय ताकि उनको लाभ मिल सके।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बजट में वित्त मन्त्री जी ने शराबबन्दी के बारे में कुछ कदम उठाये हैं, यह एक अच्छी बात है। अगर हमारे यहां पर शराबबन्दी हो जावेगी तो गरीबों की गरीबी मिटाने में बहुत मदद मिलेगी। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि हमारे देश में और राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी लागू होनी चाहिए क्योंकि जो गरीब लोग हैं, शराब पीकर अपनी सारी आय को शराब में ही खर्च कर देते हैं इससे उन गरीबों की गरीबी बढ़ती है। अगर आप पूर्ण शराबबन्दी लागू कर देंगे तो यह बेकार पैसा जो खर्च होता है वह बच जायेगा और लोगों की गरीबी काफी मात्रा में मिट सकेगी। गरीब लोगों का घर भी इससे ऊंचा आयेगा।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में दहेज प्रथा है। लोग दहेज के रूप में पैसा लेते देते हैं वह समाप्त हो। सरकार द्वारा ऐसे कड़े कदम उठाये जाने चाहियें जिससे कि यह लेना देना बन्द हो। कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिये कि न तो लोग दहेज लें और न दें। दहेज प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये। यह काफी बड़ी समस्या है।

अन्त में, सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। वित्त मंत्रीजी तथा राजस्थान की जनता पार्टी के मन्त्रिमण्डल को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने राज्य की गरीब जनता और उसकी गरीबी को मिटाने के प्रश्न को ध्यान में रखकर बजट बनाया है। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

धन्यवाद

श्री सभापति : श्री जोयिंग भाई !

(अनुपस्थित)

श्री शिवराजसिंह !

श्री शिवराजसिंह (बस्सी) : सभापति महोदय, 78-79 का जो बजट हमारे वित्त मन्त्रीजी ने सदन में पेश किया था उस पर पिछले दो दिनों से चर्चा चल रही है। इस बजट भाषण पर मुझे भी आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका, सभापति महोदय, बहुत आभारी हूं।

बजट में कई बातें हमें इस वर्ष नजर आई हैं। इस बजट को देखने से मालूम होता है कि हमारा बजट जो है वह गांवों के विकास की ओर बढ़ रहा है। इसमें जो बजट प्रावधान किये गये हैं वह ऐसे किये गये हैं कि जो भी खर्चा किया

(श्री शिवराज सिंह)

जायेगा वह गांवों के विकास के लिये किया जायेगा। इस बात को हमारी राजस्थान सरकार, जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान में रखा।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, एक बात मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा। जब से हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से चाहे आप पिछले साल का बजट देख लें हमें यह देखने को मिलेगा कि जनता पार्टी की सरकार का ध्यान गांवों के सर्वांगीण विकास की ओर है। पिछले साल उन्होंने शिक्षा की ओर विशेष तौर से ध्यान दिया। पिछले साल के बजट में हमारे वित्त मन्त्रीजी ने ज्यादा खर्च शिक्षा के ऊपर किया। कई स्कूल खोले गये, सैकड़ों प्राइमरी स्कूल खुले। सैकड़ों की तादाद में प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल स्कूल्स में क्रमोन्नत किया गया। कई हाई स्कूल्स भी खोले गये। इस प्रकार हमारे गांवों में शिक्षा का विकास किया। एक संकल्प लेकर आये थे कि हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता बिना पढ़ी लिखी है उसे शिक्षित करेंगे।

अब इस साल हमारे बजट में कृषि की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। कई प्रकार की सहूलियतें कृषि के मामले में काश्तकारों को देने के लिये प्रावधान किया गया है।

इसके साथ-साथ काश्तकारों को सहकारिता से ऋण दिलाने की भी योजनायें हैं। गांवों में जो ग्रामीण सहकारी समितियां हैं उनके लिये काफी पैसा रखा गया है। सहकारी विभाग से संबंधित कई ग्रामीण कोआपरेटिव सहकारी समितियां हैं जो गृह निर्माण के लिये ऋण देंगी। सभापति महोदय, पहले भी लोगों ने कांग्रेस राज्य में गृह निर्माण सहकारी समितियां बनायी थीं, लोगों ने पैसे भी जमा कराये पर वह स्कीम सिर्फ कागजों में ही रही किसी को भी पैसा नहीं मिला। लोगों ने अपनी हिस्सा पूंजी भी जमा करायी पर किसी को भी गृह निर्माण के लिए पैसा नहीं मिला। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार के सहकारिता मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का संकल्प करें कि जिन जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों ने ऋण के लिये आवेदन किया है या करें उन सभी को ऋण दिलाये। अगर आप संकल्प के रूप में इसको करेंगे तो आपका यह कार्यक्रम सफल हो सकेगा और इससे जनता में जो आज असन्तोष है वह समाप्त हो सकेगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल राज्य सरकार ने अपने बजट में विद्युतीकरण के बारे में विशेष तौर से ध्यान दिया है। वित्त मंत्रीजी ने हमारे राज्य में करीब 25 हजार कुओं को बिजली देने का संकल्प किया है। वैसे तो गत वर्ष भी बिजली के बारे में प्रावधान रखा गया था लेकिन इस साल 25 हजार कुओं को बिजली देने का संकल्प किया उसको जरूर पूरा किया जाना चाहिये। यह संकल्प हमें पूरा करना ही होगा। इससे हमारे यहां कृषि बढ़ेगी। चूंकि हमारा प्रान्त कृषि पर निर्भर करता है और, सभापति महोदय, हमारे प्रान्त की जमीन उपजाऊ भी है इसलिए कुओं के अन्दर बिजली लग जाने से काफी प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस प्रकार हमारे यहां विकास हो सकेगा।

(श्री शिवराज सिंह)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप राजस्थान का विकास करना चाहते हैं विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र का तो आपको दो काम मुख्य रूप से हाथ में लेने ही होंगे। वह काम आप हाथ में लेंगे तभी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का विकास वास्तविक तौर से हो सकेगा। इसमें मुख्य रूप से प्रथम तो आपको उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सिंचाई के साधन सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। सिंचाई के साधनों के लिये मेरा सुझाव है कि जहां कहीं बांध बनाने की आवश्यकता है वहां बांधों का काम हाथ में लें, जहां पर कुए हैं वहां कुओं को बिजली देने का जो प्रावधान रखा है वह देकर उसको सही रूप में उपयोग में लावें। इन तरीकों से उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

दूसरा बढ़ावा देने के लिये यातायात का जरिया हो सकता है। ग्रामों को हर प्रकार से सुविधा देने के लिये, माल को मंडियों तक और इधर से उधर पहुंचाने के लिये, यात्रियों के आवागमन को इधर उधर पहुंचाने के लिये यातायात को बढ़ावा देना चाहिये। राजस्थान में आज इसका बड़ा भारी अभाव है। इस ओर सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिये। गये वर्षों में काफी अकाल पड़े, और अकाल के दिनों में अकाल राहत कार्यों के लिये काफी काम हर क्षेत्र में चलाये गये। सड़कों पर खाली मिट्टी डालने का कार्य कराया गया। बहुत ही कम सड़कें, कुछ ही किलोमीटर तक पक्की करायी गयी बाकी सब अधूरी पड़ी हैं। ऐसी हालत हो रही है सड़कों की। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जो अधूरी सड़कें हैं, जिन पर अकाल राहत के अन्तर्गत काम हुआ है उन सड़कों को प्राथमिकता देकर उनको पूरा करवाना चाहिये ताकि जो इन सड़कों पर करोड़ों रुपया लगा है उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो सके।

इसके साथ-साथ सरकार ने यह रखा है कि पांच हजार की आबादी वाले गांवों को पंचायत समिति से जोड़ा जावेगा। मेरा यह सुझाव है कि उनको पहले न जोड़ कर जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं जिन पर अर्थ-वर्क हो चुका है, ऐसी 9 पंचायतें तो मेरे क्षेत्र में हैं जिनमें ऐसी सड़कें हैं जिन पर दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर तक काम हुआ है, अर्थ वर्क हुआ है, ग्रेवल हो चुका है। अकाल पड़ेगा तो ही दुबारा उन पर काम होगा, इस प्रकार की जो शर्त है, इस कारण से वे अधूरी पड़ी हुई हैं। बरसात में उनकी मिट्टी वही चली जा रही है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पूरे राजस्थान में यह लागू करें। जो अधूरी सड़कें हैं उनको पूरा कराया जाय जिससे सरकार का जो पैसा लगा, जो कि जनता का ही पैसा है उसका सदुपयोग हो सके। पांच हजार के गांवों को जोड़ने के बजाय पहले उसको प्राथमिकता दें। जो सड़कें प्रोग्रामलाइज बनी हैं और अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा कराया जाय।

उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी आपने प्रावधान रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धन्धे लगाये जायं, यह प्रावधान रखा है। लेकिन उद्योग लगाने के लिये सबसे पहले जमीन की आवश्यकता है। आज जमीन प्राप्त करना बड़ा जटिल काम है। नियमों में इसके लिये प्रावधान है लेकिन वे बड़े जटिल

(श्री शिवराज सिंह)

हैं। इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि नियमों को सरल करना चाहिये। सरल नियम बनाने चाहिये। कलेक्टर तक के लेवल पर जमीन की मंजूरी के आदेश हो जाने चाहिये। आज बहुत सी इसके अन्दर मुश्किलात हैं। कई मामूली आदमी लघु उद्योग चलाना चाहते हैं। लेकिन जमीन नहीं मिल पाती है। चाकसू में कई तरह के उद्योग लगाये जा सकते हैं। वहां पर बिजली भी है, सड़कें भी हैं और बेकार जमीन पड़ी हुई है लेकिन स्वीकृति के अभाव में इन्डस्ट्री लगाने वालों को जमीन नहीं मिल पाती है। सरकार उसको प्राप्त करा ले तो उन स्थानों पर उद्योग लग सकते हैं। काफी लोग उद्योग लगाने के लिये तैयार हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दो मिनट और अर्ज करूंगा।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री शिवराजसिंह : दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि सन् 1952 से लेकर 1962 तक एक ही निर्वाचन क्षेत्र रहा है। उसके बाद उसको बांट दिया गया। पिछली सरकार ने ऐसी मेहरबानी की कि तीन हिस्सों में क्षेत्र को बांट दिया। चाकसू क्षेत्र की स्थिति यह है कि तीन-तीन एम. एल. ए. हैं थोड़ा थोड़ा क्षेत्र हर एक को मिलता है। न तो वहां पर एम. एल. ए. पहुंच पाता है और न ही उसको रिप्रेजेन्ट कर पाता है। इसलिये उसका पिछड़ापन बढ़ता जा रहा है। इसलिये जब कभी भी विधान सभा क्षेत्र बनाये जाय तो चाकसू को वापस बनाने का निर्णय सरकार ले।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि एम एल. ए. जनता का प्रतिनिधि है। एम. एल. एज. को सुविधा दी जाती है। नियम भी है मकान की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, सब तरह की व्यवस्था दी जाती है। मेरा एक सुझाव है कि प्राइवेट तौर पर जो भी एम. एल. ए. स्कूटर लेना चाहे तो उसको स्कूटर दिलाया जाय। एम. एल. ए. को घूमने की काफी आवश्यकता पड़ती है रिक्शा से भी जाय तो कम से कम 3 रुपया चाहिये। नियन्त्रण तो हटाया वह तो ठीक है लेकिन एम. एल. ए. के लिये स्पेशल व्यवस्था कर दें जिससे कोई भी एम. एल. ए. स्कूटर लेना चाहे तो उसको प्रायोरिटी दें। अगर मिनिस्टर्स इस बात से डरते हों कि यदि स्कूटर इनको मिल जायगा तो शायद हमको बार-बार आकर तंग करेंगे, ज्यादा हमारे पास आवेंगे, तो इस बात को वे मन से निकाल दें। एम. एल. ए. जनता के काफी काम करते हैं, एम. एल. ए. के लिए जो स्थान निवास बनाये वे भी काफी दूर हैं। एक गवर्नमेन्ट होस्टल के पास है दूसरा रेडियो स्टेशन के पास है। रोडवेज की व्यवस्था हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए स्कूटर जो एम. एल. ए. लेना चाहे उसके लिये आप व्यवस्था करेंगे।

सभापति महोदय, आपने जो मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर गूजर।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया उसके समर्थन के अन्दर दो शब्द कहूंगा और इसके साथ-साथ सुझाव भी देना चाहूंगा।

बजट के अन्दर यह दर्शाया गया है कि अब गांवों की ओर विकास की दिशा है। इस बजट मे यह मार्गदर्शन दिया गया है। गांव की ओर जाने का मतलब यह है कि गरीबों के साथ मिल कर और उनको साथ मिला कर गरीबी को दूर करने के लिये समन्वित कदम उठाये जावेंगे। इसके साथ-साथ मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमारी पिछली सरकार ने जो ट्राइब एरिया के डवलपमेंट के लिये सब प्लान बनाया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का कुछ अंश और प्रतापगढ़ क्षेत्र ट्राइबल सब प्लान में लिये गये हैं, उसमें क्या किया है? बड़ी-बड़ी नदियों को बांध कर उन पर बड़े-बड़े बांध बना कर सिचाई के साधन देने की जो योजना बनाई गयी है उससे ट्राइबल्स को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि डूंगरपुर जिले में फीडर कैनाल का निर्माण किया गया, करोड़ों रुपये उस पर खर्च हुए लेकिन वहां के आदिवासियों को 2 पर्सेन्ट या 3 पर्सेन्ट मुश्किल से लाभ होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पैसा ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत दिया जाता है, उसके बजाय जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पंचायतों की जन-गणना के अनुसार प्रति व्यक्ति ढाई रुपया अंशदान दिया है उसी प्रकार से प्रत्येक जिले में जन गणना के अनुसार पैसा ट्राइबल्स के लिये रिजर्व कर दिया जाय।

प्रत्येक गांव की जनगणना के अनुसार ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर जो धनराशि खर्च करने के लिए दी जाती है वह खर्च की जाये। वह खर्च कैसे हो? गांवों के लोगों के साथ मिलकर राज्य के कुछ अधिकारी और चुनिन्दा लोग गांव की योजना बनायें। उस गांव को किस प्रकार से सुविधा मिल सकती है और किस प्रकार से लाभ मिल सकता है इस योजना के अनुसार उस पैसे को खर्च करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि डूंगरपुर जिले के अन्दर छोटी-छोटी नदियां हैं, तालाब हैं, बहती नदियां हैं उनके ऊपर लिफ्ट इरिगेशन करके 50–60 और 100 बीघा जमीन को सिंचित किया जा सकता है। इससे आदिवासियों को काफी अच्छा लाभ मिल सकता है और खेती के लिए वह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन आज डूंगरपुर जिले के आदिवासियों की हालत यह है कि 30 साल के बाद भी वह भूखों मर रहे हैं। एक सूचना कल हमारे पास आई कि रिलीफ मंत्री महोदय ने कुछ काम मंजूर किये हैं लेकिन उन कामों से भी काम नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय का उधर दौरा हो और आदिवासियों की हालत देखें कि वास्तव में क्या स्थिति है। आज हम सदन के अन्दर बैठकर विचार करते हैं, भाषण देते हैं लेकिन इन भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम पिछड़े लोगों के और आदिवासियों के घर पर जाकर नहीं देखेंगे और उनके यहां जाकर जब तक हम उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे तब तक उनका भला होने वाला नहीं है। तीस साल तक कांग्रेसी सरकार ने यह देखा कि अगर आदिवासियों को सक्षम बना दिया जाता है तो वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि आदिवासी स्वाभिमानी हैं और अपना

(श्री अमृतलाल परमार)

निर्णय खुद करते हैं। जब वे भूखे रहेंगे तो वोट देंगे नहीं तो नहीं देंगे। यही हालत आज हमारे सामने है। हमारे माननीय मंत्री महोदय जो कि जनता सरकार के अन्दर हैं वह इस स्थिति को नहीं समझेंगे तो वही दशा होने वाली है। सही मायने में यदि गरीबों का भला करना है तो गांवों मे जाना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। कारें छोड़नी पड़ेगी, बंगला छोड़ना पड़ेगा और वहां जाकर झोंपड़ी और पेड़ों के नीचे और तपती जमीन के ऊपर चल कर उनका अध्ययन करना पड़ेगा। किताबों के पढ़ने से कोई अध्ययन नहीं होता है। अखबार पढ़ने से कोई काम नहीं होता है इसलिए आज जो जनता ने हमको मौका दिया है यह कसौटी का मौका है। यदि 5 साल तक हम उन पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे तो निश्चित बात है कि हमें भी पीछे हटना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है।

यह स्पष्ट बात है कि हमारे मंत्री महोदय और हमारे विधायक साथी काफी उत्सुक हैं गांवों में काम करने के लिए लेकिन यहां आकर अच्छी-अच्छी कारों में घूमकर भूल जाते हैं। यह भूलने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर भूलने की स्थिति आयेगी तो जो दशा हमारे कांग्रेसी साथियों की हुई है वही दशा हमारी होने वाली है। आज आदमी क्या चाहता है? रोटी चाहता है, कपड़ा चाहता है। उसको रोटी और कपड़ा मुहैय्या नहीं करेंगे तो वही समस्या हमारे सामने आने वाली है। आप लोग यहां पर बैठते हैं, गाड़ियों में जाते हैं और हम लोग जब गांवों में पहुंचते हैं तो लोग पूछते हैं कि 8 महीने होने आये और अब साल भर बीत जायेगा आज तक हमारी रोजी-रोटी का प्रबंध क्यों नहीं हुआ? इसके लिए हमको पहले से ही चेतना होगा और प्लानिंग करना होगा कि गरीब लोगों को आगे किस प्रकार से ऊपर उठाया जा सकता है। यह बात निश्चित है कि कोई भी सरकार आये वह गरीबी को मिटा देगी, ऐसा जो सरकार दावा करती है मैं सोचता हूं कि वह बिलकुल कतई गलत है। यह सही बात है कि गरीब लोग हैं उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए जो भी सरकार आये वह कुछ सहायता दे सकती है। हमारी जनता पार्टी की सरकार में यह सूझबूझ है। यह सूझबूझ नहीं खोनी चाहिए और अगर खोई तो वही दशा होने वाली है जो कि सामने बैठे माननीय सदस्यों की हुई। इसलिए मेरा सुझाव है कि पिछड़ा हुआ एरिया घोषित करके ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर जो करोड़ों रुपयों की रकम दी गयी है उसका दुरुपयोग नहीं हो। उसका दुरुपयोग इस प्रकार से हो रहा है कि ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर डूंगरपुर और बांसवाड़ा पूरा है लेकिन उसका दफ्तर उदयपुर के अन्दर खोला है। क्या कारण है? मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का क्षेत्र कहीं और हो तो निश्चित रूप से प्रायोरिटी देकर उसको ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर लेना चाहिए। पहले से ही उदयपुर में दफ्तर खोला और ऐशो-आराम के लिए उसके अन्दर 2500 रुपये की एक-एक कुर्सी ली गयी। उसके ऊपर आफिसर्स लोग बैठकर प्लान बनाते है और अपने भाई भतीजों को दफ्तर के अन्दर घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। आज पोजीशन यह है कि आदिवासी दरवाजे पर भी आने से महरूम रहता है। मैं सरकार से यह उम्मीद करूंगा कि ट्राइबल सब-प्लान का जो उदयपुर में

(श्री अमृतलाल परमार)

आफिस हैं उसमें जो आलीशान कुर्सियां हैं उनको बेचा जाना चाहिए। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्राइवल सब-प्लान का पैसा है, खाट पर बैठकर उसकी योजना बनाई जानी चाहिये, मिट्टी के ऊपर बैठकर योजना बनाई जानी चाहिये और वृक्ष के नीचे बैठ कर योजना बनाई जानी चाहिए तभी आप उनकी सेवा करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो ट्राइवल सब-प्लान का पैसा है उसे इस तरीके से व्यय करने का मार्गदर्शन आप दें ताकि सही ढंग से आदिवासियों का भला हो। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से आश्वासन देंगे और ऐसा काम करेंगे।

दूसरी बात मैं दारूबन्दी के लिए कहना चाहता हूं। डूंगरपुर एरिया में काफी लंबे अर्से से दारूबन्दी है लेकिन आज घर-घर में दारू पीते हैं। मैं देखता हूं, आज हमारे आफिसर्स जितने भी दारू को पकड़ने के लिए जाते हैं, वे घरों में घुसते हैं। मैंने यह भी देखा है कि उनको बोतल मिल गयी तो छुट्टी। आफिसर्स लोग कह देंगे कि कुछ नहीं मिला और खुद पीकर रवाना हो जायेंगे। इस पर नियन्त्रण करने के लिए आपको कोई न कोई उचित मार्ग ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक दारूबन्दी नहीं होगी। आज घर-घर में भट्टियां लगी हुई हैं। एक ओर तो आप दारूबन्दी की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ भट्टियां लगी हुई हैं। उनको शह हमारे आफिसर्स देते हैं। उनका काम बिना दारू पिये नहीं चलता है, यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। इसलिए सरकार से मेरा नम्रतापूर्वक आग्रह है कि सारे राजस्थान के अन्दर चाहे कितना भी घाटा उठाना पड़े, दारू कतई बन्द कर दी जाये ताकि नामो-निशान भी नहीं मिले।

दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां ट्राइवल सब-प्लान के अन्दर एक तालाब बनाया गया जिससे कि आदिवासियों को काफी सुविधा सिंचाई के लिए मिलने वाली थी। लोग बहुत आतुर थे लेकिन आफिसरों ने और इन्जिनियरों ने आधे से ज्यादा पैसा खा लिया। पत्थर उसी पहाड़ी से खोदा और उसी को नींव के अन्दर लगा दिया गया। उसके लिए लिखा है कि 17 मील दूर से पत्थर लाये…

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसकी जांच कराइये।

श्री अमृतलाल परमार: इसकी जांच हो रही है लेकिन मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल जांच होनी चाहिये और फिर उसके ऊपर काम शुरू होना चाहिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री अमृतलाल परमार : एक मिनट।

श्री सभापति : सदन का समय समाप्त हो गया है।

सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार, 10 मार्च, 1978 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 6 बजे शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 1978 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

120

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची)

सूची एक सो दस पंचायत समितियों एवं तहसील जिनकी सीमा बराबर है।

कुल 110

क. सं.	नाम जिला	पंचायत समिति का नाम	आबादी (हजारों में)	तहसील का नाम
1	2	3	4	5
1.	अलवर	1- बांसूर	98	बांसूर
		2- मंडावर	107	मंडावर
		3- थानागाजी	87	थानागाजी
		4- तिजारा	103	तिजारा
2.	बांसवाड़ा	5- गढ़ी	116	गढ़ी
3.	बाड़मेर	6- पचपदरा	106	पचपदरा
		7- शिव	58	शिव
		8- शिवाना	98	सिवाना
4.	भरतपुर	9- डीग	82	डीग
		10- बाडी	75	बाड़ी
		11- बसेडी	95	बसेड़ी
		12- बयाना	96	बयाना
		13- नदबई	82	नदबई
		14- रूपबास	106	रूपवास
		15- वैर	108	वैर
5.	भीलवाड़ा	16- आसिन्द	123	आसिन्द
		17- जहाजपुर	92	जहाजपुर
		18- कोठडी	82	कोटड़ी
		19- रायपुर	53	रायपुर
		20- माण्डलगढ़	112	माण्डलगढ़
		21- सहाड़ा	64	सहाड़ा
		22- सुवाना	89	सुवाना
		23- माण्डल	117	माण्डल
		24- हुरड़ा	56	हुरड़ा

1	2	3	4	5	6
6	बीकानेर	25– बीकानेर	96	बीकानेर	
		26– कोलायत	58	कोलायत	
		27– लूनकरणसर	75	लूनकरणसर	
		28– नोखा	110	नोखा	
7.	बूंदी	29– केशोरायपाटन	85	केशोरायपाटन	
		30– हिन्डोली	97	हिन्डोली	
		31– नेनवा	74	नेनवा	
		32– तालेड़ा	127	तालेड़ा	
8.	चित्तौड़गढ़	33– भदेसर	60	भदेसर	
		34– निम्बाहेड़ा	68	निम्बाहेड़ा	
9.	चूरू	35– डूंगरगढ़	71	डूंगरगढ़	
		36– राजगढ़	133	राजगढ़	
		37– रतनगढ़	70	रतनगढ़	
		38– रतन नगर	71	रतननगर (चुरू)	
		39– सरदार शहर	91	सरदार शहर	
		40– सुजानगढ	113	सुजानगढ़	
		41– तारानगर	67	तारानगर	
10.	डूंगरपुर	42– आसपुर	97	आसपुर	
11.	गंगानगर	43– भादरा	121	भादरा	
		44– नोहर	166	नोहर	
		45– पदमपुर	85	पदमपुर	
		46– श्रीकरणपुर	84	श्रीकरणपुर	
		47– सूरतगढ़	140	सूरतगढ़	
12.	जयपुर	48– बांदीकुई	118	बांदीकुई (बसवा)	
		49– बस्सी	103	बस्सी	
		50– चाकसू	80	चाकसू	
		51– दौसा	125	दौसा	
		52– झोटवाड़ा	53	जयपुर	
		53– लालसोट	119	लालसोट	
		54– फागी	82	लालसोट	
		55– सिकराय	93	सिकराय	

1	2	3	4	5	6
13.	जालौर	56– सांचोर	149	सांचौर	
14.	झालावाड़	57– खानपुर	87	खानपुर	
		58– पिड़ावा	88	पिड़ावा	
15.	जोधपुर	60–ओसिया	172	ओसियां	
		61–अन्ता	98	मांगरोल	
		62–अटरू	71	अटरु	
		63–बारां	55	बांरा	
		64–छबड़ा	54	छबड़ा	
		65–छिपाबड़ोद	67	छिपाबड़ोद	
16.	कोटा	66– ईटावा	95	पिपल्दा	
		67–लाडपुरा	72	लाडपुरा	
		68–चेचट	78	रामगंज मण्डी	
		69–सांगोद	94	सागोद	
		70–सुल्तानपुर	67	दिगोद	
17.	नागौर	71–डीडवाना	133	डीडवाना	
		72–जायल	106	जायल	
		73–कुचामन	127	नावा	
		74–लाडनूं	74	लाडनूं	
18.	पाली	75–जैतारण	106	जैतारण	
		76–खारची	117	खारची	
		77–रायपुर	95	रायपुर	
		78–सोजत	90	सोजत	
19.	स. माधोपुर	79–मौली	102	महारमा चौड	
		80–गंगापुर	91	गंगापुर	
		81–हिन्डौन	112	हिन्डौन	
		82–महुवा	97	महुवा	
		83–टोडाभीम	97	टोडाभीम	
20.	सिरोही	84–आबूरोड़	49	आबू	
		85–पिन्डवाड़ा	86	पिन्डवाड़ा	
		86–रेवदर	85	रेवदर	

1	2	3	4	5	6
		86–शिवगंज	57	शिवगंज	
		87–सिरोही	71	सिरोही	
21.	टोंक	88–देवली	93	देवली	
		91–मालपुरा	92	मालपुरा	
		92–निवाई	86	निवाई	
		93–टोडारायसिंह	65	टोडारायसिंह	
		94–टोंक	111	टोंक	
		95–उनियारा	70	उनियारा	
22.	सीकर	96–नीमकाथाना	147	नीमकाथाना	
23.	उदयपुर	97–आमेट	57	आमेट	
		98–भीम	74	भीम	
		99–भीन्डर	121	वल्लभनगर	
		100–देवगढ़	46	देवगढ़	
		101–धरियावद	95	लसाडिया	
		102–गोगुन्दा	83	गोगुन्दा	
		103–झाडोल	87	फालसियां	
		104–खैरवाड़ा	121	खैरवाड़ा	
		105–कोटड़ा	77	कोटड़ा	
		106–कुम्भलगढ़	83	कुम्भलगढ़	
		107–राजसमन्द	76	राजसमन्द	
		108–रेलमगरा	68	रेलमगरा	
		109–सलूम्बर	100	सलूम्बर	
		110–सराड़ा	113	सराड़ा	
		111–मावली	119	मावली	

Page No 124

(124)

सूची तीन पंचायत समितियां जिसमें 2 (दो) तहसील क्षेत्र पूरे आते हैं।

क्र. सं.	नाम जिला	पंचायत समिति का नाम	आबादी	तहसील का नाम	आबादी
1	2	3	4	5	6
1.	गंगानगर	रायसिंह नगर	154	रायसिंह नगर	79
				अनूपगढ़	75
2.	कोटा	शाहबाद	109	शाहबाद	48
				किशनगढ़	61
3.	स.माधोपुर	नादोती	145	नादोती	66
				बामनवास	79

सूची तहसील जिसका क्षेत्रफल 2 (दो) पूरी छियालिस पंचायत समितियों में आता है।

कुल–46

क्र.सं.	नाम जिला	पंचायत समिति का नाम	आबादी	तहसील का नाम
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1. जवाजा	80	ब्यावर
		2. मंसूदा	85	,,
		3. पिसांगन	122	अजमेर
		4. श्रीनगर	92	,,
2.	अलवर	5. बहरोड़	81	बहरोड़
		6 नीमराना	78	,,
		7 गोविन्दगढ़	119	लक्ष्मणगढ़
		8 कठूमर	109	,,
		9. राजगढ़	75	राजगढ़
		10 रेणी	68	,,
3.	बांसवाड़ा	11. बागीडोरा	78	बागीडोरा
		12. भूखिया	51	,,
		13. कुशलगढ़	58	कुशलगढ़
		14. सज्जनगढ़	59	,,
4	भरतपुर	15. कुम्हेर	93	भरतपुर
		16. सेवर	93	,,
5.	चितौड़गढ़	17 अचनेरा	[illegible]	प्रतापगढ़
		18. प्रतापगढ़	95	,,
		19. बेगू	68	बेगू
		20. भेसरोडगढ़	49	,,
6.	झुन्झुनू	21. झुन्झुनू	92	झुन्झुनू
		22 अलसीसर	71	,,
		23 बुहाना	114	खेतड़ी
		24 खेतड़ी	105	,,
		25 चिड़ावा	77	चिड़ावा

1	2	3	4	5
		26. सूरजगढ़	91	चिड़वा
		27. नवलगढ़	109	उदयपुरवाटी
		28. उदयपुरवाटी	108	,,
7.	जोधपुर	29. बालेसर	71	शेरगढ़
		30. शेरगढ़	65	,,
		31. बाप	53	फलौदी
		32. फलौदी	3	,,
		33 बिलाड़ा	85	बिलाड़ा
		34 भोपालगढ़	96	,,
		35. जोधपुर (मन्डौर)	63	जोधपुर
		36. लूनी	96	,,
8.	नागौर	37. मकराना	96	मकराना
		38 परबतसर	93	,,
		39. मुण्डवा	106	नागौर
		40. नागौर	99	,,
41.	पाली	41. बाली	111	बाली
		42. सुमेरपुर	93	,,
		43. देसूरी	62	देसूरी
		44. रानी स्टेशन	76	,,
		45. बाली	50	पाली
		46. रोहत	62	,,

———

सूची तहसील जिसका क्षेत्रफल पूरी
तीन पंचायत समितियों में आता है।

कुल–3

क्र. सं.	नाम जिला	पंचायत समिति का नाम	आबादी	तहसील का नाम
1	2	3	4	5
1	जालोर	1. भीनमाल	83	भीनमाल
		2. जसवन्तपुरा	66	,,
		3. रानीवाड़ा	70	,,

(128)

सूची सतरह पंचायत समितियां जिनमें एक या एक से अधिकांशतः तहसीलें हैं।

कुल 70

क्र.सं	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	जन संख्या (हजारों में)	तहसील का नाम जिसका क्षेत्र पंचायत समिति में आता है	जनसंख्या (हजारों में)
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	1. अराई	77	सरवाड़ तहसील का भाग	36
				किशनगढ़ ,,	41
		2. भिनाय	92	केकड़ी ,,	64
				सरवाड़ ,,	28
		3. केकड़ी	83	केकड़ी ,,	83
		4. किशनगढ़	85	किशनगढ़ ,,	85
2.	अलवर	5. किशनगढ़वास	84	किशनगढ़वास ,,	62
				अलवर ,,	22
		6. कोटकासिम	65	किशनगढ़वास ,,	65
		7. रामगढ़	95	अलवर ,,	95
		8. उमरैन	95	,, ,,	95
3.	बांसवाड़ा	9. बांसवाड़ा	93	बांसवाड़ा ,,	93
		10. घाटोल	101	घाटोल ,,	101
		11. पिपलखूंट	65	,, ,,	31
				बांसवाड़ा ,,	34
4.	बाड़मेर	12. बायतू	89	बाड़मेर ,,	89
		13. बाड़मेर	89	,, ,,	69
				चोहटन ,,	20
		14. चौहटन	86	,, ,,	86
		15. धोरीमन्ना	98	बाड़मेर ,,	58
				चोहटन ,,	40
		16. सिणधरी	95	बाड़मेर ,,	95
5.	भरतपुर	17. धौलपुर	127	धोलपुर ,,	127
		18. कामां	101	कामां ,,	102
		19. नगर पहाड़ी	124	नगर तहसील पूर्ण भाग	97
				कामा तहसील का भाग	27

1	2	3	4	5	6
		20. राजाखेड़ा	97	राजाखेड़ा तहसील का पूर्ण	70
				धौलपुर तहसील का भाग	27
6.	भीलवाड़ा	21. बनेड़ा	75	बनेड़ा तहसील का पूर्ण भाग	64
				शाहपुरा ,,	11
		22. शाहपुरा	76	शाहपुरा ,,	76
7.	चित्तौडगढ़	23. भोपालसागर	46	कपासन ,,	46
		24. छोटीसादड़ी	78	छोटीसादड़ी तहसील का पूर्ण भाग	53
				बडीसादड़ी तहसील का भाग	25
		25. चित्तौडगढ़	104	चित्तौडगढ़ ,,	73
				गंगरार ,,	31
		26. डूंगला	81	डूंगला तहसील का पूर्ण भाग	53
				बडीसादड़ी का भाग	28
		27. कपासन	53	कपासन तहसील का भाग	53
		28. राश्मी	90	राश्मी ,,	50
				गंगरार ,,	40
8.	डूंगरपुर	29. डूंगरपुर	82	डूंगरपुर ,,	82
		30. बिछीवाड़ा	103	,, ,,	103
		31. सागवाड़ा	100	सागवाड़ा ,,	100
		32. सीमलवाड़ा	117	,, ,,	60
				डूंगरपुर ,,	57
9.	गंगानगर	33. हनुमानगढ़	186	टी. बी. ,,	70
				हनुमानगढ़ ,,	84
				सांगरिया ,,	32
		34. मिजेवाला	110	गंगानगर ,,	110
		35. सादुलशहर	121	सादुलशहर ,,	61
				सांगरिया ,,	27
				गंगानगर ,,	15
				हनुमानगढ़ ,,	18
10.	जयपुर	36. आमेर	114	आमेर ,,	70
				जमवारामगढ़ ,,	44

1	2	3	4	5		6
		37. बैराठ	91	बैराठ	तहसील का भाग	73
				जमवारामगढ़	,,	18
		38. गोविन्दगढ़	114	आमेर	,,	114
		39. जमवारामगढ़	112	जमवारामगढ़	,,	112
		40. जोबनेर	109	फुलेरा	,,	109
		41. कोटपुतली	118	कोटपुतली	,,	118
		42. दूदू	127	दूदू	,,	9
				फुलेरा	,,	37
		43. शाहपुरा	91	बैराठ	,,	91
11.	जैसलमेर	44. जैसलमेर	37	जैसलमेर	,,	24
				पोकरण	,,	13
		45. सम	47	जैसलमेर	,,	47
		46. साकड़ा	58	पोकरण	,,	58
12.	जालौर	47. आहोर	106	आहोर	,,	106
		48. जालौर	69	जालौर	,,	53
				आहोर	,,	16
		49. सायला	95	जालौर	,,	95
13.	झालावाड़	50. बकानी	88	अकलेरा	,,	39
				झालरापाटन	,,	49
		51. डग	89	गंगधार	,,	71
				पंचपहाड़	,,	18
		52. झालरापाटन	115	झालरापाटन	,,	58
				पंचपहाड़	,,	57
		53. मनोहरथाना	96	अकलेरा	,,	96
14.	नागौर	54. डेगाना	102	,,	,,	102
		55. मेड़ता	79	मेड़ता	,,	79
		56. रियां	92	डेगाना	,,	31
				मेड़ता	,,	61
15.	स. माधोपुर	57. खण्डार	83	स. माधोपुर	,,	28
				खण्डार तहसील का पूर्ण भाग		55

1	2	3	4	5
	58. करौली	106	करौली तहसील का क्षेत्र	106
	59. सपोटरा	112	,, ,,	27
			सपोटरा ,,	85
	60. स. माधोपुर	106	स. माधोपुर ,,	106
16. सीकर	61. दांतारामगढ़	132	दांतारामगढ़ ,,	132
	62. धोंद	97	सीकर ,,	97
	63. फतेहपुर	95	फतेहपुर तहसील का पूर्ण भाग	85
			लक्ष्मणगढ़ ,,	10
	64. खण्डेला	98	श्री माधोपुर तहसील का भाग	98
	65. लक्ष्मणगढ़	95	लक्ष्मणगढ़ ,,	95
	66. पीपराली	95	सीकर ,,	62
	67. श्री माधोपुर	107	श्री माधोपुर ,,	33
17. उदयपुर	68. बड़गांव	80	गिर्वा ,,	43
	69. गिर्वा	107	गिर्वा ,,	107
			नाथद्वारा ,,	37
	70. खमनोर	75	नाथद्वारा ,,	75

Page No 132

(132)

तहसीलों की सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	क्र. सं.	नाम तहसील
1	2	1	2
जिला बीकानेर		2.	राजगढ़
1.	नोखा	3.	अलवर
2.	लूनकरणसर	4.	तिजारा
3.	कोलायत	5.	रामगढ़
4.	बीकानेर	6.	लक्ष्मणगढ़
		7.	मण्डावर
जिला चूरू		8.	बहरोड
1.	रतनगढ़	9.	बांसूर
2.	सरदारशहर	10.	थानागाजी
3.	राजगढ़	जिला भरतपुर	
4.	तारानगर		
5.	चूरू	1.	डीग
6.	सुजानगढ़	2.	बसेडी
7.	डूंगरगढ़	3.	नगर
जिला गंगानगर		4.	कामां
1.	रायसिंहनगर	5.	राजाखेड़ा
2	अनुपगढ़	6.	धौलपुर
3	करनपुर	7.	बैर
4.	सादुलशहर	8.	बयाना
5.	सांगरिया	9.	रूपवास
6.	गंगानगर	10.	बाडी
7.	हनुमानगढ़	11.	नदबई
8.	टीबा	12.	भरतपुर
9.	नोहर	जिला जयपुर	
10.	सूरतगढ़	1.	बस्सी
11.	पदमपुर	2.	सांगानेर
12.	भादरा	3.	जयपुर
जिला अलवर		4.	फागी
		5.	बसवा
1.	किशनगढ़वास	6.	फुलेरा

1	2
7.	जमवारामगढ़
8.	आमेर
9.	बैराठ
10.	जमवारामगढ़
11.	सिकराय
12.	लालसोट
13.	कोटपुतली
14.	दौसा
15.	चाकसू

जिला झुन्झुनू

1. झुन्झुनू
2. खेतड़ी
3. उदयपुरवाटी
4. चिड़ावा

जिला सीकर

1. लक्ष्मणगढ़
2. फतेहपुर
3. दांतारामगढ़
4. सीकर
5. श्रीमाधोपुर
6. नीमकाथाना

जिला सवाईमाधोपुर

1. महुवा
2. हिण्डौन
3. गंगापुर
4. करौली
5. सपोटरा
6. टोडाभीम
7. स. माधोपुर

1	2
8.	भण्डार
9.	बाली
10.	नादौती
11.	बामनवास

जिला टोंक

1. टोंक
2. मालपुरा
3. निवाई
4. देवली
5. उनियारा
6. टोडारायसिंह

जिला जैसलमेर

1. पोखरन
2. जैसलमेर

जिला अजमेर

1. अजमेर
2. ब्यावर
3. केकड़ी
4. किशनगढ़
5. सरवाड़

जिला झालावाड़

1. झालरापाटन
2. पचपहाड़
3. खानपुर
4. गंगधार
5. पिड़ावा
6. मनोहरथाना

(134)

1	2

जिला बून्दी

1. बूंदी
2. हिन्डोली
3. नैनवा
4. केशोरायपाटन

जिला बाड़मेर

1 सिवाना
2. शिव
3. पचपदरा
4. चोहटन
5. बाड़मेर

जिला कोटा

1. लाडपुरा
2. मांगरोल
3. बारां
4. अटरू
5. शाहबाद
6. किशनगंज
7 रामगंजमण्डी
8. सांगोद
9. दिगोद
10. पिपल्या
11. छीपाबडोद
12. छबड़ा

जिला जालौर

1. आहोर
2 जालौर
3. जसवन्तपुरा
4. सांचोर

जिला जोधपुर

1. ओसियां
2. बिलाड़ा
3. जोधपुर
4. शेरगढ़
5. फलौदी

जिला नागौर

1. डीडवाना
2. लाडनूं
3. नावां
4. नागौर
5. जायल
6. परबतसर
7. डेगाना
8. मेड़ता

जिला पाली

1. बाली
2. खारची
3. देसूरी
4. पाली
5. जैतारण
6. रायपुर
7. सोजत

जिला सिरोही

1. पिन्डवाड़ा
2. सिरोही
3. शिवगंज
4. रेवदर
5. आबूरोड

1 2 3 4

जिला बांसवाड़ा

1. गढ़ी
2. कुशलगढ़
3. बागीडोरा
4. घाटोल
5. बांसवाड़ा

जिला डूंगरपुर

1. सागवाड़ा
2. डूंगरपुर
3. आसपुर

जिला भीलवाड़ा

1. माण्डलगढ़
2. शाहपुरा
3. माण्डल
4. भीलवाड़ा
5. आसिन्द
6. हुरड़ा
7. बनेड़ा
8. जहाजपुर
9. कोटड़ी
10. रायपुर
11. सहाड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

1. बेगूं
2. चित्तौड़गढ़
3. राशमी
4. कपासन
5. गंगरार
6. प्रतापगढ़
7. निम्बाहेड़ा
8. भदेसर
9. डूंगला
10. छोटी सादड़ी

जिला उदयपुर

1. कोटडा
2. राजसमन्द
3. कुंभलगढ़
4. रेलमगरा
5. आमेट
6. गिर्वा
7. नाथद्वारा
8. लसाडियां
9. सलूम्बर
10. सराडा
11. मावली
12 खैरवाडा
13. वल्लभनगर
14. गोगुन्दा
15. फलासिया
16. देवगढ़
17. भीम

(136)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची) "अ"

मैसर्स साईनाथ मशीन स्टोर्स के हिस्सेदारों की सूचीः–

1. श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल पारीक उम्र 20 वर्ष निवासी जैतारण।
2. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिवप्रसाद जोशी उम्र 24 वर्ष निवासी सीकर हाल जैतारण।
3. श्री अरुण कुमार पुत्र श्री शिवप्रसाद जोशी उम्र 21 वर्ष निवासी सीकर हाल जैतारण।
4. श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री शिव प्रसाद जोशी उम्र 21 वर्ष निवासी सीकर हाल जैतारण।
5. श्रीमती उम्मेद कंवर पत्नि श्री शिवप्रसाद जोशी उम्र 50 वर्ष निवासी सीकर।
6. श्रीमती श्रीकंवर पत्नि श्री शंकर लाल शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी जैतारण।

"ब"

वर्ष 76-77

क्रमांक	नाम कृषक	ग्राम	ऋण किस मशीन हेतु दिया गया	तारीख की स्वीकृति	राशि ऋण जो मंजूर की गई	तारीख जब फर्म को ऋण राशि का पेमेंट किया गया — दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री कामनाथ/घेवरनाथ	गरनिया	अनिल आयल इंजिन 8एच. पी. वर्टिकल	22-3-77	10,000	26-3-77	7,700
2.	श्री पूनाराम/वेलाराम	नियाज	अजीत "	17-5-77	8,000	11-6-77	8,000
3.	श्री जगदीशप्रसाद/सुन्दरलाल	कारोनिया	अनिल "	22-3-77	14,000	28-3-77	10,000
4.	श्री उदाराम/मुकना	बनाठा	राकेट आयल इंजिन 10 ,, होरि.	8-2-77	12,000	15-2-77	10,000
5.	श्री घीसा/उदाराम	फूलपाल	अजीत आयल इंजिन 6:5 ,, वर्टिकल	22-3-77	6,000	20-3-77	6,000
6.	श्री श्यामनाथ/हजारीनाथ	खाटोती	फोन्शमाराति आयल इंजिन 8 ,,	"	7,800	"	7,000
7.	श्री शिवदयाल/बलदेव	जाम्बिया	राकेट आयल इंजिन 10 ,, होरि.	29-11-76	10,000	15-12-76	10,000
8.	श्री गंगाराम/भीकाराम	जैतारण	अनिल आयल इंजिन 8 वर्टिकल	8-1-77	6,500	19-1-77	6,500
9.	श्री शिवलाल/बस्ताराम	काशू	अजीत आयल इंजिन 10 होरि.	29-10-76	10,500	26-11-76	10,500
10.	श्री मांगीलाल/हरवीन	कामू	राकेट "	29-11-76	10,500	22-12-76	10,000
11.	श्री घीसा/शुभादान	"	अनिल आयल इंजिन 8 वर्टिकल	8-1-77	6,700	17-2-77	6,700
12.	श्री हजारी/मोतीराम	बलून्दा	अनिल आयल इंजिन 10 होरि.	29-11-76	10,000	15-12-76	10,000
13.	श्री गोपाराम/नैनाराम	काशू	अनिल आयल इंजिन 8 वर्टिकल	"	8,000	"	8,000
14.	श्री रामसुख/प्रभुराम	"	राकेट इंजिन 10 होरिजेंटल	8-10-77	10,000	13-2-77	10,000
15.	श्री दामोदरसिंह/प्रेमसिंह	मोहराई	अजीत इंजिन 7 "	17-5-77	10,000	11-6-77	10,000
16.	श्री शंकरलाल/मंगलाराम	बलून्दा	" 10 " होरि.	29-11-76	10,000	15-12-77	10,000
17.	श्री शोभाराम/नैनाराम	"	" 7 "	8-1-77	10,000	18-1-77	10,000
18.	श्री पूसाराम/भागीरथ	कामू	अनिल इंजिन 8 " वर्टिकल	29-11-76	6,000	15-12-76	6,000

Page No 138

(138)

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	श्री रूपाराम/भानाराम	रानीवाल	अजीत ,, 10 ,, होरि.	29-10-76	12,000	2-11-76	12,000
20.	श्री गुदड़राम/सावाराम	,,	अजीत • ,, ,,	,,	12,000	,,	12,000
21.	श्री सांवल/घला	नियाज	,, 8 ,, वर्टिकल	17-5-77	8,000	11-6-77	8,000
22.	श्री भंवरसिंह/भेरसिंह	मोहराई	,, 7 ,, होरि.	18-3-77	10,000	,,	10,000
23.	श्री रूपाराम/बिरधाराम	भावसान	,, ,, ,,	17-5-77	10,000	,,	10,000
24.	श्री हुरिराम/बींजाराम	रानीवास	,, 10 ,,	29-10-76	12,000	2-11-76	12,000
25.	श्री पूनाराम/जवानाराम	मिसरिया	,, 10 ,,	22-3-77	14,000	20-3-77	10,000
26.	श्री हीरा/नाथा	भरनिया	राकेट 10 ,,	17-5-77	12,000	11-6-77	12,000
27.	श्री शिवनाथ/देवीसिंह	भादा	अजीत ,, 8 ,, वर्टिकल	22-3-77	10,000	28-3-77	8,000
28.	श्री जयराम/गंगाराम	घोटोती	अनिल ,,	,,	11,000	,,	8,500
29.	श्री स्वरूप/छल्ला	नीमाज	,, ,, ,, ,,	29-10-76	9,000	26-11-76	8,000
30.	श्री किसना/चैना	विराटियाखुर्द	अजीत 6:5 ,,	22-3-77	7,000	28-3-77	6,000
31.	श्री नंगाराम/नैनाराम	खारकिया	अजीत 10 ,, होरि.	17-5-77	12,000	11-6-77	10,000
32.	श्री भंवरलाल/देवीलाल	फूलमाल	अजीत 6:5 ,, वर्टि.	22-3-77	7,500	26-9-77	5,000
33.	श्री विक्रमसिंह/कानसिंह	,,	अनिल 5 ,, ,,	22-3-77	8,000	,,	6,500
34.	श्री जैसा/गणेश	घोटोती	अजित 8 ,, ,,	,,	12,000	,,	8,000
35.	श्री मानसिंह/छीतरसिंह	,,	,, 10 ,, होरि.	,,	15,000	,,	10,000
36.	श्री करणसिंह/कानसिंह	नीमाज	,, ,, ,,	17-5-77	12,000	11-6-77	10,000
37.	श्री माधूसिंह/उगमसिंह	डोडा	,, 6:5 ,, वर्टिकल	22-3-77	8,000	26-3-77	6,000
38.	श्री हिन्दूराम/किसना	,,	अनिल 8 ,,	,,	12,000	,,	8,500
39.	श्री पाबूराम/रामा	,,	अजीत 10 ,, होरि.	,,	15,000	,,	10,000
40.	श्री गोरधनसिंह/मोतीसिंह	नीमाज	अनिल ,, डीपीएस 8 वर्टिकल	,,	11,000	,,	8,500
41.	श्री पूनमनाथ/आईनाथ	भुराजपुरा	विक्रम विद्युत् मोटर 10 एवरी	6-2-77	13,000	15-2-77	10,000
42.	श्री देवाराम/लालूराम	भमानिया	राकेट डीपीएस 10 ,, होरि.	4-1-77	15,000	18-1-77	10,000
43.	श्री लिखमा/हेमाराम	सोनावटी	अनिल डीपीएस 8 एवरी वर्टि.	22-3-77	11,000	26-3-77	8,500

44.	श्री नारायणसिंह/नुमानसिंह	गरनिया	अजीत ,,	7	,,	होरि.	17-5-77	9,500	11-6-77	8,500
45.	श्री कानाराम/शोभाराम	घोडावल	राकेट	10	,,	,,	22-3-77	14,000	26-3-77	10,000
46.	श्री हरिराम/पीसाराम	गरनिया	,,	,,	,,	,,	,,	14,000	,,	10,000
47.	श्री मंगलाराम/रामाजी	विराटियाखुर्द	अनिल	8	,,	वर्टि.	8-2-77	8,000	15-2-77	8,000
48.	श्री हरिसिंह/माधूसिंह	जुणेजा	राकेट	10	,,	होरि.	9-11-76	8,000	21-1-77	8,000
49.	श्री चतरसिंह/पदमसिंह	कालवहमी	,,		,,	,,	22-3-77	10,000	26-3-77	10,000
50.	श्री ग्रानंद कुंवर/शंभूसिंह	धूलकोट	अजीत	8	,,	वर्टि.	17-5-77	7,000	11-6-77	7,000
51.	श्री हजारीसिंह/छतरसिंह	विराटियाखुर्द	,,		,,	,,	22-3-77	8,000	,,	8,000
52.	श्री सरदार/प्रभुजी	,,	राकेट	5	,,	होरि.	8-2-77	5,000	15-2-77	5,000
53.	श्री जेठूसिंह/लक्ष्मी	भादा	अजीत	8	,,	वर्टि.	22-3-77	10,000	28-3-77	5,000
54.	श्री गंगाराम/रामकुंवार	फालना	,,	6:5		,,	6-1-77	5,500	22-1-77	5,500
55.	श्री रतनसिंह/किशोरसिंह	काकरना	विश्वास ,,		5	,,	3-9-76	7,500	9-9-76	7,500
56.	श्री मांगीलाल/दोलाराम	बिरोल	किशन डीपीएस		5	,,	22-3-77	3,200	26-3-77	3,200
									योग	4,82,200

Page No 140

(140)

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1977-78

क्रमांक	नाम कृषक	ग्राम	ऋण किस मशीन हेतु दिया गया	तारीख स्वीकृति	राशि ऋण जो मंजूर की गई	तारीख जब फर्म को ऋण राशि का पेमेंट किया गया	
						दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री प्रहलाद सिंह।किशोरसिंह	गरनिया	ईपीएस मानो ब्लाक 10 एच पी	8-7-77	10,000	17-8-77	10,000
2.	श्री नरपतसिंह।फतहकरण	खिनावड़ी	अजीत आईल इंजिन 8 ,,	,,	8,500	4-8-77	8,500
3.	श्री धांवड़सिंह।अभयकरण	,,	डीपीएस अजीत आईल इंजिन 8 हो.	,,	10,000	,,	10,000
4.	श्री धोकल।प्रभु	नीमाज	अजीत आईल इंजिन 8 एचपी.	,,	8,000	3-8-77	8,000
5.	श्री देवीसिंह।चतरभुज	मोहराई	अजीत आईल इंजिन 7 ,,	17-5-77	8,000	11-6-77	8,000
6.	श्री सलाराम।नेनाराम	आ. कालू	,, 10 ,,	25-8-77	13,000	30-8-77	10,000
7.	श्री हरिराम।संग्राम	,,	राकेट आईल इंजिन 10 ,,	25-3-77	15,000	,,	10,000
8.	श्री गंगाराम।शंकरलाल	कुड़की	अजीत ,, 7 ,,	15-8-77	10,000	,,	10,000
9.	श्री जसराज।बस्तीराम	आसरलाई	अनिल ,, 8 ,,	25-8-77	8,000	,,	8,000
10.	श्री रूपाराम।मोतीराम	गरनिया	अजीत ,, 8 ,,	,,	8,000	,,	10,000
11.	श्री शिवराम।रिद्धकरण	आ. कालू	अनिल ,, 8 ,,	,,	8,000	,,	8,000
12.	श्री ग्रोगड़राम।दुर्गाराम	गरनिया	अजीत ,, 8 ,,	25-3-77	10,000	,,	10,000
13.	श्री आपूराम।रिमजीराम	आ. कालू	अजीत ,, 7 ,,	25-8-77	10,000	,,	10,000
14.	श्री रामेन्द्रसिंह।महावीरसिंह	देवलीकलां	,, ,, 8 ,,	8-7-77	15,000	4-8-77	10,000
15.	श्री भरतसिंह।नाहरसिंह	गरनिया	राकेट ,, 10 ,,	25-8-77	15,000	30-8-77	10,000
16.	श्री भोपालसिंह।लक्ष्मणसिंह	मादा	अनिल ,, 8 ,,	13-8-77	10,000	18-8-77	7,000
17.	श्री लूणा।छगना	बलून्दा	राकेट ,, 10 ,,	25-8-77	12,000	30-8-77	10,000
18.	श्री गेपूराम।खाजूराम	लाम्बिया	अजीत ,, 8 ,,	,,	10,000	,,	10,000
19.	श्री शिवराम।लादूराम	लोटोती	,, ,, ,,	8-7-77	11,000	3-8-77	10,000
20.	श्री जगन्नाथ।गुमान	गरनिया	अनिल ,, 8 ,,	25-8-77	10,000	30-8-77	8,000

21.	श्री छत्तरसिंह।अचलसिंह	पराकिया	अजीत	आइल इंजन	8	एच.पी.	13-8-77	10,000	25-8-77	8,000
22.	श्री बिरदा।रुगनाथ	लांबिया	राकेट	,,	10	,,	25-8-77	12,000	30-8-77	10,000
23.	श्री आसू।भीखा	ग्रा. कालू.	अजीत	,,	10	,,	,,	14,000	,,	10,000
24.	श्री सुखदेव।गणेश	तालकिया	,,	,,	7	,,	,,	11,500	,,	10,000
25.	श्री पूखा।भोला	लोटोती	,,	,,	8	,,	8-7-77	13,000	3-8-77	8,000
26.	श्री शिवनाथसिंह।मंगलसिंह	सांगावास	राकेट	,,	10	,,	25-8-77	15,000	30-8-77	10,000
27.	श्री रावत।चूना	बलून्दा	अजीत	,,	10	,,	,,	14,000	,,	10,000
28.	श्री भंवरसिंह।नाहरसिंह	मादा	अनिल	,,	8	,,	13-8-77	8,000	18-8-77	8,000
29.	श्री भंवरसिंह।प्रभुसिंह	,,	,	,,	8	,,	18-8-77	8,000	,,	8,000
30.	श्री जबरसिंह।भादूसिंह	उन्दरयल	अजीत	,,	7	,,	13-8-77	10,000	25-8-77	10,000
31.	श्री नारायणसिंह।लक्ष्मणसिंह	मादा	अनिल	,,	7-8	,,	8-7-77	6,500	12-8-77	6,500
32.	श्री अचलसिंह।अनाजी	पराकिया	अजीत	,,	7	,,	13-8-77	8,300	25-8-77	8,300
33.	श्री टीकमराम।चेलाराम	खूंडाला	,,	,,	8	,,	12-8-77	8,000	25-8-77	8,000
34.	श्री बिलायतीराम।देसराज	फालना	अनिल	,,	8	,,	13-8-77	7,300	,,	7,300
35.	श्री नेमा।जोधा	कागदड़ा	राकेट	पंप सेट	8	,,	22-3-77	4,000	7-7-77	4,000
36.	श्री गणेश।खूमा	निमाज	अनिल	आईलइंजिन	8	,,	25-8-77	8,000	30-8-77	8,000
37.	श्री बुदाराम।दुर्गाराम	बांजाकूडी	अजित	,,	8	,,	,,	8,000	,,	8,000
38.	श्री जसदास।मायादास	रावडियावास	राकेट	,,	10	,,	,,	13,000	,,	10,000
									योग	3,37,600/-

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 123 का जांच प्रतिवेदन)

BEFORE MISS MUKULIKA SEN FORMERLY DY. COMMISSIONER FOR DEPARTMENTAL ENQUIRIES, RAJASTHAN, JAIPUR (PRESENTLY SECRETARY, ZILA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITIES SERVICE SELECTION BOARD, JAIPUR)

....

Case No. F. 1(7) Dy. CDE/73.

State V/s

(1) Shri Sarvadanand, the then Vikas Adhikari, Gogunda.
(delinquent officer).

(2) Shri Bhanwarlal Moondra, the then Overseer, Panchayat Samiti, Gogunda
(delinquent officer).

(3) Shri Bheem Singh the then Accounts Clerk, Panchayat Samiti, Gogunda (Udaipur)
(delinquent officer).

Present

Shri Jai Kumar Jain	Presenting Officer.
Shri M. K. Vyas, formerly addl. Collector, Udaipur.	Addl. Presenting Officer.

ENQUIRY REPORT

A joint enquiry under rule 16 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1958, was ordered against Shri Sarvadanand the then A. H. E. O., Shri Bhanwar Lal Moondra and Shri Bhim Singh of Panchayat Samiti, Gogunda (District Udaipur), vide memo No. F. 1(95) Apptts.(A-III) 68, dated 28th January, 1969,

2. The Charges framed against them are as under:—

आरोप विरुद्ध श्री सर्वदानन्द

आरोप नं. 1

श्री सर्वदानन्द ने वर्ष 1965 में कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति गोगुन्दा के पद पर कार्य करते हुए 64089–03 पैसे के हैन्ड पम्प तथा पाइप क्रय करने से पूर्व टेन्डर्स प्राप्त के संबंध में नोटिस के प्रसारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। प्राप्त टेण्डर्स निश्चित अवधि के पूर्व खोल लिये, टेन्डर्स सील बन्द प्राप्त नहीं होने पर भी स्वीकार किये, अवधि के पश्चात् प्राप्त टेन्डर्स स्वीकार किये तथा ऐसी फर्मों के टेन्डर्स पर विचार किया जो उक्त सामान के विक्रेता नहीं थे। इस प्रकार की अनियमितता कार्यवाही करने में श्री सर्वदानन्द ने उक्त पद पर कार्य करते हुये कर्तव्यपालन में घोर उपेक्षा की तथा नियमों का स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन किया।

आरोप नं. 2

श्री सर्वदानन्द ने उक्त समय में उक्त पद पर कार्य करते हुए बिना मांगे (डिमान्ड्स) प्राप्त हुये तथा अनुमान (एस्टीमेट्स) स्वीकृत करवाये। 185 हैण्ड पम्प व पाइप की क्रय पर 64,089.03 पैसे अनावश्यक रूप से व्यय करने में वित्तीय औचित्यता स्टेण्डर्ड के निर्वाह के संबंध में निश्चित सिद्धान्तों के पालन में विफल रहे।

आरोप नं. 3

श्री सर्वदानन्द ने उक्त समय में उक्त पद पर कार्य करते हुए 195 रु. की दर से प्राप्त हो सकने वाले हैन्ड पम्प को 388–71 पैसे की दर से क्रय कर पंचायत समिति कोष को लगभग 25,000 रुपये की हानि पहुंचाई और ऐसा करते हुए उक्त श्री सर्वदानन्द ने स्वेच्छापूर्वक वित्तीय, बजट तथा लेखा नियम, 1959 के नियम 26 का उल्लंघन किया और साथ ही श्री सर्वदानन्द पंचायत समिति रेकार्ड की हिफाजत करने में अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग नहीं रहे हैं।

आरोप नं. 4

श्री सर्वदानन्द ने उक्त समय में उक्त पद पर कार्य करते हुये टेन्डर सम्बन्धी रेकार्ड को पूरी हिफाजत में न रख कर गफलत की जिससे अभिलेख में रद्दो-बदल संभव हो सका।

आरोप नं. 5

श्री सर्वदानन्द ने उक्त समय में उक्त पद पर कार्य करते हुए हैन्ड पम्प के निमित्त स्वीकृत राशि को व्यय करने के सम्बन्ध में प्रधान को गलत सुझाव दिये और ऐसा करने में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया।

(144)

आरोप विरुद्ध श्री भीम सिंह

श्री भीमसिंह ने पंचायत समिति गोगुन्दा में लेखा लिपिक के पद पर कार्य करते हुये 64,089 रुपये के सामान क्रय के मामले में राशि के भुगतान से पूर्व सामान के खरीद के रेकार्ड की नियमों के अनुसार जांच नहीं की और अपनी टिप्पणी न देकर अनियमित भुगतान करा दिया और इस प्रकार उक्त श्री भीमसिंह लेखा लिपिक के रूप में कर्त्तव्य पालन में विफल रहे ।

आरोप विरुद्ध श्री भंवर लाल मूदड़ा

श्री भंवर लाल मूदड़ा ने वर्ष 1965–66 में पंचायत समिति गोगुन्दा में ओवरसियर के पद पर कार्य करते हुए हैन्ड पम्प खरीदने के सम्बन्ध में प्रस्ताव करते समय कई बातों का प्रस्ताव में पूर्णरूपेण उल्लेख नहीं किया व अपूर्ण व दोषपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की व अपने निजी लाभ के लिये निविदा-सूचना का प्रसार व प्रकाशन टाला तथा पंचायत समिति के रेकार्ड इस प्रकार श्री भंवर लाल मूदड़ा ने अपने कर्त्तव्य पालन व कर्त्तव्य विमुखता का परिचय दिया साथ ही घोर प्रदर्शित किया ।

3. D.O. Shri Sarvadanand inspected the record and submitted the reply to the Government on 23-12-69. The Appointments Department file does not contain any provisional replies by the other delinquent officers.

4. The enquiry was entrusted to the Additional Commissioner, Departmental Enquiries, vide order No.F. 1(65) Apptts.(A. III) 68, dated 1-5-70.

5. The preliminary statements of the delinquent officers were recorded on 8-9-70. The prosecution then produced as many as 36 witnesses whose name are given below:—

1. Shri V.K. Binjoo, Collector, Sirohi.
2. Shri Sobhagmal Singhvi, Vikas Adhikari, Gogunda.
3. Shri Fateh Lal S/o Phool Chand, Chairman, Standing Committee, Social Services, P.S., Gogunda.
4. Shri Devi Lal S/o Hameraji, Agriculturist, Teh. Gogunda.
5. Shri Girdhari Lal Birla, M/s Girdhari Lal Birla, Importer and Exporter (Proprietor), Udaipur.
6. Shri Devilal Mehta S/o Arjunlal Mehta, Sarpanch, Gogunda, Ex-Pradhan, P.S., Gogunda
7. Shri Ganesh Lal Kabra S/o Nathulal Kabra, Jagdish Chowk Udaipur.
8. Shri Manbar Krishna Bharde S/o Shambhu Nath, r/o Udaipur.

9. Shri Gopilal, Sarpanch, Gram Panchayat Bagrunda.
10. Shri Kani Ram S/o Bhawani Shankerji Paliwal, r/o Undithal, Gram Panchayat Chhali.
11. Shri Ghera Lal, r/o Brahaman ka Kalwara, Panchayat Samiti, Gogunda.
12. Shri Laxman Singh S/o Shri Jalam Singh, Sarpanch Gram Panchayat Dhundi, P.S. Gogunda.
13. Shri Nand Ram S/o Jai Ramji, Sarpanch Ravalia Khurd Gram Panchayat.
14. Shri Devi Singh S/o Girwer Singh, Sarpanch Gram Panchayat Majavari, P.S. Gogunda.
15. Shri Khumanji, Sarpanch Gram Panchayat Diyan, P.S. Gogunda.
16. Shri Saifuddin S/o Kurban Sen, Sarpanch Gram Panchayat Paner, P.S. Gogunda.
17. Shri Birdhi Chand Paliwal, Sarpanch Gram Panchayat Semed, P.S. Gogunda.
18. Shri Devi Lal S/o Dhanroop Jain Sarpanch Gram Panchayat Karda, P.S. Gogunda.
19. Shri Roop Singh S/o Umaid Singh, Sarpanch Gram Panchayat Kahava.
20. Shri Prithvi Raj, Sarpanch, Gram Panchayat Modi, P.S.Gogunda.
21. Shri Nahar Singh S/o Madan Singh, Sarpanch, Gram Panchayat Morvali, P.S. Gogunda.
22. Shri Manohar Lal S/o Baluramji, r/o Ahad, Udaipur.
23. Shri Dashrath Bhai S/o Hargovind Bhai, Partner Proprietor of M/s Ram Vijai Iron Works, Ahmedabad.
24. Shri Bhagwat Singh Mehta, Proprietor Mehta Machinery and Hardware Mart, Udaipur.
25. Shri Chunni Lal S/o Devi Lal, Sarpanch, Gram Panchayat Nenedshma.
26. Shri Devi Lal, Sarpanch, Gram Panchayat, Sayara.
27. Shri Bhura Lal, S/o Shivlal, Village Kamol.
28. Shri Nanalal, Sarpanch, Gram Panchayat Chatia-kheri,
29. Shri Laxman Singh S/o Khoom Singh Village Ravila Kala.
30. Shri Mukund Singh S/o Jodh Singh, Sarpanch Gram Panchayat Tarpal.
31. Shri Kishan Singh, Sarpanch, Gram Panchayat Obra-Kala.
32. Shri Krishna Gopal S/o Prabhulal, Pradhan, Panchayat Samiti, Gogunda.
33. Shri Ajit Kumar S/o Shri Ganesh Lal., Proprietor of Ajit Engineering (1963 to 1965) now serving in Bikaner Jupsum Ltd. Udaipur.
34. Shri Khayali Lal Jain, Partner of Rajasthan Automobiles, Udaipur.
35. Shri Roshan Lal, Zila Pramukh Udaipur.
36. Shri Bhagwati Lal Mantri S/o Champalal Mantri, r/o Udaipur.

6. On conclusion of this evidence the three delinquent officers submitted written statements and expressed desire to lead evidence in their defence.

7. In all nine defence witnesses were produced. They are:—

1. Shri Ratan Lal Paneri, V.L.W., Panchayat Samiti (Ex. V.L.W., P.S. Gogunda) Badgaon.
2. Shri Fateh Lal Mehta, U.D.C., Panchayat Samiti, Sarada.
3. Shri Daulat Singh, Accounts Clerk, Panchayat Samiti, Dhariavad.
4. Shri V.N. Sharma, Chartered Accountant, Udaipur.
5. Shri Mohan Lal Jain, Overseer, P.W.D., Banswara.
6. Shri Narain Singh, L.D.C., Panchayat Samiti, Bhinder (Distt. Udaipur)
7. Shri Chhagan Lal, Editor, Jai Stambh, Udaipur.
8. Shri Krishna Gopal Vyas, Pradhan, Panchayat Samiti, Gogunda.
9. Shri Kanhayalal Khesra, Hindusthan Machinery, Hathipole, Udaipur.

8. After the first 6 defence witnesses had been examined by the Additional Commissioner the enquiry was transferred to the Deputy Commissioner for Departmental Enquiries vide order No.F.6(89)Apptts/A. III/72, dated 22nd January, 1973.

9. On conclusion of defence evidence the case was listed for final arguments. Instead of arguing the points both the defence and prosecution chose to file written arguments which were taken on record.

10. I have carefully gone through the evidence as well as the written arguments of both sides. My findings on the different charges are as under :—

Delinquent Officer Shri Sarvadanand

Charge No. 1

11. It has been alleged that while officiating as Vikas Adhikari, Gogunda in 1965 the D.O. did not ensure that formalities regarding obtaining tenders were completed prior to purchasing hand pumps and pipes worth Rs. 64,089.03 paise. He (1) did not issue proper tender notice (2) opened the tenders before due date (3) accepted unsealed tenders (4) accepted tenders submitted after due date and(5) considered tenders of even those firms which did not deal in those goods.

Thus the D. O. was guilty of dereliction of duty.

12. The material evidence on this point has come from P. W. 2 Shri Sobhagmal Singhvi, Vikas Adhikari who has deposed mainly on the basis of record of the Pacnhayat Samiti . He was said that it is evidence from Ex. P. 2 the Despatch Register that tender notice were sent only to the Times of India and Hindustan Times. It does not show any tender

notice having sent to Jai Stambh a local news paper. He has also referred to Ex. P. 11 the Panchayat Samiti file relating to purchase of hand pumps. Ex.P. 12 is the office copy of the letter sent to the proprietor of the news paper on 13-9-65. In this document Editor of Hindustan Times and Times of India has been scored out and substituted by Editor Jai Stambh. Even the specification typed out in this document has been changed to V. 2 in ink. The document bears the D. O.'s initials. The tender notice has been published at portion marked A in Ex. P. 3 in the paper Jai Stambh. Even in this tender notice at S. No. 3 the specification has been changed from H or M type to V2 in ink.

13. It would be interesting to note that the tender notice has been issued in the अतिरिक्तांक of the Jai Stambh and only seven days time was allowed for submitting sealed tenders. The tenders were invited upto 25th September, 1965. Ex. P. 14 is the tender. In this document H type or M type written first has been later on changed as V. This tender bears the D.O.'s initial. This tender was opened on 22-9-65. Simlarly Ex. P. 15 tender for H type hand pump and tender Ex.P. 16 were opened on 22-9-65 and tender Ex. P. 17 was opened on 24-9-65 i.e. before the last date for submitting tenders. Tenders exhibits P. 18 to P. 25 were all opened on various dates subsequent to 25-9-65. All these tenders opened prematurely and also those received late were included in the comparative statement Ex. P. 26. The envelopes attached to the tender notices in Ex. P. 11 show that they were not sealed.

14. P. W. 6 Shri Devi Lal Mehta Ex-Pradhan, Panchayat Samiti, Gogunda has deposed that the supplies to the Panchayat Samiti were made by Ganesh Engineering Works a firm not existent in Udaipur.

15. P. W. 8 Shri Manohar Krishna Bharde despatch clerk has deposed that no tender notice was sent to Jai Stambh.

16. P. W. 22 Shri Manoher Lal representative of Baluchistan Engineer Works had deposed that Ex. P. 17 purported to have been submitted by his firm was not actualy so as his firm did not deal in pumping sets in 1965.

17. P. W. 23 Shri Dashrath Bhai, partner proprietor of M/s Ram Vijay Iron Works which had been manufacturing hand pumps for over 25 years was not aware of any V2 type model. He was also not aware of any Jai Stambh H type vertical hand pumps.

18. P. W. 24 Shri Bhagwat Singh Mehta, Proprietor Mehta Machinery and Hardware Mart, Udaipur had admitted that they are neither manufacturers nor authorised suppliers of hand pumps of any particular manufacturer, but do buy and sell them from the market. He had submitted quotations Ex. P. 20 and P.22 written and signed in pencil. There was neither a covering letter nor any reference to any tender notice on the envelope containing the quotations. The qoutations did not Ex. P. 20 and P. 22 written and signed in pencil. There was neither a covering letter nor any reference to any tender notice on the envelope containing the quotations. The quotations did not refer to any particular make.

19. D. W. 7 Shri Chagan Lal, Editor, Jai Stambh does not remember if he had received letter Ex. P. 12.

—

20. Against this overwhelming-evidence in support of the charge the D. O. Shri Sarvadanand has argued that he was new to the job and that he had worked on the post of Vikas Adhikari for only seven days when the matter regarding purchase of pumps etc. came up. Decision of the Panchayat Samiti and its standing committee regarding purchase of pumps existed and only actual purchases were to be made. Since he was new to the job he complied with the orders of the Pradhan and signed the Notices inviting tenders as advised by the Accounts Clerk and the Overseer.

21. Ignorance of rules may be a mitigating factor but certainly does not absolve one of the responsibility of office and permit him to act in a way ward manner and commit irregularities. It is furtile to argue that the D.O. acted on the advice of his subordinates and was led into the irregularities. As leader of the team he should have guided and not been guided let alone being misguided.

22. The charge thus stands proved against him.

Charge No. 2

23. It has been alleged that the D.O. in his capacity as officiating Vikas Adhikari spent Rs. 64,089.03 paise on the purchase of 185 hand pumps and pipe without obtaining demand on preparing estimates and thus acted against the tenets of financial propriety.

24. P.W. 3 Shri Fateh Lal, Chariman, Standing Committee, Social Services, Panchayat Samiti, Gogunda has said that the decision to purchase hand pumps was taken in the meeting held on 25-8-65--proceedings Ex. P. 12. The Vikas Adhikari had put up a note for installation of hand pumps in every Panchayat but had not put up the demands received from the Panchayats.

25. P.W. 4 Shri Devilal, Sarpanch, Majawat says that he had not sent any demand for hand pumps.

26. P.W. 9 Shri Gopilal, Sarpanch, Bagrunds applied for hand pumps on being told that these were being offered to the Panchayats. He had not sent any demand for them.

27. P.W. 10 Kani Ram, Sarpanch, Chali, P.W. 11 Shri Chera Lal Sarpanch Talwara, P.W. 12 Shri Laxman Singh Sarpanch, Dhundi, P.W. 14 Shri Devi Singh, Sarpanch, Majavari P.W. 15 Shri Khumanji, Sarpanch, Diyan, P.W. 16 Shri Shafiuddin, Sarpanch, Paner, P.W.17 Shri Birdhi Chand, Sarpanch Semed P.W. 18, Shri Devi Lal Sarpanch Karda, P.W. 21 Shri Nahar Singh, Sarpanch, Morval P.W. 25 Shri Chuni Lal, Sarpanch, Nanedsma, P.W.26 Shri Devi Lal, Sarpanch, Sayara and P.W. 30 Shri Mukund Singh, Sarpanch Tarpal either had not placed any demand for hand pumps or asked for them only after the pumps had been purchased.

28. This clearly established that no demand was taken before the pump sets were ordered or purchased. It is true that Sarvadanand, D.O. was not the Vikas Adhikari when proposals for purchase of hand pumps were put up in the meeting of the Standing Committee but it certainly was his duty to ensure that formalities had been completed before inviting tenders and placing orders.

29. The D.O. had contended that prior to his taking over as officiating Vikas Adhikari the Standing Committee for Social Service had approved an expenditure of Rs. 620/- per well for converting them into sanitary wells as provided in the order of Chief Engineer, Public Health. The Committee approved the estimate of converting step wells into sanitary wells and fitting of hand pumps on them at Rs. 600/- per well and also sanctioned purchase of pipes worth Rs. 3000/-.

30. This decision of the Standing Committee in Ex. P. 9 reads: —

Para 32 Sub-Para 8 "इस पंचायत समिति क्षेत्र में प्रत्येक गांवों में कुये पर हैण्ड पम्प लगाने व बावड़ी को बन्द करने हेतु 600 रुपया प्रति कुआ ।"

31. It is thus obvious that assessment Rs. 620/- per well was only for the purpose of budget allotment and can in no way be termed as detailed estimate. In fact expenditure should have been sanctioned only after detailed estimates for each well had been prepared by the Overseer. As this was not done this charge also stands proved.

Charge No. 3

32. It is alleged that while officiating as Vikas Adhikari the D. O. purchased hand pumps worth Rs. 51,304.03 paise at Rs. 388.71 per pump as against the maximum retail price of Rs. 195/- per pump and thus caused financial loss amounting to Rs. 25,000/- to the Panchayat Samiti exchequer. In doing so he violated rule 26 of the Financial Budget and Accounts Rules, 1959.

33. P. W. 23 Shri Dashrath Bhai Partner Proprietor of M/s. Ram Vijay Iron Work Ahmedabad who manufacture and deal in such pumps has quoted the Ex-factory delivery price at Rs. 185/- per pump. He has also stated that his firm had supplied 125 such pumps to the representative of M/s. Ganesh Engineer Corporation, Udaipur at the price quoted above.

34. This view has been corroborated by P.W. 6 Shri Devi Lal Ex-Pradhan of the Panchayat Samiti.

35. Against this evidence the D.O.'s contention is that the price quoted is only ex-factory and that the actual price at delivery head will be much more.

36. P. W. 23 who has quoted the Ex-factory price at Rs. 185/-per pump has said that in addition rod compling would cost around Rs. 2.50 to Rs. 5.00 per feet depending on the breadth required.

37. The D. O. has contended that there would have been additional charges on account of transportation etc. and every thing combined the cost would have been much more than what has been actually paid.

38. This argument is not tenable as there were no proper tenders. In the absence of proper tenders D.O.'s assessment of expenditure is mere conjecture. In light of this I hold that the above charge has also been proved.

Charge No. 4

39. It is alleged that in his capacity as Officiating Vikas Adhikari the D. O. did not ensure proper custody of the record relating to the tender which led to overwriting and alterations and substitution of V2 for H in the tender notices.

40. That the alterations did creep in is not disputed. P.W.2 Shri Sobhagmal Singhvi testifying from the record has clearly pointed out the alterations in the tender notice. P. W. 5 Shri Girdhari Lal one of the tenderers has corroborated it by saying that he had "written as H but later on somebody has changed it as V2".

41. The D.O.'s contention is that he was not incharge of the record and that it used to remain in the custody of codelinquent officer Shri Bhanwar Lal Mundra Overseer who should be held responsible for the alterations.

42. True, no officer is supposed to keep the entire record of the office in his personal, custody. He, however, cannot deny overall responsibility of safe custody of the record. The D.O. was thus guilty of supervisory negligence. This charge is also proved.

Charge No. 5.

43. It has been alleged that after placing orders for the hand pumps on 1-10-65 the D.O obtain the Pradhan's sanction for expenditure on 4-11-65 mis-representing that payment had to be made by 31-10-65.

44. The evidence of P.W. 32 Shri Krishna Gopal, the then Pradhan of the Panchayat Samiti is clear on this point He has referred to office note Ex. P 42 submitted by D.O. Shri Sarvadanand requesting for expenditure in anticipation of sanction as the last date for payment was 31-10-65 and the party was pressing hard for it. This note is dated 3-11-65 and the Pradhan sanctioned payment subject to observance of rules on 4-11-65. According to this witness "There is no mention in Ex.P.42 of any special circumstances which could have justified non-observance of settled clear rules for placing and securing these orders." The Vikas Adhikari also had not pointed out any special emergency for urgent action.

45. The only explanation the D.O. has to offer that the Pradhan himself was interested and every thing was done on his orders.

46. I am afraid this argument does not help him. Even if the orders of the Pradhan were wrong the D.O. should have submitted a note of dissent while complying with those orders. This charge is also thus proved.

Delinquent Officer Shri Bhanwar Lal Moondra, Overseer

47. The charge against him is that while working as Overseer in the Panchayat Samiti, Gogunda, put up incomplete and faulty proposals for purchase of hand pumps. He did not give wide publicity to the tender notice, and altered the Panchayat Samiti record with the ulterior motive and personal benefit.

(151)

48. The D.O. has contended that he had nothing to do with the resolution of the Panchayat Samiti to purchase hand pumps.

49. The prosecution evidence however, points to the contrary. P.W.2 Shri Sobhagmal has shown that entries at S.No. 4693 to 4694 (of tender notices to Hindustan Times and the Times of India) Ex.P.3 in the Despatch Register Ex.P.2 bear the D.O.'s initials in column Nos. 3, 4 and 5 when he as Overseer was not required to do so. The despatch Register has no entry to show that a notice inviting tender was issued to Jai Stambh the local paper. Similarly entries Ex.P.5 regarding despatch of letters to the Hindustan Times and Times of India, in the Postage Stamps Register Ex.P.4 have also been initialled by the D.O. Ex.P.6 the daily work diary of the D.O. does not contain any entry regarding estimates, drawings, spot inspection of the work in hand.

50. In his written arguments the D.O. has mentioned that had prepared forecast estimates and that detailed estimates were to be prepared only before execution of work.

51. Regarding issue of notices inviting tenders he has stated that there was no mis-representation on his part when he had submitted that the Panchayat Samiti would be entering the II stage and funds had to be utilised. However, the tender notice had been received before this note was put up. It was on the orders of the Vikas Adhikari, Co-delinquent Officer Shri Sarvadanand he had prepared the comparative statement.

52. The D.C. admits having handed over a notice inviting tenders to Jai Stambh and contents that the leading papers had refused publication for want of advance charges. Handing over the advertisement to Jai Stambh was neither to short circuit the procedure nor to derive any personal benefit from it.

53. This was a serious irregularity and Shri Moondra cannot be absolved of it. His initials on the Despatch and Postage Stamps Registers against entries related to the subject clearly show his personal involvement in the deal.

54. That the record relating to the tenders was in his custody was beyond doubt. It was he who had prepared the comparative statement. Merely stating that the changes may have been made after the bills had been passed does not hold water. I, therefore, hold that the charge against him stands proved.

Delinquent Officer Shri Bheem Singh Accounts Clerk

55. It has been alleged that the D.O. failed in his duties as Accounts clerk in so far as he allowed payment of the bills amounting to Rs. 64,089/- without raising the valid objections. He should have pointed out that tenders had not been properly invited after wide publicity that the tenders were opened on different dates violating secrecy of tenders and that the purchase of hand pumps on the basis of these tenders was irregular.

(152)

56. P.W.3 Shri Sobhagmal presented the relevant F.V.C. Bills Ex.P.44 to Ex.P.46 and pointed out that these bills had been passed by the D.O. without raising any objections.

57. The D.O's contention that the Vikas Adhikari is fully competent to make payment and that the Accounts Clerk is not responsible if any irregularity has been committed does not stand. As Accounts Clerk it was his duty to check the bills and point out irregularities if any. Even if the Vikas Adhikari had paid the bills without consulting him he should have pointed it out. This was not done.

58. The charge against the D.O. thus stands proved.

59. With the above remarks the enquiry report in duplicate is submitted to the Special Secretary to the Government, Department of Personnel (A-II) for consideration of the Government.

MUKULIKA SEN
Secretary.

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर व उनके उत्तर)

मंडी पीलीबंगा में पंजीकृत सहकारी समितियां

124. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मण्डी पीलीबंगा में कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हुई हैं? उनमें से ईंट भट्टा श्रमिक सेवा समिति, आदर्श यातायात समिति, श्रमिक ठेका सहकारी समिति एवं सहकारी उपभोक्ता भण्डार के प्रबन्धक मण्डल के सदस्यों की सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करावें।

(2) क्या उक्त समितियां काम कर रही हैं या भंग हो गई? अगर भंग हो गई हैं तो क्यों? क्या राज्य सरकार के सहकारी विभाग का कोई ऋण उन भंग समितियों की तरफ बकाया है? अगर हां तो कितना और वसूली हेतु क्या किया गया?

(3) क्या यह सही है उक्त सभी समितियों में कुछ नामों के सदस्य हैं और उन्हीं लोगों ने फर्जी सदस्य बनाकर समितियां पंजीकृत करवाली हैं? अगर हां तो उन लोगों के विरुद्ध कोई जांच की गई? अगर हां, तो क्या परिणाम निकला?

(4) क्या यह सही है कि उन सभी समितियों का सचिव श्री मानकचन्द बोथरा है और यही व्यक्ति तमाम ऋण उठाकर ले गया व उसने समितियां भंग कर दीं इस मामले की शिकायतें विभाग को प्राप्त होने पर विभाग ने क्या जांच की? जांच के क्या परिणाम आये?

उत्तर

(1) मण्डी पीलीबंगा में कुल 12 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त समितियों में से निम्न तीन समितियां कार्यरत हैं :—

1. निकेतन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., पीलीबंगा

2. आदर्श यातायात सहकारी समिति लि., पीलीबंगा

3. पीलीबंगा सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि.,

इसके अतिरिक्त निम्न चार समितियां अवसायनाधीन हैं :—

1. पटेल श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., पीलीबंगा

2. रामगढिया श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., पीलीबंगा

3. आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., पीलीबंगा

4. नवभारत श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., पीलीबंगा

उपरोक्त समितियों में से कोई भी समिति का संचालक मण्डल भंग नहीं हुआ है। राज्य सरकार के सहकारी विभाग का

(154)

(सहकारिता मन्त्री)
कोई ऋण उपरोक्त समितियों की ओर बकाया नहीं है। अतः वसूली का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यह सही नहीं है, क्योंकि समितियों का पंजीयन क्षेत्रीय सहकारी निरीक्षक की मौके की जांच के पश्चात् ही किया गया है। व्यक्ति विशेष विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का नियमानुसार सदस्य बन सकता है। केवल कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति में एक व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सदस्य नहीं बन सकता।

अतः फर्जी सदस्य बनाकर पंजीयन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और जांच का प्रश्न भी पैदा नहीं होता।

(3) जी नहीं, श्री माणकचन्द बोथरा वर्तमान में केवल आदर्श यातायात सहकारी समिति लि, पीलीबंगा के सचिव (मन्त्री) हैं। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर से समिति को बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त हुआ है। अतः श्री माणकचन्द बोथरा द्वारा ऋण उठाकर ले जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

जी नहीं, समितियों को भंग करने की नियमानुसार शक्ति रजिस्ट्रार में ही निहित है।

(4) इस मामले की शिकायतें विभाग को प्रथमतः दिनांक 31–5–77 को प्राप्त हुई, जिसे सहायक रजिस्ट्रार, गंगानगर को दिनांक 14–7–77 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया, जिस पर उनके द्वारा शिकायतकर्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। द्वितीय शिकायत पत्र दिनांक 14–2–78 को प्राप्त हुआ, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न करते हुए संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर को दिनांक 3–3–78 को तथ्यात्मक रिपोर्ट एक माह में भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया है।

सूची

समिति का नाम	प्रबंध-मण्डल के सदस्यों के नाम
1. ईंट भट्टा श्रमिक सेवा स. स. लि.	अवसावनाधीन होने के कारण निरीक्षक (कार्यकारी), सहकारी समितियां पीलीबंगा प्रवसायक नियुक्त है।
2. रामगढ़िया ,, ,,	,, ,,
3. पटेल ,, ,,	,, ,,
4. नवभारत ,, ,,	,, ,,
5. निकेतन ,, ,,	1. श्री नेतारान भ्रा. मालूराम अध्यक्ष 2. श्री शिवनारायण भ्रा. बलदेवाराम मंत्री 3. श्री भंवरलाल भ्रा. देवाराम कोषाध्यक्ष 4. श्री भगवानदास भ्रा. भामाराम सदस्य 5. श्री बंशीलाल भ्रा. चुनाराम ,,
6. आदर्श यातायात सहकारी स. लि., पीलीबंगा	1. श्री हनुमान प्रसाद भ्रा. हरदयाल शर्मा – 2. श्री म[illegible] अध्यक्ष 3. [illegible]नकचन्द भ्रा. नेमीचन्द– मंत्री श्री अमी लाल भ्रा. रूपराम विश्नोई – कोषाध्यक्ष 4. श्री सुभाषचन्द्र भ्रा. मोहनलाल – सदस्य 5. श्री पीरदान भ्रा. माऊराम ,,
7. पीलीबंगा सहकारी उप. भण्डार लि.	1. श्री मानकचन्द आ. नेमीचन्द बोथरा अध्यक्ष 2. श्री मनोहरलाल भ्रा. मित्तल उपाध्यक्ष 3. श्री गुलाबचन्द कोषाध्यक्ष 4. श्री अमीलाल आ. रूपराम विश्नोई सदस्य 5. श्री पारसमल भ्रा. दुलीचन्द ,, 6. श्री दयाल प्रकाश भ्रा. श्री भोराराम शर्मा ,, 7. श्री दुलीचन्द भ्रा. मंगलचन्द बोरडा ,, 8. श्री मोतीराम भ्रा. धनकाराम अरोड़ा ,,

पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव

125. श्री खेतसिंह राठोड (शेरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव पुराने कानून के आधार पर ही कराये जावेंगे ? या उनमें परिवर्तन लाकर करवाये जायेंगे ?

(2) उपरोक्त संस्थाओं के चुनाव कब तक करा दिये जावेंगे ?

(3) जब तक चुनाव न हो तब तक राज्य में पंचायत समितियों व जिला परिषदों का कार्य कैसे चलेगा ?

(4) निर्विरोध चुने गये सरपंचों की पंचायतों को राज्य सरकार क्या अनुदान दे रही है ?

(5) अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट व उसके बाद कानूनी परिवर्तन तक क्या राज्य में पंचायत समितियां इसी प्रकार कार्य करती रहेंगी ?

उत्तर

(1) अभी तक यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन संबंधी मामले में अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के चुनाव कराने की अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

(3) पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कार्य संचालन हेतु प्रशासक नियुक्त किये गये हैं।

(4) राज्य सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(5) अभी तक इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सांचौर क्षेत्र में कुटीर उद्योग

126 श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर क्षेत्र अभी तक कुटीर उद्योगों की दृष्टि से सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहा है ? अगर हां, तो राज्य सरकार वहां कब तक क्या क्या उद्योग लगवाने का विचार रखती है ?

(2) सांचौर नगरपालिका क्षेत्र के आस पास क्या क्या कुटीर उद्योग कब तक लगवाये जायेंगे ?

(3) सांचौर क्षेत्र में क्या क्या कुटीर उद्योगों के विकास करने की एवं उनका कहां कहां पर किन किन उद्योग का कब तक विकास किये जाने की सम्भावनायें हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा स्वयं में कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है। वस्त्र उद्योग के विकास हेतु सम्पूर्ण जिले को राजस्थान हैण्डलूम बोर्ड द्वारा सघन विकास योजना में सम्मिलित किया गया है। जिसमें कि सांचौर

(उद्योग मंत्री)

क्षेत्र भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 1978-79 में 500 नये सुधरे हाथ करघे लगाये जाने का लक्ष्य है जिसमें करघें के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान व 50 प्रतिशत ऋण का प्रावधान है तथा बुनकरों को सूत वितरण व तैयार माल की बिक्री आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायेगी। वर्तमान में सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में ऊनी कताई कपड़ा बुनाई, ऊन पट्टी, ऊंट, के जट से बोरे, गद्दे (वार्षिक उत्पादन 25 हजार रुपये) आदि का कार्य चल रहा है।

(2) विभाग कुटीर उद्योग नहीं लगाता वरन उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान कर प्रेरित करता है। सांचौर नगरपालिका क्षेत्र के आस पास तेल घानी तेल एक्सपीलर, इंजीनियरिंग रिपेयर्स वर्कशाप, लुहारगिरी, खेती के औजार, ईंट भट्टे, ऊनी कम्बल, लकड़ी चिराई, जट पट्टी इत्यादि उद्योग लगाये जाने की संभावनाएं हैं। जिसमें राज्य सरकार पूरा सहयोग देने को तैयार है अगर उद्यमी चाहेंगे तो उन्हें प्रोत्साहित किया जावेगा।

(3) जालौर जिला जिसमें सांचौर भी शामिल है, में छोटे ग्रामीण कुटीर उद्योग लगाने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण. रिपोर्ट विभाग द्वारा तैयार नहीं की गई है, परन्तु विभाग की जानकारी में है कि वहां पर हाथ करघा वस्त्र, लोहा, जूतियों का काम, सूती चद्दरें, ऊंट की पट्टी, लकड़ी पर नक्काशी, ब्लाक प्रिंटिंग (वस्त्र) आदि के विकास की संभावनाएं हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों की दृष्टि से पूरे जालौर जिले का सर्वेक्षण किया गया था, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न लघु उद्योग जैसे खाद्य तेल, इसबगोल भुस्सी, तेल मिल, चमड़ा रंगाई, ऊनी गलीचा उद्योग, सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प, लोहा ढलाई, मोजे के टाइल्स, कृषि औजार एग्रो सर्विस सैन्टर, विद्युत् मोटर बाइन्डिंग, हाथ करघा वस्त्र व ऊंट जट पट्टी उद्योग, केटल फीड उद्योगों के विकास की भी संभावना है।

चूरू जिले की ग्रामीण औद्योगिक परियोजना

127. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़)– क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले में ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कब से कार्यरत है?

(2) इस जिले में परियोजना के सहयोग से कितनी इकाइयां स्थापित की गई हैं? अब कितनी जीवित है? सूची सदन की पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) किन-किन इकाइयों को कितना-कितना ऋण और कितना-कितना अनुदान दिया गया तथा कब-कब किस-किस इकाई में कितना-कितना कर्ज कितने-कितने समय से बकाया है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) इस परियोजना का गत तीन वर्षों का कुल बजट पृथक्-पृथक् कितना था? बजट का कुल कितना भाग इन वर्षों में ऋण अनुदान पर खर्च किया गया और कितना कार्यालय पर? पृथक्-पृथक् वर्षों की जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चूरू में ग्रामीण औद्योगीकरण परियोजना वित्तीय वर्ष 1963–64 (1-4-63) से कार्यरत है।

(158)

(उद्योग मंत्री)

(2) चूरू जिले में परियोजना के सहयोग से 1829 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई (दिसम्बर, 1977 तक)।

(3) वर्ष 1976–77 तक चूरू जिले में 1308 इकाइयों को 39,03,673 रुपये का ऋण एवं 47,217 रु. का अनुदान दिया गया है। सूची माननीय सदस्य को बाद में उपलब्ध करा दी जायेगी।

(4) गत तीन ऋणों में चूरू परियोजना पर ऋण, अनुदान, कार्यालय व्यय पर निम्नानुसार खर्चा किया गया :—

वर्ष	ऋण	अनुदान	कार्या. व्यय
74–75	296000	6842	99170
75–76	199500	7225	131670
76–77	150000	7246	116648
योग	645600	21313	347495

तहसील कोटपूतली की सड़कों की योजना

128. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोटपूतली की कौन कौन सी सड़क 1952 से आज तक निर्माण योजना में राज्य सरकार द्वारा ली गई ?

(2) उनमें से कौन कौन सी सड़क व पुलियां कब कब बनाये गये ?

(3) इस तहसील को विकास से वंचित रखने का क्या कारण है ?

(4) इस योजना में इस तहसील की कौन कौन सी सड़कें व पुलिया बनाने की राज्य सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली में सन् 1952 से अब तक 9 सड़कें जो निर्माण योजना में ली गई हैं। सूची 'अ' में दर्शायी गयी है।

(2) जिन सड़कों और पुलियाओं को अब तक व जब जब निर्माण कराया जा चुका है उसको सूची 'ब' में दर्शाया गया है।

(3) जी नहीं। इस तहसील को विकास से वंचित नहीं रखा गया है। अभी तक इस तहसील में 80 कि.मी. की डामर सड़क व 2 कि. मी. मेटल रोड़ बनाया गया है।

(4) जिन सडकों और पुलियाओं का इस वर्ष निर्माण कार्य स्वीकृत है वे निम्नलिखित हैं जिनको विस्तार से सूची 'स' में दर्शाया गया है :—

(1) एप्रोच रोड भैंसलाना खान

(2) एप्रोच रोड टू राजनोता

(3) सोता नदी पर पुल का निर्माण स्वीकृत अनुमानित लागत 17.90 लाख है और इस वर्ष 4.90 लाख रुपयों का प्रावधान है।

सूची–'अ'

तहसील कोटपूतली में योजना में ली गई सड़कें सन् 1952 में–

क्र. सं.	नाम	लम्बाई	विवरण
1.	बी. टी. रोड नेशनल हाईवे नम्बर–8 से हरियाणा बोर्डर तक	5 कि. मी.	
2.	एम. आर. पावटा से कल्याणपुरा	25 कि. मी.	जिसमें केवल 2 कि. मी. ही मेटल निर्माण स्वीकृत हुआ है और 2 कि. मी. ही मेटल का निर्माण हुआ है ।
3.	बी. टी. कल्याणपुरा से बनेटी	7 कि. मी.	
4.	बी. टी. गोर्वधनपुरा से कांसली	5 कि. मी.	
5.	बी. टी. कोटपूतली बानसूर सड़क	6 कि. मी.	
6.	बी. टी. कोटपूतली से कल्याणपुरा डाबला रोड	16 कि. मी.	
7.	बी. टी. जयपुर दिल्ली रोड नेशनल हाईवे नम्बर–8 (कोटपूतली से गुड़गांव तक का भाग कोटपूतली तहसील)	41 कि. मी.	
8.	एप्रोच रोड भैसलाना खान	4 कि. मी.	कार्य इस वर्ष स्वीकृत कर चालू किये गये हैं।
9.	एप्रोच रोड राजनोता	6 कि. मी.	

सूची--'ब'

तहसील कोटपूतली में निर्माण की गई सड़कों एवं पुलियाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम	लम्बाई	विवरण
1.	बी. टी. रोड नेशनल हाईवे नम्बर-8 से हरियाणा बोर्डर तक	5 कि. मी.	इस सड़क का कार्य सन् 1972 में पूर्ण हुआ।
2.	एम. आर. पावटा से कल्याणपुरा	25 कि. मी.	इस सड़क का कार्य 2 कि. मी. लम्बाई ही स्वीकृत थी जो सन् 1975 में पूर्ण हुआ।
3.	कल्याणपुरा से बनेटी	7 कि. मी.	इस सड़क का कार्य सन् 1975 में पूर्ण हुआ।
4.	गोवर्धनपुरा से कांसली	5 कि. मी.	इस सड़क का कार्य सन् 1965 में पूर्ण हुआ। केवल 3 कि.मी. में डामर का कार्य सन् 1977 में पूर्ण हुआ।
5.	कोटपूतली बानसूर सड़क	6 कि. मी.	इस सड़क का कार्य सन् 1960 में पूर्ण हुआ।
6.	बी. टी. कोटपूतली से कल्याणपुरा डाबला रोड	16 कि. मी.	इस सड़क का कार्य सन् 1964 में पूर्ण हुआ केवल 5 कि. मी. में डामर का कार्य सन् 1975-76 में हुआ।
7.	कोटपूतली से डाबला रोड़ पर पुल का निर्माण	--	इस सड़क पर सोता नदी पर पुल का निर्माण सन् 1976 में पूर्ण हुआ।
8.	जयपुर दिल्ली रोड नेशनल हाईवे नम्बर-8 (कोटपूतली से गुड़गांव तक का भाग कोटपूतली तहसील में पुलिया सहित)	30 कि. मी.	यह कार्य सन् 64-65 में पूरा हुआ।

सूची–'स'

कोटपूतली तहसील में सड़कों की सूची जिनका कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	नाम	स्वीकृत राशि	1977–78 के लिए प्रावधान
1.	एप्रोच रोड भैंसलाना खान (4 कि. मी.)	4 लाख	0.50 लाख
2.	एप्रोच रोड टू राजनोता (6.5 कि. मी.)	10 लाख	2.40 लाख
3.	नेशनल हाईवे नम्बर–8 से हरियाणा बोर्डर सड़क पर सोता नदी पर पुल का निर्माण (बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अन्तर्गत)	3.90 लाख	2.00 लाख

उदयपुर जिले की खानों से आय

129. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की विभिन्न खदानों से राज्य सरकार को कितना धन प्रति वर्ष प्राप्त होता है।

(2) क्या उस प्राप्त धन में से खानों के विकास या सड़क बनवाने में राज्य सरकार ने कोई व्यय किया ? यदि हां, तो सन् 1977—78 में किये गये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार खानों से प्राप्त होने वाली आय का अधिकांश भाग उन खानों पर जाने हेतु सड़क निर्माण पर खर्च करना चाहती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को उदयपुर जिले की खानों से निम्न प्रकार आय प्राप्त हुई है।

1974—75	53,69,589
1975—76	1,30,65,025
1976—77	1,38,08,264
1977—78	1,60,00,000

(अनुमानित)

(2) जी नहीं। अतः विवरण संलग्न करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं ऐसा करना संभव नहीं है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति लाखोला में गबन का मामला

130. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखोला ग्राम सेवा सहकारी समिति, पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के मंत्री श्री मोतीलाल चौपड़ को रु. 66023.27 के गबन के आरोप में दोषी पाया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि भीलवाड़ा जिले में 1 हजार से ऊपर के गबन के इस प्रकार के 10 से भी अधिक मामले हैं ?

(3) इस प्रकार के गबन किस 2 ग्राम सेवा सहकारी समिति में हैं तथा इसके लिए कौन-कौन जिम्मेवार है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के गबन के मामले होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक पुलिस में केस नहीं किये गये ?

(5) राज्य सरकार इस विषय में अब क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, गबन दुरुपयोग की राशि 69,823.27 रुपये हैं।

(2) जी हां।

(3) ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

जी नहीं, आठ मामले पुलिस में दर्ज करवाये जा चुके हैं। दस मामलों में पुलिस में केस दर्ज कराने के आदेश दिये जा रहे हैं।

(4) इस प्रकार के मामलों में आवश्यकतानुसार पुलिस में रिपोर्ट कराने व वसूली के लिये हर सम्भव प्रयत्न राज्य सरकार कर रही है।

सूची

क्रमांक	समिति का नाम	दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम
1.	सिगोली ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री शंकरलाल वर्मा श्री रामसुख नाई
2.	पारोली ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री मदनलाल पारीक
3.	लाखोला ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री मोतीलाल चौपड
4.	माण्डल वृहद बहुउद्देशीय स. स. लि.	श्री शंकरलाल सुनार
5.	गंगापुर क्रय विक्रय स. स. लि.	श्री बंशीलाल माली
6.	साधरोल ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री जान मोहम्मद
7.	पाटन ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री भैरूसिंह राजपूत
8.	नई रायला ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री उत्सवलाल लढा श्री कन्हैयालालजी नगर
9.	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 11-12 लि. भीलवाड़ा	श्री महावीर प्रसाद जैन
10.	कुवालिया ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री मूलचन्द सैनी
11.	बिजोलिया क्रय विक्रय स. स. लि.	श्री जितेन्द्र कुमार लूनावत
12.	खारोला का खेडा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री कल्याणमल धाबाई
13.	मेघाराम ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री शकूरखां श्री शेरखां
14.	पुर ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री बालकनाथ
15.	असोपुर ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री मनोहरसिंह पोखरना
16.	निम्बाहेडा जाटान ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री भंवरलाल ब्राह्मण
17.	भोजपुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री रहमत अली
18.	रतनपुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री नानूराम शर्मा
19.	माण्डल वृहत्त बहुउद्देशीय स. स. लि.	श्री मिश्रीलाल ईनाणी
20.	बरामा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री गोपालकृष्ण शर्मा
21.	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 3-4 जि. भीलवाड़ा	श्री छीतरमल गट्यानी
22.	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 11-12 लि. भीलवाड़ा	श्री निरंजननाथ चतुर्वेदी
23.	गंगापुर क्रय विक्रय स. स. लि.	श्री जितेन्द्रकुमार लूनावत
24.	नेगडियाखोला ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री लोभचन्द जाट श्री श्रीलाल नागर

(164)

क्रमांक	समिति का नाम	दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम
25.	मलाड़िया ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री मनोहरसिंह
26.	कोटूकोटा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री भोपाल सिंह चोपड़ा
27.	ग्रासीन्द तहसील कर्मचारी व बचत शाख व स. स. लि.	श्री भंवरलाल पाराशर
28.	ग्राबोली ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री देवकृष्ण शर्मा
29.	दौसा संयुक्त कृषि स. स. लि.	श्री दुरगा शंकर जोशी
30.	हमीरगढ़ आदर्श ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री कमल मल भण्डोबरा
31.	जहाजपुर इंडी ठेका स. स. लि.	श्री. कामठलाल हरिजन
32.	लुदारु ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री मदन लाल अग्रवाल
		श्री हिम्मत सिंह राजपूत
33.	गुलाबपुरा धाणी तेल उत्पा. स. स. लि.	श्री भंवरलाल
34.	कालियास बहु. दे. स. स. लि.	श्री छतरसिंह जैन
35.	खोखली ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री भैरूलाल बावेल
		श्री मदन लाल
		श्री राधाकृष्ण पुरोहित
36.	लापरी बहु. स. स. लि.	श्री देवी मारी
37.	कारोई ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री दीपचन्द
		श्री बालूराम
		श्री रामेश्वर
38.	अगरपुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री नवरतन मल ग्राडिया
39.	सैंधुरिया ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री फतह सिंह राजपूत
40.	पीपली ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री राधाकृष्ण राठी
41.	बड़ा महुआ ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री पुरुषोत्तम शर्मा
42.	खेराबाद ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री मोहन सिंह राजपूत
43.	बल्दरखां ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री बाबूराम खाती
44.	रीठ ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री शंकर लाल नाई
45.	छापरेल ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत
46.	पारोली ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री रूपचन्द जैन
		श्री रतनलाल सुवालटा
47.	डेगाना ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री रामेश्वर प्रसाद
48.	माण्डल वृहद बहु. स. स. लि.	श्री गोकल लाल लुहार
		श्री कल्याण मल वैष्णव
		श्री कवरलाल ओझा

क्रमांक	समिति का नाम	दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम
49.	माण्डल वृहत बहु. स. स. लि.	श्री सोहनलाल मण्डोवरा
50.	घोडास ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री बालूराम सोनी
51.	लसाडिया ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री भवरदीखां
52.	विक्रेता ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री भुरालाल मीणा
53.	आगूचार ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री लालचन्द जैन
54.	पाण्डेर ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री सुगनलाल पहाड़िया
55.	बगपुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री प्रताप सिंह
56	संग्रामगढ़ ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री नरपत सिंह
57.	मांड का निम्बाहेडा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री दीदार बक्श
58.	श्यामपुरा ग्राम सेवा स. स, लि	श्री मांगीलाल
59.	खांडाला ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री छीतरमल नाहर
60.	गणेशपुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री सुवालाल शर्मा
61.	मोखावास ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री दयाराम जाट
62.	भरक ग्राम सेवा स. स लि	श्री मदनलाल चौपड
63.	उम्मेदपुरा सामूहिक कृषि स. स लि.	श्री मोहन सिंह राजपूत
64.	नाहरी ग्राम सेवा स स. लि	श्री शंकरलाल समदानी
65.	बोरियापुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री प्रहलादराय उपाध्याय
66.	कोल कन्जूमर्स स. स. लि. भीलवाड़ा	श्री किशनलाल
67.	एम. टी. एम. कन्जूमर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि. भीलवाड़ा	श्री सागरमल श्री भंवरलाल
68.	मंगाराम क्रय विक्रय स. स. लि.	श्री शंकर लाल बोडिया
69.	राजपुरा वृहत प्राथमिक कृषि ऋणदायी सहकारी समिति लि.	श्री राधेश्याम
70.	भादू वपत व शाख स. स. लि.	श्री उदयसिंह
71	सहकारी भूमि विकास बैंक लि. भीलवाड़ा	श्री शिव दत्त शर्मा
72.	ईरास ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री देवा गूजर
73.	टूकरवाड ग्राम सेवा स. म. लि.	श्री मोतीलाल जाट
74.	लूलास ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री सोहन लाल सुवालका श्री भंवर सिंह राजपूत
75.	महुआ ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा
76.	बीगोद लोहा ग्रामोद्योग स. स. लि.	श्री आलम लुहार
77.	काछोला ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री सोहन लाल जागारज
78.	श्यामपुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री धर्म चन्द डांगी

166

क्रमांक	समिति का नाम	दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम
79.	भद्दोल ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री फतह सिंह राजपूत
80.	लाठपुरा संयुक्त कृषि स. स. लि.	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा
81.	पासीन्द क्रय विक्रय स. स. लि.	श्री लक्ष्मीनारायण व्यास
82.	खोरियापुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री प्रह्लाद राय
83.	नई रायला ग्राम स. स. लि.	श्री छगनलाल लड्ढा एवं श्री कन्हैयालाल जीनगर
84.	मालकाखेडा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री धर्म चन्द डांगी
85.	तिलस्वां ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री भवानीराम धाकड
86.	मेठिया ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री कल्याण मल मीणा
87.	नीमकाखेडा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री गौरी शंकर शर्मा
88.	नईरायला ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री हीरालाल लखारा
89.	ईरास ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री जीवनसिंह राजपूत
90.	बागौर ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री भंवरलाल
91.	लाठपुरा ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री भवानीराम धाकड
92.	माण्डल वृहत वहू. स. स. लि.	श्री जयसिंह राजपूत

रोहट में डेयरी के लिए दूध का संग्रह

131. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रोहट पंचायत समिति (जिला पाली) में ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जहां से डेयरी के लिए दूध संग्रह किया जाता है ? इन गांवों से कितना दूध संग्रह किया जाता है ?

(2) क्या उन गांवों को जहां श्वेत क्रान्ति प्रारम्भ हो चुकी है, सड़कों से जोड़ा जाएगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) रोहट पंचायत समिति (जिला पाली) के निम्न गांवों से उनके आगे अंकित मात्रानुसार दुग्ध संग्रह किया जा रहा है:–

क्र सं.	गांव का नाम	दूध संग्रह की मात्रा (कि. ग्रा.)
1.	जैतपुरा	260
2.	मांडावास	185
3.	चैण्डा	420
4.	सिरापा	152
5.	किगाणा	357
6.	राखना	287
7.	रापा	125
8.	ओटिया	300
9.	काला पीपल की ढाणी	400
10	सांवलता की ढाणी	500
11.	गोरिया	300

(2) जी हां।

(पशुपालन मन्त्री)
रोहट पंचायत समिति क्षेत्र में वायद से चैण्डा, मांडावास तक सम्पर्क सड़क स्वीकृत की गई है।

तहसील खण्डार को बालेर सड़क से जोड़ने की योजना

132. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील खण्डार को बालेर सड़क द्वारा जोड़ने की योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गयी है? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित की जावेगी?

(2) क्या राज्य सरकार इस योजना की जन समस्या को देखते हुए लाभान्वित समझती है? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं?

(3) क्या भूतपूर्व सरकार ने इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा है? यदि हां, तो वर्तमान सरकार इसे लाभान्वित करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील खंडार को बालेर सड़क द्वारा जोड़ने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। अतः कार्यान्वित करने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां, परन्तु राज्य सरकार ने 5,000, जनसंख्या के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को ही इस वर्ष में स्वीकृत किया है।

(3) वर्तमान सरकार सीमित आर्थिक उपलब्धि को ध्यान में रख कर जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए ही योजना बनाती है।

किशनगढ़ में नये उद्योग

133. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले का किशनगढ़ नगर पावर लूम उद्योगों में राज्य में अपना विशेष स्थान रखता है?

(2) क्या राज्य सरकार किशनगढ़ के औद्योगिक महत्व को देखते हुए यहां कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में अनेकों मजदूर वर्तमान में बेरोजगार हैं?

(4) क्या राज्य सरकार किशनगढ़ में अन्य कोई ऐसा उद्योग लगाने का विचार रखती है जिससे इस क्षेत्र के लोगों को कार्य मिल सके? यदि हां, तो राज्य सरकार कौनसा उद्योग लगाने का विचार रखती है तथा उसकी क्रियान्विति कब तक संभव है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कुल 4495 पावरलूम हैं जिनमें 3157 केवल किशनगढ़ में है।

(2) जी नहीं। क्योंकि भारत सरकार स्वयं इस बाबत विचार कर रही है। इसमें 4-5 करोड़ की लागत लगती है।

(3) इस बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है। देश में बेरोजगारी पर्याप्त है और किशनगढ़ अपवाद नहीं है।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव/योजना वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति इटावा द्वारा गन्ना उपजाओं आन्दोलन के तहत दिया गया अनुदान

134. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा में सन् 1963–64 में गन्ना उपजाओ अभियान चलाया गया था ?

(2) इस अभियान के अन्तर्गत कितने रुपयों का गन्ना तथा कितने रुपये का अनुदान किसानों को वितरित किया गया है ?

(3) कितने रुपयों का कितना गन्ना तथा अनुदान किन किन गांवों के किन किन किसानों में वितरित हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इस कार्य में घोटाला हुआ था तथा इसकी जांच भी हुई, लेकिन उस जांच को दबा दिया गया था ?

(5) क्या राज्य सरकार इस गन्ना कांड की पुनः जांच कराके किसानों को राहत पहुंचाने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) वर्ष 1963–64 में साधार कार्यक्रम के रूप में 1636 मन गन्ने का बीज 15 काश्तकारों को वितरित किया गया था जिसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(4) जी नहीं। वर्ष 1963-64 वितरित गन्ने के बारे में कोई भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1964-65 में आयोजित गन्ना उपजाओ अभियान के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी उनकी जांच अभी चल रही है।

(5) वर्ष 1964-65 के गन्ना कांड की जांच अभी चल रही है। जांच के परिणाम के आधार पर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जावेगा।

पंचायत समिति इटावा में वर्ष 1963–64 में वितरित गन्ने के बीज का विवरण।

क्र.सं.	नाम कृषक	मात्रा वितरण मन सेर	दर	कीमत
1	2	3	4	5
1.	श्री रामनाथ पुत्र भंवर लाल गणेशखेड़ा	450–00	2)	900)
2.	,, मथरालाल पुत्र माधोलाल मूंडली	165–00	2)	330)
3.	,, सीताराम पुत्र माधोलाल ,,	90–00	2)	180)

1	2	3	4	5
4.	श्री आनन्दीलाल पुत्र माधोलाल जाट गणेशखेड़ा	117-00	2)	234)
5	,, परशराम पुत्र भंवर लाल जाट ,,	171-00	2)	342)
	,, ,,	37-20	2)	75)
	,, ,,	12-00	2)	24)
6.	,, छीतर लाल पुत्र गोमता जाट ,,	57-00	2)	114)
	,, ,, ,,	7-00	2)	14)
7.	,, केसरा पुत्र नाथू माली रौन	140-00	2)	280)
8.	,, फजर मोहम्मद पुत्र नजर मोहम्मद लुहावद	90-20	2)	181)
9.	,, बैजनाथ पुत्र शिवनारायण जाट गणेशखेड़ा	13-20	2)	27)
10.	,, सुरेन्द्र सिह पुत्र भैरूसिंह राजपूत	60-20	2)	121)
11.	,, बालमुकन्द पुत्र रामनाथ इटावा	60-20	2)	121)
12.	,, सीताराम पुत्र ओंकार मीणा कंवलदा	57-20	2)	115)
13.	,, प्रभूलाल पुत्र रामनाथ जाट गणेशखेड़ा	27-00	2)	54)
14.	,, बद्रीलाल पुत्र सुखदेव ब्राह्मण लुहावद	13-00	2)	26)
15.	,, रघुनाथ पुत्र शिवनारायण जाट गणेशखेड़ा	67-00	2)	134)
	योग	1636 मन		3,272

तहसील पिड़ावा में भू-आवंटन की जांच

135. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ में दिनांक 5 व 6 नवम्बर, 77 को किये गये आवंटन में भारी अनियमितताएं की गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवंटन में हुई अनियमितताओं की जांच जिलाधीश झालावाड़ ने की है ? यदि हां, तो जांच में किसको दोषी पाया गया है ?

(श्री ईश्वरीचन्द्र)

(3) क्या यह सही है कि उप जिलाधीश श्री भंवर सिंह चारण द्वारा उक्त आवंटन में किये गये पक्षपात व दुर्व्यवहार के कारण सरपंच दांता ने बैठक का बहिष्कार किया ?

उत्तर

(1) दिनांक 5 व 6 नवम्बर, 1977 को 221 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी थी इनमें से प्रत्यक्ष में केवल 4 मिसलों के अलावा जानबूझ कर कोई अनियमिततायें नहीं पायी गयी हैं।

(2) जिलाधीश द्वारा जांच कराने पर चार मामलों में अनियमिततायें पायी गयी हैं जिनमें कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह सही नहीं है, दिनांक 5 व 6 नवम्बर, 1977 को दांता ग्राम पंचायत में आवंटन नहीं हुआ है।

डडवाड़ से आटोन से कुंजेड रोड पक्का बनाने का प्रस्ताव

136. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :– क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास डडवाड़ा से आटोन से कुंजेड़ तहसील अटरू जिला कोटा 13 किलो मीटर की रोड को पक्का बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पक्का बना दिया जायगा ?

उत्तर

डडवाड़ा से आटोन से कुजेड़ तहसील अटरू जिला कोटा 16 कि. मी. की लम्बाई है और इस रोड को पक्का बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसको पक्का सड़क बनाने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

राज्य में सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की योजना

137. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना की जनता को 30 कि. मी. दूरी पर अदालतों में न्याय के लिए परबतसर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बड़ी आबादी के इलाकों में अदालतें खोलने की योजना बनाएगी तथा मकराने को भी उसमें सम्मिलित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु न्यायालयों का पुनर्गठन किया है। अब जिला न्यायालयों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है एवं उनके अतिरिक्त बैठक के स्थान भी निर्धारित किये गये हैं। इसी

(विधि मन्त्री)

प्रकार अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक दण्डनायकों के भी अतिरिक्त बैठक के स्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एवं मुकदमों की संख्या आदि को देखते हुए किये गये हैं।

(2) जी हां। आबादी, इलाके के मुकदमों की संख्या, भवन की व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए एवं उच्च न्यायालय के परामर्श से नई अदालतें खोली जाती हैं।

बड़ी आबादी वाले इलाकों में नई अदालतें खोलने के बारे में प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। मकराना भी इसमें सम्मिलित है।

जिलों का पुनर्गठन एवं नये जिले बनाने का विचार

138. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):
श्री कुंजीलाल (वामनवास):
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय):
क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार कुछ जिलों का पुनर्गठन कर कुछ नये जिले बनाने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले का कार्य क्षेत्र व कार्य अधिक होने के कारण दौसा में अलग से जिला बनाने के बारे में राज्य सरकार ने विचार कर लिया है ? यदि हां, तो कब से जिला बना दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

मूंगफली की नयी जातियों के बीज

139. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार मूंगफली की नयी जातियां एम–13 व टी.जी.1, टी. जी. 3 का कितना बीज खरीदने वाली है ?

(2) भारत सरकार से मूंगफली के लिए रुपया 1.50 प्रति किलो की सहायता लेने के बारे में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ?

(3) उदयपुर विश्वविद्यालय में टी. जी. मूंगफली के क्या परिणाम निकले ?

(4) दिल्ली में आयोजित कृषि प्रदर्शनी Expo 77 से तेल बीजों की नयी जातियों का वर्णन राज्य के किसानों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग मूंगफली की नयी किस्म एम–13 का 400 क्विटल बीज क्रय कर रहा है। जो आगामी खरीफ फसल के लिये कृषकों को वितरण किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा गठित सचिवों की कमेटी के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने प्रमाणित बीज पर रुपये 1.50 प्रति किलो के हिसाब से अनुदान

(कृषि मंत्री)

स्वीकृत करने का निवेदन भारत सरकार को किया है।

(3) उदयपुर विश्व विद्यालय द्वारा चार टी जी सिरीज (टी जी-1, टी जी-3 टी जी-17, टी जी-14) के प्रदर्शन लगाए गये यह किस्में बी ए आर सी ट्राम्बे द्वारा निकाली गई है। उपरोक्त चारों किस्में भूमकी टाईप की है तथा इनकी पैदावार अच्छी है। इन किस्मों में टी जी-1 की पैदावार सबसे अधिक 25 क्विंटल प्रति हैक्टर प्राप्त हुई है इसके अतिरिक्त टी जी-14 की 19 क्विंटल, टी जी-3 की 18 क्विंटल एवं टी जी-17 की 17 क्विंटल पैदावार प्रति हैक्टर प्राप्त हुई है।

(4) किसानों को सिफारिश किये हुए तिलहन बीजों की जानकारी कृषि प्रदर्शनी, कृषि साहित्य पत्रों तथा आकाशवाणी के माध्यम से करायी जाती है।

बुनकरों को करघों का वितरण

140. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हाथ करघा परियोजना मंडल द्वारा प्रति करघा रुपये 1200 की कीमत पर कई स्थानों में बुनकरों को इस शर्त पर वितरित किये गये हैं कि रुपये 600 बुनकरों द्वारा ऋण के रूप में वापस चुकाये जायेंगे और रुपये 600 राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिये जायेंगे ? यदि हां, तो ऐसे कितने करघे वितरित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिन करघों की कीमत रुपये 1200 बताई गई है उनकी बाजार में कीमत 700 रुपये से अधिक नहीं है और इन करघों की खरीद में घोटाला हुआ है ? क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराएगी ?

(3) क्या यह सही है कि जिन लोगों को यह करघे वितरित किये गये उनको माफिक आश्वासन अभी तक सूत उपलब्ध नहीं कराया गया और उन पर अभी तक काम चालू नहीं होने से बुनकरों में भारी असन्तोष है ?

(4) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, परियोजना मण्डल द्वारा 90 से.मी. तक के 'रीड स्पेस' के करघे की कीमत फ्रेम व साज सामान के साथ 750 रुपये तक की स्वीकृत की है इसके बाद विभिन्न 'रीड स्पेस' के लिए कीमत निम्न प्रकार है :–

95 से. मी. से 125 से. मी. कीमत 950 रु. तक

125 से. मी. से 150 से. मी. कीमत 1200 रु. तक

155 से. मी. 180 से. मी. कीमत 1500 रु. तक 'रीड स्पेस' के अनुसार कीमत परियोजना मण्डल ने निश्चित की है कुल कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान व 50 प्रतिशत ऋण दिया जाता है। कुल मिलाकर विभिन्न रीड स्पेस के आज तक करीब 4100 करघों के लिए बैंक द्वारा ऋण दिया गया है व करीब 1900 के ऋण पत्र के कागज तैयार हो रहे हैं जो कि मार्च, 78 तक पूरे किये जायेंगे।

(2) जी नहीं। मण्डल द्वारा जिस प्रकार के मापदण्ड के करघों की सिफारिश

(उद्योग मन्त्री)

की जाती है उनकी कीमत योग्य है। मण्डल द्वारा न तो करघे खरीदे जाते हैं और न ही बुनकरों को बेचे जाते हैं। योजना के अनुसार चयनित बुनकर अपनी इच्छा से कहीं से भी करघा खरीद सकता है न करघे की कीमत बैंक द्वारा दी जाती है मण्डल की योजना में 'स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर' के माध्यम से ही सारा कार्य होता है।

(3) बुनकरों का चयन करते समय उन्हें ऐसा आश्वासन नहीं दिया जाता है परन्तु परियोजना मण्डल की रूप रेखा के अनुसार जो बुनकर, अपनी ओर से कपड़ा उत्पादन करके स्वयं ही बिक्री कर सकते हैं ऐसे बुनकरों को कच्चे माल की खरीद हेतु बैंक द्वारा 1000 रुपये तक ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है।

परियोजना मण्डल यही प्रयास करता रहता है कि प्रत्येक बुनकर अपनी ओर से स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करें और बिचौलियों से मुक्ति पाये। साथ ही मण्डल अपनी आवश्यकतानुसार निजी उत्पादन भी कराता रहता है जिसके लिए सक्षम व कार्य कुशल बुनकरों को सूत वितरित करके उत्पादन कराता है। जनवरी, 78 तक ऐसे बुनकरों की संख्या 3000 हो गई है।

परियोजना मण्डल एक व्यावसायिक संस्था है व उसको 5 वर्ष में केवल 9000 करघों की 'सघन विकास योजना' के अन्तर्गत सुनियोजित रूप से संगठित करना है।

(4) राज्य सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि राजकीय खरीद में परियोजना मण्डल के उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए बिना टेण्डर माल खरीदने के आदेश दिये हैं जिससे चयनित बुनकरों को पूरे समय काम दिया जा सके।

कृषि उपज मंडियों का कार्यकाल

141. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि उत्पादन मंडी समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो कौन कौन सी कृषि उपज मंडी समितियों का कब कब कार्यकाल समाप्त हो गया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त समितियों में कब कब से प्रशासक हैं और कब कब रहेंगे ?

(3) ऐसी कितनी समितियां हैं जिनमें अभी तक प्रशासक नहीं लगाये गये हैं ?

(4) अब इनके चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, कई मण्डी समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'क')

(2) समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति की तिथि तथा उनकी अवधि की समाप्ति की तिथि उक्त सूची में दिखाई गई है। निर्वाचित मन्डी समितियों के गठन तक प्रशासक कार्यरत रहेंगे। (परिशिष्ट 'क')

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन मण्डी समितियों के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। (परिशिष्ट 'ख')

(4) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(174)

परिशिष्ट (क)

मण्डी समितियों के कार्यकाल समाप्ति तथा प्रशासकों की नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

मण्डी समिति का नाम	मण्डी समिति के कार्यकाल समाप्ति का दिनांक	प्रशासक नियुक्त होने का दिनांक	प्रशासक किस दिनांक तक रहेंगे
1	2	3	4
1-अलवर	14-7-77	15-7-77	31-12-78
2-खेरथल	4-11-75	5-11-75	8-4-78
3-खेड़ली	7-9-76	8-9-76	8-9-76
4-भरतपुर	1-6-77	2-6-77	31-12-78
5-कामा	7-8-77	8-8-77	8-8-78
6-डीग	23-9-77	24-9-77	25-9-78
7-नदबई	31-7-77	1-8-77	31-7-78
8-धौलपुर	31-7-77	1-8-77	31-7-78
9-बाड़ी	17-8-75	18-8-75	31-7-78
10-बयाना	20-4-77	21-4-77	20-4-78
11-नगर	30-7-79	10-1-78	9-1-79
12-भुसावर	30-7-79	10-1-78	9-1-79
13-जयपुर (अनाज)	29-4-77	30-4-77	30-4-78
14-जयपुर (फल सब्जी)	25-2-77	26-2-77	14-11-78
15-दौसा	31-1-78	1-2-78	31-1-79
16-कोटपुतली	26-5-77	27-5-77	27-11-78
17-बांदीकुई	8-10-77	9-10-77	8-10-78
18-चाकसू	25-9-77	26-9-77	25-9-78
19-चौमूं	22-5-77	23-5-77	23-11-78
20-अजमेर	21-7-77	22-7-77	6-3-78
21-मदनगंज किशनगढ़	11-4-77	12-4-77	11-4-78
22-विजयनगर (अजमेर)	8-9-76	9-9-76	21-10-78
23-ब्यावर	20-5-77	21-5-77	21-5-78
24-केकड़ी	12-12-76	13-12-76	अग्रिम आदेश होने तक
25-सीकर	23-8-75	24-6-75	24-8-78
26-नीम का थाना	10-9-74	11-9-74	23-9-78
27-श्री माधोपुर	14-6-77	15-6-77	31-7-78

Page No 175

1	2	3	4
28–सूरजगढ़	22–2–75	23–2–75	26–2–78
29–चिड़ावा	10–9–74	11–9–74	28–10–78
30–झुन्झुनू	30–8–79	10–1–78	9–1–79
31–सवाई माधोपुर	31–7–77	1–8–77	31–7–78
32–गंगापुर	1–3–77	2–3–77	31–8–78
33–हिण्डौन	31–7–77	1–8–77	31–7–78
34–महुआ मण्डावर	17–5–77	18–5–77	17–11–78
35–कोटा	31–7–77	1–8–77	31–7–78
36–बारां	29–6–76	30–6–76	31–12–78
37–सुमेरगंज मण्डी	30–12–77	31–12–77	30–12–78
38–रामगंज मण्डी	6–8–77	7–8–77	7–8–78
39–अन्ता	29–10–77	30–10–77	30–10–78
40–इटावा	30–10–77	31–10–77	30–10–78
41–छबड़ा	18–2–78	10–1–78	9–1–79
42–बूंदी	7–5–75	8–5–75	8–11–78
43–केशोरायपाटन	7–4–78	10–1–78*	9–1–79
44–चौमेला	31–7–77	1–8–77	31–7–78
45–खानपुर	12–11–77	13–11–77	12–11–78
46–झालरापाटन	4–12–78	10–1–78*	9–1–79
47–टोंक	28–8–75	29–8–75	29–8–78
48–मालपुरा	21–7–75	22–7–75	22–7–78
49–निवाई	10–9–74	11–9–74	11–9–78
50–देवली	20–6–75	21–6–75	31–12–78
51–उदयपुर	15–8–75	16–8–75	18–8–78
52–नाथद्वारा	10–9–74	11–9–74	11–9–78
53–भीण्डर	17–5–75	18–5–75	1–8–78
54–फतहनगर	16–7–77	17–7–77	31–12–78
55–चित्तौड़गढ़	19–9–79	10–1–78*	9–1–79
56–कपासन	29–9–74	30–9–74	30–9–78
57–निम्बाहेड़ा	31–7–77	1–8–77	31–7–78
58–बेगूं	7–10–77	8–10–77	7–10–78
59–प्रतापगढ़	20–6–75	21–6–75	23–9–78
60–शाहपुरा	31–1–79	18–1–78	9–1–79

1	2	3	4
61–भीलवाड़ा	5–4–76	6–4–76	15–11–78
62–गुलाबपुरा	21–9–76	22–9–76	20–10–78
63–माण्डलगढ़	25–7–77	26–7–77	अग्रिम आदेशों तक प्रशासक नियुक्त ।
64–आसीन्द	21–10–77	22–10–77	22–1–78
65–बांसवाड़ा	2–6–75	3–6–75	31–12–78
66–डूंगरपुर	21–5–79	10–1–78	9–1–79
67–पाली	14–5–74	15–5–74	31–12–78
68–सोजतरोड़	30–12–77	31–12–77	30–12–78
69–जैतारण	24–9–77	25–9–77	24–9–78
70–रानी	29–12–77	30–12–77	29–12–78
71–सुमेरपुर	31–7–77	1–8–77	31–7–78
72–शिवगंज	14–10–77	15–10–77	14–10–78
73–आबूरोड	31–7–77	1–8–77	31–7–78
74–जोधपुर	15–6–75	16–6–75	31–12–78
75–बिलाड़ा	7–10–77	8–10–77	7–10–78
76–पीपाड़ सिटी	11–9–77	12–9–77	11–9–78
77–नागौर	13–6–77	14–6–77	31–12–78
78–मेड़ता सिटी	31–7–77	1–8–77	31–7–78
79–कुचामन सिटी	25–8–77	26–8–77	26–8–78
80–डीडवाना	16–5–79	10–1–78	9–1–79
81–भीनमाल	19–7–77	20–7–77	31–12–78
82–बाड़मेर	21–4–76	22–4–76	17–4–78
83–बालोतरा	17–5–77	18–5–77	31–12–78
84–श्री गंगानगर	11–9–74	12–9–74	11–9–78
85–रायसिंहनगर	29–7–77	30–7–77	29–7–78
86–श्री करणपुर	28–6–75	29–6–75	31–12–78
87–श्री विजयनगर	10–9–74	11–9–74	11–9–78
88–भादरा	4–8–77	5–8–77	5–8–77
89–हनुमानगढ़	30–7–75	31–7–75	1–8–78
90–सांगरिया	10–9–74	11–9–74	11–9–78
91–पदमपुर	31–7–77	1–8–77	31–7–78
92–गजसिंहपुर	19–7–75	20–7–75	21–7–78

1	2	3	4
93–केसरीसिंहपुर	31–7–77	1–8–78	31–7–78
94–सादुल शहर	10–9–74	11–9–74	11–9–78
95–पीलीबंगा	31–7–77	1–8–77	31–7–78
96–नोहर	10–9–74	11–9–74	11–9–78
97–चूरू	8–7–79	10–1–78*	9–1–79
98–तारानगर	14–7–79	10–1–78*	9–1–79
99–सादुलपुर	10–9–74	11–9–74	11–9–78
100–सरदार शहर	9–12–78	10–1–78*	9–1–79
101–सुजानगढ़	26–3–79	10–1–78*	9–1–79
102–डूंगरगढ़	24–9–79	10–1–78*	9–1–79
103–बीकानेर	31–8–75	1–9–75	28–6–78
104–नोखा	6–12–77	7–12–77	6–12–78
105–जैसलमेर	20–7–78	10–1–78*	9–1–79
106–नरैना	29–10–77	30–10–77	20–10–78
107–जहाजपुर	15–1–79	10–1–78*	9–1–79

नोट :– *इन प्रथम मनोनीत मण्डी समितियों में अवधि समाप्ति से पूर्व राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के अन्तर्गत अधिघोषणा जारी कर प्रशासक नियुक्त कर दिये हैं।

धौलपुर ग्लास वर्क्स

142. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) धौलपुर में धौलपुर ग्लास वर्क्स फैक्टरी कब कायम हुई ? वह कब से किन कारणों से बन्द है ?

(2) क्या यह मसला अभी तक लिक्वेडेटर्स के माध्यम से उच्च न्यायालय में चल रहा है ?

(3) क्या इस मामले को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रयत्न किए हैं ?

(4) क्या धौलपुर ग्लास वर्क्स को राज्य सरकार स्वयं चलाने के लिये तैयार है ?

(5) क्या यह भी सही है कि दस पन्द्रह लाख रुपया लगाकर यह फैक्ट्री दो हजार आदमियों को रोजगार दे सकती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया ?

(6) क्या इस को शुरू करके धौलपुर की बेरोजगारी समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम नहीं होगा ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इसको पुनः शुरू करने का विचार कर रही है ?

(उद्योग मंत्री)

उत्तर

(1) धौलपुर ग्लास वर्क्स (डी.जी.डब्ल्यू.) सन् 1945–46 में स्थापित की गई। लेकिन आर्थिक हानि एवं संचालक मण्डल की उपयुक्त व्यवस्था के अभाव में यह उद्योग मई 1967 से बन्द है।

जी हां।

(2) चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस दिशा में कार्यवाही करना संभव नहीं है। सरकार इसमें पक्षकार नहीं है न कानूनी रूप से कुछ करने में समर्थ है।

(3) जी नहीं।

(4) इस उद्योग में वर्ष 1963, 1964, 1965 में क्रमशः 80,656/–, 86,636/– एवं 4,59,137/– की लगातार हानि तथा राजस्थान वित्त निगम की रु. 11,39,097.72 की बकाया धनराशि व अन्य पार्टियों की बकाया राशि को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा इसे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं जानकर पुनः चलाना उपयुक्त नहीं समझा।

(5) प्रश्न के भाग 5 के उत्तर में अंकित परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार ने इस फैक्ट्री को चलाना उपयुक्त नहीं समझा।

बाड़मेर जिले में भू-संरक्षण विभाग द्वारा बनाई गई योजना

143. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में लूणी एवं सूकड़ी नदी की बाढ़ आने पर निम्न कस्बे एवं गांव प्रभावित होते हैं:––

1. बालोतरा कस्बा 2. ग्राम सिलोर 3. जेठंतरी 4. पारलू 5. कानाना 6. जानियाना 7. होटलू 8. कितनोद 9. मूंगड़ा 10. आसोतरा 11. बीठूजा 12. कूंपावास 13. समदड़ी 14. रानी देसीपुरा 15. अजीत 16. मंजल 17. बामसिल 18. जसोल 19. तिलवाड़ा 20. भूका 21. सिणधरी 22. सिनली ? यदि हां, तो इनके अलावा और अन्य ग्राम कौनसे हैं जो भी उक्त नदी की बाढ़ से प्रभावित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण विभाग ने ग्राम कितनोद में बाढ़ से बचाने के लिए आठ ठोकरें बनाई हैं और दूसरे ग्रामों को उक्त लाभ से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इनके क्या कारण है ?

(3) क्या भू-संरक्षण विभाग ने उन सभी प्रभावित गांवों और बालोतरा कस्बे को बाढ़ से बचाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? यदि नहीं, तो कब तक योजना बनाकर क्रियान्वित की जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सूचना के अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृषि मंत्री)

(2) सन् 1963-64 में पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्राम कितनोद में 6 ठोकरें निर्मित हुई। सन 72–73 व 73–74 में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत केवल 4 ठोकरों का इस गांव में भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा निर्माण हुआ। चार ठोकरें ग्राम सराना में बनाई गई। इस योजना के तहत केवल ग्राम कितनोद व सराना ही की मन्जूरी प्रदान की गई थी।

(3) डी.पी.ए.पी. योजना के अधीन बालोतरा में एक जिला भू-संरक्षण इकाई नियत की गई है। जिसका कार्य क्षेत्र बालोतरा, सिवाणा व घोरीमना पंचायत समितियां हैं। जिले के अन्य गांवों के लिए जिला विकास एजेन्सी के निर्देशानुसार सर्वे के उपरान्त ही योजना प्रस्तुत करना संभव होगा।

उपलब्ध सूचना के अनुसार बाड़मेर जिले में लूणी व सूकड़ी नदी में बाढ़ से प्रभावित अन्य गांवों की सूची।

1. रामसीन
2. मालान
3. खाटियाव
4. निम्बामी

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 121 की सूची)

गंगापुर पंचायत समिति में बाढ़कला के सरपंच को निर्माण कार्यों के लिए दी गई राशि का विवरण।

क्र. सं. 1	नाम निर्माण कार्य 2	ग्राम 3	राशि जो दी गई 4
1.	सड़क निर्माण	बाढ़ कलां	4,575)
2.	टट्टियां निर्माण	,,	300)
3.	,, ,,	बाढ़ खुर्द	300)
4.	कूप निर्माण	बाढ़ कलां	550)
5.	,, ,,	,,	800)
6.	कूप पारा निर्माण	बाढ़ खुर्द	400)
7.	कूप निर्माण	,,	1,000)
8.	स्कूल भवन	बाढ़ कलां	200)
9.	बीज गोदाम	,,	1,500)
10.	कूप निर्माण	फिरासपुरा	500)
11.	,, ,,	बिदरक्या	250)
12	पंचायत भवन	बाढ़ कलां	1,500)
13.	कूप निर्माण	रेती बिदरक्या	1,383)
14.	,, ,,	कांकर बिदरक्या	1,400)
15.	स्कूल भवन	बालोतरा	1,000)
16.	कूप निर्माण	गूजर वाली ढाणी बाढ़ कलां	810)
17.	स्कूल भवन	बाढ़ कलां	1,000)
18.	कूप निर्माण	मोतीपुरा	933)
19.	कूप मरम्मत हरिजन	बाढ़ कलां	355)
20.	कूप पारा	फिरासपुरा	400)
21.	चिल्डरन पार्क	बाढ़ कलां	750)
22.	हैन्ड पम्प	,,	450)
23.	स्कूल बरामदा	,,	1,440)
24.	फूटपाथ निर्माण	,,	100)
25.	,, ,,	बाढ़ खुर्द	100)
26.	कूप निर्माण	बाढ़ कलां	1,660)

Page No 182

1	2	3	4
27.	टीचर क्वार्टर	बाढ़ कलां	2,700)
28.	कूप पारा	बाढ़ खुर्द	250)
29.	कूप निर्माण	जलोखरा	1,260)
30.	स्कूल बाउन्ड्री वाल	बाढ़ कलां	2,700)
31.	कूप निर्माण	,,	1,890)
		योग	22,456)
